

मतादर्श

सामाजिक विज्ञान, मानविकी एवं वाणिज्य की शोध पत्रिका

संपादक

शैलेन्द्र सेंगर

निदेशक, एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, दिल्ली

मेखला प्रकाशन

एफ-3/139, सेक्टर-16, रोहिणी

दिल्ली-110089

वर्ष : 9 अंक : 1 □ जनवरी-मार्च, 2016

मतादर्श

मतादर्श भारत में समाचार पत्रों के निबंधक (आर.एन.आई.) द्वारा अनुमोदित है।

सलाहकार संपादक

डॉ० गिरीश मिश्र

संपादक

शैलेन्द्र सेंगर

संपादक मंडल

डॉ० आर. एन. कुंअर

डॉ० बामेश्वर सिंह

डॉ० विद्या भूषण श्रीवास्तव

डॉ० रवीन्द्रनाथ राय

डॉ० अमरकान्त सिंह

डॉ० लक्ष्मेश्वर ठाकुर

साज-सज्जा

पंकज झा

संपादकीय सम्पर्क:

448, पॉकेट-5, मयूर विहार, फेज-1,

दिल्ली-110091

फोन : 011-22753916, 47541851, 64683387

e-mail : editorialindia@gmail.com

मूल्य : ₹ 1500.00

मुद्रक एवं प्रकाशक अलका सिंह द्वारा एफ-3/139, सेक्टर-16, रोहिणी दिल्ली-110089 से प्रकाशित तथा बी. के. ऑफसेट, नवीन शाहदरा दिल्ली-32 से मुद्रित

नोट: पत्रिका में प्रकाशित लेखकों के विचार अपने हैं। उसके लिए पत्रिका/संपादक/संपादक मंडल को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पत्रिका से सम्बंधित किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्याय क्षेत्र दिल्ली होगा।

Editorial

It is great to see that the current Union government has set the ball rolling on a New Education Policy. That this is being revisited after nearly 30 years does not take away from the fact that it has come at a critical juncture- when India is staring at a surging youth population, set to be the world's largest in 2020. While most of the pressing concerns like re-assessing the government's spend on education, access to quality education, innovation, research, regulation, poor ranking of our higher institutes globally and education financing etc. have been factored into the vision document, much will depend on how calibrated the government's approach to solutions will be. The education sector is in dire need of new thinking and complementing radical steps. Traditionally, in the education sector, the challenge has not been so much about knowing what to do, rather the challenge has been to have the nerve and the action orientation to do what is required. The current government has to plan for a whole generation of young people who are thirsting for access to quality education. The time for incrementally relevant decisions is over, because we have simply run out of time. The time now is for radically big leaps. It is imperative, therefore, that the HRD minister acts with boldness, speed and vision and our new education policy reflect this. Only then can we hope to see visible impact in the short term, since we do not have the luxury of simply planning for the long term for our large, impatient young population with their pent up hopes and aspirations. The Indian education system has a great opportunity to go digital, thereby leapfrogging the progress in education that other countries have done. Over the past 8-9 years, Indian schools and students have demonstrated that their ability to adapt to digital technology is no less than anybody else in the world. It is a fact that today many private schools in India which use products like Smart class are way ahead of the technology adoption curve than many other schools in the US, Singapore and even Japan. There is a great opportunity in front of us to take e-education and spread it across the country. The advantages are quite obvious. With one stroke, we will be able to deal with the critical teacher shortage problem and also the teacher quality problem. We will also be able to make education contextualized, localized, relevant and consistent across the country.

It has been proven through multiple studies that when kids are exposed to multi sensory and multimedia education, they absorb better and they are able to retain the learning content. One of the perennial problems in the Indian education has been the huge drop out ratio because students in school do not find education relevant or contextual to their surroundings. Using high quality digital materials will immediately ensure that every learner in the country will find it a joy to go school and immediately cut down the dropout rate. In the past, many proposals have been made to the government regarding e-education and this could be an opportune time to take up digital class room and digital education across the country. When you consider it has taken about 60 years to create 1,200 odd Kendriya Vidyalaya, you know that your strategy is not working. Clearly, what is needed is to supplement new schools, institutions on a war footing. For decades we have limited the supply of schools due to self imposed illogical constraints on volumes by keeping private investment out of education. And yet, there seems to be no rationale to limit the participation of private capital in education. Various estimates suggest that in case private capital is freely allowed to participate in education, it can unleash an investment of over 10,000 crores over the next 12 months. That's a huge sum of money and is the equivalent of building 1,000 new schools. When you consider it has taken about 60 years to create 1,200 odd Kendriya Vidyalaya schools, the logic argument for private investment in education makes sense. But what prohibits private capital now to enter education? Current regulations only permit non proprietary and non-profit bodies from getting recognition or affiliation from state education authorities or national education board such as CBSE and ICSE. What is interesting is that this is not the law, this is merely the fine print of regulation that has created a whole bunch of anomalies in the education sector. With a stroke of a pen allowing all kinds of bodies, whether for-profit or not-for-profit, to set up educational institutions, will overnight create an investment environment which will attract capital, not just from India but all over the world.

—Editor

इस अंक में

इतिहास

मौर्यकालीन भारतीय समाज का विश्लेषण—प्रशांत शंकर सिंह	7
अशोक के अभिलेख का विश्लेषण—मोनिका कुमारी	15
मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था—प्रीतम सिंह सारसर	20
वर्तमान समय में गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता—निकेता सिंह	24
चम्पारण में गाँधी: एक ऐतिहासिक अवलोकन—अरूण कुमार	34
1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन: सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष—बासुदेव साह	40

भोजपुरी

भोजपुरी लोक गायक महेन्द्र मिसिर—श्रीधर तिवारी	45
---	----

हिन्दी

लोकमंगल के कवि: तुलसीदास—डॉ० वेदवती सिंह	50
भारतीय साहित्य में महिला सशक्तिकरण के स्वरूप का अध्ययन—अरुण कुमार श्रीवास्तव	54
प्रेमचन्द और दलित-समस्या—डॉ० सुनीता कुमारी	57
नारी मुक्ति का मानचित्र: 'दुखम सुखम'—राहुल शर्मा	61
भारतीय लोक साहित्य: हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में—गायत्री शर्मा	66

संस्कृत

वैदिक वाङ्मय में अनुस्यूत पर्यावरण संरक्षण—डॉ० प्रसून दत्त सिंह	70
महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम् नाटक में संगीत-योजना: एक विवेचन—मनोज कुमार सिंह	77
हरिवंशपुराण की उपादेयता(वर्तमान संदर्भ में)—डॉ० राजवीर शास्त्री	80
अभिज्ञानशाकुन्तले पर्यावरणचिन्तनम्—रुद्रनारायण नरसिंह मिश्र:	84
गङ्गाधरमेहेरस्य रचनासौष्टव-प्रकृतिचित्रणयोस्समीक्षात्मकाध्ययनम्—सुलोचना मिश्र	87
कालिदासाश्वधोषयोः उपमायाः वैशिष्ट्यम्—डॉ० कल्पना कुमारी	90

पत्रकारिता

- भारतीय संविधान में लोकतंत्र को सुदृढ़ करनेवाले तत्व—डॉ० अरुण कुमार भगत 94
समाचार पत्रिकाओं (इंडिया टुडे, शुक्रवार, आउटलुक) के ऑन लाइन संस्करणों
का अतर्वस्तु का विश्लेषण—ओमशंकर गुप्ता 104

समाजशास्त्र

- पंचायतीराज एवं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण—डॉ० प्रेमलता 120

शिक्षाशास्त्र

- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश के
सन्दर्भ में व्यक्तित्व का अध्ययन—रामनिवास धायल 124

राजनीति विज्ञान

- भारत में गठबंधन सरकार: 1990-2014 के दौर के संदर्भ में—डॉ० राजेश कुमार पाण्डेय 128

HISTORY

- Origins of Guru-Shishya Parampara—*Dr. Amar Kant Singh* 133
Jawaharlal Nehru's Foreign Policy—*Aynal Hoque* 143
Impact and Aftermath of Indian Partition—*Muklesur Rahman* 152
Self-Respect Movement and Depressed Class Movement
—*Santosh Kumar Sharma* 158

ENGLISH

- Communication Skills and English Language—*Dr. Yasodhara Prasad* 161
A Phonetic View—*Praveen Bhardwaj* 166
Toru Dutt as a Poet—*Arvind Kumar Jha* 170

EDUCATION

- Status of Teacher Education in India—*Dr. Md. Enam* 173

PSYCHOLOGY

- Environmental Influences on Human Behaviour and Wellbeing
—*Dr. Firoz Akhtar* 180
Prejudice in School Children—*Dr. Suhina Chatterjee & Dr. Bharati Roy* 185
Psychosocial factors in Relation to Psychotic Disorder—*Sneha Kumari* 193

LAW

- Principles of Natural Justice and Indian Legal System: A Study
—*Anjay Kumar* 196

SOCIOLOGY	208
Structurisation and Post-Modernism— <i>Dr. Md. Shakil Anjum</i>	209
GANDHIAN THOUGHTS	
Gandhi's Political Philosophy in Today World— <i>Michael</i>	216
The Gandhian Approach to World Peace— <i>Rajesh Kumar</i>	220
WOMEN STUDIES	
Economic Empowerment of Women— <i>E. Anita</i>	226
COMMERCE	
Impact of Employees Training and Development of Organisational Profits— <i>Sonam Tomar</i>	232
Organisational Culture and Employee Retention— <i>Dr. Pramod Kumar</i>	241
POLITICAL SCIENCE	246
Maulana Abul Kalam Azad: A Nationalist and Educationalist Muslim — <i>Dr. Kumari Anupam Priya; Raj Shekhar</i>	247
ECONOMICS	
Wage Determination— <i>Vaishali Verma</i>	253
Independent Economy of India and Nehru's Economic Policy — <i>Sanjay Kumar Singh</i>	259
GEOGRAPHY	264
Site, Situation, Types, Size, Spacing and Internal Morphology of Rural and Urban Settlements— <i>Krishna Kumar Rai</i>	265

मौर्यकालीन भारतीय समाज का विश्लेषण

प्रशांत शंकर सिंह

शोध छात्र, तिलका मांडवी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

ईसा से पहले की पाँच शताब्दियों में भारतीय इतिहास में जिन प्रमुख व्यक्तियों ने देश की गतिविधि और परिवर्तन की विविध धाराओं को सबसे अधिक प्रभावित किया, उनमें सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का एक विशिष्ट स्थान है। मगध साम्राज्यवाद के उदय ने अंततः मौर्य साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मौर्यों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर राजनीतिक एकता स्थापित की। भारतीय इतिहास में मौर्यकाल का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। मौर्यों ने राजनीतिक एकीकरण के अतिरिक्त आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक और धार्मिक क्षेत्रों के अभ्युदय तथा कला कौशल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

मौर्य शासकों ने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था भी कायम की। इस व्यवस्था में शक्ति का केन्द्रीकरण राजा में हुआ। मौर्य प्रशासन का उद्देश्य राज्य को स्थायित्व प्रदान करना एवं अधिक से अधिक कर वसूल कर एवं लोक कल्याणकारी कार्य करना था। इस प्रशासन की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई, परंतु यह व्यवस्था बाद में भी परिवर्तित एवं संशोधित रूप में चलती रही। अशोक ने प्रशासन को ज्यादा लोकहितकारी बनाने का प्रयास किया। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों से मिलती है।

प्रशासनिक व्यवस्था

मौर्यों के शासनकाल में भारत ने पहली बार राजनीतिक एकता प्राप्त की एवं चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श चरितार्थ किया। मौर्य युग में राजतंत्र के सिद्धांत की महत्ता थी। इस युग में गणराज्यों का ह्रास होने लगा और शासन सत्ता अत्यधिक केंद्रित हो गई। मौर्यकाल में राजा की शक्ति में अत्यधिक वृद्धि हुई। परंपरागत राजशास्त्र सिद्धांत के अनुसार राजा धर्म का रक्षक है, धर्म का प्रतिपादक नहीं। राजशासन की वैद्यता इस बात पर निर्भर थी कि वह धर्म के अनुकूल हो, किंतु कौटिल्य ने इस दिशा में एक नया प्रतिमान प्रस्तुत किया। कौटिल्य के अनुसार राजशासन धर्म, व्यवहार, और चरित्र (लोकाचार) से ऊपर था। इस प्रकार राजाज्ञा को प्रमुखता दी गई। इस बढ़ती हुई प्रभुसत्ता के कारण ही अशोक के समय राजतंत्र ने पैतृक निरंकुशता का रूप धारण किया। सम्राट अशोक के अभिलेख में वर्णित है कि वे सारी प्रजा को समान मानते थे, उनके ऐहिक और पारलौकिक सुख के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझते थे और प्रजा को उचित कार्य करने का उपदेश देते थे।

चूँकि शासन का केन्द्रबिंदु राजा था, अतः इतने बड़े साम्राज्य के शासन संचालन के लिए यह आवश्यक था कि राजा उत्साही, स्फूर्तिवान, उद्यमी और प्रजाहित के कार्यों के लिए सदा तत्पर हो। चन्द्रगुप्त एवं अशोक दोनों मौर्य सम्राटों में ये गुण प्रचुर मात्र में विद्यमान थे। चन्द्रगुप्त की कार्य तत्परता के संबंध में मेगास्थनीज ने लिखा है कि राजा दरबार में बिना व्यवधान के कार्यरत रहता था। कौटिल्य ने कहा है कि, “जब राजा दरबार में ही बैठा हो तो उसे प्रजा से बाहर प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जब राजा प्रजा के लिए दुर्लभ हो जाता है और काम अपने मातहत अधिकारियों के भरोसे छोड़ देता है, तो वह प्रजा में विद्रोह की भावना पैदा करता है। इन परिस्थितियों में राजा के

राजनीतिक शत्रुओं के षड्यंत्र का शिकार हो जाने की आशंका पैदा हो जाती है।” अशोक ने अपने छोटे अभिलेख में भी कहा है कि वह प्रजा के कार्य के लिए प्रतिक्षण और प्रत्येक स्थान पर मिल सकते हैं और प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में उसे बड़ा संतोष मिलता है।

राजा ही राज्य की नीति निर्धारित करता था और अपने अधिकारियों को राजाज्ञाओं द्वारा समय-समय पर निर्देश दिया करता था। चन्द्रगुप्त के समय में गुप्तचरों के माध्यम से दूरस्थ प्रदेशों में शासन कर रहे अधिकारियों पर सम्राट का पूरा नियंत्रण रहता था। अशोक के समय पर्यटक, महामात्रों, राजुको, प्रादेशिकों, पुरुषों तथा अन्य अधिकारियों का सहायता लेते थे। कौटिल्य का दृढ़ मत था कि राजस्व संग्रह बिना योजना के संभव नहीं है, अतः राजा को सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा उनसे मंत्रणा लेनी चाहिए। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी मंत्री कहलाते थे। इनकी संख्या तीन या चार होती थी। ये मंत्री एक प्रकार से अंतरंग मंत्रिमंडल के सदस्य थे। राज्य के सभी कार्यों पर इस अंतरंग मंत्रिमंडल में विचार-विमर्श होता था और उनके निर्णय के पश्चात् ही कार्यारंभ होता था। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त एक मंत्री-परिषद् भी होती थी। जहाँ तक मंत्रियों और मंत्री-परिषद् के अधिकार का प्रश्न है, उनका मुख्यकार्य राजा को परामर्श देना था। वे राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखते थे किंतु मंत्रियों का प्रभाव बहुत कुछ उनकी योग्यता और कर्मठता पर निर्भर करता था। भले ही राजा किसी भी कार्य के लिए मंत्री या परिषद् के सदस्यों के परामर्श से काम करता था परंतु अंतिम निर्णय राजा के ही हाथ में था।

शासन कार्य का भार मुख्यतः एक विशाल वर्ग पर था जो साम्राज्य के विभिन्न भागों से शासन का संचालन करते थे। अर्थशास्त्र में ऊँचे स्तर के कर्मचारियों को “तीर्थ” कहा गया है। इस समय कुल अठारह तीर्थों का उल्लेख है। इन्हीं में से किसी का कार्य राजस्व एकत्र करना, आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा वार्षिक बजट तैयार करना था, तो किसी का कार्य साम्राज्य में विभिन्न प्रदेशों में कोषगृह और कोषागार बनवाना और नकद तथा अन्न के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व की रक्षा करना था। केन्द्रीय शासन का एक महत्वपूर्ण विभाग सेना विभाग था। इस विभाग का संगठन 6 समितियों के हाथ में था। सेना के यातायात तथा युद्ध सामग्री की व्यवस्था समिति द्वारा की जाती थी।

सम्राट न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मौर्य साम्राज्य में न्याय के लिए अनेक न्यायालय थे। इस समय ग्राम संघ और राजा के न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सभी न्यायालय दो प्रकार के थे धर्मस्थीय और कंटकशोधन। धर्मस्थीय न्यायालय का कार्य न्याय निर्णय देना था। इस न्यायालय को दीवानी अदालत भी कहा जाता था। नीलकण्ठ शास्त्री के अनुसार कंटकशोधन न्यायालय एक नए प्रकार के न्यायालय थे, जो मौर्य साम्राज्य की अधिकाधिक जटिल सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए थे ताकि एक अत्यंत संगठित शासन तंत्र के विविध विषयों से संबद्ध निर्णयों को कार्यान्वित किया जा सके। ये एक प्रकार के विशेष न्यायालय थे जहाँ अभियोगों पर तुरंत विचार किया जाता था।

मौर्यकाल में शासन करने की सुविधा की दृष्टि से राज्य को कई प्रशासनिक ईकाइयों में बाँटा गया था। सबसे बड़ी प्रशासनिक ईकाई “प्रांत” थी। चन्द्रगुप्त के समय इन प्रांतों की संख्या क्या थी, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, किंतु अशोक के समय पाँच प्रांतों का उल्लेख मिलता है। प्रांतों का शासन वाइसराय रूपी अधिकारी द्वारा होता था। केन्द्रीय शासन की ही भाँति प्रांतीय शासन में भी मंत्रीपरिषद् होती थी।

मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के संचालन के लिए धन की आवश्यकता रही होगी, इसमें तो तनिक भी संदेह नहीं है। वास्तव में इस युग में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की

गई और इसके पर्याप्त विवरण कौटिल्य ने भी दिए हैं। राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों में कृषि, व्यापार एवं उद्योग से मिलने वाले कर प्रमुख थे एवं उनके अतिरिक्त अनेक व्यवसाय ऐसे थे जिन पर राज्य का पूर्ण आधिपत्य था और जिसका संचालन कर राज्य का भरण-पोषण किया जाता था। यद्यपि मौर्य साम्राज्य में सैनिकों पर अत्यधिक खर्च किया जाता था, तथापि यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस शासन व्यवस्था में कल्याणकारी राज्य की कई विशेषताएँ मौजूद थीं, उदाहरण स्वरूप- राजमार्गों के निर्माण, सिंचाई का प्रबंध, पेय जल की व्यवस्था, कृपण, दीन, अनाथों का भरण-पोषण इत्यादि। अशोक के समय में कृपण, दीन, अनाथों का भरण-पोषण जैसे परोपकारी कार्यों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई।

सामाजिक दशा

कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार है। मौर्यकाल तक आते-आते वर्णाश्रम व्यवस्था को एक निश्चित आधार प्राप्त हो चुका था। वर्ण कठोर होकर जाति के रूप में बदल गये जिसका आधार जन्म था। प्रत्येक वर्ण की स्थिति और उनके कर्तव्यों का ब्योरा अर्थशास्त्र में भी दिया गया है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कौटिल्य ने भी चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए, किंतु शुद्र को शिल्पकला और सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दी है। निश्चित है कि इस व्यवस्था से शुद्र के आर्थिक सुधार का प्रभाव उसकी सामाजिक स्थिति पर भी पड़ा होगा। वैश्यों के सहायक के रूप में अथवा स्वतंत्र रूप में शुद्र भी कृषि, पशुपालन तथा व्यापार किया करते थे। इस समय वर्ण व्यवस्था की रक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य था। वर्ण व्यवस्था भंग होने पर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाती, जिसका प्रभाव राज्य के अस्तित्व पर भी पड़ता है, इसलिए राजा को वर्णाश्रम धर्म की स्थापना की सलाह दी गई और इसके साथ ही साथ चारों वर्णों के व्यवसाय भी निर्धारित किये गये, जिनका पालन करना उनके लिए आवश्यक था।

समाज में अब भी ब्राह्मण विशिष्ट स्थान रखते थे, किंतु मनु तथा पूर्वगामी धर्मसूत्रों की भाँति इस तथ्य को बार-बार दुहराने का प्रयास कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं किया गया है। यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती है कि ब्राह्मण समाज का बौद्धिक और धार्मिक नेतृत्वकर्ता थे, वे ही शिक्षक और पुरोहित भी होते थे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करवाए जाने का उल्लेख मेगास्थनीज ने भी किया है। राजा के पुरोहित और कानून मंत्री अधिकांश इसी वर्ग से नियुक्त किये जाते थे, उन्हें आर्थिक और कानून संबंधी विशेषाधिकार प्राप्त थे। राजा द्वारा शिक्षकों, यज्ञ कराने वाले पुरोहितों तथा वेदपाठी ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी। इसी भूमि को “ब्रह्मदेय” कहा जाता था और यह पूर्णतः कर मुक्त थी। इस प्रकार देखते हैं कि ब्राह्मणों की समाज में बहुत पहले से चली आ रही प्रधानता का इस व्यवस्था में भी कोई विरोध नहीं किया गया।

कौटिल्य ने ब्राह्मणादि चार वर्णों के अतिरिक्त अनेक वर्णसंकर जातियों का भी उल्लेख किया है। जिनकी उत्पत्ति धर्मशास्त्रों की भाँति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों में बताई गई है। इन जातियों में प्रमुख अम्बष्ट, निषाद, पारशव, रथकार, क्षत्ता, वैदेहक, मागध, सूत, पुल्लकस, वेण, चांडाल, श्वपाक इत्यादि हैं। चांडाल और श्वपाको को अछूत माना जाता था तथा उन्हें बस्तियों से बाहर श्मशान के निकट रहने को कहा गया था। कौटिल्य ने चांडालो के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णसंकर जातियों को शुद्र माना है। इनके अतिरिक्त तंतुवाय (जुलाहे), रजक (धौबी), दर्जी, सुनार, लुहार, बढई आदि व्यवसाय पर आधारित वर्ग, जाति का रूप धारण कर चुके थे। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकर का उल्लेख है, जो शुद्र वर्ग के अंदर ही समाविष्ट किए जाते थे।

जातिप्रथा की कुछ विशेषताओं की पुष्टि मेगास्थनीज की इंडिका से होती है। मेगास्थनीज के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता था और न उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था, परंतु दार्शनिक इसके अपवाद थे। जो किसी भी वर्ग से हो सकते थे। मेगास्थनीज का यह वर्गीकरण व्यवसाय के आधार पर किया गया था। इससे न तो ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित चारों वर्णों का बोध होता है और न तत्कालीन समाज की बहुसंख्यक जातियों की ही सूचना मिलती है। इस तरह से देखते हैं कि केवल ब्राह्मणों को ही अपनी विशेष स्थिति के कारण किसी भी प्रकार के व्यवसाय में सम्मिलित होने का अधिकार प्राप्त था। धर्मशास्त्रों में भी ब्राह्मणों को अपातकाल में क्षत्रिय तथा वैश्य का व्यवसाय अपनाने की अनुमति दी गई है।

इसके अतिरिक्त मेगास्थनीज द्वारा भारतीय समाज का वर्गीकरण, भारतीय ग्रंथों में वर्णित वर्गीकरण से भिन्न है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को सात जातियों में विभक्त किया है— दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। मेगास्थनीज का यह वर्णन भारतीय वर्णव्यवस्था या जातिव्यवस्था से मेल नहीं खाता है। दार्शनिकों की जाति को मेगास्थनीज दो श्रेणियों में विभक्त करता है – ब्राह्मण और श्रमण। ब्राह्मणों की वृत्ति के संबंध में मेगास्थनीज लिखता है कि यज्ञ, अंत्येष्टि क्रिया तथा अन्य धार्मिक कृत्य करवाने के बदले में उन्हें बहुमूल्य दक्षिणा मिलती थी। श्रमणों को भी दो श्रेणियों में बाँटा गया, एक वे जो वनों में रहते थे और कंद, मूल, फलों पर आजीविका चलाते थे, उन्हें वानप्रस्थ आश्रम से संबद्ध माना जाता था। दूसरी श्रेणी के श्रमण वे थे, जो आयुर्वेद में कुशल होते थे और समाज में सम्मानित थे। मौर्यकालीन भारतीय समाज का जो सप्तवर्गीय चित्रण मेगास्थनीज ने प्रस्तुत किया है, उनमें जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया गया है। संभवतः यह माना जा सकता है कि एक विदेशी होने के कारण मेगास्थनीज भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने में असमर्थ था।

इतना ही नहीं मेगास्थनीज ने कहा है कि भारत में कोई दास प्रथा नहीं थी और एरियन तथा स्ट्रेबो दोनों ने भी इस मत का समर्थन किया है। इसके विपरीत बौद्ध साहित्य में तीन प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है ऐसे दास जो अपने पिता से उत्तराधिकार में दासता प्राप्त करते थे, ऐसे दास जो खरीदे जाते थे या उपहार में प्राप्त होते थे तथा ऐसे दास जो दासों के घरों में जन्म लेते थे। इसी प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि आर्य अस्थाई विपत्तियों के कारण दास के रूप में कार्य कर सकता है। इस स्थिति के कारण कुछ विद्वानों का मत है कि मौर्यकालीन वर्ण व्यवस्था दास प्रथा पर निर्भर थी। इन संबंधों के विस्तृत विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दास प्रथा यूनानी गुलाम प्रथा से सर्वथा भिन्न थी और इसी कारण मेगास्थनीज ने भारत में दास प्रथा न होने की बात कही है। बौद्ध साहित्य के संदर्भों से पता चलता है कि दास का उपयोग घर के कामों के लिए किया जाता था, न कि उसका उपयोग उत्पादक के लिए किया जाता था। उन्हें निष्पादित कार्य के आधार पर मजदूरी दी जाती थी। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक दास को डेढ़ पण प्रति महीना दिया जाता था और उसे तथा उसके परिवार को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार मौर्यकाल में घरेलू दास प्रथा प्रचलित थी, किन्तु दास प्रथा निश्चय ही मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था का आधार नहीं थी।

मौर्यकाल में पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन सुख शांति का था। इस समय समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया जाता था। इस समय समाज में व्याप्त अपराधों, व्याभिचार, अपहरण, बलात्कार इत्यादि को रोकने के लिए अनेक उपाय किये जाते थे और अपराधियों को कड़ी सजाएँ दी जाती थी। परिवार में स्त्रियों की स्थिति स्मृतिकाल की अपेक्षा अब अधिक सुरक्षित थी। उन्हें पुनर्विवाह तथा नियोग की अनुमति थी, किन्तु फिर भी मौर्यकाल में स्त्रियों

की स्थिति काफी उन्नत नहीं कही जा सकती है। उन्हें बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी और पति की इच्छा के विरुद्ध वे कोई कार्य नहीं कर सकती थी। संभ्रांत घर की स्त्रियाँ प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को “अनिष्कासिनी” कहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से सती प्रथा के प्रचलित होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। इस समय धर्मशास्त्र इस प्रथा के विरुद्ध थे। बौद्ध और जैन अनुश्रुतियों में भी इसका उल्लेख नहीं है किन्तु यूनानी लेखकों ने उत्तर-पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है। योद्धा वर्ग की स्त्रियों में सती की वह प्रथा प्रचलित रही होगी। मौर्य युग में भी बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ थी जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न बताकर गणिका या वैश्या के रूप में जीवनयापन करती थी। स्वतंत्ररूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियाँ “रूपाजीवा” कहलाती थी। इनसे राज्य को आय होती थी। इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष तथा एक राजपुरुष करता था। इस समय स्त्रियों से गुप्तचरी का काम भी लिया जाता था।

मौर्यकालीन नगरों का जीवन ग्रामों की अपेक्षा ज्यादा जीवंत एवं कोलाहलपूर्ण था। नगरवासियों के आमोद प्रमोद के लिए नट-नर्तक, गायक, बाजा बजानेवाले, नाटक दिखाने वाले, मदारी, कुश्ती दिखाने वाले आदि स्वतंत्रतापूर्वक नगरों में विचरण कर लोगों का मनोरंजन करते थे, परंतु गाँवों में इनके प्रवेश पर प्रतिबंध था, विशेषकर फसल बोने और काटने के समय में। विहार, यात्रा, समाज, प्रवहण आदि अन्य माध्यम थे, जिनके द्वारा जनता सामूहिक रूप से अपना मनोरंजन करते थे। एक प्रकार के समाज थे जिनमें लोग सुरापान, मांसभक्षण तथा मल्लयुद्ध को देखकर मनोरंजन करते थे। अशोक को ये समाज पसंद नहीं था। अतः उसने नए समाजों का प्रारंभ किया। जिनमें हस्ति, अग्निस्तंभ तथा विमानों की झोंकियाँ दिखाई जाती थी ताकि लोगों में धर्माचरण को प्रोत्साहन मिले। कुछ ऐसे समाज भी थे, जो सरस्वती के भवन में आयोजित होते थे और इनमें साहित्यिक नाटकों का अभिनय तथा गोष्ठियों का आयोजन होता था। विहार यात्राओं में मृगया और सुरापान की प्रधानता रहती थी। अशोक ने इन यात्राओं को बंद करवा दिया और धम्म यात्राओं का प्रारंभ किया। मौर्यकाल में लोग अंधविश्वास एवं पारलौकिक शक्तियों में आस्था रखते थे। नक्षत्रों की गणना, जन्मपत्रियों पर विश्वास तथा शकुन-अपशकुन पर विचार किया जाता था। महिलाएँ शुभफल की प्राप्ति के लिए तथा बुराई को हटाने के लिए अनेक अनुष्ठान करती थीं। अंधविश्वास के कारण अंग विद्या, जंभक विद्या, मायागत विद्या, निमित्तम, अंतरचक्र इत्यादि विद्याओं का विकास हुआ और इनमें लोगों की आस्था बनी। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मौर्यकालीन सामाजिक जीवन सुख शांति एवं संपन्नता का था। जो तनावपूर्ण सामाजिक जीवन छठी शताब्दी ई.पू. के आरंभिक चरण में व्याप्त था, वह समाप्त हो चुका था। इस सामाजिक व्यवस्था की स्थापना में राज्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आर्थिक स्थिति

जिन परिस्थितियों में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी, उनमें राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति तथा राज्य का खर्च एवं इसकी सुरक्षा का उपाय करने के लिए मौर्य शासकों को बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। फलतः राज्य ने आर्थिक कार्यकलाप पर नियंत्रण रखा। अतः उन्हें ऐसी आर्थिक नीति अपनानी पड़ी जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर उनका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहे। इस नीति का परिणाम राज्य के लिए लाभदायी हुआ। मौर्यों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसके अंतर्गत कृषि, व्यवसाय एवं व्यापार-वाणिज्य की प्रगति हुई और जिसके कारण मौर्ययुग की आर्थिक संपन्नता बढ़ी। अतः राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य-व्यापार पर आधारित थी। इनको सम्मिलित रूप से “वार्त्ता” कहा गया है अर्थात् ‘वृत्ति का साधन’।

मेगास्थनीज और कौटिल्य, दोनों के विवरणों से ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य कृषि पर यथेष्ट ध्यान देता था। एक अच्छे जनपद की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कौटिल्य ने कहा कि भूमि कृषि योग्य होनी चाहिए। वह “अदेवमातृक” हो अर्थात् ऐसी भूमि हो कि उसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती हो सके। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज का दुसरा वर्ग किसानों का ही था, जिनकी संख्या सबसे अधिक थी। वह यह भी कहता है कि मिस्र की ही तरह भारत में भी राजकीय पदाधिकारी भूमि की नाप और नहरों की देखभाल करते थे। राज्य कृषि पर नियंत्रण रखता था। इस युग में अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। विभिन्न प्रकार की भूमि प्रणालियों का जिक्र कौटिल्य ने भी किया है। कुछ जमीनों पर किसानों का व्यक्तिगत स्वामित्व था, कुछ भूमि राजकीय थी, तो कुछ जमीन राज्य के अवकाश प्राप्त अधिकारियों एवं पुरोहितों को कृषि कार्य के लिए दी जाती थी।

राजकीय भूमि पर सीताध्यक्ष, दासों, कर्मकारों, और कैदियों द्वारा जुताई और बुआई होती थी, परंतु ऐसी भी राजकीय भूमि होती थी, जिसपर सीताध्यक्ष द्वारा खेती नहीं कराई जाती थी। ऐसी भूमि पर करद कृषक खेती करते थे। मेगास्थनीज, स्ट्राबो, ऐरियन इत्यादि यूनानी लेखकों के अनुसार सारी भूमि राजा की होती थी। वे राजा के लिए खेती करते थे और 1/4 भाग राजा को लगान में देते थे। कौटिल्य के अनुसार यदि वे अपने बीज, बैल और हथियार लाए, तो उपज के 1/2 भाग के अधिकारी थे। यदि कृषि उपकरण राज्य द्वारा दिये जाये तो वे 1/4 या 1/3 अंश के भागी थे। इस राजकीय भूमि के अतिरिक्त ऐसी भूमि भी थी, जो गृहपतियों तथा अन्य कृषकों की निजी भूमि होती थी, जिस पर वे खेती करते थे और उपज का एक भाग कर के रूप में राजा को देते थे। राज्य की तरफ से दुर्भिक्ष के समय किसानों को सहायता भी दी जाती थी। कौटिल्य दुर्भिक्ष के अवसर पर प्रजा की सहायता की व्यवस्था सुझाता है। अशोक के सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से भी पता चलता है कि दुर्भिक्ष के अवसर पर राजकीय अन्नागार से अनाज के वितरण की व्यवस्था की गई। किसान विभिन्न प्रकार के अनाज, दलहन, तेलहन, सब्जियाँ एवं फल उपजाया करते थे। इस समय तक कृषि में लोहे के उपकरणों का प्रयोग भी बढ़ गया था, अतः कृषि का विस्तार हुआ और अधिशेष उत्पादन भी बढ़ा। कृषि के साथ-साथ पशुपालन पर भी ध्यान दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार चारागाहों पर तीसरे सामाजिक वर्ग का ही अधिकार था। चारागाह के साथ-साथ वन भी थे, जिन पर राज्य का अधिकार था। इन वनों की उपज राज्य के कोष्ठागारों में पहुँचाई जाती थी और वहाँ से कारखानों में जहाँ लकड़ी, मिट्टी तथा धातु की अनेक उपयोगी वस्तुएँ तथा युद्ध के लिए अस्त्र-शस्त्र बनाए जाते थे। कारखानों में बनी वस्तुएँ पण्याध्यक्ष के नियंत्रण में बाजारों में बेची जाती थी।

मौर्यों के शासनकाल में राजनीतिक एकता तथा शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के नियंत्रण से शिल्पों को प्रोत्साहन मिला। प्रशासनिक सुधार के साथ व्यापार की सुविधाएँ और व्यापार का पोषण करने वाले शिल्पों ने छोटे-छोटे उद्योगों का रूप धारण कर लिया। मेगास्थनीज ने शिल्पियों को चौथी जाति माना है। इनमें से कुछ शिल्पी तो राजकीय शिल्पी होते थे, जो सिर्फ राज्य के लिए कार्य करते थे, परंतु कुछ स्वतंत्ररूप से भी कार्य करते थे। वे राज्य को कर एवं बेगार (भिरती) भी देते थे। शिल्पी की गतिविधियों पर राज्य का कड़ा नियंत्रण रहता था। लगभग प्रत्येक प्रकार के उद्योग धंधों की देखभाल के लिए अध्यक्ष नियुक्त किये गये थे। ये अध्यक्ष राज्य के आर्थिक हितों की सुरक्षा करते हुए शिल्पियों की भी सुरक्षा करते थे। इस समय के उद्योग धंधों में प्रमुख थे- मिट्टी के बर्तन बनाना, लकड़ी का काम करना, वस्त्र बुनना, विभिन्न प्रकार के धातु, पत्थर एवं शीशे का सामान तैयार करना, शराब बनाना इत्यादि।

इतना ही नहीं मौर्यकालीन आर्थिक संपन्नता व्यापार वाणिज्य पर भी आधारित थी। कौटिल्य ने स्थलमार्गीय व्यापार की अपेक्षा नदी मार्गों से व्यापार को अधिक सुरक्षित माना है, क्योंकि यह चोर

डाकुओं के भय से अपेक्षाकृत मुक्त था, किन्तु नदियों से व्यापार स्थायी नहीं था। स्थल मार्ग में अनेक कठिनाईयाँ थी, चोरों और जंगली जानवरों से विशेष भय था। व्यापारियों को यातायात और सुरक्षा संबंधी सुविधाएँ प्राप्त थी। यदि मार्ग में व्यापारियों का नुकसान हो जाए तो राज्य क्षतिपूर्ति करता था। इसके बदले व्यापारियों से अनेक शुल्क लिये जाते थे। राज्य ने व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा की व्यवस्था की जिससे व्यापार अबाध गति से चलता रहा। मेगास्थनीज के अनुसार एस्टिनोमोई नामक पदाधिकारी सड़कों की देखभाल करते थे तथा दूरी निर्देशित करने के लिए 10 स्टेडियम की दूरी पर पत्थर स्थापित कर देते थे। इन सुविधाओं के कारण स्थल और सामुद्रिक मार्गों द्वारा भारत का अंतर्देशीय और विदेशी व्यापार बढ़ा। पश्चिमी एशिया और मिस्र, फारस की खाड़ी और अदन से भारत का व्यापारिक संबंध था। चीन से भी व्यापार होता था। राज्य की तरफ से बाजार नियत किए गए थे। निश्चित बाजारों में ही सामानों की खरीद-बिक्री हो सकती थी। पोतवाध्यक्ष, नाप-तौल, बटखरे, बाजार इत्यादि पर नियंत्रण रखता था तथा पण्यध्यक्ष व्यापार पर। व्यापारियों को कड़े आदेश दिए गए थे कि वे खराब सामान नहीं बेचें एवं माप-तौल की शुद्धता बनाए रखें। देशज वस्तुओं पर 4 प्रतिशत और आयात वस्तुओं पर 10 प्रतिशत बिक्री कर भी लिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले के लिए मृत्युदंड था। मौर्यकाल तक मुद्रा का भी प्रचलन हो चुका था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था एवं राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। इस समय की विभिन्न प्रकार के सिक्कों, पण, सुवर्ण, कार्षापण, मापक, काकणी और अर्धकाकणी का उल्लेख मिलता है। कृषि, शिल्प एवं व्यापार-वाणिज्य की प्रगति ने शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एक सुदृढ़ ग्रामीण आधार पर अनेक नगरो (पाटलिपुत्र, कौशांबी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, उज्जैन इत्यादि) का विकास इस समय हुआ। आर्थिक संपन्नता ने कला-कौशल एवं धार्मिक शैक्षणिक विकास को भी प्रभावित किया।

कला

मौर्ययुगीन आर्थिक संपन्नता ने कला के विकास को भी प्रभावित किया। वस्तुतः हड़प्पा की सभ्यता के पश्चात् पहली बार भारतीय कला के स्पष्ट प्रमाण इस समय मिलते हैं। इस समय वास्तुकला और मूर्तिकला की अनोखी प्रगति हुई। यही वह समय था जब राजकीय कला के साथ-साथ लोककला का भी विकास हुआ। राजकीय कला का सबसे पहला उदाहरण चंद्रगुप्त का प्रासाद है जिसका विशद वर्णन एरियन ने किया है। उसके अनुसार राज महल की शान-शौकत का मुकाबला ने तो सूसा और न एक्नेतना ही कर सकते हैं। यह महल संभवतः वर्तमान पटना के निकट कुम्रहार गाँव के समीप था। कुम्रहार की खुदाई में महल के सभाभवन के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उससे महल की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। **फाह्यान** ने अत्यंत आश्चर्यभाव से इस महल की प्रशंसा की है। उसके अनुसार “यह महल मानव कृति नहीं है वरन् देवों द्वारा निर्मित है। महल के स्तंभ पत्थरों से बने हुए हैं और उनपर सुंदर उकेरन और उभरे चित्र बने हैं।” फाह्यान के वृत्तांत से पता चलता है कि अशोक के समय इस भवन का विस्तार हुआ। यूनानी लेखकों ने लिखा है कि नदी तट पर स्थित नगरों में प्रायः काष्ठशिल्प का उपयोग होता था। पाटलिपुत्र की भी यही स्थिति थी। सभा मंडप ने शिला-स्तंभों का प्रयोग एक नई प्रथा थी।

मौर्यकाल के सर्वोत्कृष्ट नमूने अशोक के एकाशमक स्तंभ हैं, जो कि उसने धम्म प्रचार के लिए देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए थे। इसकी संख्या लगभग 20 है और ये चुनार के बलुआ पत्थर के बने हुए हैं। चुनार की खानों को काट-तराश कर वर्तमान रूप देना, इन स्तंभों को देश के विभिन्न भागों में पहुँचाना शिल्पकला तथा इंजीनियरी कौशल का अनोखा उदाहरण है। इन स्तंभों के दो मुख्य भाग उल्लेखनीय हैं- स्तंभ यष्टि या गावदुम लाट और शीर्षभाग। मौर्य शिल्पियों के रूपविधान का इससे अच्छा दुसरा नमूना नहीं है। ऊपरी सिंहों में जैसी शक्ति का प्रदर्शन है, उनकी

फूली नसों में जैसी स्वाभाविकता है और उनके नीचे उकेरी आकृतियों में जो प्राणवान वास्तविकता है, उसमें कहीं भी आरंभिक कला की छाया नहीं है। शिल्पी ने सिंहों के रूप को प्राकृतिक सच्चाई से प्रकट किया है। इसी प्रकार लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर सिर्फ एक सिंह की ही अनुकृति है। वस्तुतः अशोक के स्तंभ अपनी सुन्दरता, विशालता एवं पशुओं के जीवंत अनुकृति के लिए विश्व विख्यात है।

अनेक विद्वानों का विचार है कि अशोक के स्तंभ ईरानी और यूनानी कला से प्रभावित है। ऐसा मत मुख्यतः पाश्चात्य विद्वानों ने व्यक्त किया है। भारतीय विद्वान इस मत से सहमत नहीं हैं। प्रो. नीहारंजन राय ने मौर्यकालीन राजकीय कला पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह मूलरूप से व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत इच्छाओं और अभिरूचियों के अनुसार इसे ढाला गया था। ईरानी स्तंभों और मौर्य स्तंभों में स्पष्ट भेद है। स्वतंत्र स्तंभों की कल्पना भारतीय है। ईरानी स्तंभ नालीदार है जबकि भारतीय स्तंभ सपाट है। ईरानी स्तंभ अलग-अलग पाषाण-खंडों के बने हुए हैं, किन्तु अशोक स्तंभ एक ही पत्थर के हैं। दोनों स्तंभों के घंटा और अलंकरण में भी अंतर है।

राजकीय कला के अतिरिक्त स्वतंत्ररूप से लोककला का भी विकास इस युग में हुआ था। मौर्यकाल की लोककला का ज्ञान उन महाकाय यक्ष-यक्षी मूर्तियों द्वारा होता है जो मथुरा से पाटलिपुत्र, विदिशा, कलिंग और पश्चिम सूर्पारक तक पाई जाती हैं। इन यक्ष-यक्षियों की मूर्तियों की अपनी निजी शैली है जिसका ठेठ रूप देखते ही अलग पहचाना जा सकता है। इस संबंध में परखम ग्राम से प्राप्त यक्ष मूर्ति एवं पटना से प्राप्त यक्ष मूर्ति-जिस पर ओपदार चमक है और एक लेख भी है, पटना शहर में दीदारगंज से प्राप्त चामर ग्राहिणी यक्षी- जिस पर भी मौर्य शैली की चमक है और बेसनगर से प्राप्त यक्षी विशेष उल्लेखनीय है। इन मूर्तियों की जीवतता देखते ही बनती है। दीदारगंज की यक्षी मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। समूचे विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई भी मूर्ति नहीं है। अन्य ललितकलाओं, नाटक, संगीत, नृत्य, चित्रकारी इत्यादि का भी इस समय विकास हुआ। इस तरह से हम देखते हैं कि मौर्यकाल में सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्रों में ही विकास नहीं हुआ बल्कि सामाजिक, आर्थिक और कला के क्षेत्रों में भी काफी विकास हुआ। इस समय लोगों की स्थिति काफी अच्छी हो गई थी। अगर हम आज की प्रशासनिक व्यवस्था की मौर्यकाल की प्रशासनिक व्यवस्था से तुलना करें तो दोनों में समरूपता ही मिलेगी इसमें कोई दोमत नहीं है। उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था भी केन्द्रीयकृत थी और आज की भी प्रशासनिक व्यवस्था केन्द्रीयकृत है।

संदर्भ

1. राधा कुमुद मुखर्जी- चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स
2. सत्यकेतु विद्यालंकार - मौर्य साम्राज्य का इतिहास
3. मैक्रिडिल - एश्येंट इंडिया ऐज डिस्क्राइब्ड बाई मेगास्थनीज एंड एरिअन
4. कौटिल्य का अर्थशास्त्र
5. हेमचंद्र राम चौधरी - पोलिटिकल हिस्ट्री ऑव एश्येंट इंडिया
6. दि एज ऑव इंपीरियल यूनिटी (र.च. मजमूदार एवं अ.द. पुसालकर संपादित)
7. एज ऑव नंदाज एंड दि मौर्याज (के.ए. नीलकंठ शास्त्री संपादित)
8. द कैंब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया (ई.आर. रैप्सन संपादित)

अशोक के अभिलेख का विश्लेषण

मोनिका कुमारी

शोध छात्रा, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर

अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक के अभी तक 40 से भी अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक बिखरे पड़े हैं। जहाँ एक ओर ये अभिलेख उसकी साम्राज्य-सीमा के निर्धारण में हमारी मदद करते हैं वहीं दूसरी ओर इनसे उसके धर्म एवं प्रशासन संबंधी अनेक महत्वपूर्ण बातों की सूचना मिलती है। इन अभिलेखों का इतना अधिक महत्व है कि डी.डी. भण्डाकार जैसी एक चोटी के विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है।

सर्वप्रथम 1837 ई० में जेम्स प्रिंसप नामक विद्वान ने अशोक के लेखों का उद्घाटन किया। किन्तु उन्होंने लेखों के 'देवानपिय' की पहचान सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली अनुश्रुतियों-दीपवंश तथा महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गयी है। अन्ततः 1915 ई० में मास्की से प्राप्त लेख में 'अशोक' नाम भी पढ़ लिया गया।

अशोक के अभिलेखों का विभाजन निम्नलिखित वर्गों में किया जा सकता है-

- (1) शिलालेख
- (2) स्तभलेख
- (3) गुहालेख।

- (1) शिलालेख- शिलालेख की संख्या 14 जो एक समूह के रूप में है जो आठ जगहों पर प्राप्त किये गए हैं- शाहबाजगढ़ी (पेशावर जिले में स्थित), मानसेहरा (हजारा जिले में स्थित), कालसी (देहरादून जिले में स्थित), गिरनार (जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी), धौली (पुरी जिले में स्थित), जौगड़ (गंजाम जिले में स्थित), एरंगुडि (कर्नूल जिले में स्थित), सोपारा (थाना जिले में स्थित)।

धौली तथा जौगड़ के शिलालेखों पर 11वें, 12वें, तथा 13वें शिलालेख उत्कीर्ण नहीं किये गये हैं। उनके स्थान पर दो अन्य लेख खुदे हुये हैं जिन्हें 'पृथक कलिंग प्रज्ञापन' कहा गया है। इनमें अन्य बातों के अलावा कलिंग राज्य के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है। वह कलिंग के 'नगर व्यवहारिकों को न्याय के मामले में उदार तथा निष्पक्ष होने का आदेश देता है। 14 शिलालेखों में लेख इस प्रकार है-

पहला- इसमें पशुबलि की निंदा की गई है।

दूसरा- इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है।

तीसरा- इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर पाँचवे वर्ष के उपरान्त दौरे पर जाएँ। इस शिलालेखों पर कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है।

चौथा- इस अभिलेख में भेड़ीघोष की जगह धम्मघोष की घोषणा की गई है।

पाँचवां- इसमें धम्म महामात्रो की नियुक्ति की जानकारी मिलती है।

छठा- इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है।

सातवां एवं आठवां- इन दोनों अभिलेखों में तीर्थ-यात्राओं का उल्लेख मिलता है।

नौवां- इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख मिलता है।

दसवां- इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें।

ग्यारहवां- इसमें धम्म की व्याख्या की गई है।

बारहवां- इसमें स्त्री महामात्रो की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है।

तेरहवां- इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय-परिवर्तन की बात कही गयी है। इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है।

चौदहवां- अशोक ने जनता को धार्मिक-जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है।

शिलालेखों को दो भागों में बाँटकर इसका अध्ययन करते हैं-

- (1) **वृहत् शिलालेख-** अशोक के वृहत् शिलालेख जो चतुर्दश शिलालेख भी कहलाते हैं। उसमें 14 घोषणाएँ हैं, ऐसे अभिलेख कई स्थानों में लगवाए गए थे। अशोक के चतुर्दश शिलालेख काफी संख्या में जारी किए गए होंगे। लेकिन कुछ ही उपलब्ध हुए हैं, जिनमें प्रमुख पाकिस्तान स्थित 'शाहबाजागढ़ी' और 'मानसेरा'। भारत के कलिंग में दो वृहत् शिलालेख एक 'धौली' और 'जोगढ़', गुजरात में गिरनार या जूनागढ़, दक्षिण भारत के आन्ध्र प्रदेश के एरांगुडी, महाराष्ट्र के सोपारा इत्यादि।

वृहत् शिलालेख में अशोक के विभिन्न नीतियों की जानकारी मिलती है। खासकर अशोक के धर्म संबंधी विचार। अशोक ने कलिंग विजय किया था, जिसका विवरण उसके 13वें वृहत् शिलालेख में मिलते हैं। यद्यपि ये विवरण कलिंग में पाए गए वृहत् शिलालेखों में नहीं हैं।

यूनानी, रोमन, सिंहली साहित्यों में कलिंग विजय के बारे में विस्तार से विवरण नहीं मिलते हैं। इस प्रकार अशोक की उपलब्धि मानी जाती है, उसका स्रोत 13वाँ अभिलेख है। इस अभिलेख के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है कि अशोक ने अपने राज्यारोहण के आठ वर्ष पश्चात् कलिंग पर आक्रमण किया। लगभग इस आधार पर आधुनिक विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि लगभग 261 BC में कलिंग को जीता गया। यद्यपि वृहत् शिलालेख में किसी संवत् का प्रयोग नहीं किया गया है। कलिंग विजय के संदर्भ में विवरण मिलते हैं कि काफी नरसंहार इस युद्ध में हुए है और अशोक की घोषणा है लाखों बेघर हो गए हैं, मरने वालों में सन्यासी और आम लोग भी थे। इससे युद्ध के स्वरूप की जानकारी मिलती है। प्रायः उस काल में युद्ध सैनिक तक सीमित थी। तेरहवें शिलालेख से स्पष्ट है कि काफी नरसंहार हुआ था। इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि कलिंग काफी शक्तिशाली राज्य था। कलिंग युद्ध के पश्चात् अशोक ने युद्ध नीति की त्याग की घोषणा की, इसका भी विवरण 13वें अभिलेख में है अशोक ने धम्म नीति की बात इस अभिलेख में की है, और क्षेत्रनीति के स्थान पर धम्म नीति की घोषणा की। इस प्रकार अशोक की साम्राज्यवादी नीति इस युद्ध

के बाद बदल गई, जो इस शिलालेख से जानकारी मिलती है। अशोक ने एक शासक के रूप में नैतिक आदर्श धम्म इन सब पर विशेष बल दिया, विशेषकर अहिंसा के सिद्धांत पर। प्रथम वृहत् शिलालेख में अशोक ने बलिप्रथा को रोकने की बात की है। यहाँ पशुओं की बलि नहीं हो सकती है, साथ में सामान्य भोजन के लिए पशुवध अच्छा नहीं बताया है और कम करने की बात की है और अब सिर्फ एक हिरण और दो मयूर प्रतिदिन मारे जाते थे। अशोक के अभिलेखों में पड़ोसी राज्यों की जानकारी मिलती है। चार दक्षिणी राज्यों का उल्लेख आया जो मौर्यों के मित्र राज्य थे, वे स्वतंत्र थे- चोल, पाण्ड्य, केरल उत्तर एवं सत्तीय पुत्र।

(2) **लघु शिलालेख-** ये शिलालेख चौदह शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें 'लघु शिलालेख' कहा गया है। ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं- रूपनाथ (जबलपुर जिले में स्थित), गुर्जरा (दतिया जिले में स्थित), सासाराम (बिहार), भ्रू (जयपुर जिले में स्थित), मास्की (रायचूर जिले में स्थित), ब्रह्मगिरि (चित्तलदुर्ग जिले में स्थित), सिद्धपुर (ब्रह्मगिरि के समीप), एरगुडि (कर्नूल जिले में स्थित) अहरौटा (मिर्जापुर जिले में स्थित) इत्यादि। सारो मारो (शहजेल, म.प्र.), पनगुडरिया (सिंहोर, म.प्र.) तथा नेतुर नामक स्थानों में लघु शिलालेख की दो अन्य प्रतियाँ प्राप्त हुई हैं। एक अन्य उडेगोलम (बेलाडी) से मिला है। के.डी. बाजेपयी को पनगुडरिया से अशोक का एक लघु शिलालेख मिला है। अभी हाल ही में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नति नामक स्थान से अशोक कालीन शिलालेख प्राप्त किया गया है।

मास्की, गुर्जरा, नेतुर तथा उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। अशोक ने बड़ी भारी संख्या में लघु शिलालेख भी जारी किए। वर्तमान में अशोक के लघु शिलालेख ज्यादातर दक्षिण भारत में मिले हैं। जिसमें आधुनिक कर्नाटक एवं आन्ध्र प्रदेश शामिल हैं। पश्चिमोत्तर भारत में अशोक के शिलालेख अफगानिस्तान के कंधार में द्विभाषित लघु शिलालेख मिले हैं। आधुनिक पाकिस्तान स्थित तक्षशिला में लघु शिलालेख मिले हैं। अशोक के भाब्रू लघु शिलालेख इसलिए महत्वपूर्ण है, स्रोत के रूप में उसमें अशोक के निजी धर्म जो बौद्ध धर्म था, उसके बारे में विवरण मिलता है। इस अभिलेख में अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित किया है कि वे कुछ प्रमुख बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करें। साथ में अशोक ने खुद को बौद्ध कहा है और साथ में त्रिरत्न का उल्लेख किया है। इस लेख का महत्व ये है कि अशोक ने अपने को मगध का राजा कहा है। रूपनाथ लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के उसमें 'जम्मू द्वीप' कहा गया है जिस नाम से प्राचीन भारत का नाम आता है।

(2) **स्तंभलेख-** स्तंभलेखों की संख्या सात है जो छः भिन्न-भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाये गए हैं। ये इस प्रकार हैं- दिल्ली टोपरा- यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर (खिज्राबाद) जिले में गड़ा था। मध्ययुग में वह तुगलक शासक फिरोजशाह द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के सातों अभिलेख उत्कीर्ण हैं जबकि शेष स्तंभों पर केवल छः लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं, दिल्ली मेरठ- यह भी पहले मेरठ में था तथा बाद में फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, लौरिया अरराज- बिहार के चंपारण जिले में स्थित, लौरिया नंदनगढ़- यह भी चंपारण जिले में ही है, रामपुरवा- चंपारण, बिहार, प्रयाग- यह पहले कौशांबी में था तथा बाद में अकबर द्वारा लाकर इलाहाबाद के किले में रखवाया गया।

अशोक के सप्तस्तंभ अभिलेख में अशोक के बारे में जानकारी के लिए काफी उपयोगी है। अशोक के वैसे स्तंभ जिस पर सात घोषणाएँ हैं। ऐसे स्तंभ वर्तमान में तीन बिहार से रामपुरवा, लोरिया नन्दनगढ़, लोरिया अरेराज में मिले हैं। एक इलाहाबाद में, दो दिल्ली में जो मूलतः मेरठ और टोपरा में थे। सप्तस्तंभ लेख में अशोक ने धम्मनीति, जनकल्याणकारी, उसपर विशेष विवरण मिलता है। उदाहरण- अशोक के दूसरे सप्तस्तंभ अभिलेख में धम्म की परिभाषा दी गई है और बताया गया है कि “धम्म विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्य को करना” यानि बटुकयाने, और उसी प्रकार व्याख्या है- “धम्म है किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रवृत्ति से बचना यानि अपनसिनावें।

अशोक ने अपने तीसरे सप्तस्तंभ लेख में धम्म का एक लक्षण आत्ममंथन को बताया है। प्रायः लोग अपने अच्छे कार्यों को देखते हैं। अशोक ने धम्म की अन्य पहलु ‘अहिंसा’ की व्याख्या करते हुए, कुछ पशुओं का नाम दिए जिनका वध न किया जाय, खास कर वैसे पशु जिसका आर्थिक रूप से उपयोगी हो। अशोक के अंतिम सप्तस्तंभ अभिलेख में जनकल्याण के बड़े विवरण मिलते हैं, जिसमें सड़क, कुँआ, वृक्ष इन सब पर बल दिया है। स्तंभलेख को भी कुछ बांटकर देखा जाता है जैसे-

तराई स्तंभ लेख- अशोक के तराई-स्तंभलेख दो जगहों पर लिखे हैं, एक लुम्बनी (रूमनदेई) और दूसरा निगालीसागर, ये दोनों स्तंभलेख बौद्धधर्म से संबंधित हैं अशोक ने खुद इन दोनों जगहों की यात्रा की एवं लेख लिखवाए। लुम्बनी में वहाँ की जनता को बलि नाम के ‘कर’ से मुक्त कर दिया गया, एवं भाग का दर भी कम कर दिया गया। उत्पादन का आठवाँ हिस्सा कर दिया गया, क्योंकि वहाँ गौतमबुद्ध का जन्म हुआ था। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्धधर्म के प्रति विशेष आस्था थी, और यह एकमात्र ऐसा अभिलेख है जिसमें गौतमबुद्ध का जन्म का भी स्पष्टता होती है। निगालीसागर स्तंभ लेख में वहाँ ‘कनकमुनि’ के स्तूप के पुननिर्माण और उसके आकार विस्तार का विवरण है।

लघु स्तंभ लेख- अशोक के लघु स्तंभलेख इलाहाबाद, साँची और सारनाथ में मिले हैं। और इन लघुस्तंभ लेख में एक घोषणा है संघ के संदर्भ में। अशोक ने संघ के सदस्यों को चेतावनी दिए हैं कि वे फूट न डालें, और जो संघ में फूट डालेंगे उन्हें संघ से निष्कासित करके उन्हें एकांत में डाल दिए जाएंगे। इस घोषणा से अशोक के संघ के प्रति आस्था का विवरण मिलता है। अशोक के एक अन्य लघु लेख में खासकर इलाहाबाद में उसके रानी ‘कारुवाकी’ के द्वारा दान दिए जाने संबंधी विवरण है। इस अभिलेख को ‘रानी अभिलेख’ के नाम से संबोधित किया गया है। रानी अभिलेख का महत्व यह है कि अशोक के पूरे अभिलेखों में केवल इसी में ‘रानी’ का उल्लेख आया है। साथ में कारुवाकी का बेटा ‘तीवर’ का नाम आया है, जबकि अन्य पुत्र-पुत्रियों का नाम किसी भी अभिलेख में नहीं आया है।

- (3) **गुहालेख-** दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित ‘बराबर’ नामक पहाड़ी की तीन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिले हैं इनमें अशोक द्वारा आजीवक सम्प्रदाय के साधुओं के निवास के लिये गुहा-दान में दिये जाने का विवरण सुरक्षित है। ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मलिपि में लिखे गए हैं। केवल दो अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ने होकर खरोष्ठी है, यह दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी।

इसके अलावे तक्षशिला से आरामाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास 'शरे-कुना' नामक स्थान से यूनानी तथा अरामाइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख, काबुल नदी के बाये किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित 'लघमान' नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक के गुफा अभिलेख से भी उसके धार्मिक सहिष्णुता का परिचय मिलता है। बिहार के बराबर पहाड़ी में अशोक ने 3 गुफाएँ आजीवक सन्यासी को दान में दिए।

इस प्रकार अशोक के अभिलेखों से अशोक के निजी धर्म, शासक के धम्म, अशोक के विजय अभियान, अशोक के साम्राज्य सीमा, अशोक के विदेशी राज्यों से संबंध, अशोक के प्रशासनिक जानकारियाँ, अशोक के प्रजातांत्रिक नीतियों की भी जानकारियाँ मिलती हैं। इसके अलावे अशोक के अभिलेख प्रायः प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में हैं, यद्यपि पाकिस्तान स्थित खरोष्ठी लिपि है, भाषा प्राकृत है। अफगानिस्तान के कंधार अभिलेख द्विभाषित है एक यूनानी तथा दूसरा अरामाइक। अशोक के अभिलेखों से उसके द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी के साथ-साथ लोक कल्याण की जानकारी देना भी है।

स्रोत

- * एन.सी.ई.आर.टी - प्राचीन भारत
- * झा एण्ड श्री माली - प्राचीन भारत
- * के.सी. श्रीवास्तव - प्राचीन भारत
- * नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तक - प्राचीन भारत
- * बी.डी. महाजन - प्राचीन भारत
- * श्री आर्थस - प्राचीन भारत
- * कुमार एण्ड कुमार - प्राचीन भारत
- * आर० गुप्ता - प्राचीन भारत।

मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था

प्रीतम सिंह सारसर

51ए, गली नं. 5, जगतपुरी विस्तार, दिल्ली-110093

मौर्यकाल में प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई जिसका विस्तार उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक पश्चिम में काठियावाड़ से पूर्व में संभवतः उत्तरी बंगाल तक फैला हुआ था। पर्याप्त स्रोतों, कोटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख आदि के आधार पर इस काल की अर्थव्यवस्था तथा समाज को समझने में काफी सहायता मिलती है। एक विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि अर्थव्यवस्था तथा समाज को सहायता का माध्यम बनाया जाए। इसी कारण अर्थव्यवस्था तथा समाज में इस काल में निरंतरताएं मिलती हैं जो राज्य की आवश्यकता के अनुरूप बनाए गए थे।

मौर्य साम्राज्य का आधार था एक विशाल सेना और उतना ही प्रभावशाली प्रशासन जिसके संचालन के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता थी। राज्य द्वारा नियंत्रित आर्थिक ढाँचे में ही विशाल संसाधनों की ऐसी लामबंदी संभव थी। अर्थशास्त्र में जिस राज्य का वर्णन है उसमें आर्थिक संसाधनों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। इस राज्य को एक ऐसे राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है जो अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता एवं उसमें भाग लेता था।

मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य व व्यापार पर आधारित थी। इसको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया है। कृषि तथा कृषि क्षेत्र में प्राप्त राजस्व मौर्य की अर्थव्यवस्था के आधार था। मेगास्थनीज, डायोडोरस, स्ट्रबो आदि लेखकों के अनुसार सारी भूमि राजा की होती थी। किन्तु अर्थशास्त्र में राज्य की भूमि (सीताभूमि) तथा नीजि भूमि दोनों का उल्लेख मिलता है। अतः यह मानना उपयुक्त नहीं है कि सारी भूमि पर राजा का अधिकार था। करमुक्त भूदान देने की प्रथा मौर्यों ने ही चलाई थी। यद्यपि मेगस्थनीज ऐसे दानों का वर्णन नहीं देता परन्तु अर्थशास्त्र तथा अन्य श्रोतों से भूदान की पुष्टि होती है। इलाहाबाद, कौशांबी स्तम्बों में अशोक तथा राजकीय परिवार द्वारा भूदान दिए जाने की चर्चा मिलती है। यह भूदान भी राजनीति के ही अंग थे। अर्थशास्त्र में स्थायी बस्तियों के बसाने पर जोर दिया गया ताकि कृषि विस्तार हो साथी ही भूमिकर की प्राप्ति हो सके।

सीताध्यक्ष (कृषि अधिकारी) की निगरानी में राजकीय भूमि से प्राप्त राजस्व साही खजाने की आय का प्रमुख स्रोत था। मेगास्थनीज के विवरण से ज्ञात होता है कि कृषक आबादी का सबसे बड़ा भाग थे और इनको क्षति पहुँचाने वाले दण्ड के भागी थे। चन्द्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों के काल में सिंचाई में राज्य की पहल का भरपुर ज्ञान शक राजा रुद्रदामन की जुनागढ़ प्रसस्ति (150 ई.) अभिलेख में वर्णित सुदर्शन जलाशय के इतिहास से होता है। मेगस्थनीज एक विशेष श्रेणी के अधिकारियों का हवाला देता है जो जब निकास के मार्गों का निरीक्षण करते थे ताकि कृषकों को बराबर जल मिले। राज्य द्वारा सिंचाई सुविधा प्रदान करने के बदले नियमित जल कर वसूल किया जा सके जो कुल उत्पादन का पांचवां हिस्सा था। कर लगाना संसाधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण उपाय था। बड़ी संख्या में परम्परागत और नए कर वसूले जाते थे। मुख्य कर किसानों की उपज में राज्य का हिस्सा था। जो 1/6 या 1/4 होता था। नियमित भाग के अलावा बलि (धार्मिक देय) हिरण्य (नकद कर), प्रणय (युद्ध कर), उदयभाग (जलकर) भी वसूले जाते थे। रूढ़िद्रोही के अशोक

स्तम्भलेख से काफी स्पष्ट है कि मौर्य शासन में भाग (उपज में हिस्सा) और बली एक अनिवार्य भुगतान दोनों की वसुली की जाती थी। आहत् सिक्कों की विशाल संख्या आधार पर यह माना जाता है कि संभवतः कर मुद्रा के रूप में लिया जाता होगा किन्तु अर्थशास्त्र में कौटिल्य अनाज कम रूप में लेने की सलाह देता है। किसानों से पिण्ड कर वसुल किया जाता था जो ग्राम समूहों के आधार पर लिया जाता था। मिट्टी की प्रकृति तथा उपज की दर भी कर की निर्धारक थी।

नगरीय केन्द्रों में हस्तशिल्प उद्योगों तथा व्यापारियों से भी कर लिए जाते थे। शिल्पियों तथा व्यापारियों की श्रेणी पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। देशज वस्तुओं पर 40% और आयात वस्तुओं पर 10% बिक्री कर भी लिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार बिक्री कर न देने वाले के लिए मृत्यु दण्ड का प्रावधान था। यह माना गया है कि करों की उगाही सम्प्रदाय के केन्द्र अथवा राजधानी के समीप सर्वाधिक थी। पतंजलि के महाभाष्य में लिखा है कि स्वर्ण के लिए आतुर मार्यों ने मूर्तियां बनवाईं। यह तथ्य संकेत देता है कि मौर्य प्रशासन हर संभव स्रोत से आर्थिक लाभ पाने के चक्कर में लगा रहता था। राजस्व की अच्छी-खासी भरमाई खनीजों और धातुओं के उपयोग, धातुकर्म तथा विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा की जाती थी। अशोक ने अनेक अभिलेख दक्षिण प्रान्त (यथा कर्नूल, रायचूर, गुलबर्गा आदि) से मिले हैं जिसका मुख्यालय मस्की के पास सुवर्णगिरी में था। कोलार की सोने की खानें सुवर्णगिरी के पास ही थी। यह तथ्य इस बात का सूचक है कि मौर्य दक्षिणी क्षेत्र के समृद्ध खनिज संसाधनों से परिचित थे। खदानों के काम पर तथा खनिज पदार्थों के व्यापार पर राज्य का एकाधिकार था। शराब तथा नमक के व्यापार पर भी राज्य का लगभग अबाध एकाधिकार था।

मौर्य काल में व्यापार के प्रसार और दूरवर्ती क्षेत्रों के बीच सम्पर्क की स्थापना के कारण विनिमय को बढ़ावा मिला। काँ, मनके, बहुमूल्य रत्नों लाजवर्द आदि का विनिमय बढ़ा। व्यापारी काफिले, सार्थवाह शब्द का जिक्र है। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को जाने वाले मुख्य मार्ग उत्तर पश्चिम भारत से होकर गुजरते थे। ताम्रलिप्ति, भरुकच्छ, सापोरा आदि बन्दरगाहों द्वारा समुद्री व्यापार होता था। मेगस्थनीज वाणिज्य अधिक्षक का जिक्र करता था जो वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करता था। अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख पाठयाध्यक्ष के रूप में हुआ है उपयोगी धातु लोहा, तांबा, सोना, चाँदी, सीसा आदि के साथ खनिज अधिक्षक (आकाराध्यक्ष) का जिक्र है। दुर्ग और राजधानी में रहने वाले व्यापारियों पर कर लगाने का जिक्र अर्थशास्त्र में हुआ है। और कर चोरी को एक जघन्य अपराध समझा जाता था।

अर्थशास्त्र में कई ऐसे अवसरों का प्रमाण मिलता है जो एक विस्तृत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। वनों पर राज्य का अधिकार था। कृष्णाध्यक्ष वनसम्पत्ति की देखभाल करता था, सीताक्षयक्ष राजकीय भूमि का व्यवस्थापक, पण्याध्यक्ष वाणिज्य, व्यापार का अध्यक्ष था। इस प्रकार अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है जो भिन्न आर्थिक स्रोतों को नियंत्रित करते थे। मौर्य साम्राज्य के अन्तर्गत कपड़ा उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार सूती कपड़ा मथुरा, उपरान्त कलिंग, काशी, वत्स आदि क्षेत्रों में बनता था जिसकी प्रशंसा मेगस्थनीज भी करता है। मथुरा दुकुल क्षोभ (स्वेत व चिकना वस्त्र) एक प्रकार का रेशमी वस्त्र, एक विशेष किस्म के कपड़े साटन के लिए प्रसिद्ध था। पुण्ड्रवर्धन व सुवर्णकुण्ड में पेड़ पत्तों या रेशों से कपड़े बनाए जाते थे जिन्हें पत्रोम कहा जाता था। मौर्यकाल में नेपाल से मंगाए जाने वाले ऊन की बहुत प्रशंसा हुई है। ऊन निर्माण केन्द्र पाटलीपुत्र व वराणसी में था। बड़ईगिरी भी एक प्रमुख उद्योग था। पर्याप्त विकास होने का प्रमाण मिलता है। इसके अतिरिक्त धातुकारी उद्योग उन्नति पर था। जैसे-सोना, चाँदी, लोहा, शीशा,

टिन, पीतल आदि के अस्त्र-शस्त्र व आभूषण बनाए जाते थे। खनिज अधिक्षक, लोहाध्यक्ष आदि का प्रमाण भी इन उद्योगों के विकास को दर्शाता है।

अर्थशास्त्र में मिट्टी के बर्तन के व्यापार के संक्षिप्त वर्णन के अलावा विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। जैसे कपड़े व लकड़ी व्यापारियों का संघ आदि जिनके अपने अपने नियम कानून थे जिनको राज्य से मान्यता प्राप्त थी। मेगस्थनीज कहता है कि भारतवासी न ही सुद पर धन लेते थे और न ही देते थे किन्तु कौटिल्य ने महाजनी व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है। संभवतः व्याज की राशि 15% वार्षिक थी। परन्तु कुछ परिस्थितियों में यह 60% वार्षिक थी और इसे व्यवहारिक कहा जाता था।

अर्थशास्त्र के विवरणों से हम अर्थव्यवस्था के स्पष्ट मौद्रिक स्वरूप की जानकारी मिलती है। रूपदर्शक जो सिक्कों के उत्पादन और परिचालन की निगरानी करते थे तथा लक्षणध्यक्ष जो मुद्रा व्यवस्था या राजकीय टकसाल का नियंत्रक था। अर्थशास्त्र में चाँदी तथा ताँबे के अनेक मूल्यांकन का ज्ञान होता है चाँदी के सिक्के चार प्रकार के थे। पण, अर्द्धपण, पाद और अष्टभाग। ताँबे के सिक्के मास्क, अर्द्धमास्क, काकणी और अर्द्धकाकणी मुद्रा के बढ़ते हुए महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अधिकारियों का वेतन भी पण (मुद्रा) में ही दिया जाता था। अर्थशास्त्र में दण्ड को भी पण के रूप में लेने का जिक्र मिलता है। मौर्यकालीन चाँदी के सिक्के इस बात का प्रमाण है जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार में पाए गए हैं।

समाज—पूर्ववर्ती धर्मशास्त्रों की भाँति अर्थशास्त्र में भी वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। अर्थशास्त्र में भी चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए गए हैं किन्तु शूद्रों को शिल्पकला और सेवावृत्ति के अलावा कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजिविका चलाने की अनुमति दी है। शूद्रों को आर्य और उन्हें दास बनाने की मनाही की जिक्र है। समाज में ब्राह्मणों का उच्च स्थान था पर इसे बार-बार अर्थशास्त्र में नहीं दोहराया गया है हालांकि वर्ण के अनुसार लोगों को विभिन्न दण्डों की बात की गई।

चार वर्णों के अलावा कई वर्णसंकर जातियों का भी जिक्र किया गया है जिनकी उत्पत्ति विभिन्न वर्णों के अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों से बताई गई थी। अम्बस्ट, निषाद, पार्शव, वेण, चांडाल, स्वपाक इत्यादि। कौटिल्य ने चांडालों के अतिरिक्त अन्य सभी वर्णसंकर जातियों का शूद्रसधर्मी कहा है जिससे मालूम होता है कि इनकी स्थिति शूद्रों के समकक्ष मानी जाती है परन्तु चांडालों को उसने अस्पृश्य माना है। इसके अतिरिक्त जुलाहे, धोबी, दर्जी, सुनार, लुहार, बढई आदि व्यवसाय पर आधारित वर्ग जाति का रूप धारण कर चुके थे। अर्थशास्त्र में इन सबका समावेश शूद्रवर्ण के अन्तर्गत किया गया है। अशोक शिलालेख में जनजातियों या कबीलों जैसे आण्विक अरण्यकार आदि का जिक्र आता है। अर्थशास्त्र के अनुसार इन कबीलों को कृषिगत व्यवस्था में लाया गया। मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज सात वर्णों में बंटा हुआ था, दार्शनिक, किसान, सिपाही, चरवाहे, दस्तकार, दण्डनायक और सभसद परन्तु उनका वर्गीकरण संभवतः सामाजिक न होकर आर्थिक रूप से था।

कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में स्त्रियों को पुरुषों के मातहत बताया है। विवाहित स्त्रियों को स्वतंत्र रूप से घर से बाहर आने जाने पर पाबंदी थी और कुल से बाहर जाने पर उसे पुरुष को 6 पण दण्ड दिया जाता था। कौटिल्य ने स्त्रियों के लिए अनिस्कासिनी (न निकलने वाली) विशेषण का प्रयोग किया तथा स्त्रियों को प्रमुख प्रयोजन संतान की उत्पत्ति माना है। अर्थशास्त्र में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, ब्रह्म, प्रजापत्य, आर्ष, देव, गंधर्व, आसुर राक्षस, पिशाच विवाह कौटिल्य

द्वारा उल्लेखित विवाहों में केवल असुर ही ऐसा विवाह (ब्रह्म, प्रापत्य, आर्ष, देव) को धर्म में अनुकूल मानता है। अर्थशास्त्र में पुनः विवाह के संदर्भ में जिक्र आता है। अर्थशास्त्र में ऐसी स्त्रियों का जिक्र किया गया है जो विवाह द्वारा पारिवारिक जीवन न बिताकर गणिका या रूपजीवा के रूप में स्वतंत्र जीवन बिताती थी। राजकीय सेवा में कार्य करने वाली स्त्रियाँ गणिका कहलाती थी। रूपजीवाएँ जो स्वतंत्र रूप से पेशा करती थी और कुछ स्त्रियाँ जो राजा के लिए गुप्तचर के रूप में कार्य करती थी राज्य की सेवा में लगी गणिकाओं की स्थिति प्रायः दासियों के समान थी। सरकार की ओर से वेश्या कर्म पर रोक नहीं थी बल्कि इस पर कर लगाया जाता था। मगस्थनीज ने अपने विवरण में लिखा है कि भारत में दास नहीं थे। अर्थशास्त्र में दासों के संदर्भ में जानकारी मिलती है। इसमें दासों के एक ऐसे समुदाय का प्रमाण मिलता है जो कर्ज द्वारा धन लेने के द्वारा बनाया जाता था जो कर्ज की अवधि तक मालिक का काम करता था जो फिर स्वतंत्र हो सकता था। अर्थशास्त्र में जिक्र आता है कि दासों से मानवीय व्यवहार किया जाता था। अर्थशास्त्र में दासों की सुरक्षा के लिए कई नियमों का जिक्र आता है, दास के बच्चे दास नहीं थे एवं दास को अपनी कमाई सम्पत्ति रखने का अधिकार था। हालाँकि दास एवं अछूतों में यह अन्तर था कि दासों को अशुद्ध नहीं माना जाता था क्योंकि वह मालिक की सेवा करता था। वह अछूतों की तरह बाहर बस्तियों में नहीं रहता था बल्कि परिवार के साथ रहता था।

संदर्भ

1. Kangle, R.P.-Kotilya's Arthashastra, 1965, 3 Vols., Bombay
2. झा, डी.एन.; श्रीमाली, के.एम- प्राचीन भारत का इतिहास, 2013, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 10 केवेलरी लेन, दिल्ली-110007
3. सिंह, उपेन्द्र; ए हिस्ट्री ऑफ अरली मिडिवल इंडिया, 2008, यर्सन लौगमैन, 4A2SIE, पटपडगंज, दिल्ली-110092
4. थापर, रोमिला; पूर्वकालीन भारत (प्रारम्भ से 1300 ई. तक), 2008, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 10 केवेलरी लेन, दिल्ली-110007
5. श्रीवास्तव, के.सी.; श्रीवास्तव एम.-प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, 2007, यूनाइटेड बुक डिपो, 21 यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद-211002
6. पाण्डेय, एस.के.; प्राचीन भारत, गर्ग बुक डिपो, 158, आदर्श बाजार, बरकत नगर, जयपुर-302015
7. शर्मा, आर.एस., प्राचीन भारत का सामाजिक और आर्थिक इतिहास, 1998, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, EA/6, मॉडल टाऊन, दिल्ली-110009.

वर्तमान समय में गाँधी के विचारों की प्रासंगिकता

निकेता सिंह

शोधार्थी, स्ना० इतिहास विभाग, बी०आर०ए० बी०यू०, मुजफ्फरपुर

आज के वैश्वीकरण, संचार आन्दोलन, जन आकांक्षा एवं हिंसा के युग में गाँधीवादी मूल्यों, सिद्धांतों और आदर्शों की प्रासंगिकता की पड़ताल अपेक्षित है। मोहनदास करमचन्द्र गाँधी का आध्यात्मिक मानववाद, सामाजिक सद्भाव, राजनैतिक विकेन्द्रीकरण और आर्थिक समानता की धारणा की जड़ें आज और मजबूत हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गाँधीवाद मानवतावाद पर आधारित सिद्धान्त हैं, जिसके मूल्य अहिंसा, सद्भाव और परस्पर सामंजस्य पर टिके हुए हैं।

वर्तमान दौर वैश्वीकरण और निजीकरण का है। वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत एक देश अपनी आर्थिक व्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ता है, जिसके लिए उसे अपनी आर्थिक व्यवस्था का निजीकरण करना पड़ता है। इस व्यवस्था का प्रभाव इतना गहरा पड़ा है कि समाजवादी व्यवस्था की चूल हिल गई। ऐसे में यह लघु शोध काफी दिलचस्प होगा कि गाँधी के आर्थिक विचार इस वैश्वीकरण और निजीकरण के दौर में कितने प्रासंगिक हैं। ऐसे तो महात्मा गाँधी की गिनती अर्थशास्त्री के रूप में नहीं की जाती है फिर भी गाँधी के आर्थिक विचारों में जो तर्क एवं सिद्धांत की कठोरता है, उससे जाहिर होता है कि गाँधी एक अर्थशास्त्री भी थे। हालांकि एडम स्मिथ, मार्शल और किन्स की तरह गाँधी ने अर्थशास्त्र के किन्हीं ठोस सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया है लेकिन अर्थशास्त्र के मूलभूत उद्देश्य सीमित साधनों का जनकल्याण में अधिकतम उपयोग को समझने में महात्मा गाँधी से कोई चूक नहीं हुई है। विश्व के तमाम अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था को एक सम्पूर्ण मानवीय परिवेश में समझने का प्रयास किया है, गाँधी के आर्थिक विचार किसी एक अर्थव्यवस्था के लिए नहीं हैं बल्कि पूरी मानवता के लिए इसकी उपयोगिता स्वयंसिद्ध है। कई अर्थशास्त्र के विद्वानों ने गाँधी के आर्थिक विचारों को 'गाँधीवादी अर्थव्यवस्था' का नाम दिया है।

गाँधी अतीत के होते हुए भी भविष्य के महानायक हैं और चूंकि वर्तमान इन दोनों के बीच में आता है, इसलिए वे स्वतः वर्तमान के भी महानायक हो जाते हैं। वे अतीत के होकर भी शोषित भविष्य को देख पाने की क्षमता रखते हैं। दूरदृष्टि की इसी क्षमता की बदौलत वे सौ साल पहले यह देख सके थे कि आनेवाले दिनों में एक ऐसा देश निर्मित होनेवाला है, जिसमें मुट्ठी भर समर्थ लोग दुनिया के शेष लोगों के शोषण की सुविधा हासिल कर लेंगे।

'भूमंडलीकरण' वर्तमान का बहुप्रचारित शब्द है। इसका अर्थ 'सारे भूमंडल को एक करने की प्रक्रिया' है। 'भूमंडल का तात्पर्य यहाँ 'दुनिया' से है। अतः भूमंडलीकरण सारी दुनिया को एक करने का उपक्रम है। इसी आधार पर कुछ लोग इसे प्राचीन भारतीय अवधारणा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अर्वाचीन व्याख्या के रूप में देखते हैं तो कई लोग 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के रूप में। सदैव अपना हित चाहने वाले पश्चिम के लोग तो इन अर्थों में इसका प्रचार-प्रसार करते ही हैं, भारत के कई लोग भी इस निरंतर प्रचार से सम्मोहित होकर यही बात दुहराने लगे हैं, परन्तु वास्तविकता कुछ भिन्न है। भूमंडलीकरण का कोई संबंध 'बहुजन हिताय बहुजन सुखाय' अथवा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' से नहीं है। कहीं से इसकी तुलना इन संकल्पनाओं से नहीं की जा सकती। यह शुद्ध रूप से एक आर्थिक परियोजना है, जिसका उद्देश्य व्यापार के द्वारा अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है।

समाजवादी चिंतक सच्चिदानंद सिन्हा यह बात पूर्ण स्पष्टता से कहते हैं—“विज्ञापन के इय युग में शब्द प्रायः अर्थों को विस्थापित करने का काम करते हैं। आज सर्वाधिक चर्चित शब्द भूमंडलीकरण यह भूमिका सफलतापूर्वक निभा रहा है। इस शब्द से यह भी भ्रम पैदा होता है कि यही एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें अपने छोटे स्वार्थों से ऊपर उठकर लोग सारे संसार के मंगल के लिए जुड़ जायेंगे। लेकिन भूमंडलीकरण के निहितार्थ इसके ठीक उल्टे हैं। इससे निकलने वाली बहुजन हिताय बहुजन सुखाय’- की ध्वनि के विपरीत यह व्यवस्था सारे संसार को कुछ सशक्त पूँजीवादी प्रतिष्ठानों यानी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके संकेन्द्रण के सबसे सबल केन्द्र अमेरिका के हितों की रक्षा का माध्यम बनी हुई है। संसार को एक करने की इसकी दृष्टि पूरी तरह आयामी है। यह सिर्फ व्यापार के लिए दुनिया को एक करना चाहती है—बाकी सारी बातें विपरीत हैं।¹ और यह बात भारत मामलों के विशेषज्ञ ब्रिटेन के पत्रकार जरेमी सीब्रुक भी इन शब्दों में व्यक्त करते हैं— “यह प्रणाली (भूमंडलीकरण) पुरातन जीवन शैलियों, संसाधन, आधार तथा मानवता के बीच के संतुलन तथा जरूरतों को क्लायती विनम्रता के साथ पूरा करने की प्रथाओं को नष्ट करती, बेरहमी से उस एकमात्र मुकाम की तरफ खदेड़ रहीं है जिसे वैश्विक बाजार कहते हैं, और जहाँ किसी के साथ कोई लिहाज नहीं बरता जाना तय है।²

इसकी वजह भूमंडलीकरण के मूल में पूँजीवाद आरंभ से ही सारी दुनिया पर चलनेवाले व्यापार पर पहले सरकार का भी नियंत्रण हुआ करता था। एक देश की सरकार दूसरे देशों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों को न तो प्रोत्साहित करती थी, न उन्हें अपने यहाँ आने की इजाजत देती थी, इसके विपरीत वह अपने यहाँ के प्रतिष्ठानों को ही अधिक विस्तृत होने देने का प्रयास करती रहती थी इसी कारण पूँजीवाद स्वतंत्र रूप से सारी दुनिया में फैलने का अवसर नहीं पा सका और न ही सारे संसार पर आधिपत्य जमाने का उसका सपना पूरा हो सका। भूमंडलीकरण पूँजीवाद के इसी सपने की अभिव्यक्ति है, जिसे वास्तविक होने का अवसर दूसरे महायुद्ध के बाद मिला।

इस सपने को साकार करने वाली तीन संस्थाएँ हैं, जिन्हें विश्व व्यापार संगठन तथा अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष कहा जाता है ये तीनों संस्थाएँ अमेरिका की छत्रछाया में स्थापित हुई, इसलिए सहज रूप से इनपर अमेरिका का वर्चस्व कायम रहा। चूँकि ये संस्थाएँ पूँजीवाद अर्थव्यवस्था को सुरक्षित तथा प्रचारित करने के लिए गयी हुई थीं, इसलिए चीन और सय जैसे समाजवादी देश इन संस्थाओं से पूरक रहें। लेकिन बाद में जब इन देशों की समाजवादी संरचनाएँ नष्ट हो गई तब पूँजीवाद का प्रतिरोध करनेवाला ध्रुव समाप्त हो गया। फिर अमेरिका के नेतृत्व में पूँजीवाद की ध्रुवीय व्यवस्था कायम हुई जिसको चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमंडलीकरण पूँजीवादी अर्थव्यवस्था के विस्तार की प्रक्रिया है उसके बरोक-टोक फलने-फूलने का उपक्रम है। यहाँ वैश्वीकरण का अर्थ पिछड़े अथवा विकासशील कहे जानेवाले देशों की अर्थनीति को विकसित यानी धनी देशों की अर्थनीति के मातहत संचालित करना और उन पर विकसित देशों द्वारा अपनाये गए विकास के मॉडल और उसे हासिल करने के तरीकों को थोपना है। “सुनियोजित ढंग से अंजाम देने के लिए पूँजीवाद के पैरोकारों ने ‘उत्तरआधुनिकतावाद’ नामक विचारधारा का भी ईजाद कर लिया। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जन्मी इस विचारधारा के मूल में वे अनुभव हैं, जो द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् विकसित संचार युग, जिसका आधार उच्च तकनीक हैं, और उपभोक्तावादी संस्कृति समन्वय से पैदा हुए हैं। यह विचारधारा किसी भी निपरेक्ष की अवधारणा को खारिज करती हुई सापेक्षवादी दृष्टियों पर बल देती है और अपनी संबद्धता को नकार कर विभेद को महिमामंडित करती है।”³ इसलिए आधुनिक बौद्धिकता का यह समय अतिरेकी सच्चाईयों, छायाभासों,

विश्वखलताओं, विभेदों, अनिश्चितताओं और मान्यताप्राप्त अधिकारों की अनुपस्थिति का समय है। इसी सम्बन्ध में लब्ध प्रतिष्ठ साहित्यकार प्रभाकर क्षोत्रिय ने भूमंडलीकरण को प्रचार-प्रसार की विचारधारा मानते हुए कहा है-“उत्तरआधुनिकतावाद” को ‘भूमंडलीकरण’ का बौद्धिकीकरण क्यों न कहा जाये? क्योंकि दोनों में जो अद्भुत समानता है वह अप्रत्याशित संयोग नहीं हो सकती। एक को अंतर्राष्ट्रीय विचार और दूसरे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जा रहा है, जबकि एक अमेरिका और चंद यूरोपीय देशों का ‘विचार’ है और दूसरा ‘बाजार’ है। दोनों मनुष्यता के वर्तमान और भविष्य होने का दावा करते हैं, जबकि ये इन्हीं देशों का ‘वर्तमान’ और ‘भविष्य’ हैं। दबाव ऐसा कहें कि जाँच-परख, चयन, आवश्यकता, परिवेश, प्राथमिकता, क्रय-शक्ति सबों को भुमाकर वह इनका गुलाम हो जाये।⁴

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमंडलीकरण व्यापक मानवीय हित में काम करनेवाली कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत सारा संसार सुख-चैन की सांस ले सकेगा। इसके विपरीत यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसके द्वारा अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता चला जायेगा। इसलिए जाने-माने अर्थशास्त्री और भूमंडलीकरण के विशेषज्ञ प्रोफेसर कमलनयन काबरा कहते हैं।” बहुप्रचारित वैवीकरण किसी भी अर्थ में वैचारिक स्वतंत्रता, सर्जनात्मकता तथा व्यापक जनभागीदारी पर आधारित लोकतंत्र-पोषक व्यवस्था नहीं है। वस्तुतः यह तो स्वयं एक खास किस्म की कूपमंडुकता हठधर्मिता और वैचारिक दासता पर आधारित है जो शोषण-दोहन के अतिधिकार की महिमामंडित तथा शासन करने की मुहिम का हिस्सा है। यह तथ्य 1992 के विश्व विकास रिपोर्ट से भी प्रमाणित होता है जिसके मुताबिक सभी विकासशील देश के गरीबों की संख्या-1985 में 105.1 करोड़ थी जो बढ़कर 1990 में 113.3 करोड़ हो गयी। इसी रिपोर्ट में यह भी दर्शाया गया है कि सभी विकासशील देश को गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत 1985 में 30.5 हो गया। फिर मानव विकास रिपोर्ट 1998 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विश्व की प्राथमिकताओं में जहां सबके लिए शिक्षा पर वार्षिक 600 करोड़ डालर खर्च होते हैं वहाँ अमेरिका में केवल सौंदर्य-प्रसाधन पर 800 करोड़ डालर खर्च होते हैं। इसी तरह जहां सबके लिए पानी और स्वच्छ वातावरण पर वार्षिक 900 करोड़ डालर खर्च होते हैं वही यूरोप में केवल आइसक्रीम पर 1100 करोड़ खर्च होते हैं तथा जहां सभी महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य पर वार्षिक 1200 करोड़ डालर खर्च होते हैं वहीं यूरोप और अमेरिका में केवल परफ्यूम पर 1200 करोड़ डालर खर्च होते हैं।⁵ इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं, उससे यह साफ हो जाता है कि भूमंडलीकरण कुछ थोड़े से पूँजीवादी प्रतिष्ठानों द्वारा सारी दुनिया के आमलोगों के शोषण की व्यवस्था है और चूँकि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत कोई देश इन प्रतिष्ठानों के क्रियाकलाप में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए ये खुलकर अपना खेल-खेल रहे हैं। यह स्थिति चिंताजनक है।

इस स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी समाज-संरचना हो जिसमें स्पष्ट दृष्टि हो, जिसमें न तो उपभोक्ता संस्कृति के विकसित होने की कोई जगह हो, न शोषण-तंत्र के फैलने-फूलने का कोई अवसर। गाँधी का सर्वोदय ऐसी ही स्पष्ट दृष्टि पर आधारित सामाजिक संरचना है जिसमें उपभोग और शोषण का तिरस्कार है। यह सादगी और सहयोग पर आधारित उस समाज की परिकल्पना है जिसमें सब समान और सब स्वनिर्भर होंगे। इसमें स्थानीयता और विकेन्द्रीकरण का बल होगा तथा प्रतियोगिता के स्थान पर मित्रता को बढ़ावा मिलेगा। इसमें मनुष्य की भौतिक सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं होगा बल्कि उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम होंगे। इसमें मनुष्य इच्छाओं का दास नहीं होगा बल्कि इच्छाएँ उसके वश में होंगी। इसमें कहीं नहीं पहुंचने वाली तेज रफ्तार में भागती हुई जिगदी नहीं होगी अपितु ठहर कर सार्थक जीवन जीने

का प्रयास होगा। इसमें अलग मत धर्म समूह और स्वभाव वाले लोगों के साथ भी सौहार्द और स्नेह का संबंध होगा। इसमें विकास का मतलब केवल भौतिक समृद्धियों का अंबार लगा लेना नहीं होगा बल्कि आत्मिक उत्थान भी अनिवार्य होगा। वस्तुतः इसमें आत्मिक उत्थान ही साध्य होगा और भौतिक सुविधाएँ इसकी प्राप्ति का साधन मात्र होंगी। यह समाज पूरी तरह यंत्र आधारित नहीं होगा अपितु मानवीय श्रम का भी इसमें मूल्य होगा। वास्तव में मानवीय श्रम ही मुख्य होगा और यंत्र इसके सहयोगी होंगे। इस प्रकार इन योजनाओं के कारण यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि भूमंडलीकरण से जो त्रासदियाँ पैदा हो रही हैं उनका शमन गांधी के सिद्धांतों से ही हो सकता है। इसलिए बाबा धर्माधिकारी कहते हैं—“सर्वोदय का आदर्श है अद्वैत और उसकी नीति है समन्वय। सर्वोदय एक वर्गविहीन, जातिविहीन और शोषणविहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वांगीण विकास के साधन और अवसर मिलेंगे। यह क्रांति अहिंसा और सत्य के द्वारा ही संभव है।”

डॉ० रमेशचन्द्र सिन्हा तथा डॉ० विजय श्री चंद्रा के शब्दों में भी—“गांधीजी ने मानव कल्याण को प्राथमिकता दी। गांधी के समाज परिवर्तन का लक्ष्य शोषण पर आधारित संस्थाओं का उन्मूलन कर एक आदर्श समाज की रचना करना है। वे ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, जिसका आधार अहिंसा हो, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और गरिमा सुरक्षित हो तथा समाज में सभी के बीच प्रेम और सहयोग की भावना हो।”

इस दृष्टि से गांधीवाद की तुलना सुखवाद से नहीं की जा सकती। सुखवाद जिसे उपयोगितावाद भी कहा जाता है बेंथम और मिल आदि पाश्चात्य दार्शनिकों द्वारा प्रतिपादित वह नीतिमीमांसीय सिद्धांत है, जो सुख को जीवन का अंतिम लक्ष्य मानते हुए ‘अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख’ की बात करना है इसे स्वीकारते हुए दर्शन के विद्वान बसंत कुमार लाल कहते हैं—“सामान्यतः गांधीजी की तुलना नैतिकता के उपयोगितावाद के साथ की जाती है किन्तु यह तुलना पूर्णतया उपयुक्त नहीं है उपयोगितावाद अधिकांश व्यक्तियों के अधिकतम सुख का आदर्श स्थापित करता है।” गांधीवाद इससे कहीं अधिक व्यापक और इससे कहीं अधिक परमार्थमूलक है और विनोवा के अनुसार भी—“सर्वोदय कुछ का या बहुतों का या अधिकतम का उत्थान नहीं चाहता। हम तो केवल एक की और सब की, ऊँचे और नीचे की, सबल और निर्बल की बुद्धिमान और बुद्धिहीन की भलाई से ही संतुष्ट हो सकते हैं। सर्वोदय शब्द एक उत्कृष्ट आर सर्व-व्यापक भावना को अभिव्यक्त करना है।”

भूमंडलीकरण के दौर में अर्थशास्त्र का उद्देश्य विशुद्ध भौतिक लाभ हो गया है। वहीं महात्मा गांधी अर्थशास्त्र को नैतिकशास्त्र मानते थे और इसलिए उन्होंने समस्या के नैतिक पहलू पर अत्याधिक बल दिया। उनके अनुसार ऐसा अर्थशास्त्र जो व्यक्ति अथवा राष्ट्र के नैतिक कल्याण को हानि पहुंचाता है वह अनैतिक है और इसलिए पापपूर्ण है। आर्थिक कार्य में लगे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व अथवा चरित्र को सशक्त कर मानवता के विकास की राह पर ले जाना महात्मा गांधी के शब्दों में एक व्यक्ति का लाभ दूसरे की हानि नहीं होनी चाहिए, चाहे तो वित्तीय, भौतिक अथवा आध्यात्मिक हो। ये ही उनके आर्थिक विचारों की आधारशिला थी, जिस पर उन्होंने अपने संपूर्ण आर्थिक दर्शन को खड़ा किया। महात्मा गांधी ने आर्थिक मानव की निंदा की और इसे उन्होंने औद्योगिक रोबोट का नाम दिया। उनका कथन था कि हमें यह सीखना पड़ेगा कि हम कैसे अपना आर्थिक जीवन यापन करें ताकि सम्पूर्ण समाज सृजनात्मक तथा संतोषप्रद हो।

शायद यही कारण है कि महात्मा गांधी ने अपने आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था के रूप में किया है। उन्होंने मानवीय समस्याओं को जीवन के एकीकृत दृष्टिकोण

से देखा है जिसमें अर्थशास्त्र, नैतिकशास्त्र एवं धर्म का संश्लेषण होता है, चूँकि वे आम जनता की आवश्यकताओं एवं भावनाओं के प्रति सजग थे इसलिए वो जनता से अलग खड़े कभी नहीं हुए। उनके अनुसार आवश्यकताओं की पूर्ति एवं नैतिक उत्थान परस्पर विरोधी नहीं हैं।

गांधीवादी आर्थिक सिद्धांत आर्थिक समानता, अहिंसात्मक मुक्ति की प्रधान कुंजी है। वे मानते हैं कि पूर्ण रूप से इस आदर्श की प्राप्ति असंभव है, अतः अपूर्ण आदर्श वाले अहिंसात्मक राज्य में न्यायोचित वितरण को वे तात्कालिक लक्ष्य के रूप में स्वीकारते हैं। गांधीजी ने कहा है कि “मेरा आदर्श समान वितरण है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ इसकी प्राप्ति कठिन है। इसलिए मैं न्यायोचित वितरण के लिए प्रयत्नशील हूँ। इस कार्य के लिए भी धनी और निर्धन, पूँजी और रकम के मध्य की चौड़ी खाई और भरना आवश्यक है। गांधी के अनुसार अहिंसात्मक शासन प्रणाली एक स्पष्ट संभावना है जब तक धनी और लाखों करोड़ों भूखे लोगों के मध्य चौड़ी खाई बनी रहती है।¹⁰

इस संदर्भ में गांधी अपने प्रसिद्ध न्यासिता-सिद्धान्त को प्रस्तावित करते हैं, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था का अपरिहार्य आधार है। न्यासिता सिद्धांत इस बात का समर्थन करता है कि सम्पत्तिशाली लोगों को जनसमुदाय की अमसनत के रूप में अपनी सम्पत्ति धारण करनी चाहिए और उन्हें अपनी विपुल सम्पदा से वंचित नहीं करना चाहिए। गांधी ने लिखा है, “धनी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति का अधिकारी बने रहने दिया जाएगा, जिसका प्रयोग वह उचित रूप से अपनी निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करेगा और समाज के लिए प्रयुक्त होने वाले अवशिष्ट भाग के लिए वह न्यासधारी को समाज से मान्यता प्राप्त हो सके। यह व्यवस्था व्यक्ति की भांति ही राज्य पर भी नियंत्रण रखेगी, गांधी ने लिखा है, इस प्रकार न्यासिता के माध्यम से पूँजीपति को नष्ट किए बिना ही पूँजीवाद को नष्ट करना संभव होगा।¹¹ गांधी जी के न्यायसिता सिद्धांत की अहम बातें निम्नलिखित हैं -

1. न्यासिता समाज की वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था को समतावादी व्यवस्था के रूपान्तरित करने का साधन प्रस्तुत करती है। यह पूँजीवादी को अभयदान न देकर, वर्तमान स्वामी-वर्ग की अपने सुधार का अवसर प्रदान करती है, यह इस तथ्य पर आधारित है कि मानव प्रकृति कभी भी सुधार से परे नहीं होते।
2. यह समाज द्वारा अपने निजी कल्याण के लिए आवश्यक स्वीकृति सम्पत्ति के अतिरिक्त सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व के किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं प्रदान करती।
3. यह स्वामित्व और सम्पत्ति के उपयोग सम्बन्धी व्यवस्थापक नियमों को निषेध नहीं करती।
4. इस प्रकार राज्य-नियंत्रित न्यासिता के अन्तर्गत स्वार्थपूर्ति या समाजहित की अपेक्षा करके, सम्पत्ति धारण करने या अपनी सम्पत्ति का उपभोग करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा।
5. इसमें समुचित एवं न्यूनतम निर्वाह भृति के निर्धारण का प्रस्ताव किया गया है, यहां तक कि अधिकतम आय के लिए भी एक सीमा निर्धारित की जाएगी, जिसकी समाज के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को अनुमति दी जा सकती है। इस प्रकार की न्यूनतम और अधिकतम आयों के मध्य का अन्तर यथार्थ न्यायोचित और समयानुकूल होगा। इसके अतिरिक्त यह सीमा परिवर्तनशील होनी चाहिए, जिसमें अंतर की समाप्ति की प्रवृत्ति बनी रहे।
6. गाँधीवादी अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन के स्वभाव को सामाजिक आवश्यकता के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। व्यक्तिगत सनक या लाभ के द्वारा नहीं।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि भूमंडलीकरण के नाम पर जिस 'विश्व ग्राम' की परिकल्पना की जा रही है, वह उद्योग केन्द्रित भाग और शोषण पर आधारित समाज की परिकल्पना है, जिसमें सादगी और समानता के लिए कोई स्थान नहीं है जबकि गांधीवाद की परिकल्पना पर आधारित समाज की नींव ही सादगी और समानता में है, जिसमें भोग एवं शोषण की कोई व्यवस्था नहीं है, उनके फलने-फूलने का कोई अवसर नहीं है। इसके लिए तो गांधी ने एक सदी पहले ही औद्योगिक विकास की अवधारणा को नकार कर भौतिक सभ्यता को अपना तथा दूसरों का नाश करनेवाली बताते हुए खरिज कर दिया था और इनके बदले मानवीय श्रम और सरल यंत्रों के सहयोग पर आधारित विकास की अवधारणा प्रतिपादित करते हुए नीति केन्द्रित आध्यात्मिक सभ्यता की हिमायत की थी।

गांधी एकमात्र विकल्प हैं, कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आज आतंकवाद, नक्सलवाद और क्षेत्रीयतावाद ने हिंसा की संस्कृति को नया आयाम दे दिया है। हिंसा शून्य से उद्भूत नहीं हुई है, वह तो हमारी सभ्यता की विकृति के दुष्परिणाम हैं। असंयमित जीवन, असंतुलित समाज एवं असंतुलित पर्यावरण के कारण ही हिंसा इतनी व्यापक एवं गहरी हुई है।

यह ठीक है कि गांधी हिंसा और युद्ध नहीं चाहते थे। लेकिन उनकी अहिंसा अन्यास के साथ समझझैता नहीं कर सकती थी। उनकी शांति केवल युद्ध वर्जन मात्र नहीं था। इन्होंने संरचनात्मक अहिंसा को बहुत महत्व दिया। इसीलिए उन्होंने अहिंसा को केवल धर्मशास्त्र या नीतिशास्त्र का विषय नहीं माना बल्कि अहिंसा की राजनीति, अहिंसा की अर्थनीति, अहिंसा की समाजनीति और अहिंसा के संगठन-तंत्र को विकसित किया।

इकोलॉजी या ग्रीन मूवमेंट अपेक्षाकृत बाद में प्रारंभ हुआ तथा इकोलॉजिज्म नाम की एक विचारधारा विकसित हुई वह पूरी तरह गांधीवादिता से प्रभावित है। जर्मन में जो ग्रीन मूवमेंट शुरू हुआ उनके प्रवर्तक अपने को गांधीवादी मानते हैं तथा गांधी के बताये आदर्शों की अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। 'इकोलॉजिस्ट' तथा ग्रींस (गांधी के विचारों के अनुरूप) शहरीकरण, आर्थिक एवं राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, नौकरशाही का बढ़ता प्रभुत्व तथा उपभोक्तावाद को आधुनिक सभ्यता की मुख्य समस्या मानते हैं जिससे मुक्ति पाये बगैर सभ्यता बहुत दिनों तक नहीं टिक पायेगी।

गांधी पूंजीवादी व्यवस्था को सभी व्याधियों के मूल में औद्योगिककरण को प्रधान मानते थे, शहरीकरण भी औद्योगिककरण का परिणाम है। मार्क्स पूंजीवादी प्रौद्योगिकी के पक्षधर थे किन्तु गांधी का मुख विरोध पूंजीवादी प्रौद्योगिकी से था जिस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं कि "मुझे भय है कि औद्योगिककरण मानवता के लिए बड़ा अभिशाप साबित होने जा रहा है। पश्चिमी तरीके का औद्योगिककरण विश्व को टिड्डी की तरह चट कर जाएगा।" इससे गांधी का संकेत प्राकृति संसाधनों के समाप्त होते या विरलीकरण से उत्पन्न होगा।

महात्मा गांधी औद्योगिककरण का जबाब, ग्रामोदय में देखते थे। गांधीजी का कहना था कि लोगों का आर्थिक विस्तार स्वदेशीय ग्रामीण अवस्थाओं को जीवित और निरन्तर प्रोत्साहित करने से ही होगा। उनका विचार "एक ऐसे समाज का था जो पारम्परिक व्यवसायों से पूर्ण हो, जिसमें लोग अपनी विकास के लिए खुद श्रम करें।" उनके विचार में "हस्तचालित कुटीर उद्योगों के प्रोत्साहन से ही गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का निदान हो सकता है। वृहत् पैमाने की उत्पादन-प्रणाली से व्यक्ति का व्यक्ति द्वारा, एक देश का दूसरे देश द्वारा शोषण होता है। आज जो

पूँजी निवेश की खोज में हम दुनिया में दर-दर भटक रहे हैं, यदि गाँधीजी द्वारा सुझाए गए चर्खे की सूत कटाई, खादी कपड़े की बुनाई, चावल कूटना, गुड़ बनाना, मधुककखी पालना, खिलौने और मिट्टी के अर्तन बनाना, ईंट बनाना, तेल-धानी आदि कुटीर उद्योग प्रोत्साहित किए जायें तो अपार जनशक्ति का उपयोग, पूँजी का अभाव एवं जटिल बेरोजगारी की समस्याओं का आसानी से समाधान हो सकता है।¹² “यदि हर गांव अपनी जरूरत की चीजें स्वयं ही बना लें तो गांवों में आत्मनिर्भरता आएगी और यदि इस तरह सम्पूर्ण भारत के सारे गांव आत्मनिर्भर हो जाएं तो फिर देश को आयात-निर्यात, विदेशी मुद्रा, उदारीकरण, पूँजी निवेश हेतु वर्तमान पूँजी अभाव सम्बन्धी ‘हाय-हाय’ से छुटकारा मिल जाएगा।”¹³ गाँधीजी ने ठीक ही कहा था ‘यदि ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होती है तो सम्पूर्ण भारत भी नष्ट हो जाएगा। ग्रामीण उद्योगों का विनाश भारत के 7 लाख गांवों को नष्ट कर देगा।’ सत्यनारायण जोशी के शब्दों में “भारत में बड़े-बड़े कल-कारखानों और भरी बुनियादी उद्योगों की जो बड़ग प्रगति हुई उसके फलस्वरूप वह दुनिया का दसवां सबसे बड़ा औद्योगिक देश बन गया है किन्तु आर्थिक नियोजन के छप्पन और आर्थिक सुधारों के सोलह वर्षों का नतीजा देश में करोड़ों की बेरोजगारी पैंतीस करोड़ की गरीबी, लाखों बंधुवा मजदूर और बाल-मजदूर की मजबूर जिन्दगी है।”¹⁴

दरअसल, उत्पादन के तरीके के सम्बन्ध में गाँधीजी का जोर विकेन्द्रीकृत प्रणाली पर था, जिसमें ज्यादा-से-ज्यादा लोग उत्पादन प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इस तरह होने से उत्पादन पर किसी एक वर्ग के नियंत्रण की सम्भावनाएं यदि पूर्णतः समाप्त न हो फिर भी कम-से-कम रहेगी। इसलिए वे विशाल पैमाने पर उत्पादन की जगह विस्तृत समाज द्वारा उत्पादन पर जोर देते थे। आज जब देश की कुल धन-सम्पदा पर 10-12 अमीरों का कब्जा है और बाकी लगभग 80-85 प्रतिशत लोग अपना जीवन अत्यधिक अभावों की स्थिति में बिताने को मजबूर हैं। “बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर देश-विदेश के बड़े पूँजीपतियों द्वारा वृहत मशीनीकृत उद्योगों को स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करना देश में पहले से ही अधिक असमानता की विकट समस्या का रूप ले रहे देश भारत में आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण को और अधिक भयावह सीमा तक आगे ले जाएगा।¹⁵ महात्मा गाँधी औद्योगीकरण द्वारा देश के विकास के विरोधी नहीं थे। उनके शब्दों में “देश के औद्योगीकरण की योजनाओं में देश के कच्चे माल और प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल किया जाए किन्तु उनमें भारत के विपुल जन-बल की काम में नहीं लाये जाए तो यह सच्चे अर्थ में राष्ट्रीय विकास नहीं कहा जा सकता।”¹⁶

महात्मा गाँधी के मस्तिष्क में भारत के गांवों की एक विशेष कल्पना थी, जिसमें प्रत्येक गांव अपनी खाद्य फसल तथा अपने कपड़ों के लिए रूई खुद उगाएगा। साथ यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए जितना पर्याप्त है उतना ही ले और इससे अधिक न लें, तो दुनिया में गरीबी नहीं रह जाएगी और कोई भूख से नहीं मरेगा। सर्वोदय अन्त्योदय है, ऐसे लोगों का उदय जो सामाजिक और आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से समाज में अन्तिम बिन्दु पर खड़े हैं, जब तक ऐसे दीन-हीन लोगों का विकास नहीं होता, आर्थिक विकास की सारी नीतियाँ बेकार और कागज के पन्नों पर चमकनेवाले चन्द अक्षर मात्र सिद्ध होंगे।

आज के बढ़ते भ्रष्टाचार, भाइ-भतीजावाद, जातिवाद, सम्प्रदायवाद, उग्रराष्ट्रवाद, अराजकतावाद आदि का समाधान भी गाँधी के सिद्धांतों में है। मनुष्य को केन्द्र में न रख पाने की वजह से ही ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है। ऐसी विषम परिस्थिति में गाँधी की सर्वोदयी विचारधारा बरबस अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कर रही है, जिसका विश्व के सम्यक् विकास के लिए प्रयोग होना अभी बाकी

है, नेक चिंतकों का मानना है कि यही विचारधारा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सर्वाधिक उपयोगी एवं कल्याणकारी सिद्ध होंगी क्योंकि यह सामाजिक न्याय की प्राप्ति का सर्वोत्तम न्याय की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। गाँधीजी के जीवन का यह प्रमुख लक्ष्य था कि भारत में सत्य और सहयोग, विषमता के स्थान पर समता और मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण न हो। उन्होंने इस सामाजिक व्यवस्था को सर्वोदय की संज्ञा दी थी। गाँधी की मृत्यु के पश्चात् उनके अग्रगण्य शिष्य आचार्य बिनोवा भावे आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण, दादा धर्माधिकारी आदि ने विशुद्ध रूप से अहिंसात्मक साधनों द्वारा सर्वोदय समाज की स्थापना की दिशा में एक व्यापक आन्दोलन आरंभ किया। इस आन्दोलन में साधन और साध्य का अन्तर नहीं है। हिंसा तथा दमन का प्रयोग नहीं है। यह सामाजिक क्रांति तथा बन्धुत्व, समानता एवं स्वतंत्रता प्रदान का सर्वश्रेष्ठ तरकीब है।

गाँधीजी समाज के सभी व्यक्तियों का कल्याण करते थे, चाहे वह मजदूर, किसान हो या पूँजीपति हो, पूरे समाज के विकास से ही राष्ट्र का समयक विकास संभव है। जहाँ साम्यवाद ने केवल सर्वहारा वर्ग के विकास की बात की और पूँजीवाद ने पूँजीपतियों के हित की, वही सर्वोदय में सर्वहित की बात की गई है। सर्वोदयी विचारधारा के अनुसार जहाँ निर्धन व्यक्ति आर्थिक रूप से दरिद्र है वही अमीर व्यक्ति नैतिक रूप से दरिद्र है। गाँधी की मानें तो धनी लोग बहुत पहले से गिरे हुए हैं और निर्धन लोग कभी उठे नहीं। परिणाम यह है कि दोनों को ही उठाना है। दोनों प्रकार की दरिद्रता को दूर करके ही समाज या राष्ट्र का सही अर्थों में विकास किया जा सकता है। इसलिए गाँधीजी चाहते थे कि आगे बढ़े हुए लोग पिछड़े और शोषितों के विकास में खाद का कार्य करें। 'ट्रस्टीशिप' और 'दरिद्रनारायण की पूजा' का आदर्श अपनाकर नैतिक और आर्थिक दोनों प्रकार की दरिद्रता को दूर किया जा सकता है। जहाँ साम्यवाद और पूँजीवाद ने अपने-तथाकथित विकास में भ्रष्टाचार और गैर बराबरी को जन्म दिया है वहीं सर्वोदय ने समाज के सभी लोगों के विकास पर जोड़ दिया है।

यहाँ गाँधी के सामाजिक न्याय को सामाजिक सुरक्षा के साथ जोड़ना गलत होगा। यह सामाजिक सुरक्षा से अधिक बड़े अर्थ का सूचक है। यह वंचितों और दलितों तथा कमजोर और पिछड़ों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर जोड़ देता है। सामाजिक न्याय मूल रूप से समानता की धारणा है। यह एक समतावादी विचार है जिसमें समानता आधारशिला का काम करती है। असमानता और सामाजिक न्याय के विश्लेषण में आनुपातिक समानता का सिद्धांत व्यावहारिक है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक समाज मूल्यों का संपादन नहीं करता। अतः व्यक्तियों द्वारा समाज में किए जा रहे कार्यों के मूल्य के अनुपात में ही वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

समाज में व्याप्त छुआछूत की प्रथा से गाँधी जी को स्वाभाविक घृणा थी। इसे सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में दुःसाध्य राष्ट्रीय अवरोध मानते थे। इसलिए इस बुराई को समूल नष्ट करना चाहते थे। उन्होंने अछूतों को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग बनाया और कहा कि इनको समाज में निम्नतम स्थान देना, उन्हें निकृष्टम कार्य करने के लिए बाध्य करना, उन्हें मंदिरों में प्रवेश न करने देना, उन्हें सार्वजनिक स्थान का प्रयोग न करने देना, उन्हें धर्मग्रन्थों का अध्ययन करने से रोकना आदि उनके प्रति अवर्णनीय अन्याय है तथा उनको आकरण मानवाधिकारों से वंचित करना है। गाँधीजी के हृदय में अछूतों के लिए कितना प्रेम और सम्मान था इसका अनुमान इनके इन शब्दों में लगाया जा सकता है, "मैं फिर जन्म नहीं लेना चाहता हूँ, मैं जन्म लेना चाहूँगा ताकि मैं अछूतों के कष्टों, क्लेशों तथा अभावों में भाग ले सकूँ। अतः मेरी प्रार्थना है कि यदि मुझे फिर जन्म लेना पड़े तो मुझे ब्राह्मण, क्षत्रिय या शूद्र के रूप में नहीं वरन् अतिशुद्ध के रूप में जन्म मिले।"¹⁷

गाँधीजी ने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सत्याग्रह की तकनीक पर बल दिया है, जब प्रेम और सद्भाव तथा संरूपणा एवं हृदय परिवर्तन से सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सत्याग्रह के हथियार को अपनाने पर जोर दिया। उनकी स्पष्ट मान्यता थी कि सामाजिक आर्थिक न्याय को प्राप्त करने, औद्योगीकरण संघर्षों में तथा साम्प्रदायिक और अस्पृश्यता जैसे सामाजिक बुराईयों के विरुद्ध संघर्ष करने में भी सत्याग्रह की तकनीक को काम में लाया जा सकता है। रौलट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष में इसका उपयोग करने में भी सत्याग्रह की तकनीक को काम में लाया जा सकता है। रौलट एक्ट के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी संघर्ष में इसका उपयोग करने से पहले इसे अहमदाबाद में मिल-मजदूरों के झगड़े को सुलझाने और बारदोली तथा कुछ अन्य स्थानों पर किसानों की शिकायतों को दूर करने के लिए प्रयोग कर चुके थे। बाईकोम मंदिर मार्ग का सत्याग्रह सामाजिक न्याय प्राप्ति का ज्वलंत उदाहरण है। यह सत्याग्रह 1924-1925 में लगभग 16 महीने तक उस आदेश के विरुद्ध था जिनके अनुसार मंदिर के पास से निकलने वाले मार्ग का प्रयोग अछूतों के लिए निषिद्ध था। आन्दोलन का परिणाम यह किनला कि यह मार्ग सबों के लिए खोल दिया गया। इसकी प्रतिक्रिया देश के अन्य भागों में भी हुई और बहुत से स्थानों में जहाँ मंदिरों में प्रवेश निषिद्ध था, अब उनके प्रवेश पर से प्रतिबंध हटा लिया गया।

आज के राजनीति, सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य में विशेषकर वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण से उपजी उपभोक्तावादी संस्कृति में जब व्यक्ति की पहचान एवं उसकी अस्मिता पर गहरा संकट छाया हुआ है, गाँधी जी की सर्वोदय विचारधारा के अनुसार कार्य करना आवश्यकता प्रतीत हो रहा है। आज भी दलित अपने उत्थान के लिए तरस रहे हैं। उनके प्रति अभी भी भेद-भावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है वे आज भी शोषण और अत्याचार के शिकार हैं। उनकी आत्मा, उनकी गरिमा और उनके आत्म-सम्मान पर आघात हो रहा है। जबकि राज्य, उसके कानून, उसकी अन्य मशीनरी संवेदनाशून्य बनकर मौन रहती है। हरियाणा के कलाल जिले के बीबीगंज की घटना इसका ताजा उदाहरण है जहाँ सार्वजनिक भूमि पर अगड़ी जातियों ने अपने मंदिरों का निर्माण तो कर लिया है लेकिन दलितों के संत रविदास की मूर्ति स्थापित नहीं करने दिया जा रहा है, दलितों को न्याय दिलाने में राज्य प्रशासन असफल है ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी बेकार साबित हो रहा है।

इस घटना ने यह भी साबित कर दिया है कि धनी और प्रभुत्वशाली अभी भी गिरे हुए हैं और इसलिए उन्हें भी उठाने की आवश्यकता है। हम जिस तरह का समाज चाहते हैं उसका सृजन किसी भी तरह की हिंसा से संभव नहीं है। हिंसा से टकराव और विध्वंस का ही सृजन होता है। यह कल्पना करना भी विवेकहीनता ही है कि टकराव में प्रगतिशील शक्तियों की ही जीत होगी। जर्मनी में हिटलर ने कम्युनिष्ट और सोशल डेमोक्रेट दोनों का ही सफाया कर दिया था। भारत में हिंसा का कोई आह्वान खासतौर पर इसलिए खतरनाक है, क्योंकि इसका तो सहज रूप ही विध्वंसक है। हमारे यहाँ वो भी अनेक जोखिम भरी और विभेदक प्रवृत्तियाँ मौजूद हैं जिनका हमें दमन और शमन करना है। नक्सलियों का हिंसक संघर्ष हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। किसी क्षेत्र का पिछड़ापन और वहाँ के निवासियों की विपन्नता की नक्सलियों के पनपने वाला आधार है। निःसंदेह बंदूक का भय लोगों को उनका समर्थन करने को बाध्य करता है, फिर भी यह विचारधारा अनेक को उनके साथ जोड़ती है क्योंकि यह भूमिहीनों और निर्धन इन्सानों के लिए बेहतर जीवन की आशा जगाती है। लेकिन नक्सवादियों को अनुभवों से सीख लेनी चाहिए। सोवियत संघ जो कभी हिंसक उपायों की सीख देता था, अप्रत्याशित तौर पर विध्वंसित हो गया। दरअसल गलत राह से कभी सही परिणाम नहीं मिल पाते और यही है वह सार जिसकी सीख नेल्सन मंडेला, टेसमेड टुटु और लेक वालेसा जैसे गाँधीवादी

दे रहे हैं। गांधीवादी नेता लोक वालेसा की उक्ति बिल्कुल सही है –”The world is still in need, more than even, of a man like Mahatma Gandhi”.

सर्वोदयी समाज की कल्पना तथा इसके रचनात्मक कार्यक्रमों एवं सत्याग्रह की परस्पर निर्भरता की पद्धति का आज विश्व-समाज में विशेष महत्व दिख रहा है। विगत एक शताब्दी के ऐतिहासिक अनुभवों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाश्चिक हिंसक शक्तियों के बल पर किसी जीवित सभ्यता को स्थायी तौर पर न तो दबाया जा सकता है और न सरकारों के द्वारा किसी भी समाज का निर्माण हो सकता है। हिंसा और दादागिरी के वर्चस्व वाले इस दौर में गांधी के विचारों के प्रति लोगों की दिनानुदिन बढ़ती ललक अनायास ही नहीं है। वैश्विक स्तर पर मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, आंग सांग सूकी तथा भारतीय रंगमंच पर बाबा आम्टे, अन्ना हजारे, सुंदरलाल बहुगुणा तथा मेधा पाटेकर तथा राजेन्द्र सिंह ने आदर्श समाज की रचना हेतु जिस अहिंसक संघर्ष को दिशा-निर्देशक बनाया, उसने गांधी-दर्शन को कालजयी बना दिया है।

संदर्भ

1. सच्चिदानंद सिंहा, ‘भूमंडलीकरण की चुनौतियाँ’ वाणी प्रकाशन, 21 ए, दरियागंज, नई दिल्ली, पृ. 7, 2003.
2. जेरेमी सीब्रुक, ‘‘भूमंडलीकरण बनाम अंतराष्ट्रीयतावाद’’ युवा संवाद, अंक-9, पृ. 16, दिसम्बर 2003, 167-ए/जी. एच., पश्चिम बिहार, नई दिल्ली-63.
3. विजय कुमार, ‘अंधेरे समय में विचार संवाद’ प्रकाशन आई-499, शास्त्रीनगर, मेरठ (3030), 2006, पृ. 14.
4. प्रभाकर क्षेत्रीय, ‘‘खाने के दांत/दिखाने का दांत’’ संवाद कोच, ‘वागर्थ’, अंक-38, मई 1998, पृ. भारतीय भाषा परिषद्, 36, ‘एड्ड, कलकत्ता।
5. प्रोफेसर कमल नयन काबरा, ‘बहुवचन’ अंक-6, महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, 16 दूसरी मंजिल, सीरी फोर्ट रोड, दिल्ली.
6. दादा धर्माधिकारी, डा. शिवभानु सिंह की पुस्तक ‘समाज दर्शन का सर्वेक्षण’ से उद्धृत, पृ.-177, शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 2001.
7. डॉ० रमेश चन्द्र सिन्हा तथा डॉ० विजय श्री चन्द्र, ‘‘समकालीन भारतीय चिंतक’’ जानकी प्रकाशन, अशोक राजपथ, पटना, पृ. 113, 1998.
8. बसंत कुमार लाल, ‘समकालीन भारतीय दर्शन’, मोतीलाल बनारसी दास, 41, यू0ए0 बगलो रोड, जवाहर नगर दिल्ली, पृ0-189-190, 1998.
9. विनोबाजी, डॉ० जगदीश सहाय श्रीवास्तव की पुस्तक ‘समाज-दर्शन की भूमिका’ से उद्धृत, विश्वविद्यालय प्रकाश, चौक, वाराणसी, पृ. 37, 1998
10. महात्मा गांधी, सत्य के प्रयोग, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, पृ. 85.
11. यंग इंडिया, 12 अगस्त, 1925.
12. आर. वेंकटरमण, ‘इकोनोमिक रिफॉर्म एण्ड नेशनल इम्पेरिज्म, साउदर्नइकोनोमिक्स, गंगलौर, 1 जनवरी 1997, पृ. -7.
13. टी0एम0पी0 महादेवन और जी0बी0 सरोज ‘सन्टेम्पररी इंडिया फिलॉस्फी’ स्ट्रलिंग पब्लिशर्स, दिल्ली, पृ0 156.
14. सत्यनारायण जोशी ‘गांधी की आर्थिक विचारधारा’ 1-125 अक्टूबर, योजना (पत्रिका), 1986, पृ.-6, नई दिल्ली.
15. न0 कृष्णास्वामी, ‘भ्रष्ट पूँजीवाद, पतनशील साम्यवाद और रास्ता गांधी का’ गांधी मार्ग, नई दिल्ली, पृ0 16, 1911.
16. प्यारेलाल, महात्मा गांधी, पूर्णाहूति, खण्ड, अनुवाद रामनारायण चौधरी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, 1971, पृ. 255.
17. यंग इंडिया, 4/5/1921.

चम्पारण में गांधी: एक ऐतिहासिक अवलोकन

अरूण कुमार

शोध छात्र, इतिहास विभाग, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

गाँधी जी के चम्पारण आन्दोलन पर अब तक लिखे गये अधिकांश रचनाओं को इतिहास लेखन की जगह सन्तचरित्र लेखन की कोटि में रखना उचित होगा। क्योंकि इनमें सउद्देश्य उन नकारात्मक पक्षों को चित्रित नहीं किया गया है जिनसे आंदोलन के आरंभिक सूत्रधारों की सक्रियता संदेहास्पद हो जाती। इस ऐतिहासिक सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि विश्व की अन्य सामंतवादी व्यवस्था की भाँति चम्पारण के नीलवर भी अपने आर्थिक हितों को सुदीर्घ तथा सुरक्षित बनाये रखने के लिए शोषण का सहारा ले रहे थे। किन्तु इस शोषण के शिकार क्या वे किसान थे, जिन्हें परम्परावादी इतिहासकारों ने रैयत कहा है और जिन्होंने नीलवरों के खिलाफ आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम-द्वितीय दशक तक चम्पारण के सामान्य किसानों के पास औसतन 5.19 एकड़ अथवा साढ़े तीन बीघा कृषि योग्य जोत-भूमि थी।¹ पंडित राजकुमार शुक्ल के पास सामान्य किसानों की तुलना में सात गुना अधिक जोत भूमि थी।² निलहों के खिलाफ संघर्ष करने वाले एक अन्य कृषक नेता सन्त राउत के पास तो सत्रह गुना अधिक कृषि योग्य भूमि थी।³ निःसन्देह ये सामान्य किसान या रैयत नहीं थे।

भू-सम्पत्ति की दृष्टि से सम्पन्न इन धनी किसानों की आर्थिक स्थिति भी काफी सुदृढ़ थी। स्वयं पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुसार उनकी महाजनी का धंधा लगभग चार हजार रुपये (वर्तमान अनुमानित मूल्य लगभग साढ़े चार लाख रूपया) का था।⁴ खेनधर राय और गोपाल साह की महाजनी एक-एक लाख रुपये से अधिक की थी।⁵ चम्पारण के उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मे पंडित राजकुमार शुक्ल को समाज में पूजनीय सम्मान के साथ-साथ दो गाँवों में मकान, पशुधन के रूप में तीन सौ गायें और साठ भैंसें तथा बीस बीघा उपजाऊ जमीन थी।⁶ पंडित राजकुमार शुक्ल ने पहले बेतिया राज्य में नौकरी की और बाद में इलाहाबाद में बसे एक ब्राह्मण जमींदार के जमींदारी की मैनेजरी की।⁷ चम्पारण आन्दोलन के क्रम में जिन अन्य लोगों के नाम प्रमुखता से गिने जाते हैं, कमोबेश सबकी सामाजिक आर्थिक दशा समान ही थी। गौरीशंकर साह, हीरालाल साह, देवीलाल साह, रामदयाल प्रसाद साह, ललिता प्रसाद साह, पूज्यदेव प्रसाद साह, सूरजमल मारवाड़ी, राजाराम मारवाड़ी, भगतमल राम मारवाड़ी आदि मूलतः चम्पारण के धनाढ्य महाजन थे।⁸

अब प्रश्न यह उठता है कि आर्थिक, सामाजिक तथा बौद्धिक रूप से सम्पन्न पंडित राजकुमार शुक्ल तथा उनके सहयोगियों ने नीलहे कोठी वालों के खिलाफ आन्दोलन करने की भूमिका तैयार क्यों की? परम्परागत शैली में इसका जवाब दिया जाता है कि अंग्रेजों के शोषण तथा दोहन से चम्पारण के गरीब किसानों को त्राण दिलाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजनैतिक संघर्ष की शुरुआत की।⁹ किन्तु महात्मा गाँधी के चम्पारण आगमन के तुरन्त बाद आन्दोलन के सूत्रधारों ने जिस प्रकार गाँधी की प्रथम यात्रा आयोजित की, उससे इतना स्पष्ट है कि सीमान्त जमींदार तथा बड़े किसान उनकी प्राथमिकता सूची में अव्वल स्थान पर थे और शोषित रैयत एवं छोटे किसान दोयम

दर्जे पर। “नील दर्पण” की लेखनी और कई अवसरों पर बिहारी प्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत की गयी छवि के अनुरूप गाँधी जी इन व्यथित आत्माओं तथा पीड़ित मानवता का दर्शन करने आये थे, जिनसे जीने का मौलिक हक छीना जा रहा था। दुर्भाग्यवश चम्पारण आन्दोलन के स्थानीय सूत्रधारों ने किसी गरीब के बेहाल जिन्दगी, उसकी भूख अथवा अमानुषिक स्थिति का दिग्दर्शन करवाने की जगह गाँधी की प्रथम यात्रा ऐसे स्वनाम्यधन्य बड़े जमींदारों के घर के लिए आयोजित कर दी जिसने लम्बे समय तक किसी यूरोपियनों की एक नीलकोठी को अपनी निष्ठावान सेवा दी थी। “नायक पूजा-भाव” को छोड़कर निष्पक्ष विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गरीब रैयतों की दुर्दशा का प्रक्षेपण कर स्थानीय नेताओं ने बड़े किसानों तथा महाजनों को पूर्ववत् पुनर्स्थापित करने की योजना बनायी थी। वस्तुतः यूरोपीय बागान मालिकों के आने के पूर्व चम्पारण में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मात्र दो ध्रुव थे—एक ओर बड़े किसान, सीमान्त जमींदार तथा सूदखोर महाजन थे और दूसरी ओर छोटे गरीब किसान रैयत तथा खेतिहर मजदूर। हेमिल्टन के अनुसार चम्पारण की आधी ग्रामीण आबादी भुखमरी की सीमा रेखा के नीचे थी।¹⁰ स्थायी बंदोबस्त ने जमींदारों को निर्धन ग्रामीण आबादी से पैसा वसूलने का व्यापक अधिकार तो दे दिया था, किन्तु प्राकृतिक विपदा तथा कष्ट के क्षणों में इन छोटे किसानों की मदद संबंधी कोई जिम्मेदारी उन्हें नहीं सौंपी थी। परिणामतः बिहार के कई हिस्सों में ग्रामीण निम्न तबका अपने वार्षिक घाटे को पूरा करने के लिए अनाज और जमीन न्यूनतम मूल्य पर बेचने को बाध्य था। जिनके पास अनाज नहीं था, वे महाजन से ऊँची ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर थे।¹¹ काश्तकारों को कई बार कर्ज के बदले महाजन को अपनी खड़ी फसल सौंप देनी पड़ती थी। सामान्यतः ये महाजन गाँव के बड़े भूमिधारी होते थे, जो काश्तकारों का भरपूर भौतिक एवं दैहिक शोषण करते थे।¹² बिना उचित पारिश्रमिक का भुगतान किये बेगारी करवाना, आम रिवाज था।¹³ बड़े भूमिधारी-सह-महाजन अपने परिवार में होने वाले जन्म, विवाह, मृत्यु, धार्मिक अनुष्ठान तथा अन्य अवसरों पर स्थानीय काश्तकारों से जबरन नजराना वसूला करते थे।¹⁴

यूरोपीय बागान मालिकों के बाद स्थिति अचानक बदल गयी। बिना दायित्व उठाये, नियमित आर्थिक लाभ के लिए इन बड़े किसानों तथा सीमान्त जमींदारों ने अपनी जमीन और खेतिहर मजदूर ठेके पर नीलवरों को सौंप दिया। लाल सरैया कारखाने को नील की खेती के लिए खुशकी पर तीन सौ बीघा जमीन की मांग के बदले छः सौ बीघा जमीन मिली थी।¹⁵ यूरोपीय बागान मालिकों ने भी इस स्थिति का भरपूर लाभ उठाया और उन्होंने अपने व्यापारिक संगठन की मदद से चम्पारण में विपुल धनराशि खर्च कर शीघ्र ही विशाल भू-क्षेत्र के स्वामी बन गये। इस प्रकार ग्रामीण भूमि व्यवस्था और आर्थिक क्षेत्र में जो नया त्रिकोण उभरा उसमें नीलहे कोठीवाले यूरोपियनों की स्थिति सर्वाधिक सशक्त रही। चूँकि यूरोपियनों का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना था। अतः इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि तीन-कठिया व्यवस्था के अन्तर्गत उन्होंने सिर्फ अपने हितों को ही प्राथमिकता दी।

आम तौर पर नील के उत्पादन में होने वाले मानवीय शोषण के कारण नील की खेती के विरुद्ध हंगामा करने वाले रचनाकार इस महत्वपूर्ण तथ्य को भूल जाते हैं कि उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम तथा बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में नील की खेती आम किसानों के लिए सर्वोत्तम नगदी फसल थी और इसने छोटे-बड़े किसानों की किस्मत बदल दी थी।¹⁶ अब हर किसान के पास नील की खेती से अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन था। पूर्व की भाँति अब

अपने सामाजिक दायित्वों के निर्वहन हेतु उन्हें अपनी भूमि और फसल मिट्टी के मोल बेचने की आवश्यकता नहीं थी। इतना ही नहीं, नील की खेती करने वाले चम्पारण के किसानों को आवश्यकता पड़ने पर नीलवरों की ओर से ब्याजमुक्त कृषि कर्ज तथा फसल के विरुद्ध अत्यधिक निम्न दर पर सामान्य कर्ज मिल जाता था।¹⁷ इन किसानों के भूमि-लगान में वृद्धि नहीं होती थी तथा वार्षिक लगान फसल के साथ वसूला जाता था।¹⁸ छोटे किसानों के आर्थिक ढाँचे में आया यह बदलाव बड़े किसानों तथा महाजनों के लिए निश्चित रूपेण चिन्ता का विषय था।

महात्मा गाँधी को चम्पारण बुलाने तथा मुहिम की सफलता के लिए राजकुमार शुक्ल को आर्थिक एवं भौतिक संसाधनों से मजबूत बनाने में मोतिहारी तथा बेतिया के साहूकारों तथा बड़े-बड़े मारवाड़ियों की भूमिका काफी उल्लेखनीय है।¹⁹ गौरक्षा के धार्मिक महत्व के प्रति अति-संवेदनशील मारवाड़ियों को न तो नीलवरों के द्वारा इस शोषित ग्रामीण जनता से कोई विशेष सारोकार था, न इनमें समाज-कल्याण की भावना थी और न ही राजनीतिक दृष्टि से यह कोई प्रबुद्ध समुदाय था।²⁰ जरूरतमन्द छोटे किसानों को ऊँची दर पर कर्ज देना इनका मुख्य लाभकारी व्यापार था।²¹ यह समुदाय नीलहे बगान-मालिकों का प्रखर विरोधी था, क्योंकि इनके कारण न सिर्फ इनके लाभकारी कर्ज-व्यापार पर बल्कि कौड़ी के मोल पर कृषि-उत्पादनों की खरीद पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। बंगाल काश्तकारी नियमान्तर्गत भूमि के निबंधन तथा हस्तान्तरण संबंधी वैधानिक बदलाव के कारण कर्ज-व्यापार में लिप्त उपर्युक्त वर्ग के लिए कर्ज देना असुरक्षित हो गया था, क्योंकि अब बेतिया राज की पूर्वानुमति के बिना किसी भी काश्तकार की जमीन ये नहीं ले सकते थे। बड़े भू-स्वामियों का भू-विस्तार अभियान भी अतिशय प्रभावित था। परिणामस्वरूप, नई व्यवस्था लागू हो जाने के बाद खेनधर राय की भूमि का रकबा 125 बीघा से आगे नहीं बढ़ सका। अन्य महाजनों की स्थिति भी लगभग समान ही रही। खेनधर राय का गुस्सा इसलिए भी अधिक उग्र था कि बैरिया कोठीवालों ने उनसे एक बड़ी राशि कर्ज के रूप में ली थी और बाद में उसे रकम देने से इंकार कर दिया था।²²

'चम्पारण एग्रेसिव इन्क्वायरी कमिटी' के समक्ष 'बिहार प्लान्टर्स एसोसिएशन' की ओर से जहाँ नील फैक्ट्री के मैनेजर जे.पी. जैक्सन का प्रस्तुत लिखित बयान, उपर्युक्त संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया था कि आंदोलन को चलाने में जैसे बड़े स्थानीय भूमिपतियों तथा महाजनों ने अधिक से अधिक सक्रियता दिखायी थी और सक्रिय भूमिका निभायी थी, जो गरीब रैयतों की बकाया कर्ज-राशि की जमा उनकी परिसम्पत्तियों पर कब्जा जमाना चाहते थे।²³ बगान मालिकों ने उक्त प्रयास को अपने हित के प्रतिकूल पाकर कार्यरूप देने में आनाकानी की और यह दोनों के आपसी विवाद का एक मुख्य कारण था।²⁴

दरअसल में पंडित राजकुमार शुक्ल और उनके प्रमुख सहयोगी जहाँ एक ओर पुरातन व्यवस्था और सामन्ती ढाँचे का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वहीं नीलवर कोठी वाले यूरोपीय पूँजीवाद का। दोनों के बीच टकराव का मुख्य कारण अपने-अपने निहित स्वार्थों को अक्षुण्ण बनाये रखने का प्रयास था। इस टकराव में कतिपय ऐसे लोगों ने प्रेरक तत्व की भूमिका निभायी जो पूर्व में किसी कोठी की सेवा कर चुके थे अथवा निलहे कोठी वालों द्वारा दण्डित किये जा चुके थे। सन्त राऊत और लोमराज सिंह ने क्रमशः बेलवा तथा पीपरा कोठी में बारह-बारह वर्षों तक सेवादान दिया था और बाद में अपनी बेईमानी के कारण निष्कासित किये गये थे।²⁵ स्वयं पंडित राजकुमार शुक्ल को पालकधारी

लोहार की शिकायत पर दर्ज पुलिस आरोप-पत्र के आलोक में बेलवा फैक्ट्री के मिस्टर एमन ने तीन सप्ताह की सजा दी थी।²⁶

चम्पारण आन्दोलन को श्रमिक-समस्या की पृष्ठभूमि में भी देखने की आवश्यकता है। वस्तुतः बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक तक कृषि तकनीकी एवं पद्धति में आये परिवर्तन तथा त्रिवेणी, तिरहुत एवं ढाका नहरों के निर्माण का प्रत्यक्ष प्रभाव मजदूरों की मांग पर पड़ा था। बेतिया के एस. डी.ओ. मिस्टर डब्ल्यू.एच. लेविस द्वारा जिलाधिकारी को लिखे गये पत्र से प्रतीत होता है कि नीलवरों तथा स्थानीय बड़े किसानों के बीच तनाव का एक मुख्य कारण मजदूरों की समस्या भी थी। पत्र में लेविस ने कहा था- “मैं समझता हूँ कि चम्पारण की मूल समस्या मजदूरों की बढ़ती मांग के कारण उत्पन्न हुई है।”²⁷ खेती के मौसम में यूरोपीय बागान मालिकों तथा जमींदारों के लिए बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता, उपलब्ध मानव-बल की कमी, मजदूरों द्वारा अपनी निजी भूमि पर कृषि कार्यों को पूरा करने की प्राथमिकता तथा मजदूरों पर विशेष हक आदि स्थितियों ने बागान मालिकों एवं बड़े किसानों के बीच शीत-युद्ध की स्थिति पैदा कर दी। मजदूरों की समस्या गाँव के ब्राह्मण, भूमिहार तथा राजपूत भू-स्वामियों के लिए उनके परंपरागत विशेषाधिकार पर उठने वाले प्रश्नचिन्ह की तरह था, क्योंकि बीते दिनों तक वे स्थानीय मजदूरों के स्वामी ही नहीं, भाग्यनियंता थे। नीलहे कोठीवालों के लिए मजदूरों की समस्या विशेष महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि उनके क्षेत्र में ‘बनिहारा’ (मजदूर) के कई ऐसे टोले थे जो उनके स्थायी श्रमिक स्रोत थे। बेलवा (जहाँ पर पंडित राजकुमार शुक्ल का घर था) के रैयत स्थानीय बड़े किसानों की अपेक्षा कोठीवालों के प्रति अति-विनीत एवं आज्ञाकारी थे और उनके यहाँ नौकरी करते थे। इससे बड़े स्थानीय किसानों को गंभीर श्रम-समस्या का सामना करना पड़ रहा था।²⁸

स्थानीय बड़े किसानों के लिए समाधान मात्र इतना था कि किसी प्रकार यूरोपीय बागान मालिकों को चम्पारण से खदेड़कर भगाया गया। गाँधी जी के चम्पारण प्रवास तथा जाँच के दौरान कोठी में स्वेच्छापूर्वक काम करने वाले मजदूरों को काम से रोकना तथा उन्हें बिरादरी से बाहर निकलवाने की धमकी देना तथा अमोलवा स्टेशन पर गाँधी जी की उपस्थिति में पंडित राजकुमार शुक्ल का यह उद्घोष कि - “शीघ्र ही बेलवा कोठी हमारे नियंत्रण में होगा” आन्दोलन के वास्तविक चरित्र तथा सूत्रधारों के नियत को स्पष्ट करता है। चम्पारण आन्दोलन के संबंध में यह भी गौरतलब है कि यह लड़ाई चम्पारण के शोषक वर्ग के मात्र एक छोटे समुदाय-यूरोपीय नीलवरों के खिलाफ लड़ी गयी थी। अखिल भारतीय कांग्रेस के लाहौर तथा लखनऊ अधिवेशन के दौरान बिहार में गये प्रतिभागी सदस्यों ने यूरोपीय बागान-मालिकों के शोषण तथा दोहन की चर्चा तो अवश्यक की²⁹ किन्तु देशी जमींदारों के अमानुषिक व्यवहार तथा आर्थिक दोहन से संबंधित तथ्यों को वे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिये। वे यह बताना भूल गये कि किस प्रकार बेतिया राज और नीलवरों की मिलीभगत से चम्पारण के गरीब काश्तकारों का खून चूसा जा रहा है।³⁰

बड़े भूमिपतियों तथा सूदखोर महाजनों के अथक प्रयास से प्रारंभ हुए चम्पारण भ्रमण तथा जाँच समिति के सर्वेक्षण के दौरान, सुनियोजित ढंग से बड़े किसानों तथा सीमान्त जमींदारों को बचाते हुए, मात्र नील फैक्ट्री वालों के विरुद्ध ही साक्ष्य जुटवाने का प्रयास किया गया। प्रकारान्तर में जब उन्हें लगा कि गाज उन पर भी गिर सकती है तो बड़े किसानों ने बागान मालिकों का पक्ष लेना प्रारंभ कर दिया। पहले भी दरभंगा तथा बनैली स्टेट के जमींदारों ने ब्रजकिशोर प्रसाद के जाँच संबंधी प्रस्ताव

का मुखर विरोध किया था। बिहारी समाचार पत्र के मालिक जमींदार राय बहादुर शिवशंकर प्रसाद ने अपने पत्र में बागान मालिकों के खिलाफ रिपोर्ट छापने के दण्डस्वरूप संपादक महेश्वर प्रसाद को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया था।

अन्त में मैं यही कहना चाहूँगा कि चम्पारण आन्दोलन के बहाने भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने पहली बार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की राजनीति को देखा-समझा। गाँधी जी ने सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र में तनाव तथा टकराव के मूल कारणों को खोजने की चेष्टा की किन्तु नग्न सत्य का साक्षात्कार होते ही यह कहते हुए कि यदि अंग्रेज निलहे और भारतीय जमींदार प्रजातांत्रिक गुणों एवं भावनाओं के आधार पर रैयतों के प्रति न्यायप्रियता एवं मानवता का व्यवहार करें तो रैयतों के सामाजिक एवं आर्थिक शोषण तथा उत्पीड़न को दूर किया जा सकता है, सम्पूर्ण प्रकरण को आध्यात्मिक स्वरूप दे डाला।

इस प्रकार यदि हम कहें कि मिथिला की भूमि पर हुए चम्पारण सत्याग्रह से राष्ट्रीय आंदोलन में जो 1920 के दशक में बदलाव हुआ, उसका प्रारम्भिक सफल प्रयोग कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। चम्पारण सत्याग्रह में गाँधी जी को जो अनुभव हुआ, उन्हें जो सच्चा सहयोगी मिला, निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए एक शुभ संकेत साबित हुआ। असहयोग आन्दोलन के दौरान मिथिला और बिहार के अन्य क्षेत्रों में जो अनुशासित एवं सक्रियता के साथ सरकार विरोधी आंदोलन हुए, उसमें चम्पारण सत्याग्रह के अनुभवों का खास महत्त्व था। गाँधी जी ने भी यह स्वीकार किया कि चम्पारण ने उन्हें हिन्दुस्तान से परिचित करवाया। चम्पारण सत्याग्रह ने निलहे साहबों के अत्याचार से दबे खुद को असहाय मानने वाले किसानों के अंदर आत्मविश्वास ही पैदा नहीं किया, बल्कि अत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़ा होने की हिम्मत भी उनके अंदर पैदा कर दी, जो पूरे हिन्दुस्तान के शोषितों के लिए प्रेरणाप्रद सिद्ध हुए। इसके साथ ही गाँधी जी को अपने सत्य आधारित अहिंसक हथियार के प्रयोगों के लिए कर्मभूमि भी चम्पारण से प्राप्त हुई और यहाँ की उपलब्धियों ने भारत के राजनैतिक क्षितिज पर उभरने में बड़ा योगदान दिया। चम्पारण सत्याग्रह का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि गाँधी जी को अनेक निष्ठावान सहयोगियों की प्राप्ति। चम्पारण में बिहार या बिहार के बाहर जिन व्यक्तियों ने सक्रियता से गाँधी जी का सहयोग दिया, वही आगे चलकर भारत के बड़े नेता सिद्ध हुए।

संदर्भ सूची

1. निर्मल सेन गुप्त, एग्रेरियन मूवमेंट इन ट्वेन्टीन्थ सेन्चुरी इन बिहार, अरविन्द एण्ड दास (सम्पादित), पीजेन्ट एण्ड पीजेन्ट ऑर्गेनाइजेशन, पृ.सं.-46—
2. निर्मल सेन गुप्त, पूर्वोल्लिखित.
3. पूर्वोल्लिखित.
4. गिरिश मिश्रा, एग्रेरियन प्रॉब्लम्स ऑफ परमानेन्ट सेटलमेंट : ए केस हिस्ट्री ऑफ चम्पारण, नई दिल्ली, 1978.
5. स्टीफेन कनिंघम, दि सोशल सेटिंग ऑफ द चम्पारण सत्याग्रह : ए चैलेंज टू एन एलियन एलिट, इंडियन इकोनॉमी एण्ड सोशल हिस्ट्री रिव्यू, जिल्द-13.
6. रिपोर्ट, कमिटी ऑन दि एग्रेरियन कंडीशन ऑफ चम्पारण, पटना, 1917.
7. बी.बी. मिश्रा, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट ऑन महात्मा गाँधीज मूवमेंट इन चम्पारण (1917-1918), पटना, 1963.
8. गिरीश मिश्रा, पूर्वोल्लिखित.

9. कृष्ण दत्त, राजकुमार शुक्ल एण्ड दि पीजेन्ट अपसर्ज इन चम्पारण, सोशल साइंटिस्ट, अंक-4, सं.-9, अप्रैल, 1976, पृ.सं.-28.
10. हैमिल्टन, चम्पारण डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, 1907, पृ.सं.-124.
11. कैलेन्डर ऑफ पर्सियन कोरेस्पोन्डेन्स, अंक-10, पृ.सं.-312.
12. पूर्वोल्लिखित.
13. ए.एफ. तथा उ. अन्य ईसाई मिशनरियों का प्रतिवेदन, अप्रैल, 1975, बंगाली जमींदार सेटलमेंट, अंक-1, पृ.सं.-77.
14. पूर्वोल्लिखित.
15. राजेन्द्र प्रसाद, चम्पारण में सत्याग्रह, 1965.
16. बी.बी. मिश्रा, पूर्वोल्लिखित.
17. हेनिंघम, पूर्वोल्लिखित.
18. बी.बी. मिश्रा, पूर्वोल्लिखित.
19. हेनिंघम, पूर्वोल्लिखित.
20. गाँधी, आत्मकथा, सत्य के प्रयोग, अहमदाबाद, 1929, पृ.सं.-
21. हेनिंघम, पूर्वोल्लिखित.
22. गिरीश मिश्रा, पूर्वोल्लिखित.
23. एम्पट्रैक्ट ऑफ दि चम्पारण एग्रेरियन एन्क्वायरी कमिटी, दिनांक 25 जुलाई, 1917.
24. पूर्वोल्लिखित.
25. बी.बी. मिश्रा, पूर्वोल्लिखित.
26. पूर्वोल्लिखित.
27. पूर्वोल्लिखित.
28. के.के. दत्ता, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, अंक-1, पटना, 1957, पृ.सं. 185-186.
29. के.के. दत्त, पूर्वोल्लिखित, पृ.सं. 185-186.
30. पूर्वोल्लिखित.

1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन: सामाजिक एवं आर्थिक पक्ष

बासुदेव साह

शोध छात्र, इतिहास विभाग, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

सार

क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता और क्रिप्स का एकाएक भारत छोड़ जाना बड़े नाटकीय ढंग से हुआ। इससे भारतीयों में निराशा और हतोत्साह की लहर फैल गई। देश में निष्क्रियता आ गई। अतः महात्मा गाँधी ने जनता की निष्क्रियता की भावना को विद्रोह की भावना में बदल देना उचित समझा अन्यथा जनता में दासत्व की भावना फैल जाती और भारतीयों का अद्यःपतन होने लगता। इसलिए उन्होंने 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नारा दिया। गाँधी जी ब्रिटिश साम्राज्य का रक्तहीन अन्त कर नये युग की आकांक्षा करते थे। 9 जून 1942 को लुई फिशर से महात्मा गाँधी ने कहा था, भारत छोड़ने और नहीं छोड़ने के बीच दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार गाँधी जी ने 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का शंखनाद किया।

प्रस्तुत शोध-पत्रों के माध्यम से इस आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जायेगा। दूसरी ओर यह भी जानने का प्रयास किया जायेगा कि इस आन्दोलन के प्रमुख कारण क्या थे? एवं इस आन्दोलन के सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों पर क्या प्रभाव पड़े।

परिचय

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में 1942 ई. की अगस्त क्रांति एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस क्रांति ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव हिला दी और यह सिद्ध कर दिया कि स्वाधीनता के चमकीले प्रकाश के लिए भारतवासी मर-मिटने को तैयार हैं। संघर्ष अपरिहार्य इसलिए भी होता जा रहा था कि युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और जरूरी वस्तुओं के अभाव से जन-साधारण बेहद असंतोष की स्थिति से गुजर रही थी। सिंचाई की नहरों का कहीं जापानी जल-परिवहन के लिए इस्तेमाल न कर ले, यह सोच कर नहरों का पानी बहा दिया गया। जिससे खेती सूखने लगी। मकानों और मोटर-गाड़ियों पर भी सेना ने कब्जा कर लिया था। नतीजतन जनता को संघर्ष के लिए मजबूर होना पड़ा।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-पत्र का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित इस प्रकार है—

1. शोध-पत्र द्वारा यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि इस आन्दोलन हेतु सामाजिक-आर्थिक कारक किस प्रकार जिम्मेवार थे।
2. इस शोध-पत्र के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न किया गया है कि किस प्रकार नेतृत्वविहीन जनता ने आन्दोलन को सफल बनाया।
3. इस आन्दोलन के पीछे विदेशों के पड़ने वाले प्रभावों की भी समीक्षा की गयी है।

4. द्वितीय विश्वयुद्ध के नाम पर सरकार देश में साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाह रही थी। देश में भ्रष्टाचार एवं कालाबाजारी का बाजार गर्म था। इन सभी बिन्दुओं पर भी प्रकाश डाला गया है।
5. इस शोध-पत्र में यह खोजने का प्रयत्न किया गया है कि 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े आदि।

विश्लेषण

क्रिप्स मिशन की असफलता एवं द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न गंभीर संकट को देखते हुए कांग्रेस ने अब फैसला किया कि अंग्रेजों से भारतीय स्वाधीनता की माँग मनवाने के लिए सक्रिय उपाय किए जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी द्वारा 8 अगस्त 1942 को 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित किए जाने के साथ ही इसकी तैयारी पूरी हो गई। 8 अगस्त की रात में कांग्रेसी प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए गाँधी जी ने कहा "अगर हो सके तो तत्काल, इसी रात प्रभात से पहले स्वाधीनता चाहता हूँ मैं पूर्ण स्वाधीनता से कम किसी चीज से सन्तुष्ट होने वाला नहीं हूँ। हम या तो भारत को स्वतंत्र करायेंगे या इस प्रयास में मारे जायेंगे, मगर हम अपनी पराधीनता को जारी रहते देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे।"

लेकिन 9 अगस्त को सुबह ही गाँधी जी और कार्यसमिति के अन्य सदस्यों को डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बंदी बना लिया गया और कांग्रेस को फिर एक बार गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। अपने गिरफ्तारी के समय गाँधी जी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित कर लोगों से अपील की थी कि "लोग अपने को आजाद समझे, पूर्ण हड़ताल तथा अन्य अहिंसात्मक तरीकों से सरकारी प्रशासन को ठप कर दे तथा मर कर भी राष्ट्र को जिंदा रखें।" 1942 की इस अनूठी जनक्रांति के लिए उत्तरदायी शक्तियाँ 1934 के बाद के घटना क्रम में देखी जा सकती हैं। 1935 में ब्रिटिश सांसद ने संघवाद एवं स्वायत्तता के सिद्धान्त पर आधारित कानून पारित किया। वायसराय लिनलिथगो के अनुसार इसके तीन मुख्य उद्देश्य थे।

1. भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व को बनाये रखना।
2. उदारपंथियों को संतुष्ट करना।
3. कांग्रेस के अन्दर मतभेद एवं कलह पैदा करना।

इसका प्रभाव 1937 के चुनाव में दिखायी दिया। जब चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने एवं न बनाने के प्रश्न पर कांग्रेस के वामपंथ एवं दक्षिण पंथ आमने-सामने आ गये। प्रान्तीय गवर्नरों को अत्यधिक शक्तियों से सुशोभित करना, केन्द्र में द्वैध शासन लागू करना, साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को कायम रखना, दोषपूर्ण संघ व्यवस्था एवं मूल अधिकारों का अभाव आदि इस अधिनियम के प्रमुख दोष थे। जिन्होंने भारतीय जन-मानस को उद्वेलित कर दिया।

1940 के मध्य युद्ध में इंग्लैंड की स्थिति संकटपन्न हो गयी। परन्तु गाँधी जी व कांग्रेस हाईकमान ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष परेशानियाँ पैदा न करके कोई समझौता करने का प्रयास किया, जिसकी न्यूनतम दो शर्तें थी।

1. युद्ध के पश्चात् भारत को स्वतंत्र करने का वचन।
2. तात्कालिक तौर पर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

कांग्रेस के इतना झुक जाने के बावजूद चर्चिल की सरकार टस से मस नहीं हुई। सरकार छोटी-मोटी रियायतें देने के लिए तैयार थी, परन्तु शासन की स्वाधीन सत्ता भारतीयों को सौंपने के

लिए तैयार नहीं थी। भारतीय जनमानस में असंतोष की लहर फैल गयी। इसके बावजूद गाँधी जी सरकार से समझौता के पक्षधर थे, क्योंकि गाँधी जी कहना था कि “मैं ब्रिटेन की बर्बादी पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहता हूँ।” परन्तु सरकार अपनी शर्तों पर समझौता चाहती थी जो लिनलिथगो के अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 के रूप में सामने आयी। अगस्त प्रस्ताव स्वीकार करने योग्य नहीं था, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज का वचन नहीं था, तथा बहुसंख्यकों के हितों को अल्पसंख्यकों के इच्छा पर छोड़ दिया गया था। फलतः इसे अस्वीकार कर दिया गया एवं सरकार पर दबाव बनाने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह का मार्ग अपनाया गया जिसके दो मुख्य उद्देश्य थे।

1. भारतीय जनता की उग्र राजनीतिक चेतना को व्यक्त करना।
2. भारतीयों की मांग मानने के लिए सरकार को एक और अवसर देना।

मार्च 1942 में सवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया जो 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुँचा। मिशन योजना एक मजबूरी थी, जबकि प्रधानमंत्री चर्चिल, विदेश मंत्री एमरी, वायसराय लिनलिथगो, कमांडर-इन-चीफ वेबेल आदि भारतीयों से किसी समझौते के पक्ष में नहीं थे। इसलिए मिशन के माध्यम से ऐसे प्रस्ताव रखे गए। जो भारतीय नेतृत्व को स्वीकार नहीं थे।

कांग्रेस अंग्रेजों से देश की समस्या का हल चाहती थी और हल था देश की आजादी, परन्तु ब्रिटिश सरकार भारत को तत्काल स्वतंत्र करने के पक्ष में नहीं थी। दूसरी ओर भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान को आक्रमण के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। इसीलिए गाँधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि “भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, वरन् उसे भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ।”

उपर्युक्त कारणों से अतिरिक्त 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कुछ अन्य कारण भी उत्तरदायी थे जैसे—

1. पूर्वी बंगाल के बिना मुआवजा दिए लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल करना।
2. बर्मा पर जापानी अधिकार के बाद वहाँ से भारत आने के लिए अंग्रेजों एवं भारतीयों के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित करना।
3. देश में आर्थिक असंतोष तथा कीमतों में बेतहाशा वृद्धि।
4. विश्वयुद्ध में ब्रिटेन की लगातार हार एवं
5. भारत की स्वतंत्रता के प्रति रूजवेल्ट, च्यांगकाई शेक एवं लेबर पार्टी की सहानुभूति।

इन्हीं सब कारणों से 05 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई और कांग्रेस कार्यसमिति ने 14 जुलाई 1942 गाँधी जी के “भारत छोड़ो” प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। आंदोलन की सार्वजनिक घोषणा के पूर्व 01 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस के अवसर पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा “हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है।” सरदार पटेल ने बम्बई से वक्तव्य दिया कि “इस बार का आन्दोलन थोड़े दिनों का किन्तु भयानक होगा।” इस प्रकार कांग्रेस ने जनता को एक भीषण आन्दोलन के लिए तैयार रहने का संकेत दिया।

7 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता के कांग्रेस महासमिति का बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में अधिवेशन हुआ, जिस पर समस्त विश्व की आँखें लगी हुई थी। 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित होते हुए ही 9 अगस्त को तड़के गाँधी जी एवं कांग्रेस के कार्यसमिति

के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। गाँधी जी एवं सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खाँ पैलेश में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पटना के बाँकीपुर तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। शेष नेता अहमदनगर जेल में रखे गये। जयप्रकाश नारायण 9 नवम्बर 1942 को जेल से भाग कर केन्द्रीय एक्शन कमिटी का गठन कर नेपाल को अपना अड्डा बनाया एवं आजाद दस्तों का गठन किया।

नेताओं की गिरफ्तारी के औचित्य को सिद्ध करने के लिए सरकार ने कांग्रेस के तथाकथित कार्यों को समाचार पत्रों में छपवाया जिसमें संचार माध्यमों को ध्वस्त करना, ब्रिटिश संस्थाओं पर हमला एवं हिंसक गतिविधियों को कांग्रेस के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' का अंग बताया गया था। नेतृत्व विहीन जनता ने इसे ही कांग्रेस का कार्यक्रम समझा एवं स्वतःस्फूर्त आन्दोलन प्रारंभ कर दिया, कुछ स्थानों पर इसका नेतृत्व समाजवादियों द्वारा किया गया। जिसमें – जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली एवं राम मनोहर लोहिया आदि प्रमुख थे।

प्रारंभ में यह आन्दोलन शहरों तक ही सीमित रहा परन्तु जैसे ही यह ग्रामीण क्षेत्रों में फैला तो ऐसा जन-विस्फोट हुआ कि उसे देखकर ब्रिटिश सरकार चकित रह गयी एवं यह नहीं समझ सकी कि किसानों ने क्यों विद्रोह कर दिया। आन्दोलन के दौरान ही तमलुक (मिदनापुर, बिहार), तलचर (उड़ीसा), सतारा (महाराष्ट्र) एवं बलिया (संयुक्त प्रांत) में समानता सरकार का गठन किया गया। जिनमें तमलुक की सरकार सतीस सावंत के नेतृत्व में सर्वाधिक समय तक कार्य करती रही। यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, मध्य प्रांत एवं महाराष्ट्र में चरम सीमा पर रहा। यह आन्दोलन इतना विकराल था कि इसे दबाने के लिए पहली बार सेना का प्रयोग किया गया।

जिस अहिंसा के पुजारी ने 1922 में चौरी-चौरा कांड की थोड़ी सी हिंसा के कारण अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँचे असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया था, उसी अहिंसा के पुजारी ने 1942 के आन्दोलन में हुई व्यापक हिंसा को नजरअंदाज कर दिया। एक अहिंसक विचारधारा द्वारा हिंसक विचारधारा को दिए गए इस मूक समर्थन से इस बात का सहज अंदाज लगाया जा सकता था कि भारतीयों का धैर्य एवं असंतोष किस सीमा तक पहुँच गया था।

परिणाम

1. 1857 के बाद यह सबसे बड़ी बगावत थी, जिसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जन असंतोष की व्यापकता को स्पष्ट कर दिया।
2. इस आन्दोलन के बाद पूर्ण स्वतंत्रता पहली मांग बन गयी अब इसके पीछे नहीं लौटा जा सकता था।
3. भारतीय स्वतंत्रता के मुद्दे के अन्तर्राष्ट्रीयकरण एवं मित्र राष्ट्रों के नैतिक समर्थन ने स्वतंत्रता के लिए पृष्ठभूमि तैयार कर दी।
4. इस आन्दोलन के बाद सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि भारत को अब अधिक दिनों तक गुलाम नहीं रखा जा सकता है।
5. 1942 के बाद अंग्रेजी साम्राज्य का दुर्भेध किला टूटता दिखायी देने लगा।
6. जनता को अपनी शक्ति का अहसास हो गया और वे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग अंत तक मांगते रहे आदि।

निष्कर्ष

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकनोपरांत हम कह सकते हैं कि 1757 में पलासी के युद्ध के साथ ही भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की आधारशिला रखी गई। 100 वर्षों तक अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ भारतीय जनता का असंतोष भी सामानान्तर क्रम में बढ़ता गया जिसकी परिणति 1857 के विद्रोह के रूप में सामने आयी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय आन्दोलन एक दिशा एवं दशा प्राप्त हुई जिसका चरमोत्कर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आन्दोलन' के रूप में दिखायी दिया। इस आन्दोलन के पीछे सामाजिक-आर्थिक तत्व भी मौजूद थे।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारत का स्वतंत्रता संघर्ष – विपिन चन्द्र, नई दिल्ली – 2003, P.N. : 366-370
2. वही – पृष्ठ संख्या – 372 – 376
3. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा राष्ट्रीय आन्दोलन – बी. एल. ग्रोवर, एस. चाँद एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली – 2001
4. आधुनिक भारत (1885-1947) – सुमित सरकार
राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली – 1999, पृष्ठ सं. – 408-414
5. वही – पृष्ठ संख्या-417. 419
6. वही – पृष्ठ संख्या-426. 428
7. काँग्रेस रिवेलियन इन आजमगढ़, इलाहाबाद एच. आर. निबलेट, – 1957 – पृष्ठ संख्या – 29 – 51
8. वही – पृष्ठ संख्या – 24, 26, 40
9. The Quit India Movement, 1942 in A centenary History of India national Congress.
10. Spontaneous Revolution - The Quit India Movement, New Delhi, 1973 - Francis Hutchins.
11. Fight for freedom :Autobiography, Delhi - 1968 - N.G Ranga.
12. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम तथा संवैधानिक विकास – ग्रोवर एवं यशपाल – पृष्ठ संख्या – 283-287
13. वही – पृष्ठ संख्या – 291 – 293।
14. क्विट इंडिया मूवमेंट – दिल्ली, 1979 – वाई. बी. माथुर।
15. क्विट इंडिया मूवमेंट : ब्रिटिश सेक्रेट रिपोर्ट्स (फरीदाबाद – 1976)

भोजपुरी लोक गायक महेन्द्र मिसिर

श्रीधर तिवारी

शोध छात्र, भोजपुरी विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

गांव, कस्बा, खेत, खलिहान, बाजार, हाट या पगडंडी पर जा रहे पथिक के दिल में अकेलेपन का अहसास होता है और वह कारुणिक होने लगता है तो अचानक उसके कंठ से पूरबी के बोल प्रस्फुटित हो उठते हैं। वह गुनगुनाने लगता है। चलते-चलते जब वह सुर-ताल को और बढ़ाता है तो महेन्द्र मिसिर के गीत उसके मुख से आलाप लेने लगते हैं। भोजपुरी अंचल के जनमानस में उनके असंख्य गीत इस तरह घुले-मिले हैं कि वे जीवन का एक हिस्सा बन गए हैं। औरतों का विरह हो, ऋतु-वर्णन हो, अध्यात्म हो या शृंगार हो, सबका अपना महत्वपूर्ण स्थान है। उसके माध्यम से महेन्द्र मिसिर समाज में रचे-बसे हैं। उनका एक चर्चित गीत:-

अंगुरी में डसले बिया नगिनिया रे / ननदी दियरा जरा दे
दियरा जरा दे अपना भइया के जगा दे / पोरे-पोरे उठेला लहरिया रे
ननदी सैया के बोला दे ।

पूरबी-सृजन के माध्यम से जनकंठ में बसने वाले महेन्द्र मिसिर बिहार के छपरा जिले के समीप कांही मिसिरौलिया गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 1886 ई० में हुआ था। पिता शिवशंकर मिश्र बाबू हलिवंत सहाय (जमींदार) के मंदिर में पुजारी थे। उस समय जमींदार साहब के दरबार में रोज गाने-बजाने का आयोजन होता था। बिहार के नामी-गिरामी गायक-गायिका वहां आते रहते थे। पिताजी के साथ हलिवंत सहाय के दरबार में आने-जाने के क्रम में उनके बाल-मन पर गाने-बजाने का प्रभाव इतना पड़ा कि वे ज्यों-ज्यों बड़े होते गए, उनके भीतर की कला समृद्ध होती गई। महेन्द्र मिसिर प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। पढ़ने में उनका मन नहीं लगता था। पहलवानी, घुड़सवारी, गायकी के साथ ही तबला, ढोलक, हारमोनियम आदि बजाने में भी वे काफी कुशल थे।

उनका स्वभाव हंसमुख था। वे लोगों को हंसाते रहते थे। कहते हैं कि एक बार दरबार में गाने-बजाने का आयोजन होना था और तबला बजाने वाला नहीं आया था। तब महेन्द्र मिसिर ने इस कदर तबला बजाया कि उपस्थित सभी संगीत प्रेमी मुग्ध हो गए। उसके बाद हर आयोजन में उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो गई। उसी समय उनके द्वारा रचित पूरबी गीतों का प्रभाव भी बढ़ता गया। उन्हें अच्छी-अच्छी नाच-मंडलियां आमंत्रित करने लगीं। पूरे इलाके में जितने नाचने-गाने वाले नर्तक-नर्तकियां (तवायफ) थीं, सभी की जुबान पर महेन्द्र मिसिर के गीत छा गए। वे सामाजिक बंधनों की अवहेलना करते हुए विभिन्न जगहों पर गाने के लिए जाने लगे।

महेन्द्र मिसिर ने भोजपुरी अंचल में रहते हुए लोकभाषा भोजपुरी में असंख्य कालजयी गीतों का सृजन किया है तो दूसरी तरफ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते थे। वे स्वयं अंग्रेजी शासन के खिलाफ थे। जब एक कलाकार किसी का विरोध करता है तो विरोध करने का उसका ढंग भी अलग होता है। वे गाते हैं-

हमरा नीको ना लागे रामा गोरन के करनी
रुपया ले गइले, पइसा ले गइले / ओकर बदला में दे गइले
ढल्ली के दुअन्नी...! हमरा....

एक बार कलकत्ता में उनकी गायकी का कार्यक्रम चल रहा था। श्रोताओं में एक अंग्रेज अधिकारी भी था। वह गीतों से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मिसिरजी को अपने आवास पर आमंत्रित किया। अगले दिन वे अंग्रेज के घर गए। उसने उन्हें नोट छापने का तरीका भी बताया। वे मशीन लेकर गांव आ गए और नोट छापने लगे। इस रुपये से क्रांतिकारियों को भी आर्थिक सहायता दी जाती थी। इसकी भनक जब सरकार को हुई तो पटना में बैठक हुई और सी. आई. डी. के अधिकारी जटाधारी प्रसाद को जांच कार्य सौंपा गया। वह मिसिरजी के गाँव आया और अपना नाम गोपीचंद बताकर उनके घर नौकरी करने लगा। वह वर्षों तक नौकर बनकर घोड़े की देखभाल करता रहा तथा मिसिरजी के लिए छपरा और बनारस से बनारसी पान लाता रहा। हर सुख-दुःख में उसने इतना साथ दिया कि मिसिरजी का करीबी बन गया। वे उस पर विश्वास करने लगे। अंततः उन्होंने उसे नोट छापने की मशीन तथा जगह के बारे में बता दिया। जब गोपीचंद को इसका पता चला तो उसने तुरंत छपरा के कलेक्टर को सूचित कर दिया। मिसिरजी अपने भाई तथा अन्य नौकरों के साथ पकड़े गए। जेल जाने के क्रम में वे गाते रहे—

*पाकल पाकल पानवाँ खिअवले गोपीचनवाँ
पिरितिया लगाके ते भेजले जेहलखानवाँ।*

महेन्द्र मिसिर की जेल जाने की सूचना जनमानस में तुरंत फैल गई। सभी हैरान हो गए। इसकी जानकारी जब अगल-बगल की तवायफों को हुई तो सभी एकत्रित होकर छपरा अदालत पर पहुंच गई। वे बार-बार कह रही थीं कि 'तराजू पर एक तरफ महेन्द्र मिसिर को बैठा दो और दूसरी तरफ सोने के गहने। जितना वजन उनका है उतना गहना हम लोग दे देंगे...लेकिन उन्हें छोड़ दो।' ऐसा संभव नहीं हो पाया। उनकी तत्कालीन लोकप्रियता से आतंकित होकर अंग्रेजों ने उनकी धवल कीर्ति को दागदार बनाने की भरपूर कोशिश की। उन्हें बक्सर जेल भेज दिया गया। सात वर्षों की सजा हो गई। जेल में रहते हुए उन्होंने आध्यात्मिक गीतों की रचना की। जेल से रिहा होने के बाद वे छपरा में हलिवंत सहाय की कोठी पर रहने लगे। वहां ढेला बाई ने एक मंदिर का निर्माण कराया जिसमें मिसिरजी पूजा-पाठ तथा भजन-कीर्तन करते थे। ढेला बाई एक वेश्या थी जो बाद में हलिवंत सहाय की दूसरी पत्नी बनी थी। कहते हैं कि सहाय की शादी कराने तथा ढेला बाई को लाने में मिसिरजी का योगदान था। उसी मंदिर में भजन-कीर्तन करते हुए सन् 1946 महेन्द्र जी इस दुनिया से चले बसे।

महेन्द्र मिसिर ने अपनी जाति की आशा, निराशा, हास्य, रुदन, इच्छा, आकांक्षा, सुख-दुःख और सपनों को अपनी कलात्मक प्रतिभा का दैवी स्पर्श देकर न सिर्फ भोजपुरी भाषा को अपार लोकप्रियता दिलाई बल्कि उसे अन्य भारतीय भाषाओं के समान समृद्ध करने में अग्रणी भूमिका भी निभाई। सामंत कालीन संगीत को महलों और कोठों से निकालकर गांव की गलियों तक पहुंचाने वाले महेन्द्र मिसिर द्वारा रचित पूरबी-गीत अपनी सौंधी सुगंध फैलाते रहे हैं। उनके गीतों में शृंगार रस का भरपूर आनंद मिलता है। शृंगार रस में दो पक्ष होते हैं—संयोग और वियोग। संयोग शृंगार के अंतर्गत रूप वर्णन तथा उन मनोवृत्तियों का चित्रण होता है जो मिलन हेतु पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। उनके गीतों में इसका भरपूर प्रयोग हुआ है। राम घोड़े पर सवार होकर अयोध्या आए हैं। वहां की औरतें उनकी सुंदरता देखकर मुग्ध हो जाती हैं। वे अपना होश खो बैठती हैं। ऐसे में उनके आंचल की बात कौन कहे, कंगन स्वतः खुल-खुल जाते हैं। सोने की थाली लिए औरतें पहुंचती हैं तो मन ही मन उनके रूप में खो जाने की इच्छा रखती हैं—

*घोड़वा चढ़ल अइले राम जी पहनवाँ/अंचरवा उड़ि-उड़ि जाला हो लाल
कइसे के आई सखी राम जी अंगनवा/कंगनवा खुलि-खुलि जाला हो लाल*

सोने के थारी में जेवना परोसलों से/जेई नाही राजा के कुँवरवा हो लाल
एक मन करे सखी गलवा लगइती/दूसर लागे कुलवा के लाजवा हो लाल ।

इसी तरह एक दूसरे गीत में लोक जीवन में व्याप्त श्रृंगारिकता की अभिव्यक्ति लोक उपमाओं, रूपकों के माध्यम से हुई है। नारी-सौंदर्य की चर्चा करते हुए वे कहते हैं कि पतली कमर, पतली देह, पतली गोरी बांहें, लंबी कोमल और पतली अंगुलियां तथा लचकती इठलाती चाल को देखकर आँखें तृप्त नहीं होतीं बल्कि व्याकुलता और बढ़ जाती है। मन नहीं भरता—

पातर-पातर गोरिया के पतरी कमरिया
मोर संवरिया रे पतरी डगरिया धइले जाया।
पातर लप-लप गोर पतरी अंगुरिया
मोर संवरिया रे लचकत पनिया के जाया।
सड़िया के आरी-आरी गोटवा के जारी
मोर संवरिया रे मटकत रहिया के जाय
गावले महेंदर मिसिर इहो रे पुरुबिया
मोरे संवरिया रे, देखते में जिया ना अघाय....।

कहा जाता है कि विरह ही प्रेम की वास्तविक कसौटी है। प्रेमी-प्रेमिका के अभाव में हृदय स्वतः सृजन करने लगता है। विरह में जो वेदना है, वह वेदना होते हुए भी सुखकर है। विरह में मिलन से अधिक स्थिरता होती है और अतृप्त उत्सुकता के कारण रसानुभूति की मात्रा भी अधिक होती है।

महेन्द्र मिसिर जिस अंचल से आते हैं वहां जनमानस में परदेस जाने और कमाने की परंपरा रही है। यही वही क्षेत्र है जहां पेट के लिए रोटी के अभाव में लोग नई-नवेली दुल्हन को घर छोड़कर कलकत्ता, मोरंग, सूरीनाम, मॉरिशस आदि जगहों पर कमाने के लिए जाते रहे हैं। ऐसे में उस दुल्हन के विरह को कौन समझेगा? परदेस जाने के लिए तत्पर पति को पत्नी समझाती है और कहती है कि इस भरी जवानी में आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? अगर हम दोनों में से किसी का पैर फिसल गया तो मुश्किल हो जाएगी। टूटी पलानी (घर) में छोड़कर हमें क्यों जा रहे हैं? किस पर भरोसा है? रोम-रोम सिहरा देने वाली बरसात और गरज-चमक के बीच हम दोनों मिलकर कष्ट झेल लेंगे लेकिन आप रुक जाइए—

हमनी के रहब जानी दूनू हो परानी
अंगना में कींच-कांच दुअरा पर पानी
खाला ऊँचा गोर पड़ी चढ़ल बा जवानी
देश-विदेश जालऽ टूटही पलानी
कहत महेंदर मिसिर सुनऽ दिलजानी
केकरा से आग मांगब, केकरा से पानी....।

विरही मन न जाने क्या-क्या सोचना है? उसका प्रेमी कहीं भी, कितना भी दूर चला जाए, उसकी आस नहीं छूटती है। एक विरहिणी के मन में एक लाख टीस और दो लाख शिकायतें हैं, फिर भी वह प्रियतम को भूलना नहीं चाहती। उसके रूप को भुला देने की इच्छा मन में होती है लेकिन क्षण भर के लिए। फिर केवल इंतजार करती है। राधा-कृष्ण को संबोधित करते हुए लिख गया यह गीत अत्यंत मार्मिक है—

अइसन करजऊ के कइसे के बिसारीं हो दरदिया देके ना
 श्याम मथुरा परइले हो दरदिया देके ना।
 रहि-रहि उठे तीस मनवा में होला खीस
 अइसन सुरतिया लेके कहाँ चलि गइलेऽ हो
 दरदिया देके ना...श्याम....!

कृष्ण, राधा, ऊधो और गोपियों को केंद्र में रखकर संपूर्ण विरह-व्यथा का चित्रण किया है महेन्द्र मिसिर ने। कहीं गोपियों को तड़पते-जलते दिखाया गया है तो कहीं ऊधो की चर्चा की गई है। कहीं-कहीं राधा की सौतन यानी कृष्ण की व्याहता की व्याख्या भी हुई है। एक जगह प्रेम में सब कुछ लुट जाने की बात आती है। प्रेमिका का कुल परिवार छूट जाता है। समाज तथा सगे-संबंधी भी नाता तोड़ लेते हैं। वह अकेली बैठी रहती है। कान्हा की दीवानी जब आंखें बंद रखती है तो उसे कान्हा दिखाई देते हैं और जब आंखें खोलती है तो सब अंधेरा हो जाता है—

खेलत रहनीं बाबा के दुअरिया / बँसुरिया बजवल ए माधो।
 माधो छूटल घर-परिवार / कि नामवा हँसवलड ए माधो।
 सपनवाँ देखवल ए माधो / माधो जागला पर सगरो अन्हार
 सुतल रहलीं सुख के से पीला / खबरियो ना लिहलड ए माधो !

एक गीत में मिसिरजी एक ऐसी औरत की व्यथा को उकरते हैं, जिसका पति देखने में अच्छा नहीं है और कभी हँसकर बातें भी नहीं करता है। यहाँ तक तो किसी प्रकार सहा जा सकता था, यदि वह आंखों के सामने होता। लेकिन वह कहीं चला गया है। एक तो उसके जाने का दुख, दूसरे, घर में सास की अकड़, दादागिरी तथा हुक्म सहते-सहते वह कमजोर हो चुकी है। अब बगैर पति के जीना उसके लिए संभव नहीं है—

सासु मोरा मारे राम बांस के छिँऊकिया
 मोर ननदिया रे सुसुकत पनिया के जाय।
 छोटे-मोटे पातर पियवा हंसि के ना बोले
 मोर ननदिया रे सेहू पियवा कहीं चलि जाय।
 गंगा रे जमुनवा के चिकनी डगरिया
 मोर ननदिया रे पड़्याँ धरत बिछलाय।
 कहत महेंदर श्याम इहो रे पुरुबिया
 मोर ननदिया रे पिया बिनु रहलो ना जाय।

बेमेल विवाह हमारे समाज में काफी व्याप्त है। कभी छोटी बच्ची की शादी बुर्जुग व्यक्ति से कर दी जाती है तो कभी युवती की शादी छोटे बच्चे से कर दी जाती है जिसे घर-गृहस्थी के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। एक युवती जिसकी शादी छोटे बच्चे से हो गई है, वह शारीरिक एवं मानसिक सुख से वंचित रह जाती है। वह अपने भाग्य पर रोने के साथ-साथ परिवार, समाज तथा भगवान को कोसती है। यहां महेन्द्र मिसिर उस औरत की पीड़ा को महसूस करते हैं। और सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। वे लिखते हैं—

सबका के देले रामजी अन, धन, सोनवाँ / बनवारी हो हमरा के लरिका भतार।
 लरिका भतार लेके सुतली अंगनवाँ / बनवारी हो रहरी में बोलेला सियार

खोले के त चोली बंध खोलेला केवाड़ी/बनवारी हो जरि जइले एड़ी से कपार।
कहत महेंदर हम पुरुब के चुकनी/ बनवारी हो इहे विधि लिखले लिलार ।

लोक जीवन में गोदना का प्रचलन बहुत है। गोदना गोदने तथा गुदवाने के पीछे कई तथ्य हैं। यह प्रेम प्रदर्शन का माध्यम भी रहा है। युवतियां अपने हाथों पर अपने प्रेमी या पति का नाम, प्रतीक चिह्न आदि गुदवाती रही हैं। गोदना गोदने के लिए कृष्ण गोदहारिन बनकर राधा के घर, गली में पहुंचते हैं गोदने के क्रम में जब वे राधा का हाथ पकड़ते हैं तो हाथ के स्पर्श से राधा महसूस कर लेती हैं कि यह मर्द का हाथ है। तब कृष्ण अपनी बेचैनी तथा जनाना बनने की बात बताते हैं। अंततः दोनों का मिलन होता है। मिलन की चाहत एवं बेचैनी को इस गीत में महसूस किया जा सकता है—

बनके गोदहारिन कान्हा चलले जहवाँ रहेली राधा
गउआँ में घूमि कहे नंद के ललनवाँ, केहू गोदवाई हो गोदनवाँ
राधा जी सुन के बोली अपनी केवाड़ी खोली
आवऽ गोदहारिन आवऽ हमरी अंगनवाँ हम गोदवाइब हो गोदनवाँ
× × × × × × × × × × × × ×
कहत महेंदर गाइ राधिका मने मुसुकाई
राधा अउर कान्हाँ जी के भइल मिलनवाँ
केहू गोदवा लऽ हो मोदनवाँ...।

लोकभाषा पर महेन्द्र मिसिर की जबरदस्त पकड़ थी। वे कथ्य और परिवेश से संबंधित शब्दों का चयन और तालमेल जिस तरह बिठाते हैं और भोजपुरी के ठेठ शब्दों को प्रस्तुत करते हैं वह उनकी सूक्ष्म दृष्टि का परिचायक है। उनकी गहरी दृष्टि एवं अनुभव दृष्टिगत होते हैं। भोजपुरी भाषा के साथ-साथ खड़ी हिन्दी का प्रयोग भी उन्होंने अपने गीतों में किया है यानी हिन्दी गीत भी वे लिखते थे। यह अलग बात है कि उनकी संख्या बहुत कम है। उनका एक हिन्दी गीत है—

धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर
दौलत खजाना माल यहीं छोड़ जाना है
थोड़ी-सी जिंदगी में सीताराम ध्यान करो
जहाँ से तू आया मूर्ख, उसी घर जाना है ।

आज भोजपुरी अंचल में महेन्द्र मिसिर के पूरबी गीत जन-जन में समाहित हैं। भले ही उनका कोई लिखित इतिहास नहीं बना हो लेकिन जो इतिहास लोक कंटों में बसा है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनके गीत गाए जाएंगे। जब-जब समाज में वेदना होगी, विरह होगा, मिलन की चाह होगी, सामाजिक कुरीतियां होंगी, तब-तब महेन्द्र मिसिर के गीत कंटों से प्रस्फुटित होंगे।

संदर्भ

1. महेन्द्र मिसिर: विविध आयाम—सुरेश कुमार मिश्र (सम्पादक)
2. पूर्वी के जनक महेन्द्र मिसिर—रामाधार पाण्डेय

लोकमंगल के कवि: तुलसीदास

डॉ० वेदवती सिंह

एसोसिएट प्रोफेसर, हिन्दी विभाग, डी०ए०वी०पी०जी०कालेज, गोरखपुर

तुलसीदास का समस्त काव्य लोकमंगल की भावना से अनुप्राणित है यद्यपि उन्होंने रामकथा स्वान्तः सुखाय लिखी थी-

स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा।
भाषा निबद्धमति मंजुल्मातनोति॥

किन्तु काव्य रचना जहाँ कवि के लिए आत्मसुख है वहीं सामाजिक क्षेत्र में लोककल्याण का साधन भी-

कीरति भनिति भूति भल सोई।
सुरसरि सम सबकहँ हित होई॥

तुलसी का समस्त काव्य 'सुरसरि' के समान हित करने वाला है। शास्त्रज्ञान से परिपूर्ण होने पर भी उन्होंने अपने काव्य का धरातल लोक मंगल की रेखा में निर्मित किया। मध्ययुगीन वाड.मय में तुलसी को लोक जागरण या लोकमंगल विधान का पुरोध कहेना तनिक भी अत्युक्ति न होगी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके काव्य को लोक और शास्त्र का समन्वय माना है तो आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने उन्हें भारतीय जनता का सच्चा प्रतिनिधि कहा है। तुलसी के सम्बन्ध में विद्वानों की यह टिप्पणी कि 'तुलसी लोकहृदय के सच्चे पारखी थे' और तुलसी लोकधर्म के पण्डित थे' उचित प्रतीत होती है। निम्न बिन्दुओं द्वारा तुलसी की लोकमंगल की भावना को अंकित किया जा सकता है-

शाश्वत मूल्यों की स्थापना- तुलसी की लोक दृष्टि समाज के शाश्वत मूल्यों पर रही है, वास्तव में उनका शाश्वत मूल्य वर्णाश्रम की पूर्ण प्रतिष्ठा है। उनका विचार है कि यदि समाज के सभी वर्णों में लोग अपने-अपने कर्तव्य का पालन करें, दूसरे के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें तो निश्चित रूप से समाज सुखी हो सकता है और रामराज्य की स्थापना हो सकती है। गोस्वामी जी की मान्यता है कि यदि ब्राह्मण धर्म से गिर जाय, क्षत्रिय नीति विरुद्ध आचरण करने लगें, शूद्र ब्राह्मणों को आँख दिखाने लगे अर्थात् सभी वर्ण अपने-अपने कर्तव्य से च्युत हो जायें तो लोक धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है। इसीलिए तुलसीदास जी ने 'राज्य, सुराज्य', रामराज्य का व्यापक आदर्श समाज के सामने रखा। तुलसी के रामराज्य का आदर्श है -

'बयरू न' करू काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई।

सब नर करहिं परस्पर प्रीती, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति॥

आखिर क्या कारण था कि राम के राज्य में सब कुछ ठीक-ठाक था, इसका कारण है रामकी सुशीलता। राम की सुशीलता ने ही प्रजा के हृदय को जीत लिया था। राम प्रजा के सुख-दुख में साथ देने वाले थे। प्रजा उनमें त्याग, शील, पराक्रम, क्षमा और सहिष्णुता आदि का प्रतिबिम्ब देखती थी। राम का ही राज्य ऐसा था जिसमें प्रजा को राज्य की पारिवारिक स्थिति पर भी टीका टिप्पणी करने का अधिकार था। राजा उसका परिहार कर आदर्श की रक्षा करता था। सती सीता पर धोबी द्वारा किया गया दोषारोपण इसका प्रमाण है।

तुलसी के समय में समाज की दशा अत्यन्त दयनीय थी जिसके उत्तरदायी उस समय के राजे महाराजे थे। जो प्रजा की ओर से उदासीन थे। ऐसे राजाओं को सचेत करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है-

“जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी॥”

तुलसी के रामराज्य विषयक कल्पना का दूरगामी प्रभाव पड़ा। एक ओर अपने कल्पना लोक का ‘रामराज्य’ दूसरी ओर युगीन समाज की वास्तविक छवि, दोनों का बड़ी बारीकी से समन्वय कर सुदूर भविष्य के मानवीय समाज को सचेत किया है। डॉ० रामविलास शर्मा जैसे मार्क्सवादी चिन्तक ने भी तुलसीदास के सजग तथा समन्वयशील दृष्टिकोण को स्वीकार किया है- “उत्तरकाण्ड में एक ओर रामराज्य की कल्पना, दूसरी ओर कलियुग की यथार्थता द्वारा तुलसी ने अपने आदर्श के साथ वास्तविक परिस्थिति का चित्रण कर दिया है। किसी भी दूसरे कवि के चित्रण में ऐसी तीव्र विषमता नहीं है। किसी के चित्रण में यह ‘कंट्रास्ट’ नहीं मिलता। तुलसी के रामराज्य में धर्म सम्प्रदाय, वर्ण, जाति विरोध आदि के कारण किसी को भी क्षति नहीं उठानी पड़ी।”

मर्यादावाद के पोषक - तुलसी का काव्य लोकमंगल की भावना से अनुप्राणित होने के कारण मर्यादावाद का पोषक है। मर्यादा का उल्लंघन समाज के लिए घातक मानते थे। छोटे का बड़े के प्रति आदर भाव और बड़े का छोटे के प्रति स्नेहभाव तुलसी का मार्गदर्शन था। मानस में उन्होंने कहा भी है-

पूजिय विप्र सकल गुन हीना।
सूद न गुनगन ज्ञान प्रबीना॥

तुलसी के इस कथन द्वारा उन्हें जातीयता की सीमा में घसीटा जाता है किन्तु इस सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि जिस व्यक्ति ने अपना घर परिवार (स्त्री तक) और समाज छोड़कर सन्यास ग्रहण कर लिया हो उसे जातीयता की सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि-

लोगु कहै पोच सो न सोचु न संकोचु मेरे।
व्याह न बरेखी, जाति पाँति न चहत हौ॥

आदर्श और मर्यादा की स्थापना में तुलसी ने सम्पूर्ण मनीषा का उपयोग किया। तुलसी के ऊपर लगाया गया यह आरोप कि वे जातिवाद के समर्थक थे एकदम निराधार और निरर्थक है। उनका केवल एक ही धर्म था उदारवादी मानव धर्म/लोकधर्म की रक्षा के लिए उन्होंने मानव धर्म की प्रतिष्ठा की। मानस में विश्वधर्म को सारवद्ध कर एक जगह एकत्रित कर दिया गया है, विश्व करूणा, विश्व बन्धुत्व और समग्रतः विश्वदृष्टि का ऐसा विशाल फलक अन्यत्र नहीं मिलेगा। मानस के सभी पात्र मर्यादा के अलग-अलग प्रतीक हैं। कोई मर्यादित पिता है तो कोई मर्यादित पुत्र। कोई आदर्श माँ है तो कोई आदर्श पत्नी। इस तरह भाई, सखा, गुरु, स्वजन आदि के रूप में सर्वत्र मर्यादा और आदर्श के अनन्त सेतु है जिस पर चलकर आदर्श मानव समाज की स्थापना किसी भी युग में सम्भव है।

रामराज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन- रामराज्य में प्रजा ऊँच नीच छोटा बड़ा होने पर भी वर्णाश्रम का पालन करती थी-

बरनाश्रम निज निज धरम निरत वेद पथ लोग।
चलहि सदा पावहि सुख, नहिं भय सोक न रोग॥

चारों वर्णों में ईर्ष्या, द्वेष नहीं था इसका कारण था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने-अपने धर्म का पालन करते थे। ब्राह्मण वैयक्तिक सुख की कामना नहीं करते थे। क्षत्रिय प्रजा की भलाई के लिए प्राण न्योछावर करने को सदा तत्पर रहते थे। उच्च वर्ग के जहाँ अधिकार अधिक थे वहीं कर्तव्य भी कठिन थे। निम्न वर्ग में कम सुख के साथ अधिक अवस्थाओं में आराम की योजना रहती थी। इसीलिए रामराज्य में अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार सभी प्रसन्न थे -

नहिं दरिद्र कोउ दुखी न दीना, नहिं कोउ अबुध न लच्छनहीना।

उस समय राजाओं में आत्मविश्वास था कि -

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।

सो नृप अवसि न कर अधिकारी॥

इसीलिए आवश्यक है कि राज अपनी सम्पूर्ण प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे। यदि वह प्रजा के एक वर्ग के भलाई का कार्य करता है तो वह मंगलकारी न होगा। इस प्रकार तुलसी की वर्ण व्यवस्था त्याग मूलक है इसमें मर्यादा के भीतर रहने का संकल्प है।

लोकमत और साधुमत में सामंजस्य - तुलसी ने लोकमत और साधुमत में सामंजस्य स्थापित किया। राम भी लोकतंत्र के वशीभूत थे, स्वेच्छाचारी शासक नहीं-

लोक एक भाँति को, त्रिलोकनाथ लोकबस।

आपनो न सोच स्वामी, आप ही सुखात हों॥

वे पग-पग पर व्यक्ति का विरोध करते हैं-

‘मारग सोई जा कहँ जो भावा’

या- स्वारथ सहित सनेह रुचि, अनुहरत आचार।

तुलसी मर्यादित लोकवाद का समर्थन करते हैं। वे व्यक्ति स्वातन्त्र्य के हिमायती हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति पर उतना ही प्रतिबन्ध हो जिससे दूसरों के जीवन मार्ग में बाधा न उत्पन्न हो और साथ ही साथ हृदय की उदात्त वृत्तियों के साथ लौकिक सम्बन्ध भी बना रहें।

समाज में स्त्रियों का स्थान- तुलसी मर्यादावादी होने के कारण स्त्रियों के लिए घर गृहस्थी का काम सम्भालना ही बहुत समझते थे। उनका घर से बाहर निकलना बुरा मानते थे। पर उन्हें भक्ति की अधिकारिणी मानते थे। और वे उन्हीं को मीरा की भाँति घर से निकलने की अनुमति देते हैं जो भक्ति मार्ग में रमी हो। जिमि स्वतन्त्र होई विगरहि नारी से उनका तात्पर्य सभी नारियों के लिए नहीं है।

तुलसी पर जो स्त्रियों की निन्दा का महापातक लगाया जाता है यह उनके वैरागीपन का कार्य है। यह अपराध उन्होंने वैराग्य की पुष्टि के लिए किया है। और स्त्रियों के केवल प्रमदा रूप की निन्दा की है, माता, पुत्री, भगिनी रूप की नहीं। यह कार्य एक ओर विरक्तों की विरक्ति को दृढ़ करने के लिए किया है दूसरी ओर लोक की आसक्ति को कम करने के लिए।

शूद्रों के प्रति तुलसी का दृष्टिकोण- शूद्रों के प्रति तुलसी का दृष्टिकोण संकुचित नहीं है। वे शूद्र को जन्मना नहीं बल्कि आचरण और कर्म से इस पंक्ति में देखते हैं। तुलसी की स्पष्ट धारणा है कि हर युग में समाज में उच्चवर्गीय तथा निम्नवर्गीय लोग रहेंगे यदि उच्चवर्गीय लोग निम्नवर्गीय लोगों के साथ कोमलता का व्यवहार नहीं करेंगे और निम्नवर्गीय लोग उच्चवर्गीय लोगों का अपमान करेंगे तो आदर्श समाज की स्थापना नहीं हो सकती। शूद्र शब्द नीची श्रेणी के मनुष्य का द्योतक है जो कुलशील, विद्या और बुद्धि से न्यून है। इन न्यूनताओं को अलग-अलग न दिखा कर तुलसी ने

वर्णविभाग के आधार पर उनके लिए एक ही शब्द का व्यवहार किया है।

तुलसी के एक कथन विशेष की मीमांसा यहाँ अति आवश्यक प्रतीत होती है। उन्होंने कहा है -

ढोल गवॉर शूद्र पशु नारी।
ये सब ताड़न के अधिकारी॥

आधुनिक अनुसन्धानकर्ताओं ने अनुसन्धान करके यह साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि असभ्य और वन्य समाज उन्हीं का आदर करता है जो उन्हें उन्हीं के अन्दाज में प्रताड़ित कर सकें। शायद इसी भाव को तुलसी ने उक्त चौपाई में समाहित किया है। चाहे दीन हो, चाहे अपढ़ गवॉर हो, चाहे पशु हो चाहे शूद्र इन्हें जब तक प्रताड़ित अर्थात् प्रशिक्षित नहीं किया जायेगा तब तक ये सभ्य सुसंस्कृत समाज के अंग नहीं बन पायेंगे।

तुलसी का लोकनायकत्व उनके विराट व्यक्तित्व का प्रक्षेप है। मानवीय समाज का कोई ऐसा कोना नहीं है जो उन्हें दिखायी न पड़ा हो। उन्होंने लोक हृदय का अनुशीलन कर सार्वजनिक मंगल विधान के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीति कथन किये हैं-

1. 'ऊँच निवास नीच करतूती। देखि न सकहि पराइ विभूती।
2. सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुन्दर नीती।
3. ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी।

साहित्य और लोक का पारस्परिक सम्बन्ध साहित्य में लोकानुभव के प्रश्न को महत्वपूर्ण बना देता है। उनका स्पष्ट मत है कि साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल विधान ही होना चाहिए। लोक हृदय का पारखी होने के कारण, लोक समन्वय की व्यापक दृष्टि होने के कारण, लोक धर्म का संवाहक होने के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी को लोकनायक कहा है। व्यक्ति समाज, परिवार, राजनीति और अलग-अलग क्षेत्रों में तुलसी के आदर्श दृष्टिकोण मिलते हैं। यही कारण है कि तुलसी का काव्य सत्यं, शिवं, सुन्दरं तीनों कसौटियों पर खरा उतरता है।

अतः हम कह सकते हैं कि तुलसी का समस्त काव्य लोकमंगल की भावना से अनुप्राणित है।

सन्दर्भ ग्रन्थः

1. गोस्वामी तुलसीदासः आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
2. गोस्वामी तुलसीदासः आचार्य सीताराम चतुर्वेदी
3. गोस्वामी तुलसीदासः नये परिप्रेक्ष्य में: डॉ० पुष्पपाल सिंह
4. लोकवादी तुलसीदासः विश्वनाथ त्रिपाठी
5. रामचरित मानसः गीताप्रेस गोरखपुर
6. गोस्वामी तुलसीदास और प्रगतिशील आलोचना: डॉ० रामविलास शर्मा
7. भारतीय सौन्दर्यबोध और तुलसीदासः डॉ० रामविलास शर्मा

भारतीय साहित्य में महिला सशक्तिकरण के स्वरूप का अध्ययन

अरुण कुमार श्रीवास्तव

फीचर एडिटर, दैनिक जागरण, नोएडा

भारत में हड़प्पा संस्कृति और वैदिक काल से मातृशक्ति की प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। सृजन, पोषण और संहार की अप्रतिम क्षमता के कारण ही स्त्री शक्ति को सर्वथा पूज्य माना गया है। नारी के सम्मान को स्वीकार करते हुए ही वैदिक ऋचाओं में स्पष्ट कहा गया, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्तेव, रमन्ते तत्र देवता', यानी जहां नारी को पूजनीय माना जाता है, वहां देवता बसते हैं। जहां नारी का यथोचित सम्मान होता है, वह समाज और देश सुख-शांति से भरपूर होता है। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही शक्ति के केंद्र में नारी को प्रतिष्ठित किया गया है। भारत में मनाये जाने वाले तमाम पर्व-त्योहारों के केंद्र में भी नारी को रखा गया है। इनमें सर्वोपरि है नवरात्र, जो नारी शक्ति की अपराजेयता और प्रतिष्ठा का प्रतीक है। नवरात्र में देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की उपासना की जाती है, जिसमें उनके सर्जक रूप भी हैं और संहारक भी। वे दुष्ट और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का संहार करती हैं। पूजनीय होने के कारण नारी शक्ति को जहां मंदिरों में स्थान दिया गया है, वहीं समाज और देश के विकास में भी उसकी महती भूमिका को स्वीकार किया गया है।

नारी शक्ति को स्वीकार करते हुए पत्र-पत्रिकाओं में लगातार लिखा जाता रहा है। इस बारे में जगदीश जोशी ने लिखा है, 'बहुदेववादी पुरुषाभिमुखी भारतीय संस्कृति ने मातृशक्ति को जो व्यापकता और प्रतिष्ठा दी है, वह अदभुत होने के साथ ही ज्ञान-विज्ञान के अनुभूत अध्ययन से प्रवाहित हुई है। आखिर महिषासुर मर्दन के संदर्भ में शुंभ-निशुंभ के वध में, रक्तबीज के उन्मूलन के सिलसिले में क्या रहस्य छिपा है? जब संपूर्ण पौरुष गैर पराक्रम संपन्न देवता अक्षम हो गए, उनकी क्षमता महिषासुर और शुंभ-निशुंभ के सामने निष्प्रभ हो गई, तब यह विचार करना जरूरी हो गया कि आखिर वह निष्प्रभ क्यों हो गई? समाधान किया गया कि इन दैत्यों ने कठिन तपस्या से वरदान प्राप्त किया, जिससे देवता पराजित हो गए। पुरुष देवताओं की शक्ति का ह्रास और देवियों की शक्ति का प्रसार एक विशेष प्रसंग प्रस्तुत करता है। यह भारतीय विशाल चिंतन की देन है, जो विश्व के सांस्कृतिक इतिहास में अद्वितीय है।'⁽¹⁾ देखा जाए तो वैदिक काल में नारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की धुरी के रूप में दिखती है। 'जीवन के हर क्षेत्र में उसकी सक्रिय भूमिका दिखाई देती थी। चाहे वह परिवार के महत्वपूर्ण लेने की बात हो या फिर शास्त्रार्थ में हिस्सा लेने और शास्त्रों की रचना करने की बात हो, नारी की सशक्त भूमिका हर प्रक्रिया में मौजूद थी। समाज के केंद्र में होने के कारण ही हर तरफ सौहाद्रपूर्ण माहौल रहता था। प्रत्येक क्षेत्र में देश की श्रेष्ठता सिद्ध और स्थापित थी। समूची दुनिया, विशेष रूप से एशिया, भारत की प्रगति और चिंतन शैली से गंभीर रूप से प्रभावित था। लेकिन आगे चलकर इस विकास प्रक्रिया में कहीं चूक हुई और स्त्री धुरी से परिधि पर आ गई। मिथ्या धारणाओं और अप्रासंगिक रूढ़ियों के बल पर उसे गृहिणी बना दिया गया। गृहिणी के रूप में भी उसके केवल कर्तव्य ही निर्धारित किए गए। अधिकार के नाम पर तो उसके पास सिर्फ जननी बनना ही शेष रहा।'⁽²⁾

'हालांकि वैदिक काल में नारी को हर तरह से समाज में उच्च स्थान हासिल था। वे केवल संतानोत्पत्ति करने और रसोईघर में खाना बनाने के कार्यों तक ही सीमित नहीं थीं, बल्कि पुरुषों के

समान ही सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रियता के साथ भाग लेती थीं। वेदों में बार-बार स्त्री-शक्ति का वर्णन किया गया है। शास्त्रों और मनुस्मृति में जहां एक स्त्री के जीवन की मर्यादाएं निश्चित की गई हैं, वहीं स्त्री-शक्ति और उसकी महत्ता को भी स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया है। इस बात पर खास जोर दिया गया कि जहां नारियों का सम्मान नहीं होता, वहां सब क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। ऐसी अनेक कथाएं मिलती हैं, जो नारी-शक्ति और उसकी महानता पर प्रकाश डालती हैं। याज्ञवल्क्य की पत्नी गार्गी ने उस युग में यह सिद्ध कर दिया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के समक्ष सांसारिक ज्ञान तुच्छ है। उस समय पत्नी के सहयोग के बिना कोई भी काम अधूरा समझा जाता था। यहां तक कि रणक्षेत्र में भी वह पति को सहयोग देती थी। उसे अपना जीवन साथी चुनने का पूर्ण अधिकार था। रामायण और महाभारत में तो नारी का जीवनदातृ के रूप में स्वीकार किया गया।⁽³⁾

ऋग्वेद में नारी को महिमामंडित करते हुए उसे सर्वशक्ति मान ब्रह्मा की संज्ञा से अभिहित किया गया 'स्त्रीं हि ब्रह्मा' यानी नारी ही ब्रह्मा है (ऋग्वेद 8.33.19)। इसी में माता सरस्वती की महिमा को बताते हुए कहा गया 'यज्ञं दधे सरस्वती' अर्थात् सरस्वती यज्ञ का धारण करती हैं। सरस्वती से यह याचना भी की गई कि वह हमें निंदा से बचाएं 'सरस्वती निदस्पाअतु'। बुद्धि की प्रखरता के लिए ऋग्वेद में बार-बार सरस्वती को प्रतिष्ठापित किया गया है। इसमें सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि वे हमारे भीतर स्वस्थ विचार स्थापन करें 'अनमीवा इष आ धेह्ययस्मे'। इसी तरह अथर्ववेद में भी मां के रूप में नारी की महिमा को महत्त्व प्रदान की गई है 'स्थापयत मातरं जिगत्सुम', यानी सर्वव्यापक माता को स्थापित करो। वैदिक संस्कृत में रचे जाने वाले साहित्य के अलावा नारी की सक्रिय भूमिका का वर्णन धर्मशास्त्र, दर्शन, योग विज्ञान, मनोविज्ञान आदि में भी मिलता है। 'धर्मशास्त्री मनुस्मृति में तो स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जहां नारी की पूजा की जाती है, वहीं देवता रमण करते हैं।'⁽⁴⁾ श्वेताश्वतरोपनिषद में नारी को ब्रह्मस्वरूपिणी कहकर महिमामंडित किया गया है:

त्वं स्त्री त्वं एमात् त्वं कुमार उत वा कुमारी।

उपनिषद काल में दो तरह की नारी होती थी। पहली, सद्योद्वाहा और दूसरी, ब्रह्मवादिनी। ब्रह्मचर्याश्रम के बाद जो नारी विवाह करके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करती थीं, उन्हें सद्योद्वाहा कहा जाता था, जबकि ब्रह्मवादिनी नारियां विवाह नहीं करती थीं। ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करके ऐसी नारियां शास्त्रार्थ करती थीं। इस बारे में एक रोचक उल्लेख वृहदारण्य कोपनिषद में याज्ञवल्क्य-मैत्रेय संवाद के रूप में मिलता है। गृहस्थाश्रम से संन्यासाश्रम में जाने के लिए तत्पर याज्ञवल्क्य ने मैत्रेय तथा कात्यायनी के बीच धन का बंटवारा करना चाहा। इस पर विदुषी मैत्रेयी ने कहा कि क्या धन से संपन्ना पृथ्वी मेरी हो जाए तो मैं अमर हो सकती हूँ? इस पर याज्ञवल्क्य ने जवाब दिया कि धन से अमृतत्व की आशा ही नहीं की जा सकती। तब मैत्रेयी ने कहा था कि जिससे हमें अमरत्व की प्राप्ति ही नहीं हो सकती, उससे मेरा क्या प्रयोजन है?⁽⁵⁾

येनाहं नामृता स्याम किमहं ते कुर्याम।

इस पर याज्ञवल्क्य ने जो वैराग्य की शिक्षा दी, वह संपूर्ण उपनिषद का सार है। नारी तथा पति के संदर्भ में भी याज्ञवल्क्य ने कहा कि पति के प्रयोजन हेतु पति प्रिय नहीं होता। अपने प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। नारी की इच्छा के लिए नारी प्रिय नहीं होती, अपनी इच्छा के लिए पत्नी प्रिय होती है:

न पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति।

आत्मन्स्तु कामाय पतिः प्रियो भवति।

न वा अरे। जायायाः कामाय जाया प्रिया,

भवत्यात्मुनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।

(वृहदारण्यकोपनिषद 2/4/5)

रामचरित मानस के प्रणेता तुलसीदास ने महिलाओं की प्रथम वंदना कर अपने महाकाव्य का प्रणयन किया। पहले सरस्वती, फिर गणेश, पहले भवानी, फिर शंकर, क्योंकि बिना श्रद्धा के विश्वास नहीं अर्जित किया जा सकता। सीता तुलसी के मानस की चरित्र नायिका हैं। उनकी क्षमता, सर्जना, संवर्धन और संहार सभी में समान रूप से समाविष्टक हैं। उस सीता को तुलसी विनत होते हैं, जो रामवल्लभा भी हैं।⁽⁶⁾

भारत में तकरीबन एक हजार वर्ष की गुलामी के कारण नारियों के प्रति सामाजिक अवधारणा पूरी तरह बदल गई। पहले मुस्लिम शासन और बाद में ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण महिलाएं भोग-विलास के साथ-साथ पर्दे में रहने और प्रजनन के साधन तक ही सिमटकर रह गईं। घूंघट और घुंघरू का पर्याय बनना महिलाओं का जैसे धर्म और कर्म हो गया। पर्दा प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियां इसी काल में सामने आईं। लेकिन आधुनिक काल आते-आते इन कुरीतियों के खिलाफ समाज सुधारकों ने आवाज उठाना और लोगों को जागरूक करना आरंभ किया। धीरे-धीरे इन पर अंकुश लगने लगा। आजादी की लड़ाई के साथ-साथ एक लड़ाई महिलाओं को कुरीतियों के चंगुल से निकाल कर पुनः पूजनीय बनाना और समाज व देश के विकास में सक्रिय रूप से भागीदार बनाना भी था। इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली। 'आधुनिक काल का इतिहास साक्षी है कि पुनर्जागरण काल में समाज सुधारकों ने समाज को सशक्त बनाने में नारी जीवन की तत्कालीन स्थितियों में सुधार करना ही अपना प्रथम लक्ष्य बनाया। ऐसे में इस काल का नाम ही पुनर्जागरण काल पड़ गया। उन विचारकों को स्त्री की दशा में सुधार, उसे अंधकार से निकालकर जागृति लाने के लिए किसी दूसरी समाज से नीति नियम या व्यवहार उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ी। सदियों सोये रहने के कारण स्त्रियों का अस्तित्व अपनी पहचान खो चुका था, उसे जगाना भर था।'⁽⁷⁾

महात्मा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल, ईश्वर चंद विद्यासागर, विनोबा भावे, सुभाषचंद्र बोस जैसे नेताओं और महापुरुषों ने महिलाओं के सम्मान और गरिमा के बारे में समाज को पुनः जगाया। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, राजा राममोहन राय, अरविंद घोष आदि महापुरुषों ने भी आवाज बुलंद की। इसका नतीजा यह हुआ कि महिलाओं में धीरे-धीरे शिक्षा का प्रसार बढ़ा और वे स्वावलंबन की ओर तेजी से उनमुख हुईं। आज वह समय आ गया है, जब हमारे देश की महिलाएं एक बार फिर वैदिक काल से कहीं अधिक सक्रिय भूमिका में आ गई हैं। वे परिवार, समाज और देश सभी के विकास के लिए अपना योगदान कर रही हैं।

संदर्भ

1. जगदीश जोशी, दैनिक आज, 5 अक्टूबर, 2001, नारी शक्ति का महोत्सव नवरात्र (आलेख)
2. मृदुला सिन्हा, दैनिक हिंदुस्तान, 7 मार्च, 2002, महिला विकास, स्वैच्छिक प्रयास और मीडिया
3. त्रिवेणी मिश्र, दैनिक जागरण, पटना, 5 मई, 2002, सहानुभूति मिल भी जाए, अधिकार नहीं मिलता
4. आचार्य निशांतकेतु, समकालीन हिंदी निबंध, पृष्ठ संख्या 96
5. प्रधान संपादक डॉ. शरण रेणु, सेवा संदेश, पृष्ठ संख्या 26
6. जगदीश जोशी, दैनिक आज, 5 अक्टूबर, 2001, नारी शक्ति का महोत्सव व नवरात्र (आलेख)
7. मृदुला सिन्हा, दैनिक हिंदुस्तान, 7 मार्च, 2002, महिला विकास, स्वैच्छिक प्रयास और मीडिया

प्रेमचन्द और दलित-समस्या

डॉ. सुनीता कुमारी

हिन्दी विभाग, सोघरा कॉलेज, बिहारशरीफ

भारतीय साहित्य में 'दलित-समस्या' की चर्चा दो बार जमकर हुई है। पहली बार मध्ययुग में सन्त कवियों द्वारा और दूसरी बार तब, जब गांधीजी 'दलित-समस्या' को आजादी की लड़ाई का अंग मान लेते हैं। मध्य युग के अनेक सन्तों ने ऊँच-नीच के भेद पर कसकर आघात किया था। बहुत से दूरदर्शी सन्तों ने इस प्रथा के उन्मूलन का प्रयास किया था। इस युग में विकसित पौराणिक धर्म ने धार्मिक समता की व्यवस्था की थी। एक ही परमात्मा सबका पिता है। गंगा, तीर्थ, पर्व-त्यौहार आदि सभी हिन्दुओं द्वारा समान रूप से मान्य हैं। अखिल भारतवर्ष के भूगोल तथा इतिहास को ये सभी समान रूप से पवित्र समझते हैं।

राम, कृष्ण, शिव, गणेश, हनुमान इत्यादि देवता सभी के पूज्य हैं। इन सब बातों से हरिजनों की धार्मिक समस्या हल हो गयी थी। दुर्भाग्य से इसी बीच भारत में मुसलमान के साथ इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के प्रचारकों ने दलितों को शेष समाज से पृथक रखने और इस्लाम में दीक्षित करने का प्रयत्न किया। बहुत-सी दलित जातियाँ मुसलमान हो भी गयीं। किन्तु वहाँ उनकी धार्मिक समस्या हल नहीं हो सकी।

इसी दौर में कबीर, दादू इत्यादि मुसलमान सन्तों ने नारा लगाया कि वैदिक धर्म और इस्लाम धर्म दोनों भ्रम हैं। उधर रैदास आदि हिन्दू दलित सन्तों ने भी उनके सिद्धांत को महत्त्व दिया। इन सन्तों के द्वारा सन्तमत का प्रवर्तन हुआ। सन्तमत में वही अद्वैतवाद है, वही आचार प्रधान धर्म है, वही भक्ति का सिद्धांत है, वही वैष्णव मत है, और वही ध्यान योग है, जो पुराणों में मिलता है। किन्तु पुराणों ने वैदिक चातुर्वर्ण्य के स्थान पर जाति-पाति की व्यवस्था की थी और इन सन्तों ने जाति-पाति तोड़ने का विधान बनाया। इन्होंने ही अछूतों को पहले-पहल 'हरिजन' या हरिदास कहा था, जिसे बाद में गांधीजी जी ने बहुत प्रचलित किया और जो आज इस अर्थ में रुढ़ हो चला है।

सन्तमत सारे देश में फैला। हर जाति में उच्च कोटि के ज्ञानी सन्त हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभाषा में उच्च कोटि के साहित्य का निर्माण किया है। उन्होंने अपने अनुयायियों के नैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊँचा उठाया है। आज समस्त हिन्दू पर गर्व करते हैं और उन्हें अपना सन्त समझते हैं। उनके विपुलकाय साहित्य को देखकर हर विचारक इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि दलितों का साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास हिन्दू धर्म और उनकी मातृभाषा के द्वारा ही हो सकता है।

राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन के दौर में 'दलित-समस्या' गांधीजी के माध्यम से जन-जन तक पहुँचायी गयी, जिसे विभिन्न भाषाओं के लेखकों ने अपनी रचनाओं का विषय बनाया। ऐसे लेखकों में सबसे अधिक मुंशी प्रेमचन्द का नाम लिया जाता है। उन्होंने लगभग तीन सौ कहानियाँ, ग्यारह-बारह उपन्यास, दो बड़े नाटक तथा अनगिनत लेख लिखे, जिनमें से अधिकांश में कहीं-न-कहीं दलित जरूर मिल जाता है और उनकी समस्याएँ भी। प्रेमचन्द की रचनाओं के समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक पहलू 'दलित-समस्या' को माना जा सकता है। 'दलित-समस्याओं को यदि प्रेमचन्द के साहित्य में भूमिहीन किसान अथवा खेतिहर मजदूर की समस्या माना जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि प्रेमचन्द की अधिकांश रचनाओं में वर्णित काल, पात्र और स्थान हिन्दी क्षेत्र के ही हैं, जहाँ

प्रायः शत-प्रतिशत दलित भूमिहीन हैं और खेतिहर मजदूर हैं। प्रेमचन्द द्वारा वर्णित दलित पात्रों और उनकी समस्याओं को हम दो स्तरों पर देखते हैं—

- (1) सामाजिक स्तर और
- (2) आर्थिक स्तर।

सामाजिक स्तर पर ये समस्याएँ छुआछूत, मन्दिरों में प्रवेश-निषेध, वेदपाठ-निषेध से जुड़ती हैं तो दूसरी ओर आर्थिक स्तर पर खेत मजदूरों की समस्या से। महात्मा गांधी ने दलित-समस्या को सामाजिक समस्या के रूप में ही देखा था और उन्होंने उसका समाधान भी उसी स्तर से किया था। उन्होंने 'दलित' आन्दोलन चलाया था। इस आन्दोलन की मूल प्रेरणा थी— शूद्रों के प्रति सवर्णों की दयावृत्ति को उकसाना। इसका एक तो परिणाम हुआ कि अर्थनीति के कारणों से सवर्णों के प्रति शूद्रों के जो घृणा, विद्वेषमय संघर्ष बढ़ रहा था, वह धीमा पड़ गया। यह आन्दोलन बुद्ध, महावीर और स्वामी रामानन्द से आगे जाने की प्रेरणा नहीं रखता था। इस आन्दोलन से शूद्रों को कुछ मन्दिरों में भ्रमने का आत्म-सन्तोष प्राप्त हुआ, पर अर्थनीतिक व्यवस्था के बदलने से इन आन्दोलनों का कुछ भी सम्बन्ध नहीं था। सामान्यतया समूह रूप से दलित गुलाम के गुलाम ही थे। प्रेमचन्दजी इस सन्दर्भ में गांधीजी से आगे जाते हैं और वे उसके आर्थिक पहलुओं को भी उजागर करते हैं और उस पर चोट करते हैं। प्रेमचन्द की रचनाओं में उनका कोई भी उपन्यास ऐसा नहीं है, जिसका मुख्य विषय दलित समस्या हो। किन्तु उनकी दर्जनों कहानियाँ जरूर ऐसी हैं, जिनके मुख्य सवाल दलितों की जिन्दगी से जुड़े हैं और मात्र उसी समस्या को उद्घाटित करते हैं। उनकी कहानियाँ जिस रूप से इस समस्या को देखती हैं, उसके मुख्य बिन्दुओं को हम इस प्रकार रख सकते हैं—

प्राचीनकाल से ही वर्ण-व्यवस्था हिन्दू-समाज की आधारशिला रही है, किन्तु उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि समाज की सर्वाधिक सेवा करने वाला वर्ग पिसता रहा तथा हेय समझा जाने लगा। उसे अछूत माना जाने लगा और कालान्तर में उसे आर्थिक, सामाजिक एवं धार्मिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उसका मन्दिरों में प्रवेश निषेध हो गया। वह नाम-मात्र का हिन्दू रह गया परिणामस्वरूप शुरू में मुसलमानों ने और बाद में ईसाई मिशनरियों ने इससे लाभ उठाया और अनेक अछूतों को अपने सम्प्रदाय में मिला लिया। समाज सुधारकों ने इस भयंकर परिणाम को देखा और उनके उद्धार का बीड़ा उठाया। गांधीजी ने स्वयं इसके निमित्त हरिजन आन्दोलन चलाया। समाजशास्त्रियों के अनुसार अछूत भावना या अस्पृश्यता मुख्यतः तीन रूढ़िवादी मान्यताओं पर आधारित है— खान-पान सम्बन्धी नियम, शादी का सम्बन्ध तथा धार्मिक उत्सव। अछूत के साथ बैठकर भोजन करना तो बहुत दूर की बात है उसको छूने मात्र से ही सवर्ण हिन्दू शरीर को अशुद्ध मानते हैं। मन्दिर-प्रवेश तथा धार्मिक उत्सवों में अछूत का सहयोग तो दूर, वह मन्दिर में रखी भगवान की मूर्ति का दर्शन भी नहीं कर सकता। प्रेमचन्द ने इन तीनों रूढ़िवादी मान्यताओं के प्रति विद्रोह किया, जिसका प्रमाण उनकी ये कहानियाँ हैं : 'ठाकुर का कुआँ', 'घासवाली', 'दूध का दाम', 'सद्गति', 'मन्दिर', 'बाबा का भोग' आदि। 'कफन' और 'पूस की रात' प्रेमचन्द की अत्यन्त उत्कृष्ट कहानियाँ हैं, जिनका मुख्य विषय खेतिहर मजदूर और गाँव के मजदूर की दशा का वर्णन है, जो परोक्ष रूप से दलित-समस्या का ही एक पक्ष है। प्रेमचन्द की कहानियों में वर्णित दलित-समस्या का समाजशास्त्रीय अध्ययन करने के पूर्व इनकी कहानियों की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने के लिए यहाँ मैं दलितों और सवर्णों की अलग-अलग स्थिति का विवरण उपस्थित करना जरूरी समझता हूँ, जो प्रेमचन्द की मृत्यु के ठीक बाद का है। पहला विवरण शिमला पहाड़ की किसी देशी रियासत का है।

दलितों ने अपनी स्थिति का वर्णन करते हुए 'दलितसेवक' में सम्पादक के नाम पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि—

1. जब किसी ऊँची जाति के किसी हिन्दू का कोई डंगर मर जाता है तो डंगर का मालिक खुद उसे छूने में छूत मानता है और दलितों को ले जाकर उसे गाड़ना पड़ता है।
2. कोई ब्राह्मण किसी दलित के यहाँ सत्यनारायण की कथा या कोई यज्ञ कराने नहीं आता।
3. किसी ऊँची जाति के लिए किसी दलित की लड़की या स्त्री को जबरदस्ती ले जाना कोई जुर्म नहीं समझा जाता।
4. कोई दलित हिन्दू तरीकों से कन्यादान करके अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता।
5. सरकारी अफसरों के दौरे के वक्त दूध, लकड़ी, घास, और हर तरह की बेगार दलितों से ली जाती हैं, ऊँची जातिवालों से ये चीजें नहीं ली जातीं। इन चीजों की कीमत अगर कोई अफसर देता भी है तो वह नम्बरदार वगैरह ले लेते हैं, दलितों को नहीं मिलती।
6. ऊँची जाति वालों की तुलना में उतनी ही जमीन की माल गुजारी दलितों से दुगनी और तिगुनी ली जाती है। इस पर भी दलितों को जमीन का मौरूसी हकदार नहीं माना जाता।
7. जो दलित इस तरह के अत्याचारों पर एतराज करते हैं उन पर झूठे मुकदमे चलाये जाते हैं।
8. रियासतों के प्रजा मण्डलों में ऊँची जाति वाले लोग दलितों को प्रजा मण्डल का मेम्बर नहीं बनने देते और अगर बनने भी देते हैं तो उन्हें चुनाव वगैरह में बराबरी के हक नहीं देते।

दूसरा विवरण इन्दौर रियासत के 15 गाँवों के सवर्णों का है, जिन्होंने वहाँ के अस्पृश्यों को निम्नलिखित आज्ञाओं का पालन करने को कहा था, अन्यथा गाँव छोड़कर चले जाने की धमकी दी थी :

1. कोई पुरुष सुनहरी किनारी की पगड़ी न लगाये, रंगीन किनारी की धोती न पहने।
2. किसी भी हिन्दू के मर जाने पर उसके रिश्तेदारों को खबर दे, भले ही वह दूर क्यों न रहता हो।
3. हिन्दुओं के शादी-विवाह में बाजा बजावे।
4. अछूतों की औरतें सोने-चाँदी के गहने तथा फ़ैन्सी लहंगा और जाकेट न पहनें।
5. हिन्दू औरतों के बच्चा पैदा होने के समय वे दाई का काम करें।
6. अछूतों को चाहिए कि वे बिना वेतन हिन्दुओं के यहाँ नौकरी करें, और जो उन्हें खुश होकर दिया जाय उसे स्वीकार कर लें।

समाज में सवर्णों और शूद्रों के मानस के इन अलग-अलग धरातलों को हम प्रेमचन्द की कहानियों में देखें। 'ठाकुर का कुआँ' प्रेमचन्द की दलित-समस्या की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति की कहानी है। इस कहानी का मूल स्वर यह है कि इन्सान होने की हैसियत से जीने के लिए हरिजन का प्रकृति-पदत वस्तुओं पर भी अधिकार नहीं है। स्वच्छ हवा और पानी जिस पर किसी भी व्यक्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता उसे भी वह अपनी मर्जी से नहीं पा सकता है। समाज में अलग-अलग जातियों के अलग-अलग कुएँ बने हैं, किन्तु दलित को छोड़कर शेष सवर्णों के कुएँ से सभी पानी निकाल सकते हैं, चाहे वे किसी जाति के क्यों न हों। दलित मात्र दलितों के लिए बने कुएँ से ही पानी ले सकता है। 'ठाकुर का कुआँ' में जोखू बीमार है। दलितों के कुएँ में कोई जीव गिरकर मर

गया है। पानी सड़ गया है। सड़ा पानी पीने से जोखू की जान जा सकती है। जोखू की पत्नी गंगी दूसरे कुएँ से पानी लाकर पिलाना चाहती है। किन्तु जोखू सवर्णों के रवैये को जानती है और गंगी को ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है : हाथ-पाँव तुड़वा कर आयेगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहूजी एक के चार लेंगे। गरीबों का दुःख-दर्द कौन समझता है। हम तो मर भी जाते हैं, तो कोई दुआर पर झाँकने नहीं आता, कन्धा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएँ से पानी भरने देंगे?

सन्दर्भ

1. एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ले. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
2. प्रेमचन्द और उनका युग, पृ. 141
3. उपर्युक्त, पृ. 94।
4. विविध प्रसंग खण्ड 2 पृ. 473।
5. वही पृ. 455।
6. विविध प्रसंग, खण्ड 3, पृ. 56
7. विविध प्रसंग, खण्ड 2, पृ. 471
8. उपर्युक्त पृ. 475।

नारी मुक्ति का मानचित्र: 'दुःखम सुखम'

राहुल शर्मा

शिव पैलेस, रुंगूर, रेलवे रोड, ऊधमपुर-182101, जम्मू-कश्मीर

सारांश

प्रस्तुत शोध-पत्र में मौलिक तथा नवीन विचारों की पोषिका 'ममता कालिया' के उपन्यास 'दुःखम सुखम' पर विचार किया गया है। लेखिका के पास जीवन अनुभवों का विशाल भण्डार है। जीवनानुभव की धूप-छांह और सुख-दुःख यानि 'ह्यूमन मोमेंटस' को लेखिका ने अभिव्यक्ति प्रदान की है। नारी अस्तित्व के प्रश्नों और उत्तरों की गूँज उपन्यास में सुनाई देती है। घुटन, उलझन से ग्रस्त नारी अब शक्ति रूपा बन चुकी है और लम्बे अंधकार के बाद जाग उठी है वे पुरुषों से कम नहीं। राग-विराग के जीवन चक्र की वास्तविकता को लेखिका ने पाठक वर्ग के समक्ष प्रस्तुत किया है।

“भारतीय नारी भी जिस दिन अपने सम्पूर्ण प्राणवेग से जग सके उस दिन उसकी गति रोकना किसी के लिए सम्भव नहीं।” सम्भवतः यह पक्तियाँ नारी के सन्दर्भ में साहित्य परिपेक्ष्य में चरितार्थ होती हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद साहित्य लेखन के क्षेत्र में महिला लेखन काफी सक्रिय हुआ है। इसके परिणामस्वरूप महिला लेखिकाओं को नारी-पुरुष सम्बन्धों के नए मूल्यांकन, सामाजिक जीवन में नारी के महत्त्व, अधिकार तथा परिवार, विवाह, नारी के स्वतन्त्र अस्तित्व और उनसे संबंधित कई समस्याओं को अपने विशिष्ट दृष्टिकोण द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से महिला उपन्यासकारों में ममता कालिया का विशेष योगदान रहा है। बेघर, नरक-दर-नरक, दौड़, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियाँ, अँधेरे का ताला, दुःखम सुखम आदि उपन्यास लेखिका के सृजन साधना के परिणाम हैं। इस शोध-पत्र में हम ममता कालिया के 2009 में प्रकाशित उपन्यास 'दुःखम-सुखम' पर ही चर्चा करेंगे।

'दुःखम सुखम' जीवन के जटिल यथार्थ में गुँथा एक बहुअर्थी पद है। इस तरह से ये उपन्यास शृंखला की बाहरी-भीतरी कड़ियों से जकड़ी स्त्रियों के नवजागरण का गतिशील चित्र और उनकी मुक्ति का मानचित्र है। दुःखम-सुखम में एक पूरा ऐसा समाज है जो अपनी सम्पूर्ण जातीय और भाषिक विशिष्टता के साथ हमारे सामने आता है, इसमें ढेरों उपकथाएँ हैं। पौने तीन सौ पृष्ठों का उपन्यास मथुरा की पृष्ठभूमि में रचा है। वैसे कथा के सूत्र दिल्ली, आगरा और बम्बई तक गए हैं। इस उपन्यास में बीसवीं शताब्दी की बदलती हुई मथुरा है तथा तीन पीढ़ियों की सहभागिता है। पहली पीढ़ी में हैं – लाल नत्थीमल और उनकी पत्नी विद्यावती, दूसरी पीढ़ी में हैं – लीला, कुन्ती, भगवती, कविमोहन और उनकी पत्नी इन्दु तथा तीसरी पीढ़ी का यथार्थ है – कविमोहन की दो बेटियाँ प्रतिभा और मनीषा। उपन्यास के नायक कविमोहन के बहाने उसके आसपास की स्त्रियों की अंतःकथा को सामने लाया गया है। चाहे वह उसकी माँ विद्यावती हो या बहनें लीला, कुन्ती, भगवती। पत्नी इन्दु हो या प्रेमिका-सी कुहेली भट्टाचार्य, या फिर प्रतिभा और मनीषा सरीखी बेटियाँ ही क्यों न हों। इन्हीं के दुःखम सुखम और जीवन संघर्ष के साथ कविमोहन के खुद के जीवन क सुख-दुख भी जुड़ा हुआ है। तीन पीढ़ियों के माध्यम से नारी जीवन की सम्पूर्ण गाथा को समस्या और उसके समाधान के साथ लेखिका ने उपन्यास में चित्रित किया है। नारी की सुप्त चेतना का जाग्रत कर उसे

उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए प्रेरित भी किया है। चूँकि स्वाधीनता के पश्चात् महिला शिक्षा में वृद्धि हुई है एवं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, न्यायधीश, विधायक, सांसद, विविध विभागों में उच्चाधिकारी के साथ देश के लगभग प्रत्येक कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी रही है। किंतु तस्वीर का दूसरा पहलू अत्यंत चिंतनीय स्थिति को दर्शाता है – “स्वतंत्रता के इतने वर्षों के पश्चात् भी आज देश में महिला शिक्षा की स्थिति दयनीय है, अंध-विश्वासों, कुरीतियों के साम्राज्य में न जाने कितनी महिलाओं को मूल सुविधाओं से वंचित रहते हुए अन्याय, अत्याचार, प्रताड़ना सहते हुए शोषण का शिकार होना पड़ रहा है।”² उपन्यास में लेखिका ने नारी जीवन में आए दुःख यथा लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण-हत्या, नारी द्वारा नारी का शोषण, बाल विवाह, अनमेल विवाह, पितृसत्तात्मकता इत्यादि का व्यापक चित्रण प्रस्तुत किया है।

लैंगिक भेदभाव – उपन्यास का आरम्भ ही लाला नत्थीमल और विद्यावती के परिवार में कविमोहन के घर दूसरी बेटे के जन्म से होता है। लड़की के जन्म पर घर में किसी को खुशी नहीं हुई। कोई उत्सव नहीं मनाया गया, मिठाइयाँ नहीं बाँटी गई, बधावा नहीं बजाया गया बल्कि उल्टे घर में मनहूसियत सी छा गई। विद्यावती पोती के जन्म पर बहु को ही दोषी मानती है – “सराफेवालों ने अपनी खोटी चवन्नी हमारे द्वार डाल दी। दो-दो छोरियाँ जन दी इसने।”³ दुःख की बात तो यह है कि जो महिलाएँ इन परेशानियों से गुज़र चुकी हैं वे भी लड़के-लड़की में भेद करती हैं। अक्सर देखा जाता है कि लड़की-लड़के के पालन-पोषण में भी भेदभाव किया जाता है। पुरातन विचारों के पोषक नत्थीमल ने बेटियों की पढ़ाई छुड़वा दी केवल कविमोहन बेटे को पढ़ाया। लैंगिक भेदभाव समाज के विकास में बाधा डालता है। लैंगिक भेदभाव के कारण स्त्री को दायम दर्जे का समझा जाता है और इसका कन्या भ्रूण-हत्या का प्रचलन भी बढ़ा है।

कन्या भ्रूण-हत्या – उपन्यास में कन्या भ्रूण-हत्या की समस्या को उजागर किया गया है। बेटे की चाह में बेटियाँ पैदा होती गयीं इसे भी नत्थीमल अपनी पत्नी विद्यावती का दोष मानते रहे। वह पत्नी का गर्भ नष्ट करने के लिए कुनैन की पुडिया पानी के साथ पीने का निर्देश देते हैं। लेकिन विद्यावती बड़ी सफाई से टाल जाती है – “अभी मोय प्यास नायँ, पानी पिऊँगी तब फकी ले लूँगी।”⁴ वह कुनैन की पुडियाँ बारी-बारी से आंगन की मोरी में फेंक देती है। लेखिका ने बताया है कि महिलाएँ न चाहे तो भ्रूण-हत्या की समस्या से किसी सीमा तक निपटा जा सकता है। कानून इसे अपराध मानता है जिसके विरोध में ‘चिकित्सा गर्भ समाप्ति अधिनियम 1956’ में बनाया और लागू किया गया। इसमें अपराधी के लिए दण्ड विधान भी है। लेकिन बहुत आवश्यक है कि इनकी जानकारी हर पीड़िता को हो। भ्रूण-हत्या अपराध है। लेखिका ने दिशा संकेत भी दिया है कि – “अगर कोख के कल्लगाह से कन्या बच जाए और उसे इस दुनिया में आकर हुनर दिखाने का मौका मिले तो वह इतिहास गढ़ सकती है।”⁵ वह भी इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, रानी लक्ष्मीबाई की तरह इतिहास निर्माण कर सकती है। जहाँ लाला नत्थीमल के परिवार बेटियों के जन्म पर मातम था वहीं जब भविष्य में एक पोती मॉडलिंग जैसे अति आधुनिक पेशे में उतरती है और दूसरी पोती जिसके जन्म पर घर में चूल्हा तक नहीं जलाया गया वह अपनी दादी की कहानी लिखने के लिए कलम थामने का संकल्प लेती है। जिन भ्रूण की हत्या का आयोजन किया जा रहा था उसकी रक्षा के बाद वही भ्रूण कैसा दिव्य, कैसा भव्य रूप धारण करता है ये लेखिका ने बताया है। तो आवश्यक है कि कन्या भ्रूण-हत्या करवाने का निर्णय निर्वैकल्पिक और अकाट्य होना चाहिए।

नारी द्वारा नारी का शोषण – उपन्यास के नारी पात्र किसी पुरुष-पात्र द्वारा इतने प्रताड़ित नहीं होते जितने कि नारियों द्वारा। विद्यावती द्वारा तीन बेटियाँ लीला, कुन्ती, भगवती को जन्म देने के बाद

भी जब उसकी बहु इन्दु दूसरी बेटी मनीषा को जन्म देती है तो सास व ननद के स्वभाव में एक अव्यंछनीय परिवर्तन होता है। ननद व्यंग्य बाण चलाने से नहीं चूकती – “हमने तो भली सोची तुम्हारे लिए अटरिया सजाई ही कि पड़ी रहेगी महारानी जी अपनी राजकुमारियाँ लेके।”⁶ आश्चर्य की बात है कि नारी की दयनीय स्थिति के लिए पुरुषों से अधिक नारी ही जिम्मेदार है।

बाल-विवाह – बाल-विवाह नारी के लिए भयानक समस्या है। उपन्यास की सशक्त पात्र विद्यावती का विवाह छह वर्ष की आयु में मुरारी से हो जाता है। लेकिन जल्द ही मुरारी की मृत्यु भी हो जाती है। विद्यावती की माँ रोने लगती है – “अरे मेरी छोरी का अभी गौना भी नहीं हुआ, कैसे उसे विधवा मानूँ!” यह प्रसंग प्रत्येक बुद्धिजीवी को सोचने पर विवश करता है कि अबोध बच्ची का विवाह नहीं करना चाहिए। “बाल-विवाह अवरोध अधिनियम 1929 तथा 1989 एक कानून है”⁸ जो विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 और लड़की की उम्र 18 मानते हैं। इसके विपरीत अगर कोई विवाह करवाता या करता है तो उसे कैद और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। इसलिए लेखिका ने इस मुद्दे को भी जोर-शोर से उठा कर प्रबुद्ध पाठक की सुप्त चेतना को जागृत करने का प्रयास उपन्यास के माध्यम से किया है।

अनमेल विवाह – उपन्यास में लीला के माध्यम से लेखिका ने इस समस्या को उठाया है। नत्थीमल की बड़ी बेटी लीला का विवाह सोलहवें साल में छयालीस वर्षीय मन्नालाल से होता है। अनमेल विवाह के कारण लीला व मन्नालाल में रागात्मक संबंध स्थापित नहीं हो पाते। मन्नालाल का मन वैराग्य में रमता है और वही पल लीला के लिए दुःखदायी होता है। कविमोहन के माध्यम से लेखिका ने अनमेल विवाह का जोरदार शब्दों में विरोध किया है। मन्नालाल के घर छोड़कर चले जाने के प्रति कविमोहन की उदासीनता नत्थीमल को खटकती है तो कविमोहन स्पष्ट शब्दों में कहता है – “जब आपने उसका विवाह किया था तब आपने किसी से पूछा था तथा आपने मेरी सारी बहनों के विवाह बेमेल किए।”⁹ उपन्यास में लेखिका ने अनमेल विवाह का विरोध कविमोहन के माध्यम से किया है और साथ ही यह भी बताया है कि ऐसे वैवाहिक सम्बन्ध में रागात्मकता कम और समझौता अधिक होता है जिसके चलते वैवाहिक जीवन सुखी नहीं हो पाता।

पितृसत्तात्मकता – जाने-माने लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि – “भारतीय समाज हमेशा ही पितृसत्तात्मक रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप के दोनों प्रमुख धर्मों, हिंदू और इस्लाम में, महिलाओं की भूमिका ज्यादातर कमतर ही रही है। अब शिक्षित होने, घर से बाहर नौकरी करने, अपना जीवन साथी खुद चुनते हुए उन्हें अपनी वह पारंपरिक भूमिका स्वीकार नहीं है। ऐसे में, उन्हें पितृसत्तात्मक समाज के हमले झेलने पड़ते हैं।”¹⁰ उपन्यास में पहली पीढ़ी के नत्थीमल में पितृसत्ता का अहम् जितना पाया जाता है उतना दूसरी पीढ़ी के कविमोहन में नहीं। घर का मुखिया होने के कारण पत्नी, पुत्र-पुत्री की उपस्थिति नकारते हुए परिवार के सभी महत्त्वपूर्ण निर्णय वह स्वयं लेता है। फिर चाहे वह लीला का विवाह तिहाजू मन्नालाल से हो या कविमोहन का उसकी इच्छा के विरुद्ध एम.ए. करने के बजाय विवाह के बन्धन में बांध देना। स्त्रियों को शिक्षा और सम्पत्ति के क्षेत्र में कुछ अधिकार मिले हैं किन्तु पितृसत्तात्मक वर्चस्व अभी पूरी तरह टूटा नहीं है। उपन्यास में नारी जीवन के दुःखी पक्ष का ही नहीं बल्कि उसे शक्ति प्रदान कर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए भी प्रेरित कर सुखी जीवन की कामना भी की है।

नारी शक्ति – नारी शक्ति का चमत्कारी रूप उपन्यास में प्रकट हुआ है। संकल्प, संस्कार और चरित्रबल के आधार पर कोई स्त्री कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है, इसका पता उपन्यास से चलता है। इस उपन्यास में जो चरित्र सशक्त ढंग से उभरकर सामने आता है, वह है विद्यावती। सीमित शिक्षा

के बावजूद उसमें सहज व्यावहारिक ज्ञान था कि स्त्री के लिए घर-परिवार एक तरह का आजीवन कारावास होता है जिससे जीते जी छुटकारा सम्भव नहीं। सम्भवतः इसीलिए वह विपरीत परिस्थितियों में भी जीने का रास्ता निकाल लेती है। यह नारी शक्ति का द्योतक है कि पति द्वारा दी गई गर्भ मिटाने की पुडियां विद्यावती खाने के बजाय नाली की मोरी में फेंक देती है। पति के न चाहने पर भी विद्यावती बेटे को एम.ए. करने के लिए शहर भेजने पर राजी करवा लेती है। इतना ही नहीं वह छोटी बेटि भग्गो (भगवती) को भी पढ़ाती है। बेटि भगवती के दसवीं में उत्तीर्ण होने व जीवनानुभव द्वारा उसने जाना की – “पढ़ाई के बिना औरत की जिन्दगी नरक है।”¹¹ इस कथन के माध्यम से लेखिका ने सारी नारी जाति को शिक्षा के लिए अवाहित किया है। यहीं नहीं रूढ़ मानसिकता व सब कुछ सहन करने की प्रवृत्ति की आदि विद्यावती नाती-पोती की उम्र में गाँधी की विचारधारा से कुछ ऐसी प्रभावित होती है कि वहाँ पति के विरोध के बावजूद चरखा-समिति की सभाओं में सक्रिय भागीदारी लेने लगती है तथा स्वतंत्र रूप से स्वाधीनता संग्राम की कार्यकर्ता बन जाती है। विद्यावती का मनन-चिन्तन नारी जीवन की त्रासदी को उघाड़ कर रख देता है – “सोचा था आज़ादी आएगी तो रामराज्य आ जायेगा बल्कि सीता राज्य आ जायेगा। औरत को आदमी की धौंस नहीं सहनी पड़ेगी।औरत को तमाम उम्र ऐसे ही कट जाती है – कभी दुःखम, कभी सुखम।”¹² विद्यावती स्वाधीनता के अर्थ को समझती है तथा सम्पूर्ण नारी समाज को पाबंदियों की चौखट लांघ कर उन्मुक्त गगन में उड़ाने के लिए प्रेरित करती है। विद्यावती जैसी जिंदगी मिली है उसी जिन्दगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए प्रेरित करती है।

संयुक्त परिवार की बहु इन्दु को परम्परागत सास एवं ननद का व्यवहार तो सहना ही पड़ता है उस पर दो बेटियों का जन्म उसके जी का जंजाल बन जाता है। मायके एवं ससुराल की दबी-पिसी इन्दु सोचती है – “क्या स्त्री के लिए तीसरी कोई जगह नहीं होती जहाँ वह जाकर अपना मन हल्का कर ले।”¹³ स्पष्ट है विवाहपूर्व लड़की का घर पिता या भाई का होता है और विवाहोपरांत पति अथवा पुत्र का। तीसरे विकल्प के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। यही इन्दु शहर में जाकर बसने के बाद अपना जीवन अपनी इच्छानुसार जीती है। उपन्यास में अनमेल विवाह की शिकार लीला भी नारी जिजीविषा का सबल उदाहरण है। पति तीन-तीन बच्चों का बोझ उसी पर छोड़ रास-मण्डली में डूबा रहता है और कई बार घर त्याग कर चल देता है। परन्तु लीला इन विकट परिस्थितियों में भी बच्चों की परवरिश करते हुए जीने की राह निकाल लेती है।

प्रतिभा व मनीषा के रूप में ममता कालिया ने आधुनिक नारी को भी चित्रित किया है। बहुमुखी कला से निपुण प्रतिभा मॉडल बनने के जनून में घर छोड़कर बम्बई आ जाती है। वह नृत्य-विद्यालय में नृत्य की शिक्षा देती है तथा बाद में वह मॉडलिंग कर अपना स्वप्न पूरा करती है। वहीं कविमोहन की छोटी बेटि मनीषा पढ़ाई के साथ-साथ घरेलू कार्य में, परिवार के साथ समय बिताने में जीवन की सार्थकता मानती है। मनीषा सम्भवतः ममता कालिया का प्रतिरूप है। उसें भारतीय नारी के समस्त गुण विद्यमान हैं। आदि से लेकर अन्त तक वह मानवीय संवेदना को पकड़े रखती है कि चाहे दादी बीमार हो या मां वह सेवा के लिए आतुर रहती है। दादी जैसी सामान्य नारियों की जिजीविषा किसी इतिहास में दर्ज नहीं होती। अतः वह दादी की कहानी लिखने का संकल्प करती है। वह कहती है – “दादी अपनी तरह की अलबेली स्वाधीनता सेनानी थी, कभी देश के स्वतंत्रता के लिए लड़ी, कभी अपनी। अपनी शिक्षा स्वयं ग्रहण की और सारे बन्धनों के बीच रास्ता निकाला।”¹⁴ उपन्यास में सशक्त पात्र विद्यावती में जीवन संघर्ष कूट-कूट कर भरा है और वह अन्य नारी पात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं।

इक्कीसवीं सदी की नारी घर की ड्योढी को लांघ विकास की दौड़ में शामिल हो चुकी है वह खेल-खलिहान, युद्ध के मैदान, समुद्र की अटल गहराई, अंतरिक्ष की ऊँची उड़ान, संसद, बाजार प्रायः हर क्षेत्र में अपनी मेहनत व लगन के बलबूते पर प्रवेश कर चुकी है। नारी की स्थिति में परिवर्तन आया है तो समानान्तर साहित्य में नारी-छवि के प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं बल्कि पथ-प्रदर्शक भी होता है। उत्तम साहित्यिक रचनाएँ विकृत मानसिक वृत्तियों को परिष्कृत करने में सक्षम तथा सामाजिक परिवर्तन में सहायक हो सकती है। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि लेखिका ममता कालिया ने नारी जीवन के हर पहलू को जीवन्तता से चित्रित किया है। उसकी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के साथ-साथ स्वतन्त्रता और अधिकारों का जयघोष बजा कर शक्ति रूपा पुरुष के समान ला खड़ा किया है। नारी जीवन के सुखद-दुखद हर पहलू को बेवाक लेखनी के माध्यम से चित्रित करने में ममता कालिया ने सफलता प्राप्त की है। इसमें नारी अस्तित्व के अनेक प्रश्नों की गूँज और उनके उत्तरों की आहट सुनाई देती है अर्थात् लेखिका ने उपन्यास में समस्या और उनके समाधान दोनों प्रस्तुत किए हैं। अन्ततः ममता कालिया लिखित उपन्यास दुःखम-सुखम को 'नारी-मुक्ति का मानचित्र' कहना ही उचित होगा।

संदर्भ

1. महादेवी वर्मा', शृंखला की कड़ियाँ, पृ.-7
2. डॉ. हरिदास रामजी शेण्डे 'सुदर्शन', महिला अधिकार और शिक्षा, पृ.-7
3. ममता कालिया, दुःखम सुखम, पृ.-18
4. वही, वही, पृ.-100
5. कुसुम लुनिया, ऊँची उड़ान, पृ.-20
6. ममता कालिया, दुःखम सुखम, पृ.-16
7. वही, वही, पृ.-99
8. डॉ. हरिदास रामजी शेण्डे 'सुदर्शन', महिला अधिकार और शिक्षा, पृ.-58
9. ममता कालिया, दुःखम सुखम, पृ.-94
10. अमर उजाला, 4 जनवरी 2015, पृ.-10
11. ममता कालिया, दुःखम सुखम, पृ.-163
12. वही, वही, पृ.-166-167
13. वही, वही, पृ.-178
14. वही, वही, पृ.-274

भारतीय लोक साहित्य: हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के सन्दर्भ में

गायत्री शर्मा

‘लोक’ शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के “लोक” धातु में “घञ” प्रत्यय के योग से हुई है, जिसमें लोक का अर्थ है - देखना।⁽¹⁾

वैदिक साहित्य में “लोक” शब्द का अर्थ जन सामान्य से लिया गया है जहां इस शब्द को मानव समूह के पर्याय के रूप में ग्रहण किया गया है।⁽²⁾ इससे मानव की विविध अनुभूतियों का आत्मीयता के साथ बोध होता है तथा इसमें समस्त लोक जीवन का सार छिपा है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लोक मान्य, लोक व्यवहार, लोक धर्म, लोक मंगल इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है। उनके अनुसार यह शब्द मनुष्य को ही नहीं सम्पूर्ण मानव जाति की अनुभूति को समेटे हुए है साथ ही सम्पूर्ण मानव जाति का प्रतिनिधित्व भी करता है।⁽³⁾

‘संस्कृति’ शब्द मूलतः ‘कृ’ धातु से संबद्ध है जिसका अर्थ है- करना। इसके पूर्व सम् उपसर्ग तथा घञ (ति) प्रत्यय लगाने से संस्कार शब्द बनता है जिसका अर्थ है- पूरा करना, सुधारना, सज्जित करना, माँजकर चमकाना, श्रृंगार, सजावट इत्यादि।⁽⁴⁾

संस्कृति व्यापक रूप में मानव के आंतरिक एवं बाह्य क्रिया-कलापों को प्रदर्शित करने वाला व्यापक तत्व है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है। वास्तव में संस्कृति किसी भी सभ्यता की आत्मा कही जा सकती है जिससे हमें उसके सम्पूर्ण संस्कारों का बोध होता है। आज संस्कृति की अभिव्यक्ति भाषा, कला, धर्म शिक्षा, फिल्म, समाचार पत्र, रेडियों, टी.वी. आदि के माध्यम से होती है।

लोक में भरे हुए पर्व और उल्लास, लोक नृत्य, लोकगीत, लोक-कथाएं, व्रतों की कहानियाँ, व्रत, उपासना, देव यात्राएं और सच कहा जाए तो भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि लोक संस्कृति ही है। लोक संस्कृति रची नहीं जाती वह तो अपने क्षेत्र में उसी रूप में फलित होती है जिस रूप में समाज में फलित होती है। यह संस्कृति सीधे-साधे मामूली लोगों की संस्कृति है जो प्रकृति के समीपतम रहते हैं। लोक संस्कृति नैसर्गिक (बनावटी) नहीं होती है। इसका अपना कोई व्याकरण नहीं होता, इसकी अपनी कोई कठोर मर्यादायें नहीं होती। यह निश्छल एवं हार्दिक होती है। यह लोगों के मानसिक एवं सामाजिक विकास को प्रस्तुत करती है।

समाज में फैले धर्म, आचार-विचार, रीति-रिवाज, परम्पराएं और विश्वास इन सभी में लोक-संस्कृति के बीज बिखरे पड़े हैं। इसको आगे रखकर ही साहित्य या लोक-साहित्य का अध्ययन किया जाता है, इसका कारण यह है कि साहित्य ही संस्कृति का वाहक है या यों कहें कि साहित्य को बनाने का श्रेय संस्कृति को ही जाता है।

किसी क्षेत्र विशेष की लोक - संस्कृति का परिचय प्राप्त करने का सुलभ और सशक्त माध्यम लोक साहित्य ही माना जाता है।

“नागरचाल” बोली में लोक साहित्य

लोकगीत एवं लोक कथाएं लोक- संस्कृति एवं लोक साहित्य को पुष्ट करने वाले तत्व हैं। भारतीय लोक साहित्य की रचना अनेक भाषाओं एवं बोलियों में हुई है। भारत की जो लोक संस्कृति है उसके दर्शन हमें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण वहां के लोक जीवन में दिखाई देते हैं। इसी कारण सम्पूर्ण भारत वर्ष में लोक-साहित्य की रचना भी भिन्न-भिन्न प्रकार से हुई। इसी के अन्तर्गत “नागरचाल” बोली में भी लोक साहित्य रचा गया है। जो कि राजस्थान की मध्यपूर्वी राजस्थानी की जयपुरी शाखा की एक बोली है। भाषा वैज्ञानिक जार्ज ग्रियर्सन ने अपने ‘भाषा सर्वेक्षण’ ग्रन्थ में ‘राजस्थानी’ शब्द का प्रयोग भाषा समूह के लिए किया है।⁽⁵⁾

‘नागरचाल’ बोली टोंक सहित पहले उत्तर दिशा में चाकसू, कौथून, पूर्व में फागी, माधोराजपुरा, पश्चिम में मौजमाबाद, दक्षिण में बूंदी के कुछ गाँवों में यह प्रचलित रही। लेकिन वर्तमान में यह टोंक जिले की बोली है। प्राचीन खेड़ा सभ्यता (नगरफोर्ट) के अवशेष मिलने पर यहां बोली जाने वाली बोली को ‘नागर चाल’ कहा गया।

भारतीय संस्कृति के अन्तर्गत लोक जीवन को सोलह संस्कारों में विभाजित किया गया है। इन सोलह संस्कारों के अवसर पर लोक जीवन में अनेक प्रकार के लोकगीत प्रचलित हैं जो कि परम्परा से चलते आ रहे हैं। इन लोक गीतों का महत्व यह है कि यह लोगों की सुख-दुःख मयी अनुभूतियों की सामूहिक भावभीनी गेय अभिव्यक्ति होते हैं।

इसी के अन्तर्गत 16 संस्कारों के अन्दर विवाह एक मुख्य संस्कार है जिसमें नागर चाल में विवाह के अवसरों पर तरह-तरह के लोकगीत गाये जाते हैं जिसमें सबसे पहले विनायक जी (गणेश जी) को लिया जाता है। नागरचाल में ऐसी मान्यता है कि किसी भी कार्य का शुभारम्भ करने से पूर्व गणेश जी को न्यौता देना जरूरी है। अन्यथा कोई भी होता कार्य बिगड़ जायेगा। गणेश जी से संबंधित लोकगीत:-

“छोटो सो बन्दायक रग-बग चाल्ल, पाँच लाडू खाबा न
एक लाडू देवो जी बन्दायक लाडला की दाद्यान
वही गाव वही बजाव रम रह्या परवार मा।”

पित्तरी जी - नागर चाल क्षेत्र में गणेश जी के बाद परिवार के पित्तरी को याद किया जाता है। पित्तरी वे होते हैं जो असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं बाद में उनकी पूजा की जाती है।

लोकगीत: -

“छोटी सी र म्हारी राम तलाई, जी को ठण्डो पाणी र,
ल्यावे र ऊँको ठण्डो पाणी, पित्तरी न र न्हलावो रा।”

सभी देव-देवताओं का लोकगीत - विवाह या किसी भी शुभकार्य से पहले सभी देवी-देवताओं को याद करने के लिए स्त्रियां एक साथ यह लोकगीत गाती हैं।

“म्हारा माथा न मेंमद ल्यावो सा,
देखण मत जाव सा, ये आग-आग भौमिया
पाछ बजरंग बाला

यो झण्डो भैरूनाथ को, अगवाणी सातू बहणा

या जल्ल म झुल्ल शीतला, सर कल्याण मोत्या हाता।”

बियाण्या - विवाह के अवसर सुबह-सुबह गाया जाने वाला लोकगीत -

“राजा ऊँचो छ चँवरो चूँतरो जी

ज्याँ छाई छ नो रंगी सेज

हर बोलो बियाणा रो कूकड़ो जी।”

बासण :- विवाह के अवसर ऐसी परम्परा है कि दुल्हा या दुल्हन पक्ष वाली औरते कुम्हार के घर जाती है और वहाँ से बासण सिर पर रख कर लाती है जो कि परिवार के मंगल एवं सुख-समृद्धि का प्रतीक है। लोकगीत -

“कुम्हार थार आमा तो सामा ओबरो छ

कुम्हार थार सूरज सामी छ पोल्ल

कुम्हार का जी बासण घडबो छोड द्यो।”

घोड़ी - विवाह के अवसर पर जब दूल्हे की निकाशी (बिन्दोरी) निकाली जाती है तो उससे पहले घोड़ी को इंगित कर स्त्रियां यह लोकगीत गाती है -

“तो तो चाल्ल म्हारी लीलड़ी, दादाजी री पोल्या चाल्ल, बाबा जी री खख्रख्र

घोड़ी चाब चणा की दाल, राय बर जीम भूरा भात।”

भात/मायरा - विवाह के अवसर पर भात भरने की परम्परा लम्बे समय से चली आ रही है। नरसी जी ने जैसे नान्ही बाई का मायरा भरा था। वैसे ही पीहर पक्ष की तरफ से भाई/पिता अपनी बहिन या पुत्री को उपहार स्वरूप वस्त्र, गहने आदि भेंट करते हैं। फलस्वरूप बहिन भाई की आरती उतारती है तथा उसे भोजन में घी डालकर भात/चावल खिलाती है। इस अवसर पर औरतों द्वारा वीरा/भाई को संबोधित कर लोकगीत गाया जाता है।

“इमला का पत्ता सूँ बीरो नूत आई सा

बीर थारी बहु बुरी छ र

वा क पाछ सू रखड़ी घडाई ल्याजे र

जामण जाया हजारी थारी बांट न्हालु र।”

नागर चाल के सांस्कृतिक लोकगीत :- विवाह या अन्य संस्कारों पर गाये जाने वाले लोकगीतों के अलावा नागर चाल में कुछ सांस्कृतिक लोकगीत भी गाये जाते हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिनमें पोदीना, जीरो, बूल्यो, थाली आदि हैं। ये वह लोकगीत हैं, जिसमें खेत पर काम करने वाले किसान अपनी थकान को दूर करने के लिए अपने उद्गारों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्ति देते हैं।

पोदीना :- इस लोकगीत में एक खेत में काम करने वाली महिला अपने पति को खुश करने के लिए अपने भावों को इस प्रकार अभिव्यक्ति देती है।

“ओ लूण जाय र हरिया पोदीना

ओ झुक जाय र हरिया पोदीना

थन सल्या पर बटवाऊँ र हरिया....”

जीरा - इस लोकगीत में एक किसान महिला अपनी परेशानियों एवं कठिनाईयों को अपने भावों के द्वारा उसके पति के समक्ष प्रस्तुत करती है।

“मत बाव म्हारा परण्या जीरो, यो जीरो जीव को बैरी छः,
मत बाव म्हारा परण्या, पीलो ओढ जीरा मं चाल्ली
जीरो पड्ग्यो पील्लो र मत बाव.....।”

बूल्हो - इस लोकगीत में एक ग्रामीण महिला का पति विदेश रहता है तथा वह घर पर अपने छोटे से देवर से छेड़ छड़ करती हुई अपने स्नेह को इस प्रकार अभिव्यक्त करती है।

“बूल्ह्या जरा सो नीचो लड जा र
देवर झुड पातड्या भोजाया बीण रा।”

थाली - नागर चाल के ग्रामीण क्षेत्र में जाट जाति के किसान अधिकांशतः निवास करते हैं। इस लोकगीत में एक जाट की बेटी ने अपने धणी (पति) के सामने अपने भावों की अभिव्यक्ति इस तरह की है-

“थाली भर कर लाई र खीचडो, ऊपर घी की बाट की
जीमो म्हारा श्याम धणी, जीमाव बेटी जाट की।”

निष्कर्ष :- जैसा कि हम मानते हैं कि साहित्य का संबंध जनजीवन से होने के कारण यह उसका आधार भूत तत्व होता है। मेरे मतानुसार लोक साहित्य की कोई सीमा व नियमावली नहीं होती। वह तो सामान्य जन के हृदय के स्वच्छन्द उद्गार होते हैं। इसी कारण लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य समाज की आत्मा का प्रतिबिम्ब है। यदि सही बात कही जाय तो मेरे मतानुसार हमारी सर्वांगीण संस्कृति की पहचान हमारे लोक जीवन की बहुरंगी गतिविधियों में ही अंकित है। जिन कार्य कलापों में हमारे देश की जनता की आत्मा मुखरित होती है, जिनसे हमारा जीवन, धर्म, कला, विश्वास, रीति-रीवाज एवं हमारे संस्कारों को वाणी मिलती है, उसे गंवारू एवं असंस्कृत लोगों की बात कहकर टालना उचित तो नहीं कहा जा सकता। लोक साहित्य परम्परागत रूप से चलता आया है और चलता रहेगा। लोक साहित्य प्रायः मौखिक होता है और जब तक यह मौखिक है तब तक ही इसमें ताजगी एवं जीवन है। इसके पीछे कारण यह है कि अगर इसे लिपि की कारा में रख दिया जायेगा तो इसकी संजीवनी शक्ति नष्ट हो जायेगी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. हिन्दी साहित्य कोश - भाग - 1 सं. धीरेन्द्र वर्मा
2. बैदिक संस्कृति और सभ्यता - मुंशीराम शर्मा
3. चिन्तामणि भाग-1 - आचार्य राम चन्द्र शुक्ल
4. भारतीय संस्कृति का विकास - एस.एम. चाँद
5. नागर चाल के सांस्कृतिक लोकगीत - डॉ. रेणु वर्मा
6. भारतीय समाज एवं संस्कृति - एम.एल. गुप्ता एवं डी.डी. शर्मा
7. वीणा - ग्राम संस्कृति - अंक फरवरी, मार्च 1971
8. मैथिली लोक साहित्य का अध्ययन - डॉ. ताराकान्त मिश्र
9. सूर साहित्य में लोक संस्कृति - आधा प्रसाद त्रिपाठी
10. नागर चाल लोक साहित्य और संस्कृति - डॉ. रेणु वर्मा

वैदिक वाङ्मय में अनुस्यूत पर्यावरण संरक्षण

डॉ० प्रसून दत्त सिंह

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, जमशेदपुर वर्कर्स महाविद्यालय, जमशेदपुर

पृथ्वी पर व्याप्त पर्यावरण प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ वरदान है। प्रकृति में जो भी परिलक्षित है- वायु, मिट्टी, जल, जन्तु, वनस्पति -सभी मिल कर पर्यावरण की रचना करते हैं। भौतिक तथा जैविक परिस्थितियों का सम्मिलित आवरण ही पर्यावरण है जो सम्पूर्ण मंडल को घेरे हुए है। मनुष्य भी पर्यावरण का एक भाग है। मानव ने ही अपने विलक्षण मस्तिष्क की अद्भुत क्षमता के कारण पर्यावरण अध्ययन को एक विज्ञान के रूप में धारण किया है।¹

वर्तमान में हमारे देश में पर्यावरण के संरक्षण तथा अभिकरण और अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व वन तथा पर्यावरण मंत्रालय को सौंपा गया है।² भारतीय संविधान में भी पर्यावरणीय मूल्यों का वर्णन है। संविधान यह आशा करता है कि देश का प्रत्येक नागरिक नदियों, झीलों, वनों और वन्यजीवों के साथ ही प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करेगा तथा प्राणियों के प्रति करुणा का दृष्टिकोण रखेगा।³

हमारे लिए हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है और भारतीय-संस्कृति की जड़ों में है वन, वृक्ष, पानी, भूमि यानी पूरी प्रकृति। कोई भी वृक्ष अपनी जड़ों के साथ जुड़ा रहता है और अगर उसे जड़ से अलग कर दिया जाए जो वह सूख जाता है। उसी तरह किसी भी समाज की जड़ उसका अतीत होता है। अगर उसको उसके अतीत से काट दिया जाए तो वह भी तरक्की नहीं कर पाता है। हमें भी अपने अतीत की संस्कृति से अपने को दोबारा जोड़ना होगा।⁴

वेदों और ब्राह्मणों के अनुसार भी पर्यावरण का स्वरूप कुछ इसी प्रकार का है। आकाश, पृथ्वी, समस्त जीवजगत्, समुद्र, चन्द्रमा और वायुमण्डल - ये सब उसके अवशिष्ट हैं-

उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम्।

आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः।।⁵

सर्वप्रथम वेदों में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणाएं दृष्टिगत होती हैं। भारत में प्राचीन काल से ही सूर्य, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, वनस्पतियों, सरिताओं, जलाशयों, आदि प्रकृति के उपादानों को पूजने की परम्परा रही है। जीवों एवं पेड़पौधों की उपयोगिता के अनुसार ही उन्हें धार्मिक एवं सामाजिक महत्व प्रदान किया गया है। इसका मुख्य कारण पर्यावरण संरक्षण ही है।

तुलसीदास ने इस संसार को पांच मुख्य पदार्थों से रचित माना है-

क्षिति, जल, पावक गगन, समीरा,

पंच रचित अति अधम सरीरा।⁶

इसी बात को तैतिरीय श्रुति के अनुसार इस प्रकार व्यक्त किया गया है- ब्रह्माण्ड के पारिस्थितिकी चक्र में- परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी आविर्भूत हुई। पृथ्वी से औषधियां, ओषधियों से जल, जल से अन्न और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ।⁷ इस कड़ी में कोई एक भी बिगड़ जाए या प्रदूषित हो जाए तो यह शृंखला टूट जाती है।

आकाश- वेदकालीन ऋषि आकाश या अंतरिक्ष की रक्षा के लिए तत्पर थे और उसके लिए यज्ञ भी करते थे। पृथ्वी के ऊपर अन्तरिक्ष विमान की तरह ताना हुआ है। अन्तरिक्ष द्वारा द्यावापृथिवी का स्तम्भन हो रहा है। अतएव यजुर्वेदीय जन अन्तरिक्ष के संरक्षण के लिए सजग थे।

वैदिक ऋषियों का ऋतुओं का पर्यवेक्षण और वृष्टि आदि का अनुमान किस प्रकार आज ऋचाओं में प्रकिलित देखा जा सकता है, इस पर भारत के मटेरियोलोजी विभाग के उपमुख्य नियंत्रक रहे विद्वान् ए.एस. रामनाथन् ने विस्तृत अध्ययन कर “वेद साइन्स इन एन्शेंट इन्डिया” आदि अनेक पुस्तकें लिखी हैं। किस प्रकार मरुद्गणों को वृष्टि का प्रेरक मानने की प्राचीन अवधारणा मानसूनी हवाओं के विज्ञान की पूर्वज है, यह इन अध्ययनों से स्पष्ट हो जाता है।⁸

वायु- वेदों में वायु को स्वच्छ बनाए रखने के लिए कई मन्त्र हैं। शुद्ध वायु स्वस्थ जीवन की पहली शर्त है। ऋग्वेद में कहा गया है कि शान्तिप्रद, औषधीयगुणों से युक्त एवं सुखदायी वायु हमारे चारों ओर बहे और आयु प्रदान करे। यजुर्वेद में भी वायु के महत्व को स्वीकार किया गया है।⁹

आज वायुमंडल में अत्यधिक रसायनों को छोड़ने से वायु प्रदूषण हो चुका है। अतः हम मानवों का कर्तव्य है कि वायुमंडल को दूषित न होने दें। औद्योगीकरण उसी सीमा तक हो जिस स्थिति तक पर्यावरण प्रदूषित न हो। हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक निर्णय पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही लिए जाने चाहिए। यदि किसी प्रकार के विकास से हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों को ठेस पहुंचती हो तो उस प्रगति और विकास को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।¹⁰

अग्नि- वैदिक काल से ही मनुष्य ऊर्जा के प्रयोग में सावधान और विवेकशील था। ऋग्वेद का पहला मंत्र भी इसी कारण अग्नि की स्तुति के साथ ही शुरु होता है-

अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्।¹¹

अग्नि सृष्टि का आदि देवता है। महातेजस्वी और प्रबल अग्नि उपासकों को राक्षसों, धूर्तों, कंजूसों, हिंसकों और घातकों से बचा लेता है। वस्तुतः ये पद रोगबीजों के वाचक हैं। अग्नि में तप, हर अर्चि, शौचिः एवं तेजः- ये शक्तियां हैं। अग्नि अपनी इन शक्तियों का प्रयोग प्रदूषक तत्वों के विनाश के लिए करता है, जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार अग्नि सभी दुरवस्थाओं का नाश करके मानव को दुःखों से पार ले जाता है।¹² ऋग्वेद में प्रदूषण की समस्या का समाधान बतलाते हुए कहा गया है कि ऊपरी भाग की समस्या को सूर्य, मध्यभाग की समस्या को वायु तथा नीचे के भाग की समस्या को अग्नि हल करता है-

सूर्यो नो दिवस्पातु वातो अन्तरिक्षात्।

अग्निर्नः पार्थिवेभ्यः।

कीटाणु और विषाणु ऐसे पर्यावरण प्रदूषक तत्व हैं जो रोगों द्वारा मानव को संतप्त व अस्वस्थ कर देते हैं। अग्नि रोगकृमियों को एवं उनकी मर्यादा को नष्ट करता है। जो राक्षस आदि मानवशरीर, गौओं और घोड़ों के रस का अपहरण करना चाहते हैं उन्हें अग्नि मार डालता है। शरीर क्षीण करनेवाले अपशिष्ट भोजन तथा पेय पदार्थों में प्रविष्ट होकर सताने वाले रोगों तथा कीड़ों को नष्ट करके अग्नि मानव को निरोगी बनाता है।¹³

जल- सृष्टि की संरचना में जल प्रथम तत्व था। सर्वत्र जल व्याप्त था और उसी के बीच ब्रह्माण्ड स्थित था। अथर्ववेद में जल में अमृत के गुणों का समावेश सिद्ध किया गया है, वहीं जल की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है-

शुद्धाः सतीस्ता उ शुम्भन्त एव ता न स्वर्गमभि लोकं नयन्तु।¹⁴

एवं

आपो अग्रे विश्वमावन् गर्भं दधाना अमृता ऋतज्ञाः।¹⁵

अथर्ववेद में कहा गया है कि शुद्ध जल के कारण इस धरती पर ही मानो स्वर्ग उतर आता है। ऋग्वेद में जल के प्रायः चार सौ पर्यायवाची लिखकर उसकी महत्ता को निरूपित किया गया है। निर्मल जल को ऋग्वेद में प्रथम ओषधि माना गया है। जल में पूर्ण ओषधितत्व होते हैं। शुद्ध जल चाहे वर्षा का हो, जमीन से खोदकर निकाला जाए अथवा स्वतः आवे, उसके संग्रह का निर्देश दिया गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि अग्नि मानव को तेज, प्रजा एवं दीर्घायु प्रदान कर सकती है। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि थूक, रक्त, मलमूत्र एवं रेतस् आदि जल में नहीं डालना चाहिए। इसी तरह के विचार मनुस्मृति में भी आते हैं।¹⁶

पृथ्वी- पृथ्वी को मनुष्यों की माता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है क्योंकि हम सभी इसी माता की गोद में अवस्थित हैं-

माता भूमिः पुत्रे अहं पृथिव्याः।¹⁷

अथर्ववेद का भूमिसूक्त कहता है-

यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु।

मा ते मर्म विमृग्वरि मा ते हृदयमर्पिपम्।¹⁸

अर्थात् हे धरती माता! जब हम ओषधियां, कंद आदि निकालने के लिए अथवा बीज बोने के लिए अथवा खनिजों के लिए- आपको खोदें तो वे शीघ्र उगें- बढ़ें। अनुसंधान के क्रम में अथवा किसी भी अन्य प्रकार से हमारे द्वारा आपके मर्मस्थलों को अथवा हृदय को हानि न पहुंचे।

आज हम अपने अनुसंधान के क्रम में धरती को क्षत-विक्षत करने पर उतारू हैं। ऋषि हमें इस संबंध में हृदयहीन होने से रोकते हैं। ऋषियों को यह ज्ञात था कि पृथ्वी में एक ऐसी विलक्षण क्षमता है कि वह एक सीमा तक निकाली गयी वस्तु को पुनः उत्पन्न कर देती है किन्तु कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो विनष्ट हो जाने पर फिर उत्पन्न नहीं हो पाती। संभवत उन्हें ही इस मन्त्र में 'हृदय' और 'मर्म' कहा गया है। 'अवतां त्वा द्यावा पृथिवी अव त्वं द्यावा पृथिवी' अर्थात् यदि हम द्यावापृथिवी की रक्षा करेंगे तो वे हमारी रक्षा करेंगे।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी से कई प्रकार से प्रार्थनाएं की गयी हैं। वेद में पृथ्वी को ओषधियों की माता भी कहा गया है-

विश्वस्वं मातरमोषधीनाम्।¹⁹

यज्ञ- यज्ञों की चर्चा के बिना वैदिक वाङ्मय की चर्चा पूरी नहीं हो पाती। सृष्टि की समस्त प्रक्रिया वेदों में यज्ञमय कही गयी है। यज्ञ के ओषधयुक्त धुएं से वातावरण के कई विषाणु नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति की निरोगता पर्यावरण रक्षा से संभव है और पर्यावरण रक्षा यज्ञ से। शतपथब्राह्मण में कहा गया है- 'यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म।' यजुर्वेद में यज्ञ को भुवन की नाभि कहकर उसकी महत्ता बतलायी गयी है -

अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः।²⁰

वृक्ष- वनस्पति और मानव का आदिकाल से ही अटूट संबंध रहा है। मनुष्य का जीवन, कार्यकलाप, सभ्यता और संस्कृति- सभी कुछ वनस्पति से प्रभावित रहे हैं। वनस्पति की उपस्थिति

मानव एवं प्रकृति में एक पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती है। राष्ट्रीय वननीति के अनुसार पारिस्थितिक संतुलन के लिए क्षेत्रविशेष का एक तिहाई भाग वनों के अन्तर्गत अपेक्षित है, परन्तु आज के बढ़ते हुए औद्योगीकरण से वनों का न केवल अविवेकपूर्ण शोधन ही हुआ है अपितु उनका क्षेत्रफल भी संकुचित हो गया है। इससे सम्पूर्ण वातावरण प्रदूषित एवं असंतुलित होकर मानव के अस्तित्व के लिए एक समस्या बन गया है। यही कारण है कि आज सम्पूर्ण विश्व वनस्पति के विकास, उसके संवर्धन एवं संरक्षण के लिए चिंतित हो उठा है।²¹

भारत में वृक्षों की महत्ता सभी कालों में गायी जाती रही है। बहुत से वृक्षों की हरी पत्तियां आज भी शुभावसरों पर मण्डपों या द्वारों पर तोरण के रूप में बांधी जाती हैं। हेमाद्रि ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर लिखा है कि अश्वत्थ, उदुम्बर, प्लक्ष आम एवं न्यग्रोध की टहनियां एवं पत्तियां, पञ्चभंग कही जाती हैं और सभी कृत्यों में मंगलमय मानी जाती हैं।²² यजुर्वेद में कहा गया है-

ओषध्यास्ते मूलं मा हिंसिषम्²³

साथ ही,

अतस्त्वं देव वनस्पते शतवल्शो विरोह,
सहस्र वलशा विवयं रुहेम।²⁴

महाभाष्यकार ने एक अति प्राचीन पद्य का अंश उद्धृत किया है-

आम्राश्च सिक्ताः पितरश्च प्रीणिताः।²⁵

अर्थात् जो आम्रवृक्ष को सींचता है और उसकी सेवा करता है उसके पितर उससे प्रसन्न होते हैं।

ओषधियों को माता के समान हितकारी एवं देवी के समान सुखकरी कहा गया है।

अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त मुख्यतः पर्यावरण एवं उसके संरक्षण की बात करता है। ऋग्वेद में वनदेवी को 'अरण्याणी' कहा गया है। वह सभी जीव जन्तुओं की माता के रूप में बतलायी गयी है -

ओषधीरिति मातरस्तद्गो देवीरूप ब्रूवे।²⁶

विष्णुधर्मसूत्र में कहा गया है कि 'वृक्षारोपयितुर्वृक्षाः परलोके पुत्र भवन्ति'²⁷, अर्थात् वृक्ष अपने रोपने वाले लोगों के लिए परलोक में पुत्र के समान होते हैं अर्थात् पुत्रवत् उनकी सेवा करते हैं। यही भाव महाभारत के अनुशासन पर्व में भी मिलता है-

वृक्षदं पुत्रवद् वृक्षास्तारयन्ति परत्र च।

तस्मात्तडागे सद्वृक्षाः रोप्याः श्रेयोर्थिन सदा।

पुत्रवत्परिपाल्याश्च पुत्रस्ते धर्मतः स्मृताः।।²⁸

उत्सर्ग मयूख के अनुसार-

अश्वत्थमेकं पिचुमर्दमेकं न्यग्रोधमेकं दश-चिचिणीकम्।

कपित्थ-बिल्वामलक त्रयं च पंचाम्रवापी नरकं न पश्येत्।।²⁹

अर्थात् जो व्यक्ति एक अश्वत्थ या एक नीम या एक न्यग्रोध या दस इमली या तीन कपित्थ, बिल्व तथा आंवला या पांच आम के पेड़ लगाता है, वह नरक में नहीं जाता है।

पहले वनों का प्रबन्ध सरकार द्वारा निर्मित कायदे कानून से नहीं होता था बल्कि सामाजिक परम्पराओं धार्मिक रीति-रिवाजों और दिनचर्या में इस तरह की व्यवस्थाएं प्रचलित थीं कि शासन एवं

जनसाधारण द्वारा पालन किए जाने से स्वतः ही वनों का प्रबन्धन हो जाता था- हरे वृक्ष को नहीं काटना, रात्रि में वृक्षों के पत्ते नहीं तोड़ना, प्रत्येक जाति का एक कुलवृक्ष होना, मृतकों की स्मृति में श्मशान के निकट पीपल का वृक्ष लगाना, बिल्वपत्रों से शिवजी की पूजा करना, राजस्थान में दशहरा पर खेजड़ी वृक्ष का पूजन, गांव की पथवारी पर कुंआ खोदना एवं वृक्ष लगाना, खेजड़ी के नीचे भैरुजी की स्थापना आदि वृक्ष संरक्षण की ही परम्पराएं हैं। तीज-त्यौहारों, उत्सव-पर्वों, वसन्तपंचमी आदि के अवसर पर वृक्षों की पूजा करना यहां की प्राचीन परम्परा रही है।³⁰

सारांशतः वृक्षों और वनों का प्रबन्धन सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग था। संभवतः इसलिए भारत की प्राचीन संस्कृति को अरण्य संस्कृति कहा जाता है। वृक्षों की महत्ता और जीवन पर उसके प्रभाव से वैदिककालीन ऋषिगण पूरी तरह परिचित थे। यजुर्वेद का एक मंत्र इसी बात की पुष्टि करता है-

उपह्वरे गिरीण संगमे च नदीनाम्।

धिया विप्रो अजायत।³¹

पुराणकार ने तो वृक्षों को पुत्रों से भी अधिक महत्त्व दिया है- 'दशपुत्रसमो वृक्षः'³²

आयुर्वेद में जीवन की चर्या और उपचार के आधार हमारी जड़ीबूटियां, पर्यावरणीय दशाएं और तदनुकूल व्यवहार ही बतलाए गये हैं। आधुनिक विज्ञान ने इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी आदि घटकों तथा विज्ञान एवं तकनीक की प्रगति के साथ साथ पर्यावरण समस्याओं में बढ़ती भी हुई है। इस स्थिति में ग्रीनहाऊस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिक आदि प्रघटनाओं के अध्ययन के द्वारा पर्यावरणीय ज्ञान में बहुत विस्तार हुआ है- यह अवश्य निर्विवाद सत्य है।³³ पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के लिए वेदों से लिया गया मार्गदर्शन बहुत उपयोगी एवं लाभप्रद है।

पर्यावरण चेतना का रचनात्मक स्वरूप यह है कि मनुष्य परिस्थितिकी संतुलन को सुरक्षित रखे एवं पर्यावरण प्रदूषण न करे। वेदों में पर्यावरण की शुद्धि, सुरक्षा एवं पर्यावरणसंबंधी अन्य वैज्ञानिक, सूक्ष्मातिसूक्ष्म विवेचन प्राप्त होता है। प्रकृति समष्टि की मूलशक्ति है। यह शक्ति जिन विविध रूपों में अभिव्यक्त होती है, उसमें वैदिक आर्यों ने देवत्व की परिकल्पना की है। देवता सृष्टि रचना के मूलाधार, निर्माता और घटक तत्व हैं। वे पर्यावरण के परिचालक, परिपोषक और उपकारक तत्व हैं।³⁴

विश्व एक ऋत अथवा व्यवस्था में बंधा हुआ है। सृष्टि में मानव अनृतरूप है- 'सत्यमेव देवा अनृतं मनुष्याः'। मानव अनृत आचरण कर सृष्टि की गतिशील नियमबद्ध व्यवस्था में गतिरोध उत्पन्न कर पाप करता है और पर्यावरण संकट का कारण बन जाता है। इस समस्या का समाधान है कि मानव पाप से बचे तथा पाप होने पर देवताओं से बचाने की प्रार्थना करे अर्थात् उन देवरूपी प्राकृतिक शक्तियों की सहायता से प्रदूषणरूप पापों को दूर करने का प्रयास करे।³⁵

वेदों में अनेक देवों से पाप से बचाने और पाप हो जाने पर बचाने की प्रार्थनाएं प्रचुर रूप में की गयी हैं। इस प्रकार की प्रार्थनाओं का मनोवैज्ञानिक प्रभाव यह होता है कि मानव निष्पाप होने का प्रयास करता है। वह प्रदूषणरूपी पाप होने पर संबंधित देवतारूपी प्राकृतिक शक्तियों के माध्यम से उसके निवारण का प्रयास करता है।³⁶

पशु पक्षी- प्रकृति की ऐसी संरचना है जिसमें पृथ्वी के सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे पर अवलम्बित हैं। हमारे ऋषि-मुनियों ने प्राकृतिक रहस्य को अच्छी तरह से समझा था। इसीलिए उन्होंने वृक्षों तथा पशुपक्षियों की पूजा करना आरम्भ किया था। उन्होंने धर्म से जोड़कर उन सभी बातों को इसीलिए अपने जीवन में ढाला था ताकि पृथ्वी के सभी जड़चेतन प्राणियों के प्रति

हम सबका आदर भाव बना रहे। हमारे ऋषि भलीभांति जानते थे कि यदि हमने पर्यावरण और अपने परिवेश के साथ समन्वय नहीं किया तो हमारा जीवन सुखदायी नहीं हो सकता। आज के वैज्ञानिकों ने भारत के इस दर्शन को पूरी तरह से मान लिया है कि पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए पारिस्थितिकीय (इकोलोजी) संतुलन बनाए रखना अत्यावश्यक है। यदि प्रकृति का अंधाधुंध शोषण होता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि सारी पृथ्वी प्राणहीन मरुभूमि बनकर रह जाएगी और जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए विश्व में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का सबसे अधिक महत्व है। ईशावास्योपनिषद् में ऋषि संसाधनों के सदुपयोग की सर्वोत्तम शिक्षा देते हैं-

ईशावास्यामिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥³⁷

ये प्रकृति के अमूल्य जीव हैं जिनके रहने से यह पृथ्वी, पृथ्वी बनी रह सकती है। इसलिए वन्य जीवों का संरक्षण करना आज विश्व में मानव का पहला कर्तव्य हो गया है। इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर विश्व के वैज्ञानिकों ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वन्य जीवों की सुरक्षा करने का निर्णय लिया है। इसीलिए विश्व के अनेक देशों में जीवमण्डल क्षेत्र बन गए हैं, जहां वन्यजीवों की सुरक्षा का सबसे अधिक प्रबन्धन किया गया है।³⁸

तैत्तिरीय ब्राह्मण भी इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहता है-

“शंस्य पशून्मे गोपाय। द्विपादो ये चतुष्पदः। अष्ट शफाश्च य इहाग्ने। ये चैकशफा आशुगाः।”

अर्थात् हमारे पशुओं की रक्षा करो। दोपाए, चौपाए, चिरे हुए खुरवाले, जो तेज नहीं दौड़ पाते और बिना चिरे हुए एक शफ वाले जो तेज दौड़ने वाले पशु हैं - ये सब हमारे अंग हैं।

समस्त प्राणिजगत भी पर्यावरण का अंग है। इसी का प्रतीक धर्म की यह अवधारणा भी है कि प्रत्येक देवता वाहन के रूप में किसी न किसी पशु या पक्षी से जुड़े हुए हैं। सरस्वती ने हंस, दुर्गा ने सिंह, लक्ष्मी ने उल्लू, शिव ने बैल, गणेश ने चूहा, कार्तिकेय ने मोर, इन्द्र ने हाथी, तथा इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी अलग अलग पशुपक्षियों को अपना वाहन बनाया है। यह पशुपक्षियों को महत्त्व प्रदान करने का ही सूचक है। हर पशु और पक्षी पारिस्थितिकी के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। अतः प्राचीन ऋषियों ने इन्हें धर्म और देवों के साथ जोड़कर इनका महत्त्व अक्षुण्ण रखने का एक प्रयास किया है।

आज विश्व के समक्ष पर्यावरण की समस्या विकराल रूप में हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में वेद के पर्यावरण संरक्षण के सिद्धान्त हमारा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। वे पर्यावरण प्रदूषण के कारण, उसके निवारण के उपाय के साथ ही उसका संरक्षण कैसे किया जाय - यह भी बतलाते हैं। आज आवश्यकता इतनी सी है कि इसे समसामयिक परिप्रेक्ष्य में व्याख्यायित कर जन-जन के लिए बोधगम्य बनाया जाए। तभी पर्यावरण प्रदूषण पर विराम लगेगा एवं व्यक्ति इसके संरक्षण के प्रति सजग रहेगा।

संदर्भ सूची

1. तेली डा बी एल एवं नाटानी प्रकाश नारायण - पर्यावरण अध्ययन पृ.-7, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, 2008
2. जैन रमेश - भारत में मीडिया कानून, पृ. 190, पंचशील प्रकाशन जयपुर,
3. ज्ञा द्विजेन्द्रनारायण एवं श्रीमाली कृष्णमोहन, प्राचीन भारत का इतिहास हिन्दी कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्व विद्यालय, 1998

4. बहुगुणा सुन्दरलाल - दैनिक भास्कर (मधुरिमा पृ. 1) 4 जून 2014
5. अथर्ववेद - 11/9/2
6. तुलसीदास - रामचरितमानस - किष्किन्धाकाण्ड
7. शास्त्री शंकरलाल - संस्कृत वाङ्मय में पर्यावरण (शास्त्री देवर्षि कलानाथ - पुरोवाक्) पृ. XV, हंसा प्रकाशन जयपुर, 2009
8. पूर्वोक्त पृ. XV,
9. पूर्वोक्त पृ. XV,
10. तेली एवं नाटानी - पर्यावरण अध्ययन - पृ. 211 पूर्वोक्त
11. ऋग्वेद -1/1/1
12. सौजीत्र डा. विजय एस - वैदिक संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पृ. 140, पैराडाइज पब्लिशर्स, जयपुर 2011
13. पूर्वोक्त पृ. 141
14. अथर्ववेद - 12/3/26
15. अथर्ववेद -4/2/6
16. मनुस्मृति - 4/45-47
17. अथर्ववेद - 12/1/12
18. अथर्ववेद - 12/1/35
19. अथर्ववेद - 12/1/17
20. यजुर्वेद -3/34/5
21. साहनी कविता - पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण - पृ. 126, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007।
22. काणे पी.वी., धर्मशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ. 474 उ.प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ, चतुर्थ संस्करण 1992
23. यजुर्वेद - 1/25
24. यजुर्वेद - 5/43
25. महाभाष्य - जिल्द 1 पृ. 14
26. ऋग्वेद - 12/1/27
27. विष्णुधर्मसूत्र - 91/4
28. महाभारत - अनुशासन पर्व 58/30-31
29. उत्सर्ग मयूख, पृ. 16
30. साहनी कविता, पूर्वोक्त पृ. 96
31. यजुर्वेद, 26/15
32. मत्स्य पुराण - 154/512
33. शास्त्री शंकरलाल - पुरोवाक् पूर्वोक्त पृ. XVIII
34. सौजीत्र पृ. 72-73 पूर्वोक्त
35. सौजीत्र पृ. 76 पूर्वोक्त
36. सौजीत्र पृ. 76 पूर्वोक्त
37. ईशावास्योपनिषद् -1
38. साहनी कविता पृ० 94 पूर्वोक्त

महाकवि कालिदास के मालविकाग्निमित्रम् नाटक में संगीत-योजना: एक विवेचन

मनोज कुमार सिंह

शोध छात्र, संस्कृत विभाग, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा

“मालविकाग्निमित्रम् ” नाटक की संगीत योजना कालिदास के अद्भुत नाट्य कौशल की परिचायिका है। कालिदास की प्रथम नाट्य रचना होने पर भी यह नाट्य शिल्प की दृष्टि से पूर्णतः परिपक्व है। भारतीय नाट्यकला में संगीत की महती भूमिका है।

संगीत के बिना नाट्यविद्या अकल्पनीय है। नाट्य प्रयोग को सफल तथा प्रभावोत्पादक बनाने में गीत, नृत्य और वाद्य का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। संगीत रत्नाकर में गीत, वाद्य और नृत्य तीनों के एकीकृत और समन्वित रूप को ही संगीत कहा गया है- “गीतंवाद्यं तथा नृत्यं त्रयं-सङ्गीतमुच्यते।” संगीत का अपर नाम तौर्यत्रिक भी है।

“मालविकाग्निमित्रम्” में संगीत योजना सम्यक् ढंग से हुई है। संगीत नाटक का प्राणभूत तत्त्व है। नाट्यशास्त्र ” में आचार्य भरत ने नाट्य संग्रह के एकादश (II) तत्त्वों में अभिनयादि के समान ही संगीत को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। नाट्यकला के साथ संगीत का आनुषंगिक सम्बन्ध है, इसे नाट्य की शय्या कहा गया है।

गीत या गीति का ही नाट्य प्रकार ध्रुवागीति है। नाटक के पाठ्य में अनिबद्ध को छोड़कर निबद्ध पाठ्य में स्थल विशेष पर आयोजित ध्रुवाओं का अपरिहार्य महत्त्व है। ध्रुवागीति के अतिरिक्त नान्दी तथा भरतवाक्य निबद्ध पाठ्य के अनिवार्य अंग है।

नृत्य आदिकाल से ही नाट्य का अविभाज्य अंग है। मूल शब्द नृत है। नृत / नृत्त का ही गीत तथा अभिनयादि से समायोजन हो जाने पर वह नृत्य हो जाता है जो पदार्थभिनय का कारक है। मधुर और उद्धत भेद से इसके दो रूप दृष्टिगत होते हैं- ताण्डव और लास्य। “मालविकाग्निमित्र” में द्वितीय अंक के अन्तर्गत मालविका का छलित नृत्य विशुद्ध शास्त्रीय है।

संगीत का प्रभाव मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीव जन्तुओं पर भी पड़ता है। रंगशाला से मृदंग का गम्भीर घोष सुनकर मयूर मेघगर्जन समझ कर भ्रान्ति में नृत्य करने लगते हैं। मालविका के गायन तत्पश्चात् छलित नृत्य की प्रस्तुति में अपेक्षित नाट्यतत्त्वों क्रमशः सूचा (अवृत्), नृत तथा शाखा, लय तथा रागबन्ध का परिचय प्राप्त होता है। इस नाटक में वाद्य प्रयोग में बार-बार मृदंग का ही नाम आता है। इस नाटक में प्रसंगवश मायूरी और मार्जना का प्रयोग मृदंग के प्रसंग में हुआ है। वस्तुतः कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक की संगीत योजना में अत्यन्त साफल्य लाभ किया है।

नाटक में संगीत अत्यपेक्षित तत्त्व है। एकादश नाट्यसंग्रह में संगीत की भी गणना की गई है। नाट्यशास्त्र में अन्य शास्त्रों तथा कलाओं की भाँति संगीत शास्त्र पर भी बल दिया गया है। संगीत नाटक का सहजात सहचर है।

“मालविकाग्निमित्र” कालिदास की प्रारम्भिक नाट्य रचना है तथापि नाट्यशिल्प की दृष्टि से अत्यन्त परिपक्व है। “मालविकाग्निमित्र” नाटक के आरम्भिक अंकों में संगीत का प्रचुर प्रयोग है। विशेषतः द्वितीय अंक इस सन्दर्भ में उल्लेख्य है।

भारतीय नाट्यकला में संगीत का स्थान अपरिहार्य है और संगीत के बिना नाट्यविद्या अकल्पनीय है। नाट्यप्रयोग को प्रभावोत्पादक तथा सफल बनाने में नाट्य (अभिनय) के साथ गीत, नृत्य और वाद्य का प्रयोग निश्चित रूप से महान् योगदान करता है। पाट्य, अभिनय और रसादि का ग्रहण ब्रह्मा ने ऋग्वेद, यजुः और अथर्ववेद संहिता से किया गया है। उसी प्रकार सामवेद से गीत लेकर पञ्चमवेद ‘नाट्यवेद’ परिपूर्ण होता है।

संगीत रत्नाकर में नृत्य, गीत और वाद्य को संगीत कहा गया है—

“गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीतमुच्यते”¹

आचार्य भरत ने नाट्योपकरणों में पाट्य तथा अभिनयादि के समान ही गीत को अन्य नाट्यतत्त्वों जैसा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। नाट्यकला के साथ संगीत का आनुषंगिक सम्बन्ध है। संगीत का अपर नाम तौर्यात्रिक है। कोशग्रन्थों में संगीत को इसी नाम से अभिहित किया गया है।

– तौर्यात्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यमिदं त्रयम्²

– तौर्यात्रिकं नृत्यगीतवाद्यं नाट्यं च तत्रयम्³

अभिनवभारतीकार अभिनवगुप्त ने गीत का उद्भव सामवेद से माना है— गीतिषु सामाख्या⁴ शाङ्गधरपद्धति में गीति का लक्षण इस प्रकार दिया गया है— वर्णद्वयलङ्कृता गानक्रिया पदलयान्विता। गीतिरिति उच्यते हि सा.....।⁵

होने वाली मृदंग की ध्वनि मयूरों को भ्रमित कर देती है वे मेघ के गर्जन जैसी आवाज से बिना देखे ही वर्षाकाल समझ लेते हैं और नृत्य में मग्न हो जाते हैं।—

जीमूतस्तनितविशकिभिर्मयूरैरूदग्रीवैरनुरसितस्य पुष्करस्य।

निर्हार्दिन्युपहितमध्यमस्वरोत्था मायूरी मदयति मार्जना मनांसिं।¹⁰

उक्त पद्य में मायूरी और मार्जना जैसे शब्दों का प्रयोग है। संगीतशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों की सार्थकता मृदंगवादन में दृष्टिगत होती है। मृदंगवादन में तीन प्रकार की मार्जनाएँ होती हैं। मायूरी, अर्धमायूरी तथा कार्मारवी। “मालविकाग्निमित्र” में वाद्य की दृष्टि से बार-बार मृदंग का ही नाम आता है। कालिदास ने अपने अन्य काव्यों में ‘अभिज्ञानशाकुन्तलम्’ के पंचम अंक में रानी हंस पदिका को गीत के साथ वीणावादन करते दिखाया है। वैतालिकों के गीत भी लयतालबद्ध हैं।

निष्कर्षतः कालिदास ने मालविकाग्निमित्र नाटक में जिस सांगीतिक वातावरण की सृष्टि की है उससे उनके संगीत शास्त्र विषयक अगाध पाण्डित्य का परिचय मिलता है। यहाँ नाट्य और संगीत दोनों का मंजुल समन्वयन सहज, रोचक तथा आकर्षक है। अवसर विशेष पर उन्होंने नृत्य, गीत तथा वाद्यादि का प्रयोग संतुलित किया है।

संदर्भ

1. संगीत रत्नाकर - 1/21
2. अमरकोश - 1/7/10
3. शब्द रत्नाकर - 1880, हलायुध-93, मेदिनी-26/34
4. अभिनव भारती टीका 1/37 पर उद्धृत
5. संगीत रत्नाकर - 1/8/14, 15
6. नाट्यशास्त्र -
7. दशरूपक- 1/9
8. दशरूपक - 1/10
9. मालविकाग्निमित्रम् -2/8
10. मालविकाग्निमित्रम्¹-1/21

हरिवंशपुराण की उपादेयता (वर्तमान संदर्भ में)

डॉ० राजवीर शास्त्री

असिस्टेंट प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, देशबन्धु कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

“आदावन्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते” अर्थात् आदि, मध्य और अन्त सर्वत्र हरिवंशपुराण में हरि-संकीर्तन किया गया है। इस तरह, हरिवंशपुराण एक पारायण-ग्रन्थ है जिसमें हरि अर्थात् भगवान् विष्णु का गुणगान किया गया है। यह विशाल आख्यान ग्रन्थ महाभारत का अंश है। इसकी उपयोगिता और लोकप्रियता खासकर गांवों में देखने को मिलती है जहाँ बूढ़े-बुजुर्गों के बीच आज भी इसका वाचन किया जाता है।

हरिवंश का धार्मिक महत्व सर्वत्र प्रख्यात है। सन्तान के इच्छुक व्यक्तियों के लिए हरिवंश के विधिवत् श्रवण का विधान लोकप्रचलित है। शपथ खाने के लिए पुरुषों के हाथ पर हरिवंश की पोथी रखने का प्रचलन आज भी नेपाल में उसी प्रकार है जिस प्रकार किसी मुसलमान के हाथ पर कुरान रखने का। श्रीकृष्ण के चरित्र के तुलनात्मक अध्ययन के लिए हरिवंश के विष्णुपर्व का परिशीलन नितान्त आवश्यक है।

प्राचीन भारत की ललित कलाओं के विषय में हरिवंश बहुत ही उपादेय सामग्री प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारत में नाटक के अभिनय-प्रकार की जानकारी के लिए भी यहाँ उपादेय तथ्यों का संकलन है। सबसे महत्वपूर्ण है हरिवंश में राजनैतिक इतिहास का वर्णन, जो किसी भी प्राचीन पुराण के वर्णन से उपादेयता और प्रामाणिकता में किसी प्रकार न्यून नहीं है।¹ इसतरह, प्रथम शती में भारतीय संस्कृति की रूपरेखा जानने के लिए हरिवंश² हमारा विश्वसनीय मार्गदर्शक है।

वस्तुतः भारतवर्ष की संस्कृति का परिचय पाने के लिए हरिवंशपुराण एक सुन्दर वातायन है। वैदिकोत्तर संस्कृति का मेरुदण्ड पुराण-साहित्य है। पुराविदों ने कथाओं-उपकथाओं के माध्यम से वैदिक संस्कृति और सभ्यता का प्रचार-प्रसार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि वैदिक संस्कृति से किञ्चित् परिष्कृत पौराणिक संस्कृति का विकास हुआ। यह संस्कृति न तो पूर्णतः वैदिक है और न ही पूर्णतः अवैदिक। विभिन्न पुराणों में एक मर्यादा-पुरुष³ को केन्द्र मानकर एक नए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आदर्श को जो उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है उनमें हरिवंशपुराण भी एक है।

हरिवंशपुराण सोलह हजार तीन सौ चौहत्तर (16374) श्लोकों में उपनिबद्ध है। इसमें तीन पर्व या खण्ड हैं। प्रथम पर्व हरिवंशपर्व है जिसमें हरि अर्थात् कृष्ण के वंश वृष्णि-अन्धक की कथा विस्तार से दी गयी है और इस आदिम पर्व के आधार पर ही पूरे ग्रन्थ का नामकरण किया गया है। आरंभ में सृष्टि वर्णन है। ध्रुव के वर्णन के अनन्तर राजा पृथु की कथा विस्तार से दी गयी है। सूर्यवंशी राजाओं के प्रसंग में विश्वामित्र तथा वसिष्ठ का भी आख्यान वर्णित है। प्रसंग से पृथक् हटकर प्रेतकल्प (अन्त्येष्टि और श्राद्ध) का वर्णन नौ अध्यायों में विस्तार से निबद्ध है और इसी के

अन्तर्गत 21वें अध्याय में पशुओं की बोली को समझने-बूझने वाले ब्रह्मदत्त की कथा दी गयी है। चन्द्रवंशी राजाओं के वर्णन के अवसर पर राजा पुरुरवा और उर्वशी का प्रख्यात वैदिक आख्यान प्राचीन शैली तथा भाषा में निबद्ध होकर शतपथ ब्राह्मण के आख्यान से समानता रखता है।

इसके पश्चात् नहुष, ययाति तथा यदु का वर्णन है और विष्णु की अनेक स्तुतियाँ की गयी हैं जो एक प्रकार से कृष्ण के पूर्व देवविषयक ज्ञान का परिचय देती हैं।

द्वितीय-पर्व विष्णुपर्व समग्र ग्रन्थ का अतिशय विस्तृत तथा महनीय भाग है। इसमें कृष्णचन्द्र की विविध लीलाओं का, विशेषतः बाल-लीलाओं का बड़ा ही सांगोपांग रुचिर विवरण है। श्रीमद्भागवत् के वर्णन से तुलना करने पर अनेक स्थलों पर पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है। कहीं-कहीं अन्य घटनाएँ भी दी गयी हैं। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के जन्म, शंबर द्वारा हरण, समुद्र से प्राप्ति तथा मायावती के साथ विवाह आदि प्रख्यात कथाओं का यहाँ उल्लेख है परन्तु असुरों के राजा वज्रनाभ की दुहिता प्रभावती के साथ प्रद्युम्न विवाह एकदम नूतन तथा पर्याप्त रोचक है।

इसी प्रकार प्रख्यात रासलीला का हल्लिसक नृत्य के रूप में निर्देश किसी प्राचीन युग की स्मृति दिलाता है। इस पर्व के अन्त में अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की कन्या उषा के साथ बड़े उमंग और उत्साह से वर्णित है और इससे पूर्व हरिहरात्मक-स्तव द्वारा शिव एवं विष्णु की एक ही अभिन्न देवता के रूप में सुन्दर स्तुति की गयी है। इस पर्व में विषय की एकता और वर्णन की संगति से प्रतीत होता है कि प्राचीन युग में श्रीकृष्णचरित-काव्य के साथ यह अंश सम्बन्ध रखता है।

भविष्य-पर्व हरिवंशपुराण का तृतीय एवं अन्तिम पर्व या खण्ड है। यह भाग विविध वृत्तों का पौराणिक शैली में परस्पर असम्बद्ध संकलन है। इस पर्व का नामकरण प्रथम अध्याय के नाम पर है जहाँ भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत किया गया है।

जनमेजय द्वारा विहित यज्ञों का वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया गया है। विष्णु के सूकर, नृसिंह तथा वामन अवतारों के वर्णन के अनन्तर शिवपूजा तथा विष्णु पूजा के समन्वय की दिशा दिखायी गयी है। शिव के दो उपासक हंस तथा डिम्भक की कथा विस्तार से वर्णित है जिन्हें हंस ने पराजित किया था। महाभारत के माहात्म्य-वर्णन के पश्चात् समग्र हरिवंश का ध्येय हरि की स्तुति में प्रदर्शित किया गया है।

परिगणित अठारह⁴ पुराणों में हरिवंशपुराण की गणना नहीं है। अतएव विवश होकर विद्वानों ने इसे महाभारत के 'खिल-भाग' के नाम से अभिहित किया है और कहा है कि यह महाभारत का 'खिल' अर्थात् छूटा हुआ अंश है। महाभारत के प्रचलित पाठों में भी इसे 'पुराणं खिलसंज्ञितम्'⁵ कहा गया है। वस्तुतः भारतीय परम्परानुसार 'हरिवंश' एक पुराण है। पुराण के रूप में हरिवंश को इतनी अधिक प्रतिष्ठा मिल चुकी है कि लोग इसे महाभारत का 'खिल' मानना भ्रान्ति-मात्र समझते हैं। इसका कारण 'हरिवंश' का पौराणिक स्वरूप ही है।

हरिवंश का स्वरूप पुराणों से मिलता-जुलता है। पुराविदों ने पुराण के जो लक्षण⁶ निर्दिष्ट किये हैं तदनुसार पुराणों का वर्ण-विषय 'वंश' ही मूल रूप से लक्षित होता है। क्योंकि, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश और मन्वन्तर तो शाश्वत हैं, अतएव वंशानुचरित ही पुराणों का मुख्य प्रतिपाद्य है, ऐसी मान्यता दृढ़

हो चुकी है। इस तरह प्रस्तुत हरिवंश कीर्तन-परक ग्रन्थ 'पुराण' से अभिहित हुआ तो यह समीचीन ही है।

पुराण-लक्षण-घटक वंशानुचरित से सम्पन्न होने के बाद भी पुराविदों ने हरिवंश को पुराणों में परिगणित नहीं किया है जिसका कारण है इसमें पूर्ण पौराणिकता का अभाव तथा महाभारत से इसके पृथक् होने में अप्रामाणिकता। यद्यपि हरिवंशपुराण में पौराणिक लक्षण के आभास से इसका पुराण-व्यपदेश ठीक ही है किन्तु यह पारमार्थिक रूप से पुराण नहीं है।

इसमें सर्ग-प्रतिसर्ग आदि पौराणिक अंगों का लेशमात्र ही समावेश है तथा पुराणों की तरह इसकी महाविषयता भी नहीं है। इसे यदि आर्षकाव्य कहा जाए तो अधिक समीचीन होगा। इसके श्रवण से पुत्र-प्राप्ति रूप प्रयोजन सिद्ध होता है जबकि पुराणों में चतुर्वर्ग प्रतिष्ठित है। इस प्रकार यह मानव-जीवन के एकमात्र प्रयोजन के साधक होने से अल्पप्रयोजन-परक है। यही कारण है कि पुराविदों ने इसे पुराण की श्रेणी में नहीं गिना।

'हरिवंश', पुराण के रूप में प्रथित होने के बाद भी पुराण की कोटि में नहीं गिना जा सका, क्योंकि पुराण का मुख्य प्रतिपाद्य वंशानुचरित भले ही हो, उसके अन्य प्रतिपाद्य भी अनिवार्य ही हैं। वस्तुतः पुराण वंशानुचरित-मात्र नहीं है जबकि हरिवंश का मुख्य प्रतिपाद्य या प्रयोजन वंश-प्रतिष्ठा है। इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हरि अर्थात् भगवान् विष्णु के अवतार कृष्ण⁷ के वंश का वर्णन है। इसके प्रणयन का प्रयोजन वंश-प्रतिष्ठा मात्र है। इस प्रयोजन की निष्पत्ति हेतु इसमें पितृ-प्रसंग को उपस्थापित किया गया है।

पितरों की अनुकम्पा से पुत्र की प्राप्ति होती है तथा उनके असंतोष से पुत्र का अभाव होता है। हरिवंशपुराण के तीन भाग हैं - हरिवंश, विष्णु और भविष्य अर्थात् भूत, भव्य और भविष्य। इस विभाजन का रहस्य है - पितृ, देव और मनुष्य -- पिता, आत्मा और पुत्र। सन्तान के अभाव के तीन कारण हो सकते हैं - पितरों का क्रोध, दैवी प्रतिकूलता और मानव-क्षोभ।

इनके तीन ही प्रतिकार हैं - पितरों के प्रति श्रद्धाभाव, देवताओं में भक्ति और मनुष्य के लिए सद्भावना। हरिवंशपुराण में इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर नारायणावतार महर्षि व्यास ने प्रथम भाग में पितरों का उपाख्यान, द्वितीय भाग में विष्णु के चरित्र का व्यापक चित्रण तथा अन्तिम भाग में विष्णु के अवतारों का वर्णन किया है जिससे सद्भावना का उदय हो सके।

इस प्रकार हरिवंशपुराण अपने प्रयोजन के प्रति सापेक्ष है। इसकी अपनी प्रतिज्ञा और अपना प्रयोजन है। नामानुरूप ही इसमें 'हरि' के वंश का वर्णन है और पुत्रप्राप्ति इसका फल है। यह महाभारत का परिशिष्ट अवश्य है जिसका निर्वाह करते हुए महर्षि व्यास ने भी इसकी रचना पर्वों में की है।

किन्तु परिशिष्ट होने के बाद भी इसमें पौराणिक लक्षणों का संघटन इसे पुराविद्या से पृथक् नहीं कर सकता। इसकी पृथक् प्रतिज्ञा और पुत्रप्राप्तिरूप फल-पार्थक्य से लाभान्वित लोगों ने आज भी इसे पुराण के ही रूप में अपनाया है, जो सर्वथा समीचीन है।

सन्दर्भ

1. द्रष्टव्य, डॉ. वीणापाणि पाण्डेय, हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन, हिन्दी समिति लखनऊ द्वारा प्रकाशित, 1960
2. हरिवंश का प्रकाशन नीलकण्ठ की टीका के साथ चित्रशाला प्रेस पूना से तथा हिन्दी अनुवाद के साथ गीताप्रेस गोरखपुर ने किया है।
3. वामनपुराण में भगवान् विष्णु के वामनावतार को केन्द्र मानकर पौराणिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार मत्स्यपुराण में चाक्षुष-मन्वन्तर में लय के समय ऋषियों के कल्याणार्थ अवतरित भगवान् के महामत्स्यावतार को, पद्मपुराण में कमलयोनि ब्रह्मा, कूर्मपुराण में महाकूर्म, स्कन्दपुराण में तारकासुर के वधार्थ षण्मुख कार्तिकेय तथा वराहपुराण में पृथ्वी के उद्धारार्थ भगवान् महावराह को।
4. मद्भयं भद्रयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्।
अनापलिङ्गकूस्कानि पुराणानि विदुर्वुधाः॥
5. महाभारत, आदिपर्व, 2.82.83
हरिवंशस्ततः पर्व पुराणं खिलसञ्जितम्।
6. श्रीमद्भागवत, 12.7
सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च।
वंशानुचरितं चेति पुराणं पञ्चलक्षणम्॥
7. हरिवंशपुराण, 1.1.8
पितामहाद्यं प्रवदन्ति षष्ठं महर्षिमक्षय्यविभूति युक्तम्।
नारायणस्यांजमेकपुत्रं द्वैपायनं वेद महानिधानम्॥
इस श्लोक को निम्नरूप में समझना चाहिए-
नारायण-ब्रह्मा-वसिष्ठ-शक्ति-पराशर- व्यास।

अभिज्ञानशाकुन्तले पर्यावरणचिन्तनम्

रुद्रनारायण नरसिंह मिश्रः

शोधच्छात्रः, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः), जयपुर-परिसरः, जयपुरम् (राज.)

विश्वस्य समस्या अस्ति प्रदूषितपर्यावरणसमस्या। समस्यायाः कारणानि सन्ति भूयमानम् असंयमितनगरीकरणम्, अनियन्त्रितजनसंख्यावृद्धिः, औद्योगीकरणञ्च। प्रकृतेः मूलसञ्जीवनीशक्तिः नष्टाः, तथा च नैसर्गिकावदानानां तात्त्विकस्वरूपं विकृतं जायते। साम्प्रतिकयुगे विज्ञानस्य वैज्ञानिकोपकरणस्य च विकासेन सृष्टेः समक्षं कठिनप्रश्नः उपस्थितः। यदि समयेन एतस्य समाधानं करिष्यते, तर्हि मानवतायाः रक्षां भवितुमर्हति।

वैदिकमुनीनां विश्वासः आसीत् यत् यज्ञेन वायुमण्डलं पवित्रं भवति एवञ्च प्राकृतिकसन्तुलनं भवितुमर्हति। अतः वेदेषु आलोचितं वर्तते यत् वर्षचक्ररूपीययज्ञेन सन्तः धृतमस्ति, ग्रीष्मऋतु समिधा, शरदऋतुः च हव्यः। वसन्तऋतुः पश्चात् ग्रीष्मऋतुः, ग्रीष्मऋतुः पश्चात् वर्षाऋतुः, वर्षाऋतुः पश्चात् शरदऋतुः, शरदऋतुः पश्चात् वसन्तऋतुः। अनेन इदं वर्षचक्रं पूर्णं भवति। यथोक्तम्-

यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत॥

बसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्वहविः॥

पर्यावरणप्रदूषणस्य निराकरणाय सर्वोत्तमोपायः यज्ञः इति छान्दोग्योपनिषदि वरीवर्ति। तद्यथा-

एव हवै यज्ञो योऽयं पर्वते। इदं सर्वं पुनाति, तस्मादेष एव यज्ञाः॥

यज्ञेन द्युलोकः प्रसन्नः क्रियते, तथा द्युलोकः वृष्ट्या पृथिवीं तृप्यति। यज्ञेन मेधः मेधेन च वृष्टिः भवति। यथा-

भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति, दिवं जिन्वन्त्यग्नयः॥

अरण्यदुग्धोग्निः लोके दुष्टशक्तिः निष्कास्य तद्वारेण लोकसुभिक्षाय साधने भवतीति ज्ञायते। अस्मादुच्यते-

यज्ञोरायो यज्ञ ईशे वसूनाम्, यज्ञस्सस्यानामुत्सुक्षितीनाम्।

यज्ञः इष्टः पूर्वचित्तं ददातु॥

द्यु-भू-संरक्षणविषये यजुर्वेदे कथितं वर्तते यत्-

द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः सामाशान्ति रेधि पृथिवीं दृहं पृथिवीं मा हिंसीः॥

जल संरक्षणविषये ऋग्वेदे वर्णितमस्ति यत्-

अरस्वन्तरमृतम् अरसु भेषजम्॥

न केवलं वैदिकवाङ्मये, अपि तु लौकिकवाङ्मये पर्यावरणचिन्तनं प्राप्यते। लौकिकवाङ्मयान्तर्गते कालिदासीयरचनासु अभिज्ञानशाकुन्तलम् अनन्यमस्ति। तत्र मङ्गलपद्ये महाकविः शिवस्याष्टमूर्तीनामालोचनं विधाय पर्यावरणं सङ्केतयति। यथा-

या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हविर्या च होत्री,

ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम्।

यामाहुः सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः,

प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिशः॥

पर्यावरणसंरक्षणाय प्रदूषणनिवारणाय च आश्रमाणां महती भूमिका आसीत्। आश्रमसमीपे जलसंग्रहः भवति स्म, विविधवृक्षाणां सान्निध्यं प्राप्यते स्म, आश्रमं परितः पशुपक्षिणां कलरवं श्रूयते स्म। अद्य प्रदूषण युगे वैश्विकतापयुते च वातावरणे अस्माकं समेषां कृते अनुपमेयोऽयं सन्देशः-

नीवाराः शुक्रभर्भकोटरमुखभ्रष्टास्तरुणामधः

प्रशिनग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः।

विश्वसोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा

स्तोयाधारपथाश्च वल्कलशिखानिघ्नन्दरेखाङ्कितः।।

शाकुन्तलनाटके लता रोदिति, वृक्षाः विलपन्ति, मृगयः अश्रूणि त्यजन्ति च। मानवस्य प्रकृत्या सह तादात्म्यसम्बन्धस्येयं पराकाश। स्वजनः जलस्थानं यावत् प्रेषणीयः जनश्रुतिरेषा। अतः शाङ्गरवः काश्यपं कथयति-

भगवन्! ऊदकान्तं स्निग्धो जनोऽनुगन्तव्य इति श्रूयते।।

महर्षि काश्यपः अनुसूयां प्रियम्बदां शकुन्तलाऽऽदीन् पिप्पलवृक्षस्याधः उपवेशनाय निर्दिशति- शतेन होमां क्षीरवृक्षच्छायाम् आश्रयामः। वयं सर्वे जानीमः यत् पिप्पलवृक्षः सदैव केवलं आक्सीजनमेव त्यजति। आक्सीजन इत्यस्माकं प्राणवायुः।

होमामध्यमेन चतुःपार्श्वे विद्यमानं दूषितं वायुमण्डलं शुद्धं भवति। अतः प्राचीनकाले यागयज्ञादीनामुपरि प्राधान्यं प्रदत्तमासीत्। शकुन्तलायाः पतिगृहगमनावसरे महर्षिकण्वः शकुन्तलां प्रति आशीर्वादप्रदानच्छलेन कथयति-

अमी वेदीं परितः क्लृप्तधिष्ण्याः समिद्धन्तः प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः।

अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैर्वैतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु।।

वामे मधुरवाक् पक्षी वृक्षः पल्लवीतोऽग्रतः। अनुकूलं वहन् वायुः प्रयाणे शुभशंसिन। पर्यावरणसौन्दर्ये पक्षिणां महत्वपूर्णयोगदानं वर्तते। वनदेवता आशीर्वचोभिः शकुन्तलायै शिवास्ते पन्थानः सन्तु माध्यमेन गौरवमयोपदेशः ददाति, तत्रेपस्थिताः सर्वे सविस्मयमाकर्णयन्ति। तद्यथा-

रम्यान्तरः कमलिनीहरितैः सरोभिश्छायादुमैर्नियमितार्कमयूखतापः।

भूयात्कुशेशयरजोमृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवश्च पन्थाः।।

नाटकस्य नायिका शकुन्तला प्रकृतिकन्या आसीत्। सा प्रकृतेरुन्मुक्तवातावरणेऽस्मिन् समुत्पन्ना इति महाकविना मुखेन उक्ता। प्रकृतिरेव तस्याः पालनं पोषणं प्रसाधनं च कृतवती। तथा स्वकीयमधिकांशजीवनमपि प्रकृतेः अङ्के व्यतीतम्। महर्षिकण्वः तां सूचयति- सा स्वकीयमन्तिमं जीवनमपि प्रकृतिमध्ये एव यापयिष्यति-

शान्ते करिष्यति पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्।।

चन्द्रः स्वकिरणेन अमृतधारां विषन्निव प्राणिसमाजमुपकरोति। अभिज्ञानशाकुन्तले सूर्यचन्द्रयोरेकत्रवर्णनाप्रसङ्गे कालिदासः लिखति-

यात्येकतोङ्स्तशिखरं पतिरोषधीनामाविष्कृतारुणपुरःसर एकतोऽर्कः।

तेजोद्वयस्य युगपद् व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु।।

चतुर्थोऽङ्के तपोवनेन साकं शकुन्तलायाः अन्तरङ्ग-आत्मीयतायाश्च सम्बन्धः महाकविना प्रदर्श्यते-

क्षौमं केनचिदिन्दुपाण्डु तरुणामाङ्गल्यमाविष्कृतम्॥

राज्ञः करुणविरहदशायां प्रकृतिः येन सम्बेदनायाः चित्रदर्शनं महाकविना कृतम्। तदेव-

च्यूतानां चिरनिर्गतापि कलिका बध्नाति न स्वं रजः॥

हस्तिनः आश्रमे वृक्षलतालबालेषु स्वशुण्डेन पुष्करपाटमाध्यमेन जलसेचनं कुर्वन्ति। वनवराहद्रंष्टान्तरालात् मुनिकुमाराः शालूकमाहरन्ति स्म। कवेर्भाषया-

अम्बुपूर्णपुष्करपुटै.....॥

मयूराः स्वपुच्छचालनद्वारा मुनीनां होमनलदीपनकर्मणि साहाय्यमाचरन्ति। एतेन परिवेशघटकपशुपक्षिभिः सह मनुष्यस्य सुसम्बन्धः दृढम् आसीदिति ज्ञायते।

वस्तुतः नाटकेऽस्मिन् कालिदासेन प्रकृत्याः मानवीकरणं कृतम्। प्रथमेऽङ्के वैखानसः दुष्यन्तम् आश्रमविषये सूचयति। यत्र मानवजीवने जलस्य पर्यावरणस्य च महत्त्वं प्रदर्शितं वर्तते-

**राजन्! समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्। एष खलु कण्वस्य कुलपतेरनुमालिनीतीरमाश्रमो
दृश्यते। न चेदन्य कार्यातिपातः, प्रविश्य प्रतिगृह्यतामातिथेयः सत्कारः॥**

पर्यावरणस्य पवित्रतां प्रदूषितं न कृत्वा अस्माकम् अन्तरात्मनि क्षत्रियः दुष्यन्तात् विश्वं सावधानं कारयिष्यति-

भो भोस्तपस्विनः संनिहितास्तपोवनसत्वरक्षायै भवत।

प्रत्यासन्नः किलमृगयाबिहारी पार्थिवो दुष्यन्तः॥

सम्पूर्णेऽपि अभिज्ञानशाकुन्तलनाटके महाकविना पर्यावरणशिक्षा प्रदीयते। केनापि संस्कृत कविना पर्वतानां वनानां च विषये उक्तः श्लोकोऽयं पर्यावरणसंरक्षणविषये संस्कृतसाहित्यस्य सचेष्टतायाः अभिव्यक्तिः वर्तते-

यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननम्।

तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रापौत्रिकी॥

गङ्गाधरमेहेरस्य रचनासौष्टव-प्रकृतिचित्रणयोस्समीक्षात्मकाध्ययनम्

सुलोचना मिश्र

शोधच्छात्रा, राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम्, मानितविश्वविद्यालयः,
श्रीसदाशिवपरिसरः, पुरी, ओडिशा

प्रत्येककवेः भाषा, भावः, वर्णनचातुर्यं, छन्दसंयोजनम्, अलङ्कारप्रयोगमित्यादिषु क्षेत्रेषु स्वातन्त्र्यं परिलक्ष्यते। वैचित्र्यं वैविध्यञ्च अस्याः विशालसृष्टेः सौन्दर्यमिति परिगण्यते। रचनाशैल्याः स्वातन्त्र्यमेव कवेः वैशिष्ट्यमिति अवलोक्यते। पाश्चात्यसाहित्येन प्रभावित राधानाथः परम्परानुसृत्य प्राचीनकाव्यरचना शैलीनानुसृत्य नूतनशैल्याः प्रवर्तनमकरोत्। क्लिष्टदुर्बोधश्चशब्दसंयोजना, अर्थालङ्कारशब्दालङ्कारयोः प्रयोगबाहुल्यं विविधवृत्त्या रागमाध्यमेन सर्गरचना पदसंघटनाय संस्कृताभिमुखी शब्दानां प्रयोगः समासनिष्ठवाक्यनिर्माणप्रवृत्तयः भृङ्गयुगीयकाव्यिकादर्शरूपेण गृहीताः आसन्। उत्कलीयकविराधानाथप्रणीतः रीतिरनुसरणं तत्कालीनकवीनां कृते पाथेयमासीत्। भृङ्गकालीनालङ्कारिकादर्शानां वर्जनपुरस्सरं प्राचीनकाव्यरीतिषु च परिवर्त्य राधानाथः सरलः, बोधगम्यः, स्पष्टः, प्राञ्जलचरितश्च काव्यनिर्माणे व्रती आसीत्। परन्तु उत्कलीयकविः गङ्गाधरः नवीनेयं रीतिं प्रत्याकृष्टः सत्वेऽपि प्राचीनशैलीं वर्जनाय इच्छुकः नासीत्। लोकोक्तसरलभाषया स्वकीयमनसः भावनां स्वच्छन्दप्रकटने तस्य प्रयासः अविरतः आसीत्। समासबहुलदीर्घवाक्यानि गङ्गाधरमहोदयस्य रचनायाः बहुत्र परिलक्ष्यते। तपस्विनी कीचकवधः इत्यनयोः व्यवहृतैकाधिकछन्दसां प्रयोगप्रवृत्तिः आधुनिकप्राचीनञ्च रीतिं प्रति तस्य स्वीकृतिं बोधयति। अतः तेन अनुसृताशैली प्राचीननवीनशैल्योः समन्वयेन निर्मिता इति कथनेन नात्युक्तिः। प्राचीनाधुनिकभावयोः सम्मेलनेन मेहेरसाहित्यं रुद्धमन्तं वर्तते। काव्येषु चरित्राणां कल्पनार्थं पाश्चात्यसाहित्यानामनुकरणं न कृत्वा प्राच्यसाहित्यस्य प्रमुखकवीनां यथा भवभूतिः-कालिदासः-सारलादासः इत्यादीनां पदाङ्कमनुसृत्य स्वकीयसाहित्यं सर्जयितुम् उत्प्रेरितः आसीत् मेहेरमहोदयः। संस्कृतसाहित्यस्य कालिदासप्रभृतिविस्मृताम् अपरेऽस्मिन् पक्षे च नवयुगीयशैलीं स्वीकृत्य उभयोः समन्वयेन च स्वकीय मौलिकसाहित्यसृजनं गङ्गाधरमहोदयस्य अनन्यसामान्यं कवित्वं प्रकटयति। स्वल्पभरणायुक्ता तस्य काव्यलक्ष्याः विचरणम् आधुनिक ओडिआ साहित्येषु सर्वदा दरीदृष्यते। तस्य साहित्यस्य मधुरछटा, मनोज्ञविलासश्च यथा आह्लाददायकं तथैव उपभोग्यश्च। अलङ्कारप्रयोगमपि गङ्गाधरमहोदयस्य सम्पूर्णस्वकीयम्। तस्य काव्येषु सीतायाः सम्मुखे तस्याः पतिरामचन्द्रः करुणासागरः भवति। पत्युः स्नेहजलधरमेव तथा च भाग्यबन्धनं लतातन्तुरूपेण वर्णितं वर्तते। तस्य काव्ये शकुन्तला दुष्यन्तयोः कृते नवीन भोग्योपवनस्य स्वर्णवल्लीनं भवति, अपि तु विधातामानसलताचूड़ाशोभीपुष्पमिव तत् पुष्पम् अमूल्यं तुल्यञ्च। सरस्वतीकुण्डात् प्रवहमानक्षीण जलधारेण सह उत्तरदिशातः प्रवहमाना गङ्गाजलधारयाः सम्मेलनेन तस्य भाषायाः संस्कृतसाहित्ये उत्कलसाहित्यस्य समावेशनमेव उपनिर्तं वर्तते। अतः कविताकल्लोलग्रन्थस्य वेदव्यासकवितायां तेन लिखितम्-

संस्कृत भारती उत्कले येसन मिश्रित करिच्छि निज अपघन।

उत्तरदिगरु वहि आसि अङ्ग एठारे लभिच्छि कोइलिर अङ्क।।'

गङ्गाधरस्य साहित्याध्ययने प्राप्यते यत्-

प्राचीन भारती नवीने येसन मिश्रित करिच्छि निज अपघना।²

उत्कलीयजनतानां कलानुरागः अत्रस्थ चित्रशिल्पेषु, भास्कर्येषु, साहित्येषु च आरभ्य गृहोपकरणं यावत् प्रतिच्छायामनुमीयते। कलानुरागी अस्य सम्प्रदायविशेषस्य जीवनशैलीमपि सर्वथा कलाप्रवीणा इति अवलोक्यते। अस्याः कलाप्रवणतायाः परिणामः विश्वप्रसिद्धं कोणार्कमन्दिरम् एकाम्रक्षेत्रञ्च। शब्दाक्षरयोः निगुहसहयोगेन अपूर्वकार्यसौधनिर्माणे अस्य राज्यस्य कलाकौशलस्य आलेख्यं सर्वदा विद्यमानम्। उदाहरणरूपेण रसकल्लोलम्, वैदेहीशविलासः, सुभद्रापरिणयः इति काव्यानां रचना यथाक्रमे पद्यस्याद्ये 'क', 'व', 'स' इत्यादीनां व्यवहारेण सृष्टम्। तथैव चतुःत्रिंशत् वर्णानां वर्णानुक्रमेण चउतिश साहित्यस्य सृष्टिः। प्रत्येकवर्णव्यवहृतं स्वतन्त्ररूपेण छन्दसः निर्माणं कविवलदेवरथस्य प्रख्यातिं प्रस्फुटयति। अस्याः परम्परायाः अनुसरणेन 'र' अनुप्रासेन गङ्गाधरमेहेरोऽपि रसरत्नाकरस्य निर्माणं कृतम्। शब्दालङ्कारः एव अस्य प्रधानवैभवम्, तथैव संस्कृतभाषायाः शार्दूलविक्रीडितरागमनुसृत्य अहल्यास्तवमिति ग्रन्थस्य रचनां गङ्गाधरेण कृतम्। भञ्जयुगीयशब्दाडम्बरतां पारम्परिकताञ्च परिहायं रसाभिव्यक्तौ नवीनतायाः उपस्थापने च मेहेरमहोदयस्य निष्ठा आसीत्। तेषां सरलार्थयुक्ता प्राञ्जलभाषा प्राचीनसङ्गीतमयत्वञ्च मध्ये प्राचीनपौराणिकाख्यानां परिवेषणशैली सामान्यजनतासु, तस्य परिचयं स्थापयति। प्राचीनशैलीसम्मतं मङ्गलाचरणं वस्तुनिर्देशनम् इत्यादीन् अनुसृत्य प्राचीनकाव्यपरम्परायाः महत्त्वं सम्पादने सफलकामः वर्तते मेहेरमहोदयः। 'प्रणयवल्लरी' इति काव्ये वेदव्यासकालिदासादि पुण्यश्लोकमनिषीणां वन्दनं पुरस्सरं काव्ये वर्णनयोग्यविषयवस्तुनः निर्देशं ग्रन्थारम्भात् तेन प्रदत्तम्। तथैव तपस्विनी काव्ये सरस्वतीदेव्याः वन्दनं कृत्वा स्वकीयं दैन्यबोध्यं काव्यविषयवस्तुञ्च उपक्रमरूपेण उपस्थापितः। अतः तस्य काव्यानां मुखशालासु अयं प्राचीनात्मिकश्च विभागः आधुनिकशिल्पविन्यासेन सुशोभितः।

'प्रणयवल्लरी' इति काव्यस्य तृतीयसर्गे राज्ञा सह सखीद्वयानां प्रत्युक्तिः पुनश्च शकुन्तलादुष्यन्तयोः मध्ये विहितकथोपकथनश्लेषपूर्णं वर्तते। प्रत्येकपदे श्रुतिमधुरललितपदानां संयोजनं परीदृश्यते। यथा-

मृदु मनोहर कलेवर देखि वल्कलर परिच्छद।

विचारिले आहा राजलक्ष्मी तनु समर चिन्ता आस्पद।³

सम्पूर्णप्रणयवल्लरी इति काव्यं कर्णरसायनं मधुरपदावल्लीभिः पूर्णं विद्यते।

गङ्गाधरेण रचितकाव्यानां प्रमुखाकर्षणमस्य प्रकृतिसम्भारवर्णनमिति मन्यते। अतः बहिर्प्रकृत्ययोः मधुरसमन्वयं तस्य काव्येषु सततसंरक्षितं वर्तते। प्राचीन तथा मध्ययुगीयसाहित्येषु प्रदत्तप्रकृतिचित्रं नानुसृत्य तस्य आत्मिकस्वरूपमुद्घाटने राधानाथमहोदयेन या सारणी प्रवर्तितता, तत्र गङ्गाधरमहोदयस्य श्रेष्ठत्वं प्रतिपाद्यते। प्रकृतौ व्यक्तित्वारोपेण सह तस्यां जीवनसञ्चारं कृत्वा कविः या उत्तुङ्गता प्रतिपादितता तथैव ओडिआ काव्यसाहित्ये स्वतन्त्रस्थानं निर्माति। गङ्गाधरमहोदयस्य अपरेभ्यः काव्येभ्यः प्रणयवल्लरी-तपस्विनीकाव्ययोः प्रकृतिमानवयोः निरन्तरसम्बन्धः उल्लेखयोग्यः वर्तते। तत्र काव्ये चित्रिता प्रकृतिः कदाचित् सहानुभूतिशीला, कदाचित् प्रतिक्रियाशीला, लघुपुष्पमेकं शकुन्तलादुष्यन्तयोः प्रेमविवाहे पूर्णत्वमानयति। अतः प्रणयवल्लरीकाव्ये शकुन्तलायाः पतिगृहगमनवेलायां प्रकृति अतीव म्रियमाणा वर्तते। यथा कविना प्रकाशितम्-

केतक शिशिर छले केते अवा कुसुम वर्षण छले।

शकुन्तला कर स्मरण मात्रके लोतक मोचन कले।

येऊँ सबु तरुलताकु सुशीला छाड़िया उथाए क्रमे।

विरह वेदना अनुभव येहने करुथान्ति ममे ममे॥⁴

तपस्विनीकाव्ये प्रकृतेः आत्मीयता सौहार्दयं च व्यापकतरम्। सीतार्निवासने वनप्रकृतिः कीदृशी प्रतिवादपरायणा अभवत् इति प्रमाणं प्राप्यते। यथा-

करिवाकु नियतिर सहित समर तृणराज खड्गकरे गर्जिला प्रखरः।

वायावसा तूणीरकु झाड़ि वारम्बार पत्राङ्क पत्र कला कि अवा वाहार।

कम्पित-सरित-वीचि-उड्थितशीकर पड़िला पूलिने तेजि तरङ्ग शिखर॥⁵

वाल्मीक्याश्रमे सीतायाः प्रवेशानन्तरं तपोवने उषायाः साहचर्यम् अतीव हृदयग्राह्यम्। भगवत्याः सीतायाः कारुण्योपनोदनाय सुखञ्च प्रदानाय प्रकृतिः कियत् तत्परा इति कविना इत्थं प्रकटितम्-

समीर सङ्गीत गाए, भ्रमर वीणा बजाए

सुरभि नर्तने थाए, उषा निर्देशे

कुम्भाटुआ होइ भाट आरम्भिला स्तव पाठ

कलिङ्ग अइला पाट-मगध वेशे ललित मधुरे कहिला

उठ सती-राज्य-राणी राति पाहिला॥⁶

ऋतुणां मूर्तितमन्तरूपचित्रणे कविः यत्नवान् आसीत्। अतः तपस्विनी काव्ये सीतायाः गर्भवेदनायाः लाघवार्थं मेघस्य भूमिकायां सखी इव चित्रिता वर्तते। पुनश्च शकीचकवधाः इति काव्ये वसन्तऋतोः वर्णनवेलायां कविः पद्मिनीचरित्रमुपस्थाप्य सतीनारीणां महत्त्वं सूचयति। यथा-

भानु यमालय गगन देखि पद्मिनी सती

विष्णुपदस्तुत जलरे झासिथिला झटिति।

तफले एवे सुन्दरी नव जनम लभि

ध्रुव सम्मुखीन पतिङ्क हेला प्रियवल्लरी॥⁷

गङ्गाधरस्य काव्येषु बर्हिस्तप्रकृत्ययोः यथायथचित्रणं चातुर्येण कृतं वर्तते। कविप्रसिद्धिप्राप्तुं ग्रन्थाध्ययनं यावत् आवश्यकं, तावत् ग्रन्थायनमिति।

¹ कविताकल्लोलः

² उडिआ साहित्यर इतिहास।

³ प्रणयवल्लरी।

⁴ प्रणयवल्लरी

⁶ तपस्विनी

⁷ कीचकवधः

कालिदासाश्वधोषयोः उपमायाः वैशिष्ट्यम्

डॉ० कल्पना कुमारी

यूजीसी नेट (संस्कृत), ति० मा० भा० वि०, भागलपुर

कालिदासस्य उपमायाः वैशिष्ट्यम्

संस्कृतसाहित्ये महाकविकालिदासस्य नाम विश्वविश्रुत वर्तते। महाकविकालिदासस्य उपमायाः चमत्कारनिदर्शनार्थं अत्र कतिपयानि उदाहरणानि दीयन्ते। कालिदासस्य उपमाक्षेत्रे प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति- रघुवंशमंडगलाचरण श्लोकः -

वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थपतिपत्तये।

जगतः पितरो वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ॥ (1.1)

अत्र जगतः पितरो पार्वतीपरमेश्वरौ वागर्थप्रतिपत्तये स्तुतौ स्तः। पार्वतीपरमेश्वराभ्यां वागर्थो उपमानं वर्तते। वायुपुराणमते पावर्तीअशेषशब्दराशेः आधीश्वरी शंकरश्च अखिलार्थराशेः स्वामी चास्ति। अतः शब्दार्थमयस्य कावस्य रचनायां पूर्वं पार्वतीपरमेश्वरयोः अविनाभावः सम्बन्धः। शब्दार्थयोरपि नित्यः सम्बन्धः। अतः नित्यसम्बन्धेन तयो पारस्परिकप्रेम्णः महिमायाश्च व्यञ्जना अस्ति। यथा शब्दार्थो परस्परसम्पृक्तौ स्तः तथा पार्वतीपरमेश्वरौ अपि सम्पृक्तौ स्तः।

अलौकिकशक्तिशालिनः प्रतिपक्षिणः समक्षं शरीरशक्तेः असमर्थतोत्पन्नयाः विवशतायाः मनोदशा उपमाया स्पष्टमस्ति -

बाहुप्रतिष्ठम्भिवृद्धमन्युरभ्यर्णमागस्कृतमस्पृदाद्भिः।

राजा स्वतेजोभिरदहतान्तर्भोगीव मन्त्रैषधिरूद्धवीर्यः॥ (2.32)

गोचारेण निरतस्य महाराज्ञः दिलिपस्य परीक्षणाय वसिष्ठधेनुः नन्दिनी मयामयं सिंहम् उभ्दाव्य सा आक्रातं स्वयं उपस्थापितवती। दिलीपः सिंहवधार्थं तूणीरात् बाणोद्धर्तुम् उद्यतः अभूत् परन्तु मायाप्रभावात् तस्य भुजा जडीभूता। राज्ञः क्रोधः पराकाष्ठां प्राप्तः। समीपस्थम् आक्रामकं सिंहं हन्तुमशाक्यहेतोः स्वतेजसा तथैव अन्तः अध्यत यथा मन्त्रोषधिप्रभावात् अवरूद्धशक्तिः सर्पः स्वविषज्वालाया एव दग्धः भवति। अत्र सर्पोपमानेन राज्ञः विवशतायाः वर्णम् अतिशयौचित्यपूर्णं जातम्। मन्त्रोषधिप्रभावात् सर्पस्य प्रभावहीनता भारतीपरम्परायाम् अपरिचिता नैव।

प्राभातिकविशेषतां वर्णयन् चारणः निद्रामग्नं रघु प्रतिबोधयन् कथयति -

ताम्रोदरेषु पतितं तरूपल्लवेषु-निधौतहारगुलिकाविशदं-हिमाम्भः।

आभाति लब्धपरभागतयाधराष्टे लीलास्मितं सदशनार्चिरिव त्वदीयम्॥ (5.70)

अत्र हिमबिन्दुकृते निधौतहारमौक्त्रिकम् उपनाम् तथा रक्तोधरोष्ठोज्ज्वलमन्दस्मितार्थं रक्तकिसलयपतितहिमकणः उनमानम् अस्ति। एकत्र उज्ज्वलता अपरत्र अतिशयशोभा सामान्य धर्मः। अत्रः कवेः परभाग शब्दस्य प्रयोगः नितान्तः औचित्यपूर्णः। एक वर्णस्य वर्णान्तरे विन्यासः वर्णद्युतौ उत्कर्षाधायकम्।

राजकुमार्याः इन्दुमत्याः स्वयंवरवर्णस्य प्रसंगः। सभामण्डपे पङ्क्तिबद्धभावेन सिंहासने विराजमानस्य एकैकस्य राज्ञः समक्षं तस्य सखी सुनन्दा आनयति। तस्याः इंगितविशेषं प्रति तस्याः अरुचिं ज्ञात्वां तामग्रेसरं करोति। क्षणं यावत् यस्य राज्ञः समक्षं इन्दुमती उपस्थिता भवति स तया वरणाज्ञाशया आह्लादितो भवति; परन्तु तं परितज्य अग्रे गमने स राजा निराशः भवति। अस्मिन् प्रसङ्गे कविः कथयति-

सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा।

नरेन्द्रमार्गाट्ट इव प्रपेदे विवर्णभावं स स भूमिपालः॥ (6.67)

अत्र दीपशिखा नारील वणस्य प्रतिमानमस्ति। दीपशिखा अचला भवति परन्तु सञ्चारिणी विशेषेण तस्याः गतिशीलतया सा गतिमात्याः इन्दुमात्याः समुचितम् उपमानम् अभूत्। दीपशिखायाः अग्रगमनात् अन्धकारवृत्ते राजमार्गे पार्श्वस्था अट्टालिकाः विवर्णा भवति। इन्दुमत्या अस्वीकृतः राजगणः अपि विवर्णः अभूत्। वरणवञ्चिटराजसु व्याप्तनिराशायाः अमूर्त्तमनोदशा अंधकारविवर्णाट्टभूर्तेपमानेन वर्णिता। अनया एव दीपशिखोपाणिनां कालिदासः प्रसिद्धः जातः।

शिव प्रशान्तगम्भीरमुद्रया तपोरतः अस्ति। श्लोक अस्ति-

अवृष्टिसरम्भमिवाम्बुवाह-मपाभिवाधारमनुत्तरङ्गम्।

अन्तश्चराणा मरूतानिरोधान्निर्वातनिष्कम्पमिवप्रदीपम्॥

अत्र शिवस्य उपमानानि सन्ति-अवृष्टिपातः पावसपयोदः तरङ्गविहीनः सागरः अवातनिष्कम्पदीपः। एतानि त्रीणि निष्कम्पानि भवन्ति। अतः एकस्य उपमेयस्य शिवस्यकृते त्रीणि उपमानानि समाधिमग्नशरीरस्य निस्पन्दताभावम् उत्तरोत्तरं धनीभूतं करोति।

कामदेवस्य कार्मुकोपरि आरोपितस्य सम्मोहनबाणस्य अमोघमोहिनीशक्त्या शिवस्य धैर्यं किञ्चित् शिथिलं भवति-

हरस्तु किञ्चित् परिलुप्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः।

उमामुखे बिम्बलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि॥ (3.67)

निस्तरङ्गे सागरे तरङ्गस्य ईषत्स्पन्दनम् प्रारब्धम्। चन्द्रोदयारम्भ तरङ्गोन्मुखसागर इव शिवस्य धैर्यं परिलुप्तम्। एकतः शिवस्य व्यक्तित्वं सागरगम्भीरम् अपरतः सम्मोहनबाणस्य अमोघः प्रभावः स्पृष्टया सूचितः।

वटुवेषशिवेन स्वाभाष्टदेवस्य निरन्तरनिन्दाश्रवणात् उद्विग्ना वल्कलवसनापार्वती सदाशिवपार्श्वतः गन्तुमुद्यता तदा शिवः स्ववटुवेषं परित्यज्यशिववेषं धारयित्वा अप्रत्यासितरूपेण स्वम् अदर्शयत्। किंकर्तव्यविमूढा पार्वती न गन्तु शक्ता न च स्थातुंशक्ता अपितु प्रवाहपथ पतितपर्वतं प्राप्य नदीव नाग्रेसर न च आवर्तिता अभवत् -

तं वीक्ष्य तेपशुमती सरसाङ्गयष्टि-निक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्वहन्ती।

मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ॥ (5.85)

एतैः उदाहरणैः कालिदासस्योपमावैजिष्ठ्यं व्यज्यते एव।

अश्वघोषस्य उपमायाः वैशिष्ट्यम्

अश्वघोषस्यापि उपमा अतीव प्रभावशालिनी अस्ति। अस्य उपमावैशिष्ट्यमपि लक्ष्यमस्ति। एकं चित्रमस्ति-

तां सुन्दरीं चैन लभते नन्दः सा वा निषेवेत न तं नतभूः।

द्वन्द्वं ध्रुवं तद्विकलं न शोभतान्योन्यहीनाविव रात्रिचन्द्रौ॥ (4.7)

यथा चन्द्रस्य अभावे रात्रिः न शोभते तथैव नन्दः सुन्दरीं यदि न लभेत, सुन्दरी अपि तं न निषेवेत तर्हि उभयोः शोभा अन्योन्यहीना न भवति। अर्थात् सुन्दरीनन्दौ रात्रिचन्द्रौ इव शोभते।

सुन्दरीवर्णनप्रसङ्गे अयं श्लोकः प्रयुक्तः-

तस्या मुखं सतमालपत्रं ताम्राधरौष्ठं चिकुरायताक्षम्।

रक्ताधिकाग्रं पतितद्विरेफं सशैवलं पद्ममिवावभासो॥ (4.21)

तमालपत्राङ्कनेन युक्तं ताम्रवर्णाधरौष्ठं चञ्चलविशालनेत्रम् सुन्दरीमुखं तथैव शोभते स्म यथा शैवालयुक्तं अग्रभागाधिकरक्तं भ्रमरयुक्तं कमलं शोभते। अत्र सुन्दरीमुखस्य उपमानं पद्ममस्ति। उभयपक्षे त्रीणि विशेषाणि सन्ति। अतः अत्रत्याः उपमा प्रशंसनीया अथ च सुन्दरा विद्यते।

एकः अपरः प्रसङ्गः वर्तते तत्रैव। अत्र नन्दमनसः अनिश्चितात्मिका स्थितिः वर्णितमस्ति-

तं गौरवं बुद्धगतं चकर्ष भार्यानुरागः पुनराचकर्षः।

सोडनिश्चयान्नापि ययौ न तस्थौ तरंस्तरङ्गेष्विव राजहंसः॥ (4.42)

एकत्र बुद्धगतं गौरवं गौरवं नन्दम् आकर्षति, अपरत्र पत्न्याः सुन्दर्याः प्रगादानुरागः स्वं प्रति आकर्षति। अन्योन्याकर्षणे स न नन्दं प्रति गच्छति अपितु दोलायमानमना तिष्ठति तथैव यथा कश्चित् राजहंसः तरङ्गेषु तरन् केवलं आवागमनं करोति अर्थात् कदाचित् तरङ्गानुकूलं गच्छतिः कदाचित् तरङ्गप्रतिकूलं गच्छति। अश्वघोषस्य इयमुपमा अतिप्रसिद्धा वर्तते।

अपरः प्रसङ्गः अस्ति सुन्दरीविलापस्य। श्लोकः अस्ति-

सा चक्रवाकीव भृशं चुकूजश्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका।

विस्पर्धमानेव विमानसंस्थैः पारावतैः कूजनलोलकण्ठैः॥ (6.30)

प्रियनन्दविरहिता सुन्दरी चक्रवाकीव भृशं रोतितवती यस्याः पत्यु चक्रवाकस्य पक्षः श्येनेन क्षतः अस्ति। सुन्दर्याः कूजनं प्रासादस्थैः कूजनपरैः पारावतैः स्पर्धमानेवासीत्।

सौन्दर्यनन्दषोडशर्गे निर्वाणप्राप्तेः जनस्य उपमा निर्वाणप्राप्तः दीपः पृथ्वीम् अन्तरिक्षं काचित् दिशं विदिशं वा न गच्छति अपितु तैलक्षयात् केवलं शान्तिं प्राप्नोति तथैव निर्वाणप्राप्तः पुण्यात्मा पृथ्वीम् अन्तरिक्षं काचित् दिशं विदिशं वा न गच्छति अपितु दुःखनाशात् केवलं शान्तिं प्राप्नोति।

बुद्धचरिततृतीयसर्गे कुमारस्य वनगमनसमये स्त्रियः दिदृक्षवः प्रासादवातायने आगताः। तत्रस्थान् सौन्दर्यं कविः वर्णयति-

वातायनेभ्यस्तु विनिःसृतानि परस्परयासितकण्डलानि।

स्त्रीणां विरेजुर्मुखपङ्कजानि सक्तानि हर्म्येष्विवपङ्कजानि॥ (3.19)

तत्र स्त्रीषु कुमारदर्शनेच्छया परस्परसंघर्षः अभवत्। अहमहमिकया ताः वातायनेषु आगताः। संघर्षात् तासां कुण्डलानि दोलायमानानानि आसन्। तेषां मुखानि वातायनेभ्यः विनिःसृतानि आसन्। ताः तथैव राजन्ते स्म यथा हर्म्येषु पङ्कजानि सक्तानि आसन्।

वनात् प्रत्यागते छन्दके कन्धके च कुमारगमनप्रत्याशया स्त्रियः प्रासादात् निर्गताः। ताः व्याकुलनेत्राः शोकमूर्च्छिताः आसन् तथापि ताः निर्भूषणा मार्जनं विना, विलम्बकेश्यः मलिनाम्बराः, निरञ्जननेत्रः वाष्पहतेक्षणाः तथैव न शोभन्ते स्म यथा रात्रिव्यतीतेः आकाशे मलिनाः तारकाः न शोभन्ते-

विलम्बकेश्योः मलिनांशुकाम्बरा निरञ्जनैवाष्पहतेक्षणैर्मुखैः।

स्त्रियो न रेजुर्जया विनाकृता दिवीव तारा रजनीक्षयारूपाः॥₁₁ (8.21)

राजपत्नी गौतमी पुत्रहीनापि वत्सला सवाष्पा सती नष्टवत्सा महिषी इव भुजा प्रसार्य तथैव निपपात यथा चञ्चलपत्रा काञ्चनी कदली भूमौ निपतति-

ततः सवाष्पामहिषीमहीपतेः प्रनष्टवत्सा महिषीव वत्सला।

प्रगृह्यबाहू निपपात गौतमी विलोलपर्णा कदलीव काञ्चनी॥₁₂

एतैः उदाहरणैः अश्वघोषस्योपमावैशिष्ट्यं व्यज्यते एव।

निष्कर्षः-कालिदासस्य उपमायावैशिष्ट्यविषये अयं निष्कर्षः सद्यः समायाति यत्- कालिदासः मानवमानसः द्वन्द्वभावस्य सूक्ष्मचित्रणे सिद्धहस्तः प्रतीयते। कवेः उपमानोपमेयम् समानगुणेन सम्बद्धं भवति। तस्य उपमानक्षेत्रमपि विशालं वर्तते एव। एवंगुणविशिष्टा एव उपमा कवेः साहित्ये प्रसिद्धेः कारणम् जातम्।

अश्वघोषस्यापि उपमाकालिदासोपमेव अतीव आकर्षिका, परिस्थितिम् सर्वाङ्गपूर्णेन स्थापिका सम्पूर्णाचित्रा भवति। अधिकांशानि उपमानि अत्रापि प्रकृतितः गृहीतानि वर्तन्ते। अत्रापि मानवद्वन्द्वभावस्य सुन्दरचित्रणम् अस्ति। उभयोः कवयोः उपमा अहमहमिकाभावेन चारूतमा वर्तते इति मम मतम्।

संदर्भग्रंथ सूची

1. रघुवंशम्- (कालिदास) मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, प्रथम संस्करण 1974- 1 (सर्ग-श्लोक) 1.1 पृ०-2; 2 (सर्ग-श्लोक) 2.32 पृ०-57; 3 (सर्ग-श्लोक) 5.70 पृ०-80; 4 (सर्ग-श्लोक) 6.67 पृ०-89
2. कुमारसंभवम्- (कालिदास) पं० प्रद्युम्नपाण्डेयः, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, द्वितीय संस्करण 1970-5 (सर्ग-श्लोक) 3.67 पृ०-22; 6 (सर्ग-श्लोक) 5.85 पृ०-39
3. सौन्दरनन्दम्- (अश्वघोष) अनु०-सूर्यनारायण चौधारी, मोतीलाल बनारसी दास, वाराणसी, सौन्दरनन्दम्- (अश्वघोष) टीका०-देवनारायण मिश्र, साहित्य भंडार, मेरठ-7 (सर्ग-श्लोक) 4.7 पृ०-91; 8 (सर्ग-श्लोक) 4.21 पृ०-99; 9 (सर्ग-श्लोक) 4.42 पृ०-110; 10 (सर्ग-श्लोक) 6.30 पृ०-155
4. बुद्धचरितम्- (अश्वघोष) भाग-1-2, व्या० रामचन्द्रदास शास्त्री, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, संस्करण 2002-11 (सर्ग-श्लोक) 8.21 पृ०-122; 12 (सर्ग-श्लोक) 8.24 पृ०-123

भारतीय संविधान में लोकतंत्र को सुदृढ़ करनेवाले तत्त्व

डॉ० अरुण कुमार भगत

एसोसिएट प्रोफेसर, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, नोएडा परिसर

लोकतंत्र भारतीयता की पहचान बन गई है। आजादी के बाद एक कालखंड को छोड़कर यहाँ लोकतंत्र की अजस्र धारा प्रवाहित होती रही है। इसने कभी किसी तानाशाह को स्वीकार नहीं किया। यही इसकी विशेषता है और इसलिए विश्व जनमानस में इसकी प्रतिष्ठा भी है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सरकार चलाने की शक्ति जनता को सौंपी गई है। अर्थात् सरकार की सारी शक्तियों का स्रोत जनता है। भारत ने लोकतंत्र के सम्यक् संचालन के लिए सन् 1950 ईस्वी में 26 जनवरी को एक लिखित संविधान को आत्मसात् किया है। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है- “हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसंपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ-निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए दृढ़-संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।”

लोकतंत्र के संरक्षण के लिए संविधान में कई प्रावधान हैं। संसदीय प्रणाली, जनता के मौलिक अधिकारों का संरक्षण, राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का पथ-प्रदर्शन, वयस्क मताधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक संविधान, पंचायतीराज और नगरपालिका-व्यवस्था इत्यादि संविधान की ऐसी विशेषताएँ हैं, जिनसे भारत में लोकतंत्र का संरक्षण होता रहा है। सरकार और सत्ता के द्वारा संविधान में संशोधन कर ‘संविधान के आधारभूत ढाँचे’ को नष्ट करने की कोशिश को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज किया है। न्यायमूर्ति श्री एच०आर० खन्ना के अनुसार, ‘लोकतंत्र’ संविधान का आधारभूत ढाँचा है और लोकतंत्र की सफलता के लिए चुनाव का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना अनिवार्य है।

शासन-संचालन के लिए यों तो अनेक तंत्र विकसित हुए, किंतु गणतंत्र को आम जनता के लिए सबसे कल्याणकारी माना गया। राजतंत्र से लेकर बीसवीं शताब्दी तक के आधुनिक लोकतंत्र की यात्रा काफी लंबी और जटिल है। 18वीं शताब्दी में लोकतंत्र की उदारवादी विचारधारा सामने आई तो 19वीं शताब्दी में मार्क्सवादी विचारधारा सामने आई। इसमें राजतंत्र और सामंती-व्यवस्था की तानाशाही की जगह ‘सर्वहारा की तानाशाही’ की बात की गई। ‘लोकतंत्र के कायाकल्प के लिए ‘लेजे-फेयर’ और उसके बाद ‘कल्याणकारी राज्य’ की अवधारणाएँ सामने आईं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से लेकर बीसवीं शताब्दी के मध्याह्न तक पश्चिम के तकरीबन सभी राष्ट्रों ने इन अवधारणाओं को अंगीकार कर लिया था।¹

‘लोकतंत्र के दो मूल सिद्धांत हैं। एक तो सामूहिक निर्णयों पर सार्वजनिक नियंत्रण और दूसरे, उस नियंत्रण को लागू करने में अधिकारों की समानता। जिस हद तक ये दोनों सिद्धांत किसी संगठन की निर्णय-निर्धारण पद्धति में विद्यमान हों, उस हद तक उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है।² भारतीय संविधान में इसे प्रमुखता से प्रतिस्थापित किया गया है। संपूर्ण संविधान का ढाँचा ही ऐसा बना है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समृद्ध कर सके। ‘भारत का संविधान भारत की अतीतकालीन आस्थाओं एवं परंपराओं का प्रतीक है, जो कुछ श्रेष्ठतम भारतीयता में है, उसका यह पोषक है। भारत

की आत्मा ने उसके भाग और अध्याय बनाए हैं।³ उद्देशिका में 'लोकतंत्रात्मक गणराज्य' का जो चित्र है वह लोकतंत्र, राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से है। दूसरे शब्दों में न केवल शासन में गणतंत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतंत्रात्मक होगा जिसमें 'न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना होगी।'⁴

वयस्क मताधिकार

'समूचे विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर वास्तविक अर्थों में वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र स्थापित है। लोकतंत्र भारतीय संविधान का मूल स्वरूप है और स्वतंत्र व स्वच्छ निर्वाचन इस तंत्र की मूल आवश्यकता है।'⁵

लोकतंत्र के संबंध में अब्राहम लिंकन का वक्तव्य काफी चर्चित है। उनके अनुसार, 'लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है।' भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जनप्रतिनिधि के हाथ में ही शासन की बागडोर सौंपी गई है। कहने का तात्पर्य यह कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही सरकार चलाती है। देश के आम चुनाव (लोकसभा) द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि से निर्मित संसद् जनता के प्रति सीधे उत्तरदायी होती है। इसलिए संसद् को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संसद् के द्वारा जनता की इच्छाएँ और भावनाएँ प्रतिबिंबित होती हैं।

जनप्रतिनिधि पर जनता का अंकुश बना रहे, इसके लिए संविधान के तहत हर पाँच वर्षों के बाद नए जनप्रतिनिधि चुनने का अवसर प्रदान किया गया है। संविधान के द्वारा भारतीय नागरिक को मताधिकार दिया गया है। मताधिकार का प्रयोग कर जनता अपने मनोनुकूल जनप्रतिनिधि को चुनती है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरे शब्दों में, हर पाँच वर्ष के बाद जनता को विश्वास में लेने की यह एक प्रक्रिया है। भारत की भोली-भाली जनता मौन रहकर भी अपने अचूक निर्णय लेती रही है। इसलिए यहाँ कोई तानशाह नहीं बन सका। सरकार को शक्ति-संचय के लिए जनता की शरण में जाना ही पड़ा है।

'लोकतंत्रात्मक सरकार के निर्माण के लिए मताधिकार अनिवार्य है और मताधिकार का सही प्रयोग करके लोकतंत्रात्मक सरकार को फल बनाने के लिए नागरिकों को शिक्षित होना भी अत्यंत आवश्यक है। ऐसी लोकतंत्रात्मक सरकार का परम कर्तव्य समानता, न्याय, स्वतंत्रता तथा बंधुत्व की भावना का सर्जन करके एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हमारे संविधान की प्रस्तावना भी इसी पुनीत उद्देश्य की प्राप्ति का आह्वान करती है।'⁶

'यह अति प्रसिद्ध है: 'यथा राजा तथा प्रजा।' परंतु लोकतंत्रात्मक गणराज्यों में यह उलट जाती है। 'शासन वैसा मिलेगा जैसे के योग्य जनता होगी।' यह यद्यपि सभी शासनों के विषय में सत्य होता है, लेकिन वयस्क मताधिकार पर आधारित निर्वाचित 'लोकतंत्रात्मक गणराज्यों के बारे में तो यह अनिवार्यता है।'⁷

सर्वोच्च न्यायालय ने अलग-अलग मामलों के दौरान अपने विनिश्चयों में संविधान के आधारभूत ढाँचे के आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। इसमें संविधान की सर्वोपरिता, सरकार का गणतंत्रात्मक स्वरूप, वैयक्तिक स्वतंत्रता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष और संघात्मक स्वरूप, मूल अधिकार, कुछ मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, संसद् की संविधान-संशोधन की सीमित शक्ति इत्यादि प्रमुख हैं।

‘कारगर लोकतंत्र के चार प्रमुख घटक या निर्माण-खंड हैं। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव; दूसरा, खुला और उत्तरदायी शासन; तीसरा, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार और चौथा, एक लोकतंत्रीय अथवा सिविल समाज।’⁸

इन चार घटकों के अतिरिक्त अब गणतंत्र के साथ कुछ और घटक जुड़ गए हैं। धन और बाहुबल से चुनाव लड़े जा रहे हैं। अपराधियों का राजनीतिकरण तेजी से हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों में वंशवाद, जातिवाद और चमचागिरी पराकाष्ठा पर है। ‘भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहली बार टी.एन. शेषन ने उस सवाल को हाथ में लिया जिसे राजनेता दो दशक से अधिक समय से शीतागार में डाले रहे। यह मुद्दा था स्वीकृत लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार राजनीतिक दल के कामकाज का।’⁹

‘लोकतंत्र महज एक शब्द नहीं है, वह सिद्धांत भी है और व्यवहार भी। इन दोनों के बीच घटित होने वाली अनगिनत अंतःक्रियाओं का वह कभी मूक तो कभी उग्र दर्शक भी रहा है और ऐसे दर्शकों की एक पूरी जमात को नियंत्रित-संचालित करने वाला एक तंत्र भी।’¹⁰

संसदीय प्रणाली

हमने प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली अपनाई है। तीन शब्द, अर्थात् प्रतिनिधिक, संसदीय एवं लोकतंत्र हमारी राजनीतिक व्यवस्था के मूल तत्व हैं। लोकतंत्र का निहित अर्थ है आत्मनिर्णय का लोगों का अधिकार और मानव की तर्कसंगतता में आस्था।¹¹ सच्चा जनतंत्र तो वही होगा जो सभी को आर्थिक दृष्टि से समानता, विकास के लिए समान अवसर प्रदान करे। इस तरह से जनतंत्र का भविष्य सच्चे समाजवाद की स्थापना में है तथा सच्चा समाजवाद भी जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित ही हो सकता है।¹²

भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए यहाँ अपनाई गई संसदीय प्रणाली की महत्ता को आँका गया है। इसे ब्रिटेन के संविधान से लिया हुआ माना जा रहा है, किंतु भारत में संसदीय प्रणाली जैसी लोकतांत्रिक चेतना वैदिक काल में भी विद्यमान थी। इसे कहीं से उधार लिया हुआ नहीं माना जा सकता है। ‘ऋग्वेद’, ‘अथर्ववेद’, ब्राह्मण ग्रंथ, कौटिल्यीय अर्थशास्त्र, बौद्ध साहित्य इत्यादि में गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। वस्तुतः उस समय भारत में न्यायसंगत और तर्कपूर्ण शासन-व्यवस्था थी, जिसे अत्याधुनिक मानकर भारत ने सन् 1947 ईस्वी में स्वतंत्र होने के बाद स्वीकार किया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था-‘हमने संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली को सोच-समझकर चुना है; हमने इसे केवल इसी कारण नहीं चुना कि हमारे सोचने का तरीका कुछ हद तक ऐसा ही रहा बल्कि इस कारण भी कि यह प्रणाली हमारी पुरातन परंपराओं के अनुकूल है।’ ‘मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व पढ़ें, इनसे श्रेष्ठ आदर्श क्या हो सकते हैं! वेदों के समय से हमारे विचारक जो कहते आए हैं और जो हमारे इतिहास को अनुभव हुए हैं, वही के वही भाग तीन और चार में समाविष्ट हैं। संरक्षण इनमें उन मान्यताओं को दिए गए हैं जिनके बिना भारतीयता निरर्थक और निर्जीव है।’¹³

भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ के संसदीय शासन-तंत्र में संघ तथा राज्य दोनों स्तर के मंत्री लोकसभा और विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार लोकतांत्रिक सरकार की अवधारणा पूरी होती है। मंत्री स्वयं भी जन प्रतिनिधि ही होते हैं और जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ‘कहा जा सकता है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व की संकल्पना पर अधिक बल

दिया जाता है, जबकि राष्ट्रपतीय प्रणाली में स्पष्टतया कार्यपालिका के स्वामित्व को अधिक महत्व दिया जाता है।¹⁴ यूनेस्को पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'लोकतंत्र' में डेविड बीथम एवं केवन बॉयले ने भी निष्पक्ष चुनाव के बाद उत्तरदायी शासन को प्रमुखता से रेखांकित किया है।

'आधुनिक अर्थों में संसदीय शासन प्रणाली एवं विधायी संस्थाओं का उद्भव एवं विकास लगभग दो शताब्दियों तक ब्रिटेन के साथ भारत के संबंधों से जुड़ा हुआ है, परंतु यह मान लेना गलत होगा कि बिलकुल ब्रिटेन जैसी संस्थाएँ किसी समय भारत में प्रतिस्थापित हो गईं। जिस रूप में भारत की संसद् और संसदीय संस्थाओं को आज हम जानते हैं, उसका विकास भारत में ही हुआ।'¹⁵

भले ही अमेरिका ने लोकतंत्र का मिस्र की पिरामिडों से ऊँचा स्मारक बना लिया हो, पर भारत ही संसार का सबसे बड़ा देश है जो लोकतंत्र में निष्ठा और विश्वास रखता है। रामराज्य का आदर्श मानने के बाद भी समाजवाद और गणतंत्र की परंपरा भारतीय संविधान का मूल आधार सिद्ध होता है।¹⁶

मूल अधिकार

संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा को लोकतंत्र की आवश्यक शर्तें मानी गई हैं। इसके बिना लोकतंत्र की बुनियाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान के भाग तीन में इसकी चर्चा की गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रवृत्ति और प्रकृति को ध्यान में रखकर भारतीय संविधान में इन अधिकारों का समावेश किया गया है। अमेरिका में इसे सबसे पहले पूर्ण सांविधानिक स्तर प्रदान किया गया। माना जाता है कि इसे भारतीय संविधान में वहाँ से लिया गया है। मूल अधिकारों के माध्यम से सरकार ने जनता को संरक्षण प्रदान किया है अर्थात् उसे सांविधानिक सुरक्षा-कवच पहनाया है, जिस सामान्य स्थिति में सरकार भी नहीं छीन सकती है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि इसके माध्यम से सरकार की अनियंत्रित शक्ति को नियंत्रित करने की चेष्टा की गई है।

मूल अधिकार के अंतर्गत समता का अधिकार, स्वातंत्र्य-अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और सांविधानिक उपचारों का अधिकार इत्यादि की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार के लिए लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा है। इसलिए इसके अनुभव इस मामले में बड़े कड़वे हैं। मूल अधिकार के पुनः छिनने के भय ने भारत को इस प्रकार सताया कि कार्यपालिका और विधायिका के निरंकुश न हो पाने की पूरी व्यवस्था कर डाली। तानाशाही को रोकने के लिए सन् 1978 में भी संविधान-संशोधन करना पड़ा। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में प्रदत्त मानवाधिकार ने लोकतंत्र की माँग की। 'लोकतंत्र और मानवाधिकार में नजदीकी संबंध कोई नई मान्यता नहीं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में लोकतंत्रीय शासन का भी अनुमोदन किया गया है। इसके आदर्शों में यह भी शामिल है कि शासन के अधिकार का आधार जनता की इच्छा होगी।'¹⁷ (धारा-21)

रूसो और वाल्टेयर जैसे विचारकों ने लोकतंत्र के तीन नारे दिए हैं-स्वाधीनता, समता और भ्रातृत्व। समाजवादी चिंतक श्री विजयदेव नारायण साही ने भी इसे ही लोकतांत्रिक आदर्शों के लिए उपयुक्त माना है। लोकतंत्र के इन तीन स्तंभों के अतिरिक्त भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय को भी प्रमुखता के साथ शामिल किया गया है। किंतु कविवर जगदीश गुप्त ने व्यापक अर्थों में इसे मानवता की संज्ञा दी है। उनकी रचना उल्लेखनीय है-

समता, ममता, स्वाभिमान सब मानव मन की भाषा।

मानवता ही लोकतंत्र की प्रामाणिक परिभाषा।

मानवता वस्तुतः मानवोचित व्यवहार है। यही मानव-धर्म है। इसी में लोक-कल्याण और लोकहित है। समाजवादी चिंतक और विचारक डॉ. राममनोहर लोहिया ने समता को मानवता की संज्ञा दी है। 'लोकतांत्रिक समाज की 'समता' वस्तुतः मानवता का पर्याय हो गई है और इस प्रसंग में स्वयं डॉ. लोहिया ने फरमाया कि समाजवाद मनुष्य जाति का, मनुष्य जाति के लिए, मनुष्य जाति द्वारा सरकार का विचार-दर्शन है।'¹⁸

भारत के आधुनिक लोकतंत्र के इतिहास में न्यायपालिका के बल पर सत्ता को भी चुनौती दी गई थी। आपातकाल में विधायिका के पूर्वाग्रह के कारण कार्यपालिका के अत्याचार से छुटकारा पाने में लोगों ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार को ढाल बनाया था। भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार सजग प्रहरी की तरह लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है। 'ये न केवल कार्यपालिका का बल्कि विधानमंडल की शक्तियों पर भी लगाई गई मर्यादाओं के रूप में है। यद्यपि इसका मूना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, किंतु भारत का संविधान उससे बहुत आगे जाता है और एक प्रकार से संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांतों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करता है।'¹⁹ 'इस अर्थ में मूल अधिकार वे आधारभूत अधिकार हैं, जो नागरिकों को बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक ही नहीं वरन् अपरिहार्य हैं। इन अधिकारों के अभाव में व्यक्ति का बहुमुखी विकास संभव नहीं है।'²⁰ भारतीय संविधान में एक ओर जहाँ नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं वहीं दूसरी ओर इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाए गए हैं। इस प्रकार जनता और सरकार के बीच अधिकारों की यह रस्साकस्सी निर्धारित की गई है। इसमें विवाद की स्थिति होने पर न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारण होता है।

भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, लोकव्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध-उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन का प्रावधान संविधान के अनु. 19 (2) में किया गया है। यहाँ भी निर्बंधन के लिए युक्तियुक्तता की कसौटी को परखने की शक्ति न्यायालय को सौंपकर जनता को राहत ही दी गई है। इससे लोकतांत्रिक ढाँचा सुदृढ़ होता है।

स्वातंत्र्य-अधिकार

वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन-व्यवस्था की आत्मा है। भारतीय संविधान के अनु. 19 (1-क) में इसका उल्लेख किया गया है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों ने अपने नागरिकों को यह अधिकार प्रदान किया है। जिस समाज के नागरिक को जिस हद तक इसकी जितनी छूट मिली वहाँ का समाज उतना ही विचारशील हुआ। 'लोकतांत्रिक-सरकार लोगों की सहमति पर आधारित होती है और लोक-समस्या को हल करने के लिए अपने विचारों द्वारा सहयोग, आपस में खुली बहस और विचारों के मुक्त आदान-प्रदान पर ही आधारित हो सकता है।'²¹ आइवर जैनिंग्स ने लोकतंत्र के संदर्भ में अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है-'प्रतिनिधिक लोकतंत्र, जो तर्क और बुद्धि पर आधारित स्वतंत्र निर्वाचन की नींव पर खड़ा होता है, ऐसे समाज में काम नहीं कर सकता जहाँ बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है।'

अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य की संवैधानिकता के आधार पर ही किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का अस्तित्व कायम रहता है। प्रख्यात चिंतक वॉलटेयर ने कहा था-‘तुम जो कहते हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारे कहने के अधिकार की रक्षा करते दम तक करूंगा।’ पक्ष-विपक्ष का सह-अस्तित्व भारतीय चिंतन-परंपरा की आधारशिला है। कोई तानाशाह ही विपक्ष को समाप्त कर सकता है और तब लोकतंत्र का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। अर्सकाइन ने ठीक ही कहा है-‘तर्क के विरोध में तर्क हो और दलील के विरोध में दलील हो, तो हरेक अच्छी सरकार सुरक्षित होगी।’

अनु. 19 (1-क) के अंतर्गत ही जानने का अधिकार भी शामिल है। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अभिनिर्धारित किया है। हिम्मतलाल बनाम पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद (ए आई आर, 1973, एस सी 87) के मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जानने के अधिकार की महत्ता सुनिश्चित होती है-‘प्रजातांत्रिक शासन की आधारभूत अवधारणा यह है कि शासन शासितों की सहमति पर आधारित होना चाहिए। लेकिन शासितों की सहमति का मतलब यह नहीं कि सहमति केवल मुक्त एवं स्वाभाविक हो, बल्कि उसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के संभाव्य प्रकीर्णन की मदद से उपलब्ध पर्याप्त सूचनाओं और परिचर्चा पर आधारित होना चाहिए।

भारतीय संविधान में इसी अधिकार के अंतर्गत ‘प्रेस की स्वतंत्रता’ भी शामिल है। इसके लिए भारतीय संविधान में अलग से कोई उपबंध नहीं है। वर्तमान पदृश्य में ‘प्रेस’ की इतनी महत्ता और लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के रूप में महिमामंडन के बावजूद इसे संविधान के अनु. 19 (1-क) का ही हिस्सा माना गया है। जाहिर तौर पर यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संरक्षण प्रदान करने वाला अधिकार है। संविधान के इसी अधिकार के द्वारा समाचार और विचार के माध्यम से हर व्यक्ति को आलोचनात्मक शक्ति प्राप्त होती है। वाक् एवं अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के अतिरिक्त संविधान में शांतिपूर्णक और निरायुध सम्मेलन करने, संगम या संघ बनाने, भारत के राज्य-क्षेत्र में सवत्र अबाध संचरण करने, भारत के राज्य-क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने तथा कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार का अधिकार नागरिक को प्रदान किया गया है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व

लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए संविधान में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का समावेश किया गया है। इससे संविधान का लोकतांत्रिक ढाँचा सुदृढ़ हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इसे उपबंधित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लोकतंत्र को चलाने के लिए विधायिका और कार्यपालिका के समक्ष ये तत्व मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं।

संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों का उल्लेख है। इन अनुच्छेदों में राज्य के कर्तव्य की चर्चा की गई है। राज्य के असीमित अधिकार के साथ-साथ ये अनुच्छेद उनके कर्तव्य की याद दिलाकर जनता का हित-चिंतन करते हैं। इससे राज्य का संरक्षक-दायित्व बढ़ता है। यह राज्य की अंतश्चेतना है। इससे स्वयं की प्रेरणा जाग्रत होती है और जनकल्याण करने की मनोदशा निर्मित होती है। राज्य और जनता के बीच यह स्नेह-सौजन्य के तत्व हैं। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, फिर भी इसमें अधिकथित

तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य के नैतिक आदर्श के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है।

राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का संविधान में उल्लेख करते हुए कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोककल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। इसमें पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों के समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन इत्यादि का प्रावधान किया गया है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ग्राम-पंचायतों का गठन, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इत्यादि को इसमें शामिल किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य के नीति-निदेशक तत्व के माध्यम से लोकतांत्रिक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान में हुआ है।

स्वतंत्र न्यायपालिका

लोकतंत्र के संरक्षण के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका के गठन का लाभ इसे कई अवसरों पर मिला है। इसी के कारण लोकतंत्र को संजीवनी मिली है। जनता को बिना किसी दबाव के निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्ण न्याय मिल सके, इसके लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रासंगिकता स्वयंसिद्ध है और इसी के साथ लोकतंत्र की वास्तविक अवधारणा भी सुदृढ़ होती है। भारतीय संविधान के उपबंधों का निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय करता है और वही अंतिम होता है। न्यायालय की इस शक्ति के द्वारा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संरक्षण होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र की आधारशिला समझे जाने वाले मूल अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था के सम्यक् संचालन के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका अपरिहार्य थी।

गणतंत्र में मानवाधिकार के अवसर, मानवीय मूल्यों का संरक्षण और सत्ता में सहभागिता का सुयोग मिलता है। यहाँ निरंकुश और तानाशाही व्यवस्था जैसी कोई चीज नहीं दिखाई देती है; क्योंकि सरकार को हर पाँच वर्षों के बाद जनता से विश्वास अर्जित करने की व्यवस्था है। इस प्रकार सरकार की शक्ति का स्रोत अंततः जनता ही हो जाती है। लगभग 68 वर्षों की इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में केवल एक बार तानाशाही का तांडव सन् 1975 ईस्वी में आपातकाल के दौरान देखने को मिला।

आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की यह अवधारणा प्रायः समाप्त हो गई थी कि यह जनता का शासन है। उस समय लोकशाही पर तानाशाही का शासन था। शासन ने जनता की जगह अपने आप में ही संप्रभु शक्ति की प्रतिष्ठा कर ली थी। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ समझी जानेवाली पत्रकारिता की बोलती पर भी सेंसरशिप का ताला लगा दिया गया था। रातों-रात हजारों-हजार लोग जेल की सीखियों में बंद कर दिए गए। अत्याचार का अमानुषिक तांडव होने लगा। 'माक्सवादी नेता नंबूद्रीपाल

ने प्रधानमंत्री को लिखा कि दमन-नीति में आपने अंग्रेजों को भी मात दिया है। 1920-21, 1930-3 और 1942 के तूफानी काल में भी समाचार-पत्रों को छूट थी कि गिरफ्तार किए गए नेताओं के नाम प्रकाशित करे, संपादकीय कॉलम छोड़कर अपना विरोध प्रकट कर सके तथा कई अन्य तरीकों से यह व्यक्त कर सके कि वे सेंसर के अधीन कार्य कर रहे हैं। पर आज प्रधानमंत्री क्या कर रही हैं? ठीक है, आपने विरोधी दलों को औपचारिक रूप से अवैध नहीं घोषित किया है, पर आपने उनका गला घोट रखा है और उनके हाथ-पैर बाँधकर उन्हें जेल में टूँस दिया है।²²

‘जब भारतीय संविधान के निर्माण के समय उसमें आपातकालीन शक्तियों की धाराओं का समावेश किया जा रहा था तो संविधान-निर्मात्री सभा के सदस्य एच.वी. कामत ने चेतावनी दी थी कि ‘जर्मनी के ‘वीमर’ संविधान के इसी प्रकार के प्रावधानों का दुरुपयोग कर हिटलर ने वहाँ जनतंत्र को समाप्त कर तानाशाही थोप दी थी। हमारे यहाँ भी इसका दुरुपयोग हो सकता है।’²³ ‘नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रेस का दमन, संगठनों पर पाबंदी, बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने के आधार पर नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के लिए कायल रहने का रत्ती भर न्यायोचित अधिकार नहीं माना था। सन् 1936 में ब्रिटिश सरकार ने जो कुछ किया वह आज की सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तुलना में बहुत कम थे।’²⁴ जो भी हो, इन अमानवीय अत्याचारों ने लोगों को लोकतंत्र का महत्त्व समझने का अवसर दिया और उनके मन में यह भावना पैदा की जो आपातकाल के बाद घोषित चुनावों में तानाशाही के विरुद्ध और लोकतंत्र के पक्ष में शक्ति के साथ अभिव्यक्त हुई। यह आपातकाल तो तभी समाप्त हुआ जब मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। सारे देश ने मुक्ति की साँस ली।²⁵

इंद्रिा जी उन दिनों सत्ता के मद में थीं और ऐसे सलाहकारों के चंगुल में, जो उन्हें ठीक सलाह नहीं दे पा रहे थे। उनके संतुलित कदम लड़खड़ा रहे थे, एक पर एक भूलें उनसे हो रही थीं, जो उन्हें उचित सलाह देने की क्षमता रखते थे, उन्हें वे शक की नजरों से देखती थीं।²⁶ उनकी तानाशाही प्रवृत्ति इस तरह बढ़ गई कि अपनी कुर्सी के लिए वे संविधान में छेड़छाड़ करने लगीं। न्यायपालिका को डराने-धमकाने की भे चेष्टा की गई।

न्यायपालिका सर्वोच्च है या संसद्, यह सवाल तो उठा, पर संविधान सर्वोच्च रहे जिसके तहत दोनों को काम करना है, इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। कुरसी की सनक में इस पवित्र दस्तावेज की धाराओं को बदलने में कभी झिझक का अनुभव नहीं हुआ। हमारे संविधान-निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की रक्षा का भार न्यायपालिका को सौंपा था; पर इधर कई संविधान-संशोधन ऐसे किए गए जिन्हें न्यायपालिका के क्षेत्र के बाहर कर दिया गया। फलतः हमारा लोकतंत्र अधिनायक तंत्र की ओर बढ़ने लगा।²⁷ सरकार ने सोचा था कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर वह किसी को भी मनमाने ढंग से अब जेलों में टूँस सकेगी, न्यायालय उन्हें राहत प्रदान नहीं कर सकेंगे, किंतु मौलिक अधिकारों के निलंबन के बाद भी जब न्यायालयों ने ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएँ (हैबिअस कॉर्पस) स्वीकार करना जारी रखा, तो सरकार विचलित हो उठी।²⁸

संविधान की धारा 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार को आपातकाल में राज्य द्वारा छीन लिए जाने पर कफ़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी। एडीएम, जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (सन् 1976) का मामला इस संदर्भ में कफ़ी चर्चित हुआ। यह ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ के नाम से ही प्रसिद्ध हो गया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य के फैसले को पलट दिया। 28 अप्रैल, 1976 को दिए गए इस फैसले ने अभिनिर्धारित किया कि आपात-उद्घोषणा के

प्रवर्तन-काल में मीसा के अंतर्गत निषिद्ध किए गए व्यक्ति को यह अधिकार नहीं होगा कि वह किसी उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दाखिल कर सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का एकमात्र स्रोत है। जब आपातकाल लागू हो तो कोई व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर नहीं कर सकता है। इस निर्णय के बाद कार्यपालिका पर कोई भी अंकुश नहीं रह गया था। आपातकाल में संविधान के अंतर्गत भी किसी प्रकार की राहत नहीं दिए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लग गई। 'इस खबर से सभी स्तब्ध हो गए। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने नौ उच्च न्यायालयों का निर्णय पलट दिया।'²⁹ शायद यह पहली बार, ऐसा हुआ कि नौ उच्च न्यायालयों के सर्वसम्मत निर्णय को उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार बदला हो। कितनी अजीब लगती है यह घटना! अब तक यह कहा जाता था कि विभिन्न उच्च न्यायालय एक ही समस्या पर विभिन्न राय रखते हैं और इसके लिए आवश्यक है कि कुछ तालमेल बैठाय जाए। अब एक प्रश्न यह है, जब अधिकांश एक मत रहें तो उच्चतम न्यायालय की राय दूसरी है। यह बात भी समझी जा जा सकती है।³⁰

इस निर्णय के परिणाम बड़े दूरगामी थे और इसकी बड़ी आलोचना की गई। ऐसा लगता था कि न्यायाधिपतिकरण भी भयग्रस्त थे। जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में जनता से यह वादा किया था कि वह नागरिकों के 'दैहिक स्वतंत्रता' के अधिकार को सुदृढ़ करेगी। फलस्वरूप संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978 पारित किया गया।³¹

गौरतलब है कि माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य (सन् 1964) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि 'आपात के दौरान भी निरूद्ध व्यक्ति अपने निरोध की वैधता को इस आधार पर चुनौती दे सकता है कि आदेश आपात-विधि के प्राधिकार के बिना पारित किया गया था या अत्यधिक प्रत्यायोजन करता था अथवा दुर्भावना से पारित किया गया था। संक्षेप में, आपातकाल के दौरान भी कार्यकारिणी को कानून का सहारा लेना आवश्यक था।'³²

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबिअस कॉर्पस) के अधिकार से तो नागरिक वंचित हो गए थे। अब कोई मीसाबंदी अपनी गैरकानूनी और अन्यायपूर्ण गिरफ्तारी के विरोध में उच्च-न्यायालय से कुछ आशा नहीं कर सकता था। किंतु अभी भी संविधान की धारा 226 में यह प्रावधान तो था कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के साथ-साथ 'अन्य उद्देश्य' के लिए भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस प्रावधान के आधार पर उच्च न्यायालय समाचार-पत्रों आदि को सरकारी मनमानी के विरुद्ध संरक्षण देने में समर्थ हो गए थे।³³

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक ढाँचे को सुदृढ़ करनेवाले अनेक प्रावधान हैं। लोकतंत्र की विकास-यात्रा की जटिलता और संघर्ष की संभावना को ध्यान में रखकर ही संविधान की रचना की गई है। संविधान की रचना-प्रक्रिया के पीछे अवधारणा यह है कि जनता ही सर्वोच्च सत्ताधीश है। फिर भी राज्य और जनता के बीच अधिकारों की रस्साकस्सी का यह खेल होता रहा है। इसके अभिनिर्धारण में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हाल के वर्षों में पत्रकारिता भी लोकतांत्रिक ढाँचे को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। यह जनता की आवाज बन गई है। इसलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी मान लिया गया है। कुल मिलाकर जनता की इच्छा और आकांक्षा ही सर्वोपरि है, जो लोकतंत्र की माँग है। इसी ढाँचे पर भारतीय संविधान का तानाबाना बुना गया है।

संदर्भ-ग्रंथ सूची

1. श्री अरुण पांडेय; हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार; द्वितीय संस्करण-2002; पृष्ठ-संख्या-4
2. श्री डेविड बीथम, केवन बॉयले (अनुवाद : देसराज गोयल); लोकतंत्र; प्रथम संस्करण (पहली आवृत्ति)-1997; पृष्ठ-संख्या-1
3. श्री राजेंद्र शंकर भट्ट; संविधान: शंकाएँ और संभावनाएँ; प्रथम संस्करण-2000; पृष्ठ-संख्या-28
4. डॉ. दुर्गादास बसु; भारत का संविधान: एक परिचय; छठा संस्करण-1996; पृष्ठ संख्या-23
5. डॉ. मुरलीधर चतुर्वेदी; भारत का संविधान; दसम् संस्करण (पुनः प्रकाशित)-2003; (एस.सी. 2299); पृष्ठ-संख्या-563
6. डॉ. जयनारायण पांडेय; भारत का संविधान; चौतीसवाँ संस्करण-2001; पृष्ठ-संख्या-18
7. श्री राजेंद्र शंकर भट्ट; संविधान: शंकाएँ और संभावनाएँ; प्रथम संस्करण-2000; पृष्ठ-संख्या-7
8. श्री डेविड बीथम, केवन बॉयले (अनुवाद: देसराज गोयल); लोकतंत्र; प्रथम संस्करण (पहली आवृत्ति)-1997; पृष्ठ-संख्या-25
9. श्री मधुलिमिये; भारतीय राजनीति का संकट; प्रथम संस्करण-1995; पृष्ठ-संख्या-20
10. श्री अरुण पांडेय; हमारा लोकतंत्र और जानने का अधिकार; द्वितीय संस्करण-2002; पृष्ठ-संख्या-1
11. श्री सुभाष कश्यप, हमारी संसद्; तीसरा संस्करण-1996; पृष्ठ-संख्या-16
12. डॉ. अमरनाथ सिन्हा, 'छात्र आंदोलन से जनता सरकार तक' (स्मारिका) 1977; पृष्ठ-संख्या-169
13. श्री राजेंद्र शंकर भट्ट; संविधान: शंकाएँ और संभावनाएँ; प्रथम संस्करण-2000; पृष्ठ-संख्या-28
14. श्री सुभाष कश्यप; हमारा संविधान; दूसरी आवृत्ति-2004; पृष्ठ-संख्या-38
15. श्री सुभाष कश्यप; हमारी संसद्, तीसरा संस्करण-1996; पृष्ठ-संख्या-3
16. श्री विजयदेव नारायण शाही; लोकतंत्र की कसौटियाँ; प्रथम संस्करण-1991 (सुप्रसिद्ध साहित्यकार जगदीश गुप्त की प्रकाशकीय); पृष्ठ-संख्या-7
17. श्री डेविड बीथम, केविन बॉयले (अनुवाद: देसराज गोयल); लोकतंत्र; प्रथम संस्करण (पहली आवृत्ति)-1997; पृष्ठ-संख्या-76
18. श्री विजयदेव नारायण शाही; लोकतंत्र की कसौटियाँ प्रथम संस्करण-1991; पृष्ठ-संख्या-85
19. श्री दुर्गादास बसु; भारत का संविधान: एक परिचय; छठा संस्करण-1996; पृष्ठ-संख्या-79
20. डॉ. जयनारायण पांडेय; भारत का संविधान; चौतीसवाँ संस्करण-2001; पृष्ठ-संख्या-55
21. श्री चंदन कुमार; अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य की संवैधानिकता प्रथम संस्करण-2003; पृष्ठ-संख्या-16
22. श्री बिशन टंडन; आपातकाल: एक डायरी (भाग-1), संस्करण-2002; पृष्ठ-संख्या-500
23. श्री प्र.ग. सहस्रबुद्धे; श्री माणिकचंद वाजपेयी; प्रथम संस्करण 1990; पृष्ठ-संख्या-440
24. श्री लालकृष्ण आडवाणी; नजरबंद लोकतंत्र; संस्करण-2002; पृष्ठ-संख्या-68
25. डॉ. शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, प्रथम संस्करण-2002, पृष्ठ-संख्या-168
26. श्री शंकरदयाल सिंह; इमर्जेसी: क्या सच? क्या झूठ? प्रथम संस्करण-1997; पृष्ठ-संख्या-10
27. डॉ. कन्हैया सिंह 'अंधेरे के अध्याय; पेपरबैक संस्करण-1999; पृष्ठ-संख्या-12
28. श्रीप्र.ग. सहस्रबुद्धे; श्री माणिकचंद वाजपेयी; प्रथम संस्करण-1990; पृष्ठ-संख्या-442
29. श्री लालकृष्ण आडवाणी; नजरबंद लोकतंत्र; संस्करण-2002; पृष्ठ-संख्या-130
30. श्री चंद्रशेखर; मेरी जेल डायरी; प्रथम संस्करण 1977; पृष्ठ-संख्या-369
31. डॉ. जयनारायण पांडेय; भारत का संविधान; चौतीसवाँ संस्करण-2001; पृष्ठ-संख्या-241
32. वही, पृष्ठ-संख्या-240
33. श्री प्र.ग. सहस्रबुद्धे; श्री माणिकचंद वाजपेयी; प्रथम संस्करण-1990; पृष्ठ-संख्या-461-462

समाचार पत्रिकाओं (इंडिया टुडे, शुक्रवार, आउटलुक) के ऑन लाइन संस्करणों का अंतर्वस्तु का विश्लेषण

ओमशंकर गुप्ता

शोध छात्र, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना (एमपी)

देश की बहुप्रसारित और चर्चित इंडिया टुडे, शुक्रवार और आउटलुक पत्रिकाओं के ऑन लाइन संस्करणों में इंडिया टुडे पत्रिका का नेट संस्करण सबसे बेहतर है। ले आउट, विषय सामग्री, अंतर्वस्तु, प्रस्तुतिकरण, पाठक भागीदारी और नवाचार के मानकों पर इंडिया टुडे पत्रिका का इंटरनेट संस्करण बेहतर ही नहीं हिंदी की अन्य पत्रिकाओं के नेट संस्करणों के मुकाबले बहुत आगे भी है। शुक्रवार पत्रिका का ऑनलाइन संस्करण देखने पर ऑफलाइन पत्रिका का केवल ई संस्करण लगता है। हालांकि उसमें ताजा खबरों को भी जगह दी गई है। लेकिन अन्य मानकों पर शुक्रवार का इंटरनेट संस्करण खरा नहीं उतरता। आउटलुक हिंदी पत्रिका का इंटरनेट संस्करण काफी रोचक है। यह लेआउट, विषय सामग्री, अंतर्वस्तु, प्रस्तुतिकरण और ताजातरीन खबरों के मानकों पर तो खरा उतरता है। लेकिन पाठक भागीदारी, नवाचार का इसमें समावेश नहीं है। आउटलुक पत्रिका की सामग्री भी इसमें पूरी नहीं मिलती। इंडिया टुडे पत्रिका के इंटरनेट संस्करण में समाचारों, विचारों के अलावा हर तरह की विषय वस्तु मिलती है। उस विषय वस्तु की अंतर्वस्तु भी अच्छी होती है। लेकिन शुक्रवार के नेट संस्करण में वही सामग्री होती है जो उसके ऑफलाइन संस्करण में होती है। हालांकि शुक्रवार पत्रिका के नेट संस्करण का ले आउट आकर्षक है। आउटलुक पत्रिका के नेट संस्करण में कई ऐसी खबरें भी होती हैं जो बहुत पुरानी पड़ चुकी होती हैं। तीनों पत्रिकाओं के इंटरनेट संस्करणों के विश्लेषण ये पता चलता है कि इंडिया टुडे का ऑनलाइन संस्करण अन्य दोनों पत्रिकाओं के इंटरनेट संस्करण से काफी बेहतर है।

15 अगस्त का दिन भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन देश को 1947 में आजादी मिली थी। इसी दिन सन 1995 में देश में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल शुरू हुआ था। उसी इंटरनेट का, जिसने दुनिया के कई देशों में क्रांति ला दी। एक समय था जब देश में इंटरनेट का मतलब साइबर कैफे होता था। इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए साइबर कैफे जाना होता था। जो शहर में गिनती के ही होते थे। वर्तमान में उसी इंटरनेट के देश में आम लोगों के बीच पहुंचने के दो दशक पूरे हो गये हैं।

जिस इंटरनेट की शुरुआत देश में 1995 में हुई थी अब उसकी पहुंच देश के हर हिस्से में है। लोग पहले सिर्फ कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट से जुड़ पाते थे। सूचना क्रांति ने इंटरनेट को लोगों की जेब में पहुंचा दिया है। यह इंटरनेट का ही कमाल है कि लोग देश-दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठे-बैठे, चलते-फिरते और घूमते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि अब इंटरनेट ने इसके लिए वीडियो कॉलिंग सेवा दे दी है।¹

इंटरनेट के बढ़ते उपयोग को देखते हुए तकरीबन सभी प्रतिष्ठित और उपयोगी पठन-पाठन सामग्री ही नहीं बल्कि अब समाचार, विचार और अन्य तरह की वह पत्रिकाएं भी इंटरनेट के जरिए वेब पोर्टल से जुड़ चुकी हैं जिनकी पाठकों तक अच्छी खासी पहुंच है।

समाचारों, विचारों और समसामयिक हलचल की ऑनलाइन पत्रिकाओं को ऑनलाइन वेब पत्रिकाओं के नाम से जाना जाता है। वेब पत्रकारिता की शुरुआत 1992 में वर्ल्ड वाइड वेब जारी होने के बाद हुई। 1995 तक विश्व में यूजनेट पर करीब ढाई हजार समाचार समूह अपनी सामग्री लेकर हाजिर हो चुके थे। भारत में भी 15 अगस्त 1995 को इंटरनेट के आम लोगों के लिए सुलभ होने के साथ ही वेब पत्रकारिता की शुरुआत हुई। 1995 में चेन्नई से प्रकाशित दैनिक अंग्रेजी पत्र 'हिन्दू' ने नेट संस्करण शुरू किया। इसी के साथ देशी वेब पत्रकारिता ने जोर पकड़ा और 1996 में 'टाइम्स ऑफ इंडिया और 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' ने अपना इंटरनेट संस्करण शुरू किया। इसी कड़ी में कई समाचार पत्रिकाएँ भी जुड़ीं। इनमें इंडिया टुडे, शुक्रवार और आउटलुक प्रमुख वेब पत्रिकाएँ भी प्रमुख रूप में शामिल हैं।

तीनों पत्रिकाओं के ऑफ लाइन और ऑनलाइन संस्करणों में काफी अंतर है। मूल अंतर तो यही है कि ऑफ लाइन पत्रिका कागजी दस्तावेज के रूप में उपलब्ध है तो ऑन लाइन डिजिटल दस्तावेज के रूप में। इनमें से इंडिया टुडे को भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत से ही नेट पर आने का सौभाग्य मिला हुआ है। आउटलुक पत्रिका इंडिया टुडे के बाद और शुक्रवार अपनी शुरुआत से ही नेट संस्करण के रूप में उपलब्ध हुई। सवाल उठता है कि किसी एक पत्रिका के प्रिंट और नेट संस्करण एक जैसे होते हैं या अलग अलग। अलग होते हैं तो किस तरह। नेट संस्करण में ऐसा क्या होता है जो प्रिंट संस्करण में नहीं होता। क्या फिर नेट संस्करण प्रिंट की हू-ब-हू ई-कॉपी होता है।

असल में संस्थान और नाम भले एक हों पर प्रिंट संस्करण और नेट संस्करण में बहुत भारी अंतर है। प्रिंट संस्करण एक कागजी दस्तावेज है तो नेट संस्करण एक डिजिटल दस्तावेज। इनमें कंटेंट में भी बर्क होता है। प्रिंट संस्करण कुछ निश्चित पृष्ठों का होता है तो नेट संस्करण में प्रिंट से कुछ अधिक सामग्री रहती है। प्रिंट में एक खबर अपने तमाम कंटेंट के साथ एक साथ होती है। लेकिन नेट संस्करण में एक खबर प्रिंट जैसी पूरे कंटेंट के साथ होने के साथ साथ अपने से जुड़ी अन्य खबरें भी अपने साथ लिंक के रूप में जोड़े रखती है। ताकि मांग होने पर संबंधित खबर से मिलती जुलती अन्य खबरें भी पाठक के सामने लिंक खोलने पर मिल सकें।

प्रिंट में हेडलाइन्स के भाव होते हैं। नेट संस्करण में किसी खबर को उसके शीर्षक के आधार पर नहीं खोजा जाता क्योंकि हेडलाइन में भाव नहीं होते। नेट कम्प्यूटर पर आधारित होता है। इंडिया टुडे समूह के वेब पोर्टल के वरिष्ठ पत्रकार सुरेश कुमार करते हैं "कंप्यूटर भाव नहीं पहचानता। कंप्यूटर या तो टेक्स्ट पहचानता है या लिंक या कोई स्लग। इसलिए नेट संस्करण में पढ़ने वालों को कभी कभी वो मजा नहीं आता जो प्रिंट संस्करण को पढ़ने में आता है। कहने का आशय यह है कि प्रिंट में एक खबर अपनी संपूर्णता के साथ होती है तो नेट संस्करण में एक खबर अपनी संपूर्णता के साथ अपने से संबंधित नई पुरानी अन्य खबरें भी साथ लिए होती है। इसके चलते नेट संस्करण में खबरें या पत्रिका के अंक को देखने पढ़ने वालों को प्रिंट से कुछ अधिक सहूलियत होती है। लेकिन फिर भी प्रिंट संस्करण पढ़ने में जो आनंद मिलता है वो इंटरनेट संस्करण पढ़ने में नहीं आता।"²

सूचना और संचार क्रांति के दौर में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बीच वेब पत्रकारिता का चलन तेजी से बढ़ा है।

अखबारों की तरह वेब पत्र और पत्रिकाएँ पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही हैं। वर्तमान में तकरीबन हर बड़े शहर से वेब पत्रकारिता हो रही है। हालांकि रंग ढंग और प्रस्तुतिकरण अलग अलग हैं। सभी

तरह के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वेब पर हैं। अंग्रेजी ऑनलाइन वेब पत्रकारिता की शुरुआत हिन्दी से पहले हुई। दरअसल, हिन्दी फॉन्ट की समस्या की वजह से हिन्दी ऑनलाइन वेब पत्रकारिता देरी से आई। हालांकि अभी भी फॉन्ट की समस्या बरकरार है क्योंकि हिन्दी ऑनलाइन वेब पत्रों का अपना अलग-अलग पैकेज फॉन्ट है। सभी वेब साइट अलग-अलग फॉन्टों में खुलते हैं, जिससे पाठकों को बहुत परेशानी होती है। हालांकि अब लगभग सभी ई अखबार अपने अपने संस्करण के साथ डाउनलोड करने के लिए फोन्ट भी देने लगे हैं।

इस सदी के पहले दशक तक वेब पत्रकारिता की पहुंच या उसे पसंद करने वाले कुछ ऐसे लोग ही थे जिनके पास कंप्यूटर या महंगे लैपटॉप या महंगे मोबाइल होते थे लेकिन अब मोबाइल और उसकी सेवाओं के बढ़ते विस्तार के साथ और लैपटॉप, टैबलेट के सस्ते होते जाने और उनके बढ़ते इस्तेमाल के साथ अब मध्य वर्ग से आगे निकलकर निम्न मध्यवर्ग तक भी वेब पत्रकारिता लोकप्रिय हो रही है। हालांकि भारत में अभी भी वेब पत्रकारिता की पहुंच अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक नहीं है। जो एक चुनौती है। देश में कई मौके ऐसे आए जब कुछ स्वतंत्र वेब पोर्टलों ने तहलका मचा दिया। प्रिंट से आगे निकलने की होड़ में तेजी से बढ़ते दिखे वेब पोर्टल। उदारण के लिए 'तहलका डॉट कॉम' ने जब स्टिंग ऑपरेशन कर बंगारू लक्ष्मण से संबंधित खबर दी तो देश भर में वेब पत्रकारिता को ना केवल खास नजरिये से देखा गया बल्कि वेब पत्रकारिता की लोकप्रियता में एकदम से उछाल आ गया।

वर्तमान में भारत में देशी अंग्रेजी ऑनलाइन वेब पत्रकारिता और हिन्दी ऑनलाइन वेब पत्रकारिता का अपना एक अलग संसार कायम हो चुका है। लगभग सभी राष्ट्रीय और स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों की अपनी वेबसाइट है और वो ई-पेपर निकाल रहे हैं।

ताजा अध्ययन के मुताबिक भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या तकरीबन 35 करोड़ है। फिर भी अभी रेडियो और दूरदर्शन की तरह इंटरनेट की पहुंच भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं के बराबर है। यह सच है कि शहरी क्षेत्र तो इंटरनेट का फायदा उठा रहा है। विदेशों की तरह भारत में वेब पत्रकारिता विकास तो कर रही है लेकिन कई समस्याओं की वजह से यह आम नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी वजह यह है कि इसके लिए एक अदद कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा जरूरी है। दोनों पर अभी भी अच्छी खासी लागत आती है। साथ में बिजली भी चाहिए जो फिलहाल राजधानी दिल्ली में ही पूरे 24 घंटे उपलब्ध नहीं है ऐसे में गाँवों के पिछड़ेपन और आर्थिक संकट के कारण फिलहाल सब तक इंटरनेट दूर की कौड़ी है।

वेब पत्रकारिता का सबसे ज्यादा फायदा विदेशों में रहने वाले लोग उठा रहे हैं। अमेरिका में बैठा बिहार के भागलपुर जिले का निवासी अब भागलपुर की खबरों के लिए परेशान नहीं रहता है। वह जिले से प्रकाशित स्थानीय समाचार पत्रों को नेट पर ही पढ़ लेता है। उसे अपने घर के आस पास की खबर के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका में छपने वाले पत्रों में दिल्ली की खबरें तो मिल जाती हैं लेकिन छोटे शहरों की खबरें पढ़ने को नहीं मिलती। इन हालात में वेब पत्रकारिता ने एक अच्छा माध्यम दिया है। इससे छोटी से छोटी खबरों को नेट पर तलाश कर पढ़ा जा सकता है। हालांकि अक्सर देखने को मिलता है कि ई-पेपर संस्करण को अपडेट करने की रफ्तार काफी धीमी है। फिर भी खबरें देर सबेर ही सही नेट पर आ ही जाती हैं। 90 के दशक के आखिर में प्रमुख हिन्दी दैनिकों ने नेट संस्करण निकाल कर वेब पत्रकारिता में घुसपैठ की थी। वेब पत्रकारिता में प्रवक्ता, जनोक्ति, मोहल्ला लाइव, तेवर, रविवार, हस्तक्षेप, वेब दुनिया, चौथी दुनिया, तहलका विशेष रूप में इंडिया टुडे, शुक्रवार और आउटलुक बड़े नाम हैं।

वर्तमान में अमूमन सभी राष्ट्रीय और स्थानीय समाचार पत्र-पत्रिकाएँ वेब पत्रकारिता में हैं और नेट पर अपने संस्करण निकाल रहे हैं। लेकिन भारत में वेब क्षेत्र में अलग से पत्रकारिता काफी कम हो रही है। सिर्फ गिनी चुनी वेबसाइटें ही इस क्षेत्र में प्रिंट से अलग काम कर रही हैं। आमतौर पर दैनिक पत्र अपने समाचार पत्रों के संस्करणों को ही नेट पर लोड कर देते थे लेकिन अब उनके दैनिक पत्रों के अलावा अलग से नेट संस्करण भी निकाल रहे हैं। हालांकि उसकी खबरों में भी पल पल अपडेशन की यानि नवीनता की कमी अब भी लगती है।

“प्रिंट में तो फिर भी अलग से व्यवस्था होने लगी है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछेक संस्थानों को छोड़ दें तो सभी संस्थानों में खासकर क्षेत्रीय चैनलों में अभी भी इसकी अलग से व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि इससे प्रिंट और टीवी की तरह आमदनी ना के बराबर होती है। वेब पत्रकारिता के लिए अलग से टीम नहीं रहने से मौलिकता का भी अभाव रहता है। खबरों में अपडेट की कमी सफ़ दिखती है।”¹³

इंडिया टुडे, आउटलुक और शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करणों की बात करें तो इंडिया टुडे का ऑनलाइन संस्करण बेहद व्यवस्थित, सुगठित, सर्फर के लिए आसान और पत्रिका के संबंधित अंक की पूरी खबरों के साथ साथ नवीनतम जानकारियों, खबरों, फीचर्स और पत्रिका की खबरों से संबंधित कई पुराने लेखों, आलेखों के साथ एक तरह से संपूर्णता लिए होता है।

आउटलुक का ऑनलाइन संस्करण बिल्कुल अलग है। इसमें आउटलुक पत्रिका का संबंधित पूरा अंक उपलब्ध नहीं होता। आउटलुक की साइट पर पत्रिका का आवरण पृष्ठ दिया जाता है। उसमें क्लिक करते ही एक नई साइट खुलती है। वह बताती है कि सर्फर आउटलुक को मुफ्त में ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता बल्कि इसके लिए उसे पैसे देने होंगे। लेकिन आउटलुक ऑनलाइन संस्करण के पहले पेज में पत्रिका की कुछ विशेष खबरें, कुछ विशिष्ट फीचर और नजरिया के तहत लेख या संपादकीय जरूर दिए जाते हैं। इसके अलावा आउटलुक की वेब साइट पर दिन भर की ताजा तरीन खबरें, फीचर, फोटो फीचर, रोचक जानकारियां, लेख और विभिन्न विषयों पर आलेख जरूर मिलते हैं। इसके अलावा फिल्म, साहित्य, पर्यटन, खेल, अर्थ, कारोबार आदि क्षेत्र की नई खबरें या जानकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत की भी कई खबरें होती हैं। हालांकि आउटलुक की साइट पर देश और राजनीति के अलावा बाकी कॉलम की खबरें कई बार इतनी पुरानी दिखती हैं कि सर्फर एक बार पढ़ने के बाद शायद ही इस साइट की तरफ रुख करता होगा। कुल मिलाकर आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में पत्रिका के संबंधित अंक या ताजा अंक की खबरें नहीं मिलती।

शुक्रवार पत्रिका का ऑनलाइन संस्करण इंडिया टुडे और आउटलुक यानि दोनों पत्रिकाओं से कई मायनों में अलग है। एक मायने में इंडिया टुडे के काफी करीब है। शुक्रवार का ऑनलाइन संस्करण पूरी तरह पत्रिका का प्रतिरूप लगता है। पेज बेहद खुला खुला सा है जैसे अखबारों में व्हाइट स्पेस का ध्यान रखा जाता है ठीक उसी तरह इसमें भी सामग्री को इस तरह पेश किया गया है कि स्क्रीन के दोनों तरफ सर्फर को खाली जगह दिखती है। किसी को ये जगह खल सकती है तो कइयों को ये अच्छी भी लग सकती है। पत्रिका की पूरी सामग्री इस साइट पर उपलब्ध है। नवीनतम खबरें भी हैं लेकिन एक लाइन में। पत्रिका को जो समूह चलाता है उस समूह के टीवी पर जाने के लिए पहले ही पेज पर अलग से लिंक भी है। पुराने अंकों को देखने के लिए भी लिंक है। कुल मिलाकर सर्फर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुक्रवार पत्रिका का ऑनलाइन संस्करण आउटलुक से बेहतर है।

बात कंटेंट की करें सबसे पहले बात इंडिया टुडे की <http://aajtak.intoday.in/indiatoday-hindi/> नाम से इस पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण में पहले पेज पर मास्ट हेड 'इंडिया टुडे' है इसके बाद का स्पेस खाली है। इसके ठीक नीचे इसका नारा 'देश की भाषा में देश की धड़कन' दिया गया है। इसके ठीक नीचे तीन कॉलम में पूरा पेज है। इसका डिजाइन कुछ इस तरह बनाया गया है कि सर्फर को इसमें हर वो चीज मिल जाती है जो उसे चाहिए। दो तिहाई हिस्से में नीचे 9 बॉक्स दिए गए हैं जिनमें सबसे पहले टुडे समूह के अग्रणी टीवी चैनल का लिंक दिया गया है। इसके बाद वाले बॉक्सों में इंडिया टुडे पत्रिका के विभिन्न कॉलम जैसे खबर, खास रिपोर्ट, सिनेमा, खेल, समाज, बातचीत, सेहत और शिख्यत दिए गए हैं। इनके ठीक नीचे पत्रिका के अंक विशेष की आवरण कथा दी जाती है। इसमें फोटो के साथ कवर स्टोरी का सार या उसकी शुरुआत या उसका इंट्रो दिया जाता है। उसके नीचे टुडे समूह का अपना विज्ञापन है। इंडिया टुडे के सब्सक्रिप्शन को हासिल करने का विज्ञापन।

इसके बाद नीचे की तरफ एक कॉलम में 5 से 6 की संख्या में अन्य रिपोर्टें दी जाती हैं जो पत्रिका में स्तंभ विशेष से अलग होती हैं। तो दूसरे कॉलम में ताजा-तरीन हलचलों की फोटो कवरेज या फोटो फीचर होते हैं जो पत्रिका में नहीं होते लेकिन ऑनलाइन संस्करण में होते हैं। इस कॉलम में दिन भर की खबरों की तस्वीरें होती हैं। इसके नीचे आपका वोट नाम से एक नियमित स्तंभ होता है जिसमें विषय विशेष पर लोगों से राय मांगी जाती है। ये भी पत्रिका में नहीं होता है लेकिन ये ऑनलाइन संस्करण की विशेषता है। इसके नीचे भी दूसरी रिपोर्टें होती हैं जो 3 से 4 की संख्या में होती हैं। जितनी भी अन्य रिपोर्टें ऑनलाइन संस्करण में होती हैं वो सभी इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण के संबंधित अंक में भी होती हैं। जैसे जनवरी 2014 के अंक में जो रिपोर्टें ऑफलाइन संस्करण में थीं वो ऑनलाइन संस्करण में भी दी गईं।

इसके अलावा ऑनलाइन संस्करण में स्क्रीन के सबसे दाहिनी ओर ऑनलाइन संस्करण की खास सामग्री जैसे ट्विटर, फेसबुक एप के लिंक, ज्योतिष, ज्योतिषी से सवाल करें, ज्योतिष के क्षेत्र में जानकारी के लिए आज तक का लिंक, चकल्लस-यहां आएँ रायता फैलाएँ, 4 से 5 की संख्या में ऑफलाइन संस्करण की वो रिपोर्टें होती हैं जिनमें संबंधित अंक के प्रकाशन की तारीख के बाद भी काम हो रहा हो या अपडेट्स हो रहे हों या वो सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा हो। आखिर में इस कॉलम में अभी तक की दो बड़ी खबरों के लिंक फोटो के साथ दिए जाते हैं।

इस पहले पेज पर सर्च का कोई विकल्प या बाक्स नहीं। इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में पत्रिका यानि ऑफलाइन संस्करण की हर खबर, फीचर, नियमित स्तंभ और तस्वीरें मिलती हैं जो सर्फर या पाठक को पत्रिका को ऑनलाइन पढ़ने का मौका तो देती ही है इसके अलावा ऑनलाइन संस्करण में जो अतिरिक्त कंटेंट जैसे दिन भर की बड़ी खबरें, दिन भर की खबरों की तस्वीरें और केवल ऑनलाइन संस्करण के फीचर और ज्योतिष की जानकारी होती है वो सर्फर या पाठक को और भी अधिक रोमांचित करती है। उसे संतुष्ट करती है।

ऑनलाइन संस्करण में जो सबसे खास कंटेंट है वो चकल्लस नाम का स्तंभ है। यह ठीक वैसा मंच है जो ऑफलाइन संस्करण में पाठकों के पत्रों के लिए आरक्षित होता है। लेकिन चकल्लस ऑफलाइन संस्करण के पाठकों के पत्र स्तंभ की नकल या कॉपी नहीं है बल्कि एक अनोखा मंच है। इसका नारा है 'यहां आएँ रायता फैलाएँ'। इस लिंक पर क्लिक करते ही पता चलता है कि ये एक आई-चौक यानि इंटरनेट चौराहा है जिसमें राजनीति से लेकर देश में खबरों में या सुर्खियों में

आए किसी भी विषय पर व्यंग्य या रोचक लेख कोई भी लिख सकता है। उसे पोस्ट कर सकता है। उसे अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर डिस्पले कर सकता है। इसमें शब्दों की सीमा से लेकर कई तरह के प्रतिबंध भी हैं और शर्तें भी। जाहिर वर्चुअल दुनिया में एक बार जो चीज हवा में यानि एयर पर चली जाए उसे रोकना मुमकिन नहीं होता इसलिए प्रतिबंध और शर्तें जरूरी होती हैं।

ऑनलाइन संस्करण और ऑफलाइन संस्करण में कई तरह के अंतर भी होते हैं जैसे एक खबर या खास रिपोर्ट या गीचर विशेष ऑफलाइन संस्करण में एक ही मिलेगी। उससे संबंधित अन्य खबरें ऑफलाइन संस्करण में नहीं मिलती क्योंकि पृष्ठ संख्या का प्रतिबंध होता है लेकिन ऑनलाइन संस्करण में ये लिबर्टी या स्वतंत्रता होती है कि ऑनलाइन संस्करण में संबंधित खबर या फीचर से संबंधित पुरानी खबरें या अन्य मिलती जुलती खबरें भी उसके साथ एक लिंक में जुड़ी होती हैं। बस लिंक पर क्लिक करते जाना होता है। संबंधित नई पुरानी और आगे पीछे की हर तरह की खबर स्क्रीन पर होती है।

इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण और ऑनलाइन संस्करण में एक अंतर ये भी दिखा कि ऑफलाइन संस्करण में हेडलाइनों में एक भाव होता है। अधिकतर शीर्षक भाव प्रधान होते हैं लेकिन ऑनलाइन संस्करण में जो शीर्षक होते हैं वो भाव प्रधान नहीं होते। इसका कारण स्पष्ट है। प्रिंट संस्करण कागज पर छपता है जिस पर भाव शब्दों में पिरोकर मुद्रित किए जा सकते हैं लेकिन मशीन में यानि नेट में भी किया जा सकता है लेकिन मशीन आदमी नहीं है इसलिए वो भाव नहीं पहचानती वो केवल टेक्स्ट या एक शब्द विशेष ही पहचानती है इसलिए ऑनलाइन संस्करण में जो शीर्षक स्टोरी के दिए जाते हैं उनमें वो मजा नहीं आता है जो ऑफलाइन संस्करण को पढ़ने में आता है।

इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण में कवर पेज देखने से पता चलता है कि उस अंक विशेष में अंदर क्या खास है। लेकिन ऑनलाइन संस्करण में ऐसा नहीं मिलता क्योंकि नेट संस्करण में केवल एक फोटो के साथ एक शीर्षक देना संभव नहीं है। इसका कारण इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि पत्रिका को देखने से भाव समझ आता है वो आकर्षित करती है लेकिन नेट संस्करण में केवल एक फोटो और एक ही शीर्षक होने से बहुत संभव है कि पाठक या सर्फर अगले पेज पर ना जाए। वो उसे शायद ही आकर्षक लगे।

यानि इंडिया टुडे पाठकों के साथ साथ अपने समूह की साइट पर आने वाले सर्फरों का भी विशेष ख्याल रखता है। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे के लिए बहुत कुछ करता है। काफी मेहनत करता है। इंडिया टुडे के नेट संस्करण के प्रभारी सुरेश कुमार कहते हैं..

“भारत में इंडिया टुडे की नेट सर्विस का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इंटरनेट का। अगस्त 1995 में इंटरनेट आम जनता के लिए सुलभ हुआ। उसी वर्ष इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत हुई। वर्ष 1997-1998 अगस्त में इंडिया टुडे समूह ऑन लाइन नाम से इंडिया टुडे की वेबसाइट भी शुरू हुई। इसका उद्देश्य यह था कि इंडिया टुडे समूह के प्रकाशनों का कंटेंट संचार तकनीक के नए माध्यमों में डाला जाए ताकि इंडिया टुडे समूह के प्रकाशनों को उन तक भी पहुंचाया जा सके जो प्रकाशन नहीं लेते हैं लेकिन इंडिया टुडे समूह के कार्यकलापों या उसके प्रकाशनों में रुचि रखते हैं। उद्देश्य ये भी था कि जो विजिटर हैं या जो तकनीक को नए अविष्कार या नई पहल के तहत ले रहे हैं उन तक इंडिया टुडे समूह के कंटेंट को पहुंचाया जा सके और लोग इस नए माध्यम में भी इंडिया टुडे के प्रकाशनों, उनके कंटेंट का लाभ ले सकें। पाठकों तक नेट माध्यम से भी कंटेंट पहुंचाया सके। इसलिए इंडिया टुडे का नेट संस्करण शुरू हुआ।”

“नेट संस्करण का कंटेंट और पत्रिका के कंटेंट में कोई बहुत अंतर या विशेष अंतर नहीं होता। बल्कि कंटेंट जो पत्रिका में होता है वहीं नेट संस्करण में भी होता है लेकिन नेट संस्करण इस अर्थ में पत्रिका के कंटेंट से अलग होता है कि पत्रिका में एक पेज या दो पेज पर एक ही कंटेंट या आर्टिकल या लेख होता है। पाठक उस संबंधित लेख या फीचर से संबंधित अन्य चीजें या लेख नहीं पढ़ सकता है। लेकिन नेट संस्करण में ये सुविधा होती है कि संबंधित खबर के साथ उससे संबंधित अन्य लेख, समाचार या आलेख पाठक या नेट सर्फर को एक जगह मिल जाते हैं। कहने का अर्थ ये कि पत्रिका में एक आर्टिकल के साथ उससे संबंधित अन्य कंटेंट नहीं मिलता तो नेट संस्करण में एक आर्टिकल के साथ उससे संबंधित अन्य लेख भी एक जगह पर मिल सकते हैं। पत्रिका में पेज पलटने होते हैं तभी पाठक पत्रिका के अलग अलग कंटेंट को देख-पढ़ सकता है लेकिन नेट संस्करण में एक ही स्क्रीन पर कई विंडो एक साथ खोलकर कई कंटेंट एक साथ पाठक या सर्फर देख-पढ़ सकता है।”

“ऐसा नहीं है कि नेट संस्करण में सबकुछ प्रिंट के जैसे ही होता है या ये हू-ब-हू प्रिंट कापी की नकल होती है। बल्कि नेट संस्करण में एक टॉपिक से जुड़े सभी कंटेंट एक जगह मिल जाते हैं। जबकि प्रिंट में ऐसा संभव नहीं है। दूसरा प्रिंट में एक खबर की हेडलाइन उसके भाव के आधार पर होती है लेकिन नेट या मशीन भाव नहीं जानती बल्कि वो केवल नाम या टेक्स्ट ही पहचानता है इसीलिए स्टोरी को उसके नाम से देना होता है उदाहरण के लिए प्रिंट में खबर की हेडलाइन इस तरह हो सकती है- ‘मुलायम नहीं हुए मुलायम, कुनबा बनने से पहले बिखरा’। लेकिन नेट में या पत्रिका के नेट संस्करण में इस हेडलाइन की जगह मुलायम नाम से स्टोरी फाइल की जाएगी। उससे अंतर ये आएगा कि मुलायम से संबंधित हर तरह की हर राज्य की नई पुरानी खबरें लिंक दर लिंक खुलती चली जाएँगी। जो पाठक या सर्फर चाहता है वो तो मिलेगा ही साथ में उससे जुड़ी अन्य खबरें भी उसके सामने होंगी।”

तो क्या नेट संस्करण पूरी तरह सफल है? इस प्रश्न पर सुरेश कुमार कहते हैं “हां सफल है। दरअसल नेट संस्करण का प्रिंट से कोई मुकाबला नहीं है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। सहयोगी हैं। पाठक-सर्फर के लिए दोनों उपयोगी हैं। प्रिंट का वजूद नेट की वजह से खतरे में नहीं आया। इंडिया टुडे समूह के नेट विभाग के प्रभारी श्री सुरेश कुमार कहते हैं कि नेट सफल है। वर्तमान में एक दिन में तकरीबन 12-15 लाख लोग इंडिया टुडे समूह के नेट संस्करण को हिट करते हैं। जैसे जैसे बुनियादी ढांचा बढ़ेगा वैसे वैसे नेट के सर्फर भी बढ़ेंगे।”

तो क्या प्रिंट संस्करण खतरे में है? इस सवाल के जवाब में सुरेश कुमार कहते हैं “नेट सफल है इसके बाद भी प्रिंट संस्करण यानि इंडिया टुडे की लोकप्रियता में कमी नहीं आई है बल्कि समूह के लिए पाठक अधिक अहम हैं नेट के सर्फर नहीं। इसे समझाते हुए सुरेश कुमार कहते हैं कि पाठक पैसे खर्च कर पत्रिका खरीदते हैं तो वो पत्रिका के पक्के फालोवर हुए।

पाठक दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन नेट से जुड़े लोग सबकुछ फ्री में या मुफ्त में देख रहे हैं। उनके पास विकल्प भी बहुत हैं। हो सकता है वो एक ही समय में इंडिया टुडे समूह के साथ कोई अन्य साइट भी देख रहे हों तो नेट के सर्फरों की समूह के लिए उपयोगिता तो है लेकिन पत्रिका के प्रिंट संस्करण के पाठक जो इंतजार करते हैं खरीदकर पत्रिका पढ़ते हैं वो अधिक अहम हैं। इसलिए पत्रिका का प्रिंट संस्करण नेट संस्करण से कहीं अधिक सफल है। नेट संस्करण भी सर्फरों

की संख्या के आधार सफल तो है लेकिन प्रिंट की तुलना में नेट के सर्फर समूह के लिए उनते अहम नहीं हैं जितने प्रिंट के पाठक।

सुरेश कुमार कहते हैं .. “उनकी कोशिश होती है कि प्रिंट के पाठक भी नेट संस्करण को देखें। जो पत्रिका नहीं खरीद सकते वो नेट संस्करण जरूर देखें। इसके लिए वो रोज-ब-रोज होने वाले नए नए तकनीकी अपडेट्स के साथ खुद को भी अपडेट रखते हैं और उसमें निरंतर सुधार की कोशिश में लगे रहते हैं। नेट के सर्फरों से जो फीडबैक मिलता है उसके अनुरूप हर संभव बदलाव के लिए भी कोशिश इमानदार तरीके से करते हैं। वो कहते हैं कि देश में फिलहाल 35 करोड़ नेट यूजर्स हैं लेकिन आबादी इसकी कई गुना है। तो जैसे जैसे बुनिचयादी ढाचा बढ़ेगा इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हम भी अपने कंटेंट, प्रस्तुतिकरण को और बेहतर बनाने में लगे रहेंगे। हमारी कोशिश है कि लोगों को सबसे पहले और सबसे अच्छी खबरें, लेख इंडिया टुडे समूह या इंडिया टुडे के नेट संस्करण में पढ़ने-देखने को मिलें।”

इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में जो कंटेंट है वो संपूर्णता में भले नहीं है लेकिन बाकी की दो पत्रिकाओं आउटलुक और शुक्रवार से काफी बेहतर है। काफी अलग है। इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में पत्रिका का कंटेंट तो है ही साथ में जो अन्य खबरों, दिन भर की खबरों, ज्योतिष, दिन भर की खबरें तस्वीरों के जरिए और खास तौर पर चकल्लस जैसे जो कंटेंट हैं वो बहुत बेहतर हैं। चकल्लस में जो आईचौक यान इंटरनेट चौराहा है वो ना केवल इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण के सर्फरों को लुभाता है बल्कि इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण को नियमित पढ़ने वालों को भी खूब भाता है।

अप्रैल 2013 से लेकर मार्च 2014 तक की अवधि का समग्रता में आकलन करें तो इंडिया टुडे का ऑफलाइन संस्करण कंटेंट से भरपूर और कंटेंट के मामले में अपने बराबर की पत्रिकाओं से बहुत आगे रहा तो इसी अवधि में इंडिया टुडे का ऑनलाइन संस्करण भी समान कंटेंट वाली साइटों में कंटेंट के मामले में सबसे बेहतर और सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण की साल 2013-2014 की अवधि में प्रसार संख्या पौने तीन लाख के आसपास तकरीबन स्थिर रही। तो इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण को साल 2013-2014 की अवधि में प्रतिदिन तकरीबन 10 से 15 लाख के आसपास हिट मिले। ये संख्या चौंकाने वाली हो सकती है। लेकिन इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण और ऑनलाइन संस्करण के साल 2013-2014 की पूरी अवधि के कंटेंट पर नजर डालें तो ये आंकड़े शायद अतिशयोक्ति ना लगे। इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में इंडिया टुडे पर क्लिक करते ही पत्रिका का पूरा कंटेंट संक्षेप में पाठकधसर्फर के सामने होता है जो ऑफलाइन संस्करण में संभव नहीं होता।

हालांकि ऑफलाइन संस्करण में तीसरे पृष्ठ में विषय सूची होती है लेकिन उसमें केवल आवरण कथा और मुख्य खबरें ही दर्शाई जाती है। लेकिन ऑनलाइन संस्करण में एक सीधी रेखा में आवरण कथा से लेकर हर खबर का उसके शीर्षक के अलावा एक लाइन में सारांश दिया जाता है जिससे पाठक-सर्फर को हर तरह के पूरे कंटेंट का अंदाजा लग सकता है और वो मनचाही खबरों पर क्लिक कर उन्हें पढ़ सकता है। आमतौर पर शिकायत ये रहती है कि पत्रिकाओं के ऑनलाइन संस्करणों में अपडेशन या नवीनता का आभाव रहता है। कई बार बहुत पुरानी खबरें या कंटेंट लंबे अर्से तक वैसे का वैसे पड़ा रहता है।ये बहुत हद तक सच भी है। लेकिन इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में ऐसा देखने को नहीं मिलता।

ऑफलाइन संस्करण का अगला अंक बाजार में आते ही ऑनलाइन संस्करण में भी उसे साथ के साथ अपलोड किया जाता है। इसके अलावा इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में हर तरह का जो भी कंटेंट परोसा जाता है वो भी हर घंटे अपडेट किया जाता है। खबरों को बदलने की रफ्तार से इसका साफ पता चलता है। इंडिया टुडे समूह अपने सालाना कई आयोजन जैसे दिसंबर में 'सेक्स सर्वे', जून-जुलाई में 'शिक्षा के ऊपर विशेष कवरेज', राजनैतिक दलों, उद्योगपतियों के 'कॉन्क्लेव' और जनवरी में बीते साल की अहम और बड़ी घटनाओं को संक्षेप में रिमांडर या "लैश बैक के तौर पेश किया और आने वाले साल के लिए चुनौतियों के ऊपर राजनीति समेत हर क्षेत्र के लोगों की सोच को मंच भी देता है।

टीवी के 'सो सॉरी' की तर्ज पर 'चकल्लस' और पत्रिका में ऐसा होता तो कैसा होता आदि कंटेंट देता है वो इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण और ऑनलाइन संस्करण को कंटेंट के लिहाज से और भी बेहतर और कई दूसरी पत्रिकाओं की भीड़ के बीच उसे एक खास अंदाज में अलग दिखाता है। उसे अलग मुकाम पर रखता है। पाठक-सर्फर को अपने से जोड़े रखने में सफल रहता है।

पूरे वर्षभर यानि अप्रैल 2013 से मार्च 2013 तक के सभी इंटरनेट यानि ऑनलाइन संस्करण कंटेंट के लिहाज से बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर रहे। हर महीने कई नए कंटेंट साइट पर जोड़े गए तो कई ऐसे पुराने कंटेंट जो रोचक थे और उनमें निरंतर भविष्य में भी नई जानकारियां जुड़ने या जोड़ने की गुंजाइश थी वो भी साइट पर बने रहे। पाठक-सर्फर की रुचि को दृष्टिगत रखते हुए पूरे वर्ष भर इंडिया टुडे का ऑनलाइन संस्करण बेहतर रहा। इसी का सुबूत है दिन पर दिन बढ़ते इसके सर्फरों की संख्या और लगातार बढ़ते इसके हिट्स।

अब बात शुक्रवार साप्ताहिक पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण की।

<http://shukrawar.net/> के नाम से हर शुक्रवार को प्रकाशित इस पत्रिका का ऑनलाइन संस्करण प्रिंट से काफी मिलता जुलता लगा। पत्रिका के हर अंक की हर खबर ऑनलाइन संस्करण में उपलब्ध कराई जाती है। नया अंक आते ही पुराने अंक को आर्काइव में डाल दिया जाता है जिसे पाठक-सर्फर आर्काइव लिंक पर क्लिक कर देख-पढ़ सकता है। शुक्रवार पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण की डिजाइन की बात करें तो मास्टहेड के बाद एक लंबे बॉक्स में पत्रिका का विज्ञापन है। मास्टहेड के ठीक नीचे पर्ल समूह की अन्य पत्रिकाओं की छवि दी गई है। ये भी एक विज्ञापन ही है। इसके बाद पत्रिका के संबंधित अंक का संपादकीय भी संपादक के फोटो के साथ दिया जाता है।

आखिर में पर्ल समूह के टीवी चैनल पी 7 का विज्ञापन दिया गया। इसके साथ एक लिंक भी है ताजा-तरीन खबरों को पढ़ने-देखने के लिए। सबसे ऊपर मास्टहेड के बाद विज्ञापन के नीचे पत्रिका के 8 नियमित स्तंभों को लिंक्स बॉक्स में जगह दी गई है। इसके नीचे दो कॉलम में फोटो के साथ आवरण कथा का शीर्षक और उसको पूरा पढ़ने के लिए लिंक दिया गया। इसके नीचे दो कॉलम में पत्रिका में प्रकाशित हुई अहम, बड़ी खबरों, साक्षात्कारों को उनकी तस्वीरों के साथ दिया गया है।

जहां तक बात शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण के कंटेंट की है तो ऑनलाइन संस्करण के पहले पेज पर ही पत्रिका का पूरा मसाला है कोई अलग से या विशेष या रोचक या किसी और तरह का कोई विषय या अन्य चीज नहीं है। इस ऑनलाइन संस्करण में जो खबरें या जो लेख-आलेख, नियमित स्तंभ दिए गए हैं उनमें वही और वैसा ही कंटेंट है जो शुक्रवार के ऑफलाइन संस्करण में है।

ऑनलाइन संस्करण में कोई नवीनता या कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। नियमित स्तंभ से लेकर खबरों तक यानि जिस किसी भी लिंक में क्लिक करने पर पूरी खबर तो खुल जाती है पर उससे जुड़े कोई अन्य लिंक-टैग दिए ही नहीं गए तो संबंधित खबर से जुड़ी अन्य खबरों या लेखों-आलेखों पर पहुंचने की बात ही बेमानी है। शुक्रवार पत्रिका के ऑफलाइन संस्करण और ऑनलाइन संस्करण में केवल कागज और कंप्यूटर का अंतर है। विज्ञापन पत्रिका में अधिक होते हैं जो ऑनलाइन संस्करण में ना के बराबर हैं। हालांकि पत्रिका में भी अधिकतर विज्ञापन पर्ल समूह के यानि इन हाउस ही होते हैं। उसी तरह ऑनलाइन संस्करण में भी जितने भी विज्ञापन हैं वो समूह के ही हैं। बाकी कंटेंट के मामले में सब कुछ एक जैसा है।

इससे फायदा भी है और नुकसान भी। फायदा ये कि जो पाठक शुक्रवार पत्रिका का ऑफलाइन संस्करण यानि मुद्रित संस्करण नहीं खरीद पाते या पढ़ पाते वो इंटरनेट पर जाकर मुफ्त में शुक्रवार को पढ़ सकते हैं। नुकसान ये कि जो पाठक-सर्फर शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण में हिट करते हैं उन्हें पत्रिका में उपलब्ध खबरें, नियमित स्तंभ ही मिल सकते हैं। नया कुछ नहीं नहीं मिलने पर वो दोबारा शायद ही हिट करें।

नुकसान ये कि जिस किसी भी पाठक को शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण की जानकारी है जब उसे ऑफलाइन संस्करण और ऑनलाइन संस्करण में कोई अंतर समझ नहीं आएगा तो वो या तो ऑनलाइन संस्करण पर हिट नहीं करेगा या फिर पत्रिका का मुद्रित प्रति खरादने की जगह मुफ्त में ही उसे पढ़ने की कोशिश करेगा। इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण के कंटेंट से शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण के कंटेंट की तुलना की जाए तो शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण का कंटेंट इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण के कंटेंट से 19 नहीं 18 या 17 ही बैठता है।

इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में पत्रिका की खबरों के साथ कई मौलिक या खालिस ऑनलाइन संस्करण के लिए लिखे गए लेख, आलेख, रिपोर्ट मिलती हैं। आईचौक-चकल्लस या ज्योतिष जैसे कई अलग तरह के विषय मिलते हैं जिनमें इस तरह का कंटेंट डाला जाता है कि पाठक-सर्फर इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण एक बार हिट करने के बाद इसके कंटेंट को पत्रिका के ऑफलाइन संस्करण के कंटेंट से कुछ अधिक और नया हासिल कर सके। नया पढ़ सके। लेकिन शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण में पत्रिका के ऑफलाइन संस्करण से अलग कोई भी खास लेख-आलेख या अन्य विषय नहीं है। इतना ही नहीं शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण में ऑफलाइन संस्करण के ही पूरे विषय और कंटेंट है।

मौलिकता का नाम पर कुछ भी नहीं है। आखिर शुक्रवार के ऑफलाइन संस्करण और ऑनलाइन संस्करण में अंतर क्यों नहीं है। इस सवाल के जवाब में शुक्रवार में वरिष्ठ संवाददाता रहे नरेंद्र शर्मा कहते हैं “दरअसल शुक्रवार पत्रिका का जब ऑफलाइन संस्करण शुरू हुआ तो आनन फानन में यही तय किया गया कि कंप्यूटर पर पत्रिका के प्रिंट सेक्शन के लिए जो स्टोरी, रिपोर्ट, लेख, आलेख, विशेष साक्षात्कार, सिनेमा, साहित्य, संपादकीय समेत जो कुछ भी लिखा जाए उसे फाइनल करने के बाद शुक्रवार के नेट संस्करण में डाल दिया जाए। शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण के लिए केवल तकनीकी लोगों की टीम बनाई गई ताकि नेट संस्करण में पत्रिका के प्रिंट होने के दिन पत्रिका के सभी विषय और कंटेंट को डाल दिया जाए। लेकिन शुक्रवार पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण के लिए पत्रकारों, जेस्क के लोगों या किसी भी तरह के सृजनात्मक लोगों यानि क्रिएटिव लोगों की टीम बनाई ही नहीं गई।” यही वजह रही कि शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण में शोध समय अप्रैल 2013 से

लेकर मार्च 2014 तक के ऑनलाइन संस्करण में नया कुछ नहीं दिखा वो ऑफलाइन संस्करण की केवल फोटोकॉपी भर लगा।

तो क्या इसके हिट्स पर किसी की नजर नहीं गई या कोई मॉनीटरिंग टीम में शुक्रवार पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण के लिए नहीं बनाई गई। नरेंद्र शर्मा कहते हैं “कि इसके लिए कोई टीम नहीं बनाई गई। लेकिन इंडिया टुडे की तुलना में नई पत्रिका होने के चलते इस तरफ ध्यान कम रहा। पत्रिका के संपादक, संपादक मंडल, रिपोर्टरों और डेस्क का पूरा फोकस इस बात पर होता था कि कैसे भी बुधवार या गुरुवार को पत्रिका प्रिंट होने चली जाए और प्रिंट होकर स्टॉल या बाजार तक पहुंच जाए। नेट संस्करण के लिए अलग से लोग होते या उस पर फोकस होता तो जरूर शुक्रवार का ऑनलाइन संस्करण भी बहुत अच्छा ना सही पर ठीक ठाक जरूर होता।”

अब बात आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण के कंटेंट यानि अंतर्वस्तु की।

<http://www.outlookhindi.com/> नाम से आउटलुक का ऑफलाइन संस्करण वर्ष भर यानि अप्रैल 2013 से लेकर मार्च 2014 तक मासिक रहा। अपवाद के तौर पर आउटलुक के ऑफलाइन संस्करण के तहत कभी कभी माह विशेष में दो अंक भी निकले-प्रकाशित हुए। आउटलुक पत्रिका के सभी संस्करणों में समसामयिक हलचल और फीचर बेहतर रहे। कंटेंट के लिहाज से वर्ष में कुछ ही अंक ऐसे रहे जो बहुत बेहतर रहे लेकिन अधिकांश अंक सामान्य की कोटि में रहे। आउटलुक के ऑफलाइन संस्करण में तकरीबन हर दूसरे पेज पर विज्ञापन रहे। लेकिन आउटलुक का ऑनलाइन संस्करण अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक तकरीबन एक ही ढर्रे पर रहा।

इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में जहां ऑफलाइन संस्करण की खबरें भी पूरी और उसी रूप में दी गईं। इंडिया टुडे का एक अलग सेक्शन रहा। वैसा आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में नहीं दिखा। आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में हर माह की पत्रिका का अंक एक बाक्स में जरूर दिखा लेकिन उस पर क्लिक करते ही एक दूसरी साइट खुलती दिखी जो MAGZTER नाम के न्यूज स्टैंड की थी। उसमें साफ लिखा दिखा कि पाठक-सर्फर यदि आउटलुक का संबंधित ऑफलाइन संस्करण देखना-पढ़ना चाहता है तो उसे इस मैगजीटर न्यूज स्टैंड को पैसे चुकाने होंगे। तभी पाठक-सर्फर आउटलुक हिंदी पत्रिका की सामग्री पढ़-देख सकता है। इसलिए आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में इसके ऑफलाइन संस्करण का कंटेंट देखना या उसका परीक्षण करना संभव ही नहीं हुआ। लेकिन आउटलुक हिंदी का ऑनलाइन संस्करण एक न्यूज पोर्टल की तरह ही पूरे वर्ष भर रहा जो वर्तमान में उसी रूप में भी जारी है।

साइट के लेआउट की बात करें तो मास्ट हेड के बाद 13 बाक्स हैं जो होम, देश, राजनीति, दुनिया, अर्थजगत, खेल, कला संस्कृति, सिनेमा, फोटो, रहस्य, आर्काइव और सर्च में विभाजित हैं। इसके बाद तीन भागों में विभाजित साइट के बाईं ओर दिन भर की सबसे बड़ी हेडलाइन। उसके नीचे दिन भर की 4 से 5 बड़ी खबरें तस्वीरों के हवाले से होती है तो साइट के दाहिनी ओर आउटलुक के संबंधित माह के अंक फोटो दी गई है जिस पर क्लिक करते ही पाठक-सर्फर ऑनलाइन न्यूज स्टैंड पहुंच जाता है। लेकिन इसी के नीचे पत्रिका के ऑफलाइन संस्करण की कुछ चुनिंदा चीजें जैसे नजरिया के तहत संपादकीय, नामी लेखको के समसामयिक विषयों पर दो या तीन लेख, इसके नीचे पत्रिका के संबंधित अंकों में प्रकाशित हुआ ऐसा साक्षात्कार जो माह भर बाद भी प्रसांगिक हो। उसे पढ़ने में लोगों-पाठको-सर्फरों की रुचि हो। इसके नीचे दो कॉलम में सर्वाधिक पढ़ी गई या नवीनतम खबरें होती हैं जिनकी संख्या 4 से पांच तक होती है।

ये खबरें भी पत्रिका के संबंधित अंक के साथ साथ ऑनलाइन संस्करण से ली गई होती हैं यानि इसमें मिश्रित खबरें होती हैं। उसके नीचे 4 फोटो फीचर से संबंधित खबरें होती हैं जो अनडेटेड होती हैं। इनमें फोटो या तस्वीरें ही काफी कुछ कहती हैं इसलिए इन तस्वीरों के साथ बेहद संक्षिप्त टिप्पणियां दी जाती हैं। जो काफी रोचक होती हैं। ऐसा कंटेंट पाठकों-सर्फरों को काफी रुचिकर लगता है। दाहिनी ओर इसके बाद खाली जगह छूटी रहती है जो शायद विज्ञापन की बाट जोहती दिखती है। बाईं ओर लौटें तो देश के बाद राजनीति के तहत दिन भर की या सप्ताह भर की दो बड़ी राजनैतिक खबरें तस्वीरों के साथ रहती हैं। इसके तहत दी गई अधिकांश खबरें अनडेटेड होती हैं। इसके नीचे दुनिया के तहत भारत से संबंधित या विश्व के अन्य देशों की चार से पांच तक वो खबरें होती हैं जो रोचक होती हैं। इनमें इस तरह का कंटेंट डाला जाता है या इन खबरों को ऐसे लिखा जाता है ताकि वो एक सप्ताह या एक पक्ष के बाद भी पुरानी ना लगें। ये सभी खबरें भी अनडेटेड होती हैं। इसके नीचे संबंधित माह की कुछ चुनिंदा तस्वीरें होती हैं जो फोटो गैलरी के नाम पर होती हैं। ये भी अनडेटेड होती हैं।

ये चार से पांच तस्वीरें साइट के कंटेंट में बढ़ोतरी भले ना करें लेकिन साइट के कंटेंट को ये तस्वीरें काफी बेहतर और रुचिकर जरूर बनाती हैं। इसके नीचे अर्थ जगत में व्यापार, व्यावसाय जगत की चुनिंदा चार से पांच वो खबरें होती हैं जो या तो सप्ताह या पक्ष की बड़ी खबरें होती हैं या जिस दिन या जिस घंटे पाठक-सर्फर साइट को हिट करें उस वक्त या उससे थोड़ा पहले के वक्त की बड़ी खबर होती है। इसमें कुछ खबरें अनडेटेड होती हैं तो कुछ ऐसी खबरें जिनमें तथ्यों की पुष्टि के लिए तारीख देनी जरूरी हो वो तारीख के साथ होती हैं। इसके नीचे कला-संस्कृति, सिनेमा, मीडिया, रहस्य और रहन सहन से संबंधित फीचर होते हैं जिनमें कंटेंट को रिच करने के लिए कमाल की तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है।

ऐसा नहीं है कि केवल तस्वीरें अच्छी होती हैं बल्कि इनमें जो कंटेंट होता है वो भी ऐसा लिखा जाता है कि उसमें एक सप्ताह या एक पक्ष या महीने भर बाद भी रोचकता बनी रहे। इसके नीचे आउटलुक समूह की अंग्रेजी की अन्य पत्रिकाओं को दर्शाया गया है जो एक विज्ञापन है। इसके बाद देश, राजनीति, दुनिया, अर्थजगत, खेल, कला संस्कृति, सिनेमा, फोटो, रहस्य जगत की अन्य खबरों को पढ़ने के लिए लिंक दिए गए हैं। आउटलुक पत्रिका के ऑनलाइन संस्करण में जो विषय दिए गए वो पत्रिका के प्रिंट सेक्शन के साथ साथ कुछ मौलिक भी थे। पत्रिका से ली गई खबरों में जो कंटेंट तथ्य के रूप में, तस्वीर के रूप में या ग्राफिक्स समेत अन्य रूपों में था वो संक्षिप्त जरूर था लेकिन रुचिकर था।

इसके अलावा आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में तकरीबन 70 फीसद खबरें या कंटेंट ऐसा था जो पत्रिका के प्रिंट सेक्शन यानि ऑफलाइन संस्करण से अलग था। लेकिन कई मामलों में आउटलुक का ऑफलाइन संस्करण इंडिया टुडे से कमजोर लगा। जैसे आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में अप्रैल 2013 से मार्च 2014 के दौरान कई ऐसे मौके, कई ऐसे महीने आए जब बड़ी बड़ी खबरें भी बेहद संक्षेप में लिखी गईं। उदाहरण के लिए बीजेपी की कर्नाटक में हुई बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। इस खबर के साथ कई तरह के किंतु परंतु या अन्य घटनाएं भी हुईं लेकिन आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में बेहद संक्षेप में खबर दी गई। हालांकि उसके साथ भी कई अन्य खबरें आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में दी गई थीं। खबरें अलग अलग जरूर थीं पर बेहद कंजूसी के साथ दी गईं।

हालांकि ये भी सच है कि शब्द जरूर कम रहे लेकिन उनकी भरपाई खबर विशेष के साथ दी गई तस्वीरों से हो गई। फिर भी आउटलुक का ऑनलाइन संस्करण इंडिया टुडे से कंटेंट के मामले कमजोर रहा।

इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण में पाठकों-सर्फरों की भागीदारी के लिए भी कई स्तंभ या विभाग थे। लेकिन आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण में ऐसा कुछ नहीं दिखा। आउटलुक के ऑफलाइन संस्करण में भी विषयवस्तु कम होती है और उस विषयवस्तु में अंतर्वस्तु भी उसी अनुपात में कम दिखाई पड़ी। पत्रिका के प्रिंट वर्जन यानि ऑफलाइन संस्करण में आधे पृष्ठों में विज्ञापन रहते थे। आधे में खबरें, लेख, आलेख और फीचर सहित नियमित स्तंभ। आउटलुक के ऑफलाइन संस्करण में विज्ञापन प्रिंट जितने नहीं थे लेकिन खबरों, फीचर और नियमित स्तंभों की संख्या, प्रस्तुतीकरण का ढंग या तरीका प्रिंट जैसा ही दिखा। प्रिंट की चुनिंदा खबरें ही ऑनलाइन संस्करण में नजर आती हैं। ये आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण की नीति हो सकती है।

अप्रैल 2013 से मार्च 214 की समयावधि के दौरान आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण का बारीकी से अध्ययन करने और उसके कंटेंट पर नजर डालने के बाद एक बहुत ही खटकने वाली बात ये भी पता चली कि इस संस्करण में साइट पर कई खबरें ऐसी भी दिखी जो दो माह तक लगातार एक ही जगह पर चिपकी रही। यानि वो पुरानी हो जाने के बाद भी साइट से हटाई नहीं गई। कई खबरें ऐसी भी रहीं जिनमें अपडेट्स हो चुके थे लेकिन साइट पर पुराने रूप में ही पड़ी रही। आखिर आउटलुक हिंदी की वेबसाइट या उसके प्रिंट सेक्शन को लेकर इतनी लापरवाही क्यों। आउटलुक पत्रिका में खोजपक, तथ्यों से भरीपूरी और अच्छे कंटेंट से भरपूर खबरें क्यों कम रहती है। अधिकांश समय सीधी सपाट खबरों की भरमार क्यों रहती है। प्रिंट में आधे पृष्ठों में विज्ञापन और आधे में ही खबरें क्यों दी जाती है।

इस बारे में आउटलुक में वरिष्ठ पद पर रह चुके श्रीवत्स दिवाकर जी कहते हैं.. “ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। पत्रिका का प्रबंधन कोई आसान काम नहीं है। उसमें भी जब पत्रिका मासिक हो तो दर्जनों ऐसी खबरें होती हैं जो पत्रिका में ली जा सकती है। लेकिन ऑफलाइन संस्करण के मामले में पत्रिका के बाजार में आने के वक्त को लेकर मारा मारी रहती है। कई बड़ी खबरों को अहम और नई खबरों के चलते छोड़ना पड़ता है। आखिरी वक्त तक तय नहीं हो पाता कि कौन सी खबर को कितनी जगह दी जाए क्योंकि आपको अपने जैसी पत्रिकाओं से बाजार में लडना भी है। कंटेंट भी सुधारना है। खबरों को समेटना भी है। विज्ञापन भी जरूरी है क्योंकि उसी पर पत्रिका की अर्थव्यवस्था टिकी होती है।”

इसलिए कई बार सबकुछ होते हुए भी बहुत कुछ अच्छा नहीं हो पाता। कई तरह का कंटेंट शामिल करने के चक्कर में सभी खबरों में क्वालिटी कंटेंट नहीं दिखता। श्रीवत्स दिवाकर कहते हैं

“अक्सर ऐसा होता है कि किसी खबर को बहुत अच्छे से लिखा गया, उसमें अच्छा कंटेंट डाला गया पर पत्रिका के प्रिंट के लिए जाने से एक दिन या कुछ घंटे पहले कोई बड़ी खबर “लैश हुई तो नतीजे में मजबूरी में प्रिंट में ना केवल उस खबर को लेना होता है बल्कि दूसरी खबरों, उनके कंटेंट पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।” कई बार ऐसा होता है कि विषय सूची में खबर जिस पर बताई गई होती है उस पेज पर असल में दूसरी खबर होती है। क्या इसकी वजह स्टाफ की कमी है। कई बार आवरण कथा मेहमानों से लिखाई जाती है। क्यों? इसके जवाब में श्रीवत्स दिवाकर जी कहते हैं

“हां जितना मैनपावर चाहिए उतना नहीं होता। संसाधन कम होने के कारण भी इस तरह की परेशानी होती है। रहा सवाल इंडिया टुडे से आउटलुक की तुलना का तो श्रीवत्स दिवाकर जी कहते हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रूपों या संस्करणों में उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। उनका नेचर अलग है और आउटलुक का अलग। ऑफलाइन संस्करण में आउटलुक की कोशिश होती है कि हर बदलते दिन और अगले घंटे के साथ वेबसाइट पर भले थोड़ी या चुनिंदा खबरें ही हों पर बिल्कुल नई तरोताजा। रहा सवाल कई खबरों के महीनों साइट पर एक ही अवस्था में पड़े रहने का तो कई बार बहुत कुछ ना होने से बेहतर होता है कुछ होना।”

लेकिन कई कमियों के बाद भी आउटलुक का ऑनलाइन संस्करण शुक्रवार पत्रिका के वेबपेज से बेहतर लगा। आउटलुक के ऑनलाइन संस्करण का कंटेंट शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण से बहुत बेहतर रहा।

कुल मिलाकर अप्रैल 2013 से मार्च 2014 की अवधि के दौरान इंडिया टुडे, शुक्रवार और आउटलुक पत्रिका के ऑनलाइन संस्करणों में जो कंटेंट दिया गया उसका अध्ययन करने से साफ है कि इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण का कंटेंट तीनों पत्रिकाओं में सबसे बेहतर रहा। दूसरे नंबर पर आउटलुक की वेबसाइट रही। शुक्रवार का न्यूज पोर्टल औसत दर्जे का केवल खानापूरी करने वाला रहा। इंडिया टुडे और आउटलुक के ऑनलाइन संस्करणों में कई खबरें मौलिक यानि ऐसी रहीं जो केवल इन पत्रिकाओं के नेट संस्करणों में ही पब्लिश हुईं।

कई नियमित स्तंभ जैसे ज्योतिष, आई चौक आदि इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण की खासियत रहे। ये दोनों नियमित स्तंभ इंडिया टुडे के ऑफलाइन संस्करण में नहीं दिए गए। इसी तरह आउटलुक में कई फीचर ऐसे रहे खासतौर पर रहस्य और रहन सहन जो आउटलुक के ऑफलाइन संस्करण में आमतौर पर नहीं देखने को मिलता। लेकिन शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण में मौलिकता उदाहरण के तौर पर भी देखने को नहीं मिलती।

एक बड़ा सच ये भी है कि इंडिया टुडे, आउटलुक और शुक्रवार की लोकप्रियता उनके समय पदानुक्रम यानि जो पहले शुरू हुई उसके मुताबिक अधिक से कम की तरफ है। इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण प्रभारी सुरेश कुमार के दावे पर यकीन करें तो प्रतिदिन इंडिया टुडे के ऑनलाइन संस्करण को तकरीबन 10 से 15 लाख हिट्स मिलते हैं कहने में, सुनने में अधिक लग सकता है। लेकिन कुल 35 करोड़ की इंटरनेट यूजर्स की आधिकारिक संख्या को देखें तो ये आंकड़े अधिक या अतिशयोक्ति नहीं हैं। बल्कि पूरा सच ना भी हो तो सच के काफी करीब जरूर लगते हैं। इसी तरह आउटलुक हिंदी को प्रतिदिन मिलने वाले हिट्स की संख्या श्रीवत्स दिवाकर जी के दावे के मुताबिक तकरीबन 5 लाख है। ये दावा भी इस शोध के दौरान किसी कसौटी पर परघ नहीं गया है लेकिन ये सच ना भी हो तो पूरी तरह गलत भी नहीं होगा। लेकिन साफ है कि इंडिया टुडे के मुकाबले आउटलुक को हिट्स कम हैं।

इसी तरह शुक्रवार इंडिया टुडे और आउटलुक के मुकाबले नई पत्रिका है। इसका इसका ऑनलाइन संस्करण भी नया है। नई पत्रिका के हिसाब से उसके ऑनलाइन संस्करण में हिट्स भी उसी अनुपात में कम हैं। हालांकि ये भी एक सच्चाई है जिससे शुक्रवार की प्रबंधन भी बहुत हद तक सहमत होगा कि शुक्रवार पत्रिका का ऑनलाइन संस्करण उसके प्रिंट की कापी का फोटोकॉपी है। उसमें मौलिकता के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन संस्करण में नया के नाम पर भी कुछ

नहीं है। शुक्रवार के वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शर्मा के दावे को मानें तो प्रतिदिन एक लाख हिट्स शुक्रवार के ऑनलाइन संस्करण को मिलते हैं। हालांकि ये दावा कुछ ज्यादा लग रहा है।

कुल मिलाकर जैसे इंडिया टुडे साप्ताहिक हिंदी की प्रसार संख्या आरएनआई के 2013-14 की रिपोर्ट के मुताबिक पौने दो लाख है तो उसके हिट्स भी 10 से 15 लाख प्रतिदिन हैं। आउटलुक की प्रसार संख्या पत्रिका के दावे के मुताबिक और आरएनआई के आंकड़ों के मुताबिक तकरीबन 50 के हजार के करीब है तो उसके ऑनलाइन संस्करण के लिए हिट्स भी तकरीबन 5 लाख सर्फर-दिन हैं। शुक्रवार की प्रसार संख्या 20 से 25 हजार के करीब हैं तो उसके ऑनलाइन संस्करण में मिलने वाले सर्फरों की हिट्स की संख्या भी एक लाख सर्फर प्रतिदिन के करीब है।

यानि ऑनलाइन संस्करणों में भी इंडिया टुडे नंबर एक पर है। हालांकि तीनों पत्रिकाओं के ऑनलाइन संस्करण में सुधार, प्रयोग और नए प्रयोगों की बहुत अधिक गुंजाइश है और जैसा कि इंडिया टुडे के नेट संस्करण के प्रभारी सुरेश कुमार कहते हैं 'जैसे जैसे तकनीकी विकास आगे बढ़ेगा पत्रिकाओं के ऑनलाइन संस्करण और बेहतर जरूर होंगे और अगर बेहतर ना हो पाए या बेहतर ना किए जा सके तो दौड़ से बाहर हो जाएंगे'।

इंटरनेट का इतिहास

तीनों पत्रिकाओं के ऑनलाइन संस्करणों की अंतर्वस्तु का विश्लेषण करने के क्रम में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर इंटरनेट का विकास कैसे हुआ। (आगे बढ़ने से पहले यह जान लेते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कैसे, कब और कहाँ हुई।) इंटरनेट का शुरुआत से लेकर अब तक का इतिहास संक्षेप में इस तरह है-

1969 अमेरिकी रक्षा विभाग के एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी (APRA) ने अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटरों की नेटवर्किंग की। इसके साथ ही इंटरनेट 'अप्रानेट' (APRANET) की शुरुआत मानी जाती है। इसका उपयोग विकास, शोध, शिक्षा और सरकारी संस्थाओं में उपयोग के लिए किया गया जाता था। इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य यह था कि यदि कभी ऐसे हालात पैदा हो जाएं जहां संपर्क और संचार का एक भी साधन या माध्यम काम ना आए तो ऐसे में अप्रानेट के जरिए संपर्क स्थापित किया जा सके। हालांकि उस वक्त तक कम्प्यूटर एक ऐसी विलासिता थी जो सिर्फ सरकारों और उनके संस्थानों के पास ही थी।

1972 में कम्प्यूटर से संदेश भेजने का काम शुरू हुआ। इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल यानि ई-मेल नाम दिया गया।

1973 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी-आईपी) को डिजाइन किया गया। 1983 तक आते-आते यह इंटरनेट पर दो कम्प्यूटरों के बीच संचार का माध्यम बन गया। इसके जरिए एक प्रोटोकॉल एफ टी पी (फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल) की सहायता से इंटरनेट का उपयोग करने वाले एक कम्प्यूटर से दूसरे कम्प्यूटर को जोड़कर संदेश, चित्र या पूरी फाइल डाउनलोड करना संभव हुआ।

1986 में अमेरिकी संस्था नेशनल साइंस फाउंडेशन (NSF) ने एनएसएफनेट (NSFNET) शुरू किया। यह पहला नेटवर्क था जिसमें बड़े पैमाने पर इंटरनेट तकनीक का उपयोग शुरू हुआ।

1988 में फिनलैंड के जाक्को ओकेरीनेने ने इंटरनेट चौटिंग का अविष्कार किया।

1989 में मैकगिल यूनीवर्सिटी मॉट्रियाल के पीटर डडूश ने पहली बार इंटरनेट का इंडेक्स (अनुक्रमणिका) बनाने का प्रयास किया। सीईआरएन (यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स) के बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर सूचना के वितरण की एक नई तकनीक का विकास किया, जिसे 222 यानि वर्ल्ड वाइड वेब नाम दिया गया।

1993 में नेशनल सेंटर ऑफ सुपरकम्प्यूटिंग एप्लीकेशंस के मार्क एंड्रीसन ने मोजेइक नामक नेवीगेटिंग सिस्टम बना। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा इंटरनेट को मैगजीन फॉर्मेट में पेश किया जाने लगा। इस सॉफ्टवेयर से टेक्स्ट और ग्राफिक्स इंटरनेट पर उपलब्ध होने लगे। वर्तमान में यही वर्ल्ड वाइड वेब के लिए मुख्य नेवीगेशन सिस्टम है।

1994 में नेटस्केप कम्प्युनिकेशन और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने-अपने ब्राउजर बाजार में उतारे। इनसे लोगों के लिए इंटरनेट का प्रयोग बहुत आसान हुआ। इसी पद्धति पर 1995 में इंडिया टुडे समूह ने अपनी वेबसाइट लांच की जिसमें इंडिया टुडे पत्रिका को भी शुरुआत से ही शामिल किया यानि प्रकाशित किया गया।⁴

इंटरनेट की महत्ता

वर्तमान में इंटरनेट दूरसंचार क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है। जो लोग वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं उनके लिए इंटरनेट ने जीवन की कई चीजों को काफी आसान कर दिया है। इसके जरिए इंटरनेट उपयोग करने वाला असंख्य सूचनाओं तक पलक झपकते पहुंच सकता है। इंटरनेट सिर्फ सूचनाओं के लिहाज से ही नहीं, बल्कि सोशल नेटवर्किंग से लेकर स्टॉक एक्सचेंज, बैंकिंग, ई-शॉपिंग आदि के लिए खास और सबसे जरूरी जरूरत बन कर उभरा है। इसके लिए नेट की दुनिया में गूगल समेत कई सर्च इंजन श्रेय ले सकते हैं। गूगल के ई-मेल, चैटिंग, वीडियो और वॉयस चैटिंग आदि से हजारों किलोमीटर की दूरियां सिमट कर अब चंद सेकेंड के फासलों में बदल गयी हैं।⁵

भारत में इंटरनेट

भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया। जब एनेट (Educational & Research Network) को सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग और संयुक्त राष्ट्र उन्नति कार्यक्रम (UNDP) की ओर से प्रोत्साहन मिला⁶ सामान्य उपयोग के लिये इंटरनेट 15 अगस्त 1995 से उपलब्ध हुआ। विदेश संचार निगम लिमिटेड (VSNL) ने गेटवे सर्विस शुरू की। भारत में भी इंटरनेट यूजर्स की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वर्तमान में इंटरनेट का इस्तेमाल व्यक्तिगत बैंकिंग, ट्रेन इंफॉर्मेशन-रिजर्वेशन शिक्षा और अन्य सेवाओं के लिए भी सबसे अधिक हो रहा है।⁷

1. सौजन्य----khabar.ibnlive.com
2. इंडिया टुडे समूह के इंटरनेट संस्करण के प्रभारी सुरेश कुमार से बातचीत पर आधारित
3. www.pravakta.com/web
4. सौजन्य----www.jagranjosh.com
5. सौजन्य----bharatdiscovery.org
6. सौजन्य----https://hi.wikipedia.org/wiki

पंचायतीराज एवं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण

डॉ० प्रेमलता

असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग,
दाउ दयाल महिला कॉलेज, फिरोजाबाद (उ०प्र०)

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का कहना था कि “सच्चा लोकतंत्र केन्द्र में बैठे हुए बीस व्यक्तियों द्वारा नहीं चलाया जा सकता। उसे प्रत्येक गाँव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।” वे पंचायती राज संस्था के पक्षधर थे। उनका मानना था कि इसे सशक्त बनाकर तथा स्थानीय स्तर के ग्रामोद्योग को बढ़ावा देकर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जो स्वयं में आत्मनिर्भर हो तथा जिसमें आय एवं धन के वितरण की असमानताएँ कम से कम हो।

भारत के संविधान निर्माताओं ने गाँधी जी तथा 1948 में गाँधीवादी पी. के. सन्थानम के प्रस्तावित संशोधन को संविधान सभा ने स्वीकार करते हुए राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में व्यवस्था दी कि “राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाईयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।” इसी कल्पना को साकार करते हुए तात्कालिक प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959 राजस्थान के तथा तात्कालिक मुख्यमंत्री मोहन लाल सुखारिया के अध्यक्षता में राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज की नींव रखी गई, फिर आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में स्थापना की गई।

पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सातवीं पंचवर्षीय योजना तक पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति काफी कमजोर रही। वे अपने अस्तित्व के लिए राज्य सरकारों की कृपा पर निर्भर रही, क्योंकि उन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। तात्कालिक प्रधानमंत्री नरसिंहराव के नेतृत्व में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री वेंकट स्वामी ने संसद के पटल पर एक विधेयक रखा जिसे राष्ट्रपति द्वारा 24 मार्च 1993 को मंजूरी मिल गई। अतः संविधान में 73वाँ व 74वाँ संसोधन किया गया। संविधान के 73वें एवं 74वें संसोधन अधिनियम 1992 के फलस्वरूप भारतीय संविधान में भाग- 9 जोड़कर अनुच्छेद- 243 (क से ण) तक जोड़ते हुए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। देश में आधी आबादी महिलाओं की है। इसलिए यह स्वाभाविक है कि उन्हें भी देश के विकास में पुरुषों के सामान भूमिका निभाने का अवसर मिलना चाहिए। इस संविधान संसोधन द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें भी आरक्षित की गई हैं। अब लगभग सभी राज्यों में पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं और बड़ी संख्या में महिला प्रतिनिधि चुनकर आई हैं।

महिला सशक्तिकरण एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयासों का पुनर्वलन किया जाता है ताकि वे अपनी परम्परागत दबू प्रकृति के आवरण से बाहर निकलकर आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बन सकें। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य है सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता, राजनैतिक और आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, सामान कार्य के लिए सामान वेतन, कानून के तहत सुरक्षा और प्रजनन अधिकारों आदि को सम्मिलित किया जाता है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत संयुक्त राष्ट्रसंघ

द्वारा 8 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस से माना जा सकता है। पुनः महिला सशक्तिकरण की पहल 1985 में महिला अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन नौरौबी में की गयी।

भारत ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक कदम उठाये। 31, जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ। जिसके माध्यम से सदियों से बिछड़े, शोषित एवं उपेक्षित नारी वर्ग के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया तथा राष्ट्रीय महिला शक्ति सम्पन्नता नीति 2001 की घोषणा की।

बिहार पहला राज्य है जो सामाजिक एवं राजनीतिक में महिला सशक्तिकरण के लिए अग्रणीय है। बिहार पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 को निरस्त करते हुए बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को लागू किया गया। बिहार भी कुछ गिने-चुने राज्यों में से एक है जहाँ महिलाओं को पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। त्रि-स्तरीय पंचायतों के सभी कोटियों के पदों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देते हुए महिलाओं के लिए कुल 1,20, 258 आरक्षित पदों के लिए चुनाव कराया जा चुका है।

पंचायती राज एवं ग्रामीण महिला

हमारे देश में 70% लोग गाँव में बसते हैं। गाँव के विकास तथा प्रगति में महिलाओं के सबल हाथ इसके प्रतीक हैं। चाहे परिवार हो, खेत-खलिहान का काम हो, सब में महिलाएँ कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रही हैं। भारतीय प्रजातंत्र में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका दिनोदिन सशक्त होती जा रही है। इस कार्य में पंचायती राज व्यवस्था ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महिलाओं को राजनीतिक रूप से सबल बनाने हेतु सर्वप्रथम 1993 में 73वाँ एवं 74वाँ संविधान संसोधन द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों में प्रत्येक स्तर पर महिला सदस्यों के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कर दी गई है (सन्दर्भ : अमर उजाला सामाचार पत्र)। निः सन्देह इस व्यवस्था से गाँव की पिछड़ी, दलित, गरीब एवं अनपढ़ औरत को राजनीतिक-सामाजिक सबलता मिली है।

देश भर में 9 लाख 35 हजार के लगभग महिला पंचायत प्रतिनिधि हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि महिलाएँ राजनैतिक रूप से जागरूक हो रही हैं। पंचायती राज व्यवस्था के कारण ग्रामीण महिलाएँ निम्नलिखित रूप से सबल व सशक्तिकृत हो रही हैं।

- ग्रामीण महिलाओं के शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर बालिका की शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण योजनाएँ पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है।
- ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकृत करने के लिए अनेक आर्थिक योजनाएँ पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से चलाया जा रहा है।
- पंचायती राज संगठनों से महिला विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने का अवसर मिला है।
- पंचायती राज के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में साकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है।
- पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं में राजनैतिक सहभागिता बढ़ी है।
- पंचायती राज के माध्यम से महिला कल्याण के क्षेत्र में सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण एवं निर्णायक सिद्ध हुई है।

- महिलाओं के सामाजिक एवं राजनैतिक सहभागिता के कारण उनके प्रस्थिति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।
- महिलाओं के शोषण एवं उत्पीड़न में कमी दर्ज की गई है। कारण वे अपनी आवाज स्वयं उठा रही है।
- पंचायती राज संस्था में 33 प्रतिशत आरक्षण का मतलब ही यह है कि विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर उनका उत्थान किया जाये।
- पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु ग्रामीण महिलाओं के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये जिससे उनमें सबलता आयी है।

निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की उपलब्धियाँ

चुनाव लड़ने, निर्वाचित होने एवं राजनीतिक सहभागिता के अलावा महिलाओं ने दूसरे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

- राजस्थान के अलवर जिला के निम्मुचाना गाँव की सरपंच कोयली देवी ने अपने ही ससुर एवं पति पर अधिसूचना जारी की कि वे बतायें कि पंचायत की जमीन हड़पने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाये?
- गोवा में महिलाओं को पौधों की नर्सरी के विकास तथा अच्छे तरीके के बीज तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया। इसी तरह कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, उत्तरप्रदेश आदि राज्यों में स्वयं सहायता समूह का महिलाओं द्वारा निर्माण।
- आन्ध्रप्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में कम मजदूरी के खिलाफ महिलाओं का संघर्ष काफी सफल रहा।
- रेवाड़ी ब्लॉक (हरियाणा) की महिला सरपंच ने अपने इलाके से शराब की दुकान हटवायी।
- हरियाणा के ही अन्य ब्लॉक के बेट्टा-पट्टी की ग्राम पंचायत की सरपंच ने वहाँ पानी की समस्या का समाधान करवाया।
- केरल के कोझीकोड जिले की महिलाओं ने जिले के पहाड़ी इलाका में पानी की समस्या हल करने का संगठित प्रयास किया।
- पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के कुलतीक्री गाँव ने एक आल-वुमेन पंचायत निर्वाचित की। उड़ीसा की पहली ऑल वुमेन पंचायत सम्बलपुर जिले की किलसभा ग्राम पंचायत है। उसमें एक सरपंच के अलावा 16 वार्ड सदस्य हैं, जो सभी महिलाएँ हैं।
- बिहार के पूर्वी चम्पारण के डिन्जी भरखिया-छिपुलिया गाँव की मुसहर जाति की महिला सरपंच गिरजा देवी को संयुक्त राष्ट्रसंघ के महिला विकास प्रकोष्ठ व सामाजिक मामलों के विभाग के 15वें सत्र भाषण देने के लिए न्यूयार्क आमंत्रित किया गया। गिरजा देवी ने भोजपुरी में भाषण दिया।
- दलितों विशेषकर महिलाओं के सशक्तिकरण में साकारात्मक भूमिका निभाने के लिए मधुबनी जिले की लखनौर पंचायत समिति की सदस्य तिलिया देवी को वर्ष 2006 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया था।
- 24 जून 2006 को बिहार में सम्पन्न पंचायत चुनाव में कटिहार जिले की बलरामपुर प्रखंड की किरोरा ग्राम की हलिमा खातून ने पंचायत प्रमुख का चुनाव जीता। हलिमा अपने पेट पहले भीख माँगकर भरती थी। आदि।

ग्रामीण नारी सशक्तिकरण की वास्तविक उपलब्धि यह हो कि वह स्वयं पर विश्वास रखकर अपने नारीत्व पर गर्व करे। अपने शर्तों पर जिन्दगी जीने का उसमें साहस हो। उदाहरणस्वरूप आन्ध्रप्रदेश के छोटे से गाँव कलवा की सरपंच फातिमा बी जिसे संयुक्त राष्ट्रसंघ की पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने पंचायत में महत्वपूर्ण काम करने के लिए स्वयं सम्मानित किया। गाँव गुआड़ा कालौल की मंजूरी बाई दो महीने तक अकेले काम करके दो बीघा जमीन में पोखरा खोदकर गाँव के जल संकट को दूर किया। अतः उसे गाँव वालों ने भागीरथी कह कर सम्मान दिया। स्वयं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राजधानी दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि “पंचायती राज की सबसे बड़ी सफलता यही है कि इसने महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक सशक्तिकृत किया है।” केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मार्केटिंग एजेन्सी ए. सी. नेल्शन से एक सर्वेक्षण कराया। यह सर्वेक्षण निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण की ओर स्पष्ट संकेत करता है। महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है लेकिन उन्हें आरक्षण का लाभ 10 या 15 साल तक दिया जाये तो राजनीतिक-सामाजिक क्रांति से गाँव की जनता की तकदीर एवं ग्रामीण विकास को एक नया चेहरा शीघ्र मिल सकता है।

बेशक पंचायती राज व्यवस्था ने महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था लागू हुए डेढ़ दशक हो गए हैं लेकिन अभी तक स्त्री के पक्ष में पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता बदलने के लिए कानून शर्तिया इलाज साबित नहीं हुआ है। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं का सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्तिकरण होना है परन्तु अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग अभी भी महिलाओं को पुरुष की कठपुतली मानते हैं। महिलाओं को आज भी घर की चारदीवारी से लेकर अफसर साही के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। 30 प्रतिशत महिलाओं को पति या परिवार के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो 39 प्रतिशत महिलाएँ दूसरे चुनाव में लड़ाने से कतराती हैं।

अवलोकनोपरांत हम कह सकते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण महिलाओं की प्रास्थिति एवं भूमिका में आमूलचूल परिवर्तन लाया, जिससे उनमें आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ग्रामीण महिलाओं ने बढ़-चढ़कर राजनीतिक सहभागिता दिखायी है। विकास कार्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण सरकार ने दिया है जो सफल प्रतीत हो रहा है। वैसे भी महिलाओं के बिना पूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। स्वामी विवेकानंद ने ठीक ही कहा है कि “स्त्रियों को सशक्तिकृत किए बिना विश्व कल्याण असंभव है, जैसे कि एक पंख से उड़ान भरना।”

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. श्रम एवं समाज कल्याण – 2007 – डॉ. प्रभात कुमार – पृष्ठ सं.- 592 से 601।
2. भारतीय महिलाएँ : दशा एवं दिशा – सुभाष शर्मा।
3. द चेंजिंग पोजीशन ऑफ इंडियन वूमन – 2002 – एम. एन. श्रीनिवास – पृ. सं.- 283.287।
4. वुमेन्स इम्प्लायमेंट एण्ड देअर फ़ैमिलियल रोल इन इंडिया, इन सोशल स्ट्रक्चर एण्ड चेंज, भाग -2 – 1996 – नीरा देसाई – पृ. सं.- 101.109।
5. बिहार पंचायती राज अधिनियम – 2006 – लॉ पब्लिकेशन हाउस, पटना।
6. सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना – 2006।
7. बिहार दिग्दर्शिका- क्रॉनिकल बुक, नोएडा-पृ. सं.- 372. 377।
8. कुरुक्षेत्र, पंचायती राज विशेषांक, मई – 1997 एवं अगस्त- 2008।
9. प्रतियोगिता दर्पण – जून-2005 दिसम्बर-2005, मई-2007, अगस्त-2007 एवं सितम्बर-2008।

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश के सन्दर्भ में व्यक्तित्व का अध्ययन

रामनिवास धायल

शोध छात्र

ईश्वर कि सृष्टि में मानव जीवन पवित्रमय है। मनुष्य को ज्ञान अर्जन करने कि जिज्ञासा होती है। इसलिए मानव अन्य प्राणियों से पृथक है। शिक्षा के द्वारा मानवीय शक्ति का विकास होता है, बालक का सामाजिक -बौद्धिक -सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास पूर्ण रूप से शिक्षा के उपर निर्भर करता है। अतःपूर्णता पाने के लिए शिक्षा ग्रहण कि जाती है। प्रस्तुत अध्ययन में राजस्थान राज्य के टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक परिवेश के सन्दर्भ में व्यक्तित्व का अध्ययन किया गया है।

- यहाँ सामाजिक व आर्थिक परिवेश के सन्दर्भ में व्यक्तित्व अध्ययन से तात्पर्य है-

बाल्यावस्था में विद्यार्थी विद्यालय जाता है। वहाँ उसमे समूह निर्माण की प्रवृत्ति जागृत होती हैं। इसको सामाजिक परिवेश का विकास कहा जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास के उपर विद्यार्थियों कि रुचि व आवश्यकताओं की पूर्ति, असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इस अवस्था में यौवन विकसित होने से बालक-बालिका परस्पर मिलन के लिए, वार्तालाप करने के लिए तथा सामाजिक कार्यों में भाग लेना चाहते हैं। उनमें उत्साह, नेतृत्व आदि के गुणों का विकास होता है। समाज की उन्नति के साथ विद्यार्थियों का विकास होता है, एवं समाज की अवन्नति के साथ उनकी अवन्नति होती है। कुछ विद्यार्थियों का सामाजिक परिवेश उस प्रकार नहीं है, जो कि वह नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि परिवार से ही विद्यार्थियों का सर्वप्रथम सामाजिक विकास होता है। फिर भी वह समाज से, विभिन्न अनुष्ठानों से, परम्पराओं से, वातावरण से कुछ शिक्षा ग्रहण करता है। अतः वंशानुगत का, शारीरिक-मानसिक स्थिति का, परिवार का, समाज का, विद्यालय का और अध्यापक का भी प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ता है परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवेश के अनुसार विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में भिन्नता दिखाई देती है। धन के बिना विद्या का अर्जन नहीं हो पाता है। जिसके पास धन नहीं है, उसकी कोई भी अभिलाषा पूर्ण नहीं होती है। सिर्फ सामाजिक परिवेश का ही नहीं, आर्थिक परिवेश का भी प्रभाव विद्यार्थियों के उपर पड़ता है। अभिभावकों की आर्थिक स्थिति जैसे अमीर अभिभावकों के बालक उन्नत विद्यालय में पड़ते है, उत्तम व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापित करता है(उत्तम स्थान में निवास करता है) लेकिन गरीब परिवार का बालक उत्तम वातावरण के, उचित सम्पर्क के, श्रेष्ठ विद्यालय के अभाव में अनुत्साहित होता है। इससे यह प्रतीत होता है कि व्यक्तित्व को सामाजिक और आर्थिक परिवेश प्रभावित करता है।

व्यक्तित्व के अध्ययन में आत्मा और स्वयं को केन्द्रीय स्थान दिया गया है। दर्शनशास्त्र में आत्मा स्वरूप की विवेचना की गई है। उपनिषद् में निरूपण किया गया है कि अन्नमयादि पंचकोष शरीरादि आत्मा के प्रति उत्तरोत्तर विकास का परिचायक है। इन सब कोषों के सम्बन्ध व्यक्तित्व के विविध आयामों है। अतएव व्यक्तित्व के अध्ययन में इन सब कोषों को आधार माना जाता है। सर्वांगपूर्ण व्यक्तित्व का निरूपण श्री मद्भागवत गीता में वर्णित है, जो सत्व-रज-तम गुणों को भी वर्णन करने

में समर्थ हैं। मनुस्मृति में भी त्रिगुणात्मक सृष्टि का विवरण प्राप्त होता है। व्यक्तित्व के विवेचन में श्री मद्भगवद्गीता का गुणातीत लक्षण महत्वपूर्ण है। मन और शरीर सम्बन्धित शक्तियाँ व्यक्तित्व तत्व के अन्तर्गत आती हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार व्यक्तित्व शारीरिक-मानसिक-सामाजिक-सांवेगिक-शक्ति से युक्त होता है व्यक्तित्व निर्धारण में वेशभूषा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अतः कहा गया है कि-

“विद्यया वयुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च।

वकारैःपंचभिर्युक्तो नरः सर्वत्र शंस्यते॥”

किसी भी विद्यार्थियों का आकार देखकर, भाषण सुनकर उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, यह निर्णय किया जा सकता है। अतः सुभाषितनिधि में कहा गया है-

“आकारैरिगितैर्गत्या चेष्ट्या भाषणेन वा।

नेत्रवत्क्रविकारैश्च लक्ष्यतेऽन्तर्गत मनः॥”

व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित होता है। उनको दो कारक होते हैं। 1. वंशानुगत, 2. पर्यावरण। व्यक्तित्व का जो जन्मजात तत्व है, उससे उनका व्यक्तित्व अलग दिखाई देता है। पर्यावरण कारक में परिवार, परिवेश, विद्यालय, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक वातावरण, बालसमूह और शिक्षा आते हैं। इन सबका का प्रभाव बालक के उपर पड़ता है। मनोवैज्ञानिक में कारको का भी प्रभाव दिखाई देता है, जैसे कि प्रशंसा, सहयोग, समायोजन, पुरस्कार, धैर्य आदि ।

व्यक्तित्व का वर्गीकरण जुंग महोदय ने दो प्रकार से किया है- उन्होंने उनकी किताब psychological types में व्यक्तित्व को दो प्रकार से बताया है-अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी। गिलफोर्ड महोदय ने व्यक्तित्व के विषय में कहा है कि-

“personality is an integrated pattern of trails” आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व के विषय में कहा है कि-

“personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment in his environment.”

कुछ पूर्व अध्ययन के विषय में -

- नागपाल, शम्मी (2001) एम.एड. श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली के द्वारा किये गये ग्रामीण एवं शहरी छात्रों के समायोजनस्तर एवं व्यक्तित्व गुणों का एक तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार पारिवारिक समायोजन में उभय ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। ग्रामीण विद्यार्थियों कि अपेक्षा शहरी विद्यार्थियों में समायोजन अधिक पाया गया है।
- आलोक (2009) एम.एड. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (मानित विश्वविद्यालय), जयपुर परिसर, जयपुर के द्वारा किये गये संस्कृत छात्रों का व आधुनिक छात्रों का व्यक्तित्व के समायोजन के पक्ष का तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार संस्कृतविद्यार्थियों के व आधुनिक विद्यार्थियों के समायोजन स्तर में कोई अन्तर नहीं है।

उद्देश्य

- माध्यमिकस्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश का अध्ययन करना।
- माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का अध्ययन करना ।

शोध परिकल्पना

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सामाजिक व आर्थिक परिवेश का प्रभाव नहीं है।

विधि

प्रस्तुत अध्ययन का प्रारूप सर्वेक्षण विधि पर आधारित है।

न्यादर्श:-

न्यादर्श के रूप में माध्यमिक स्तर के स्तर के 300 विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। जिस में 8 व 9 के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया।

अध्ययन के उपकरण

- प्रस्तुत अध्ययन में एल.एन. दुबे एवं बी. निगम की सामाजिक-आर्थिक स्थिति मापनी का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्नावली में चार विकल्पात्मक उत्तर वाले 30 प्रश्न हैं।
- व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए रोबर्ट जी बर्नराइटर की व्यक्तित्वप्रश्नमिति का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्नावली में हाँ, या नहीं, ? वाले 125 प्रश्न हैं।

सांख्यिकी विश्लेषण

आकड़ों के विश्लेषण हेतु सांख्यिकी का प्रयोग किया गया है। जिसमें मध्यमान, प्रामाणिक विचलन, टी-गणित मूल्य का प्रयोग किया गया। परिकल्पना का विश्लेषण के लिए सार्थकता को 0.05 विश्वसनीयता स्तर पर परीक्षण किया गया।

उद्देश्य:- माध्यमिकस्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश का अध्ययन करना।

सारणी-1: सामाजिक व आर्थिक परिवेश की स्थिति की सारणी

students	N	M	S.D	df	t	Level of Significance	Significance/notSignificance
Boys	150	37.36	5.6	298	1.21	0.05 (1.97)	Not significance
Girls	150	36.63	5				

सारणी-2: व्यक्तित्व की सारणी-

Students	N	M	S.D	df	t	Level of significance	significance/not significance
Boys	150	95.43	12.4	298	0.57	0.05(1.97)	Not significance
Girls	150	94.7	9.8				

उपरोक्त सारणी से यह ज्ञात होती है कि माध्यमिकस्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश की स्थिति मापन में 0.05 स्तर में गणित टी-मूल्य 1.21 है। यहाँ गणित टी-मूल्य सारणीमूल्य कि अपेक्षा कम है।

अतः यह स्पष्ट होता है कि 0.05 स्तर पर सार्थक नहीं पाया गया। माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश और व्यक्तित्व के मध्य में भेद नहीं है, यह जो शून्य परिकल्पना लिया गया, वह स्वीकृत किया गया है।

परिणाम

अध्ययन द्वारा निम्न परिणाम प्राप्त हुये हैं-

माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में सामाजिक व आर्थिक परिवेश का प्रभाव नहीं है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के सामाजिक व आर्थिक परिवेश में और व्यक्तित्व में भेद है, लेकिन सार्थक भेद नहीं पाया गया।

शैक्षिक निहितार्थ

- विद्यार्थी सर्वदा अपनी परिस्थिति के अनुसार व आवश्यकता के अनुसार अपने मूल्यों में, विचारों में, धारणाओं में और आदर्श में परिवर्तन करने में सक्षम होंगे। उससे समाज के साथ और वातावरण के साथ अपने को समायोजित कर सकेंगे।
- विद्यार्थियों की परिस्थिति और परिवेश के अनुसार शैक्षणिक संस्था शिक्षा प्रदान की व्यवस्था में सहायता प्रदान कर सकेगा।
- प्रस्तुत अध्ययन से यह ज्ञात है कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्वविकास में उचित मार्गदर्शन अध्यापक के द्वारा, अभिभावक के द्वारा शिक्षण संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए।

सीमांकन

- प्रस्तुत अध्ययन केवल राजस्थान राज्य के टोंक जिला के ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित है।
- प्रस्तुत अध्ययन केवल माध्यमिक स्तर तक ही सीमित है।
- यह अध्ययन केवल 300 विद्यार्थियों तक ही सीमित है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Alport -Personality
2. पाठक, पी डी -शिक्षा मनोविज्ञान
3. माथुर, डॉ० एस० एस० -शिक्षा मनोविज्ञान
4. अस्थाना, डॉ० विपिन -मनोविज्ञान और शिक्षा
5. गुप्ता, एस पी-उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान
6. मंगल, एस०के० -शिक्षा मनोविज्ञान
7. पाण्डेय, डॉ० रामशकल-शिक्षा की दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि
8. सुभाषितनिधि
9. श्रीमद्भगवद्गीता
10. माथुर, डॉ० एस० एस० -शिक्षा के दार्शनिक तथा सामाजिक आधार
11. नागर, कैलाश नाथ - सांख्यिक के मूलतत्व
12. कपिल, एच० के० -अनुसन्धान विधियाँ

भारत में गठबंधन सरकार: 1990-2014 के दौर के संदर्भ में

डॉ० राजेश कुमार पाण्डेय

राजनीति विज्ञान विभाग, जय प्रकाश कॉलेज, आरा

परिचय

सदन में बहुमत जुटाने के लिए दो या दो से अधिक दलों के बीच आपसी समझौते से गठबंधन सरकार का जन्म होता है ऐसा समझौता चुनावपूर्व या चुनाव पश्चात हो सकता है। रोजर स्कटन के अनुसार विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। जनता ने किसी एक विरोधी दल को विश्वास देने के स्थान पर विभिन्न विरोधी दलों में अपने विश्वास को बाँट दिया था, परिणामस्वरूप एकदलीय सरकार के स्थान पर गठबंधन सरकारें स्थापित हुईं। ये गठबंधन सरकारें वैचारिक साम्यता पर आधारित होने के बजाय बेमेल अवसरवादी गठबंधन थीं। भारतीय राजनीति में 90 का दशक काफी उतार-चढ़ाव का दशक रहा है। इस दशक में केन्द्र सहित कई राज्यों में अनेक सरकारें बनीं और बिगड़ीं। दशक के प्रारम्भ में आया गठबंधन सरकार शब्द अब एक वास्तविक बन गया है। कभी गठबंधन से दूर रहने वाले कांग्रेस भी अब आवश्यकतानुसार राज्यों में गठबंधन कर रही है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का प्रमुख उद्देश्य यह है कि गठबंधन सरकार के धनात्मक एवं ऋणात्मक पक्षों पर प्रकाश डालना। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के आधार पर यह स्पष्ट करना कि गठबंधन सरकार के पीछे मूलभूत कारण कौन से हैं? तथा यह विचार करना कि भारत में किस प्रकार की गठबंधन सरकार सफल हो सकती है।

विश्लेषण

एक संसदीय शासन व्यवस्था में राजनीतिक सत्ता का केन्द्र बिन्दु मंत्रिमण्डल होता है। बहुमत प्राप्त दल द्वारा गठित मंत्रिमण्डल को एकदलीय मंत्रिमण्डल कहा जाता है। क्योंकि इसमें सारे सदस्य या मंत्री केवल एक ही दल बहुमत प्राप्त दल के होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है या हो सकता है कि विधानमण्डल में किसी भी राजनीतिक दल एक न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर संगठित हो जाते हैं और इस तरह बहुमत का निर्माण तथा मंत्रिमण्डल का गठन करते हैं। एक से अधिक राजनीतिक दलों को मिलकर जो मंत्रिमण्डल या सरकार बनती है उसे गठबंधन या मिला-जुला सरकार कहते हैं। ऐसे मंत्रिमण्डल में सामान्यतः उन सभी-राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जात है जो कुछ सामान्य सिद्धांतों के आधार पर संगठित हुए हैं। यह स्मरणीय है कि मिले-जुले मंत्रिमण्डल में जो घटक-राजनीतिक दल होते हैं वह सरकार बनाने के उद्देश्य से संगठित होने के बाद भी अपने पृथक दलीय अस्तित्व को बनाये रखते हैं अर्थात् उन सभी राजनीतिक दलों की

पहचान बनी रहती है। इन अर्थों में गठबंधन सरकार का गठन करने वाले राजनीतिक दलों का विलय नहीं होता है। सरकार का गठन चार प्रकार से हो सकता है। प्रथम जब कोई दल स्पष्ट बहुमत से जीतकर आए। द्वितीय जब किसी एक विचारधारा से सम्बन्धित दल समूह स्पष्ट बहुमत की स्थिति में रहे जैसे केरल में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा, पं बंगाल व त्रिपुरा में

साम्यवादी दल। जैसा कि 1977 की जनता पार्टी 1999 में NDA तथा 2004 में U.P.A. के साथ हुआ। चतुर्थ जब चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए मोर्चा या गठबंधन करे। राजनीतिक विश्लेषक तीसरी तथा चौथी प्रक्रिया के अन्तर्गत गठित सरकारों को गठबंधन सरकार के अन्तर्गत परिभाषित करते हैं।

1967 के पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीय राजनीति में एकाधिकार था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को स्वतंत्रता संग्राम में उसकी भूमिका तथा उसके नेताओं के आदर्शों का लाभ मिला परन्तु नेहरू का चमत्कारिता आभामंडल भी कांग्रेस के स्थायी एकाधिकार को सुनिश्चित नहीं कर सका। जैसे-जैसे भारत में सामाजिक तथा राजनीतिक चेतना जागृत हुई। भारत जैसे विशाल देश एक राजनीतिक वर्ण क्रम में नहीं समा सका क्योंकि उसके पास धर्मों और क्षेत्रों, जातियों, भाषाई और सांस्कृतिक पहचानों की विविध असमानताएँ विद्यमान थी। फिर सत्तारूढ़ दल क्षेत्रीयता को समाप्त करने में विफल रहा और क्षेत्रीय मुद्दों की उसने उपेक्षा भी की।

जिसके कारण क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर क्षेत्रीय पार्टियाँ विभिन्न प्रदेशों में बनी। चूँकि क्षेत्रीय मुद्दें जनता से सीधे तौर पर गहरे से जुड़े रहते हैं। इसी कारण क्षेत्रीय दलों ने चुनाव में सफलताएँ भी प्राप्त की। कावेरी जल विवाद इसका प्रमुख उदाहरण है जो वर्षों तक तमिलनाडु और कर्नाटक की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाता रहा इसके साथ ही कांग्रेस से लोगों का मोह भंग होने के कारण एक राजनीतिक निर्वात की उत्पत्ति हुई। चूँकि कोई विपक्षी राष्ट्रीय पार्टी उस समय इतनी सशक्त नहीं थी जो उस निर्वात को भर सके फलतः उस निर्वात को क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा भर दिया गया। मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद जातिवाद में वृद्धि हुई और प्रत्येक राज्य में जातिगत समीकरणों के आधार पर छोटे-छोटे राजनीतिक दल बनने लगे। यद्यपि गठबंधन सरकार समय और परिस्थितियों की अनिवार्यता के कारण अस्तित्व में आती है, किन्तु इसके कई सकारात्मक पक्ष भी हैं।

जैसे-यह सरकार अनेक प्रकार के मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करती है। गठबंधन सरकार में विभिन्न विचारधाराओं वाली पार्टियाँ शामिल होती हैं इस कारण उसमें मतदाताओं के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व रहता है। गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों के बीच आपसी समझ-बुझ का विकास होता है। चूँकि गठबंधन सरकार में विभिन्न दलों के बीच साझा कार्यक्रम बनाया जाता है इस कारण इसमें विभिन्न दलों के बीच समन्वय होता है। गठबंधन सरकार में दलों के बीच समन्वय होता है। गठबंधन सरकार में क्षेत्रीय मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है। एक दलीय शासन में उपेक्षित पड़े क्षेत्रीय मुद्दें गठबंधन सरकार में प्रधानता पा जाते हैं तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान भी गठबंधन सरकार में निकल आता है। वस्तुतः क्षेत्रीय समस्याओं में क्षेत्रीय दलों और उनके वोट बैंक का बड़ा हाथ रहता है किन्तु जब एक या एक से अधिक क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दल के साथ या आपस में गठबंधन करते हैं तो वे दलीय स्वार्थ से ऊपर उठकर क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। इसके साथ

ही गठबंधन सरकार साझा कार्यक्रम बनाती है और उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इस सरकार द्वारा लिए गए निर्णय विभिन्न घटक राजनीतिक दलों के निर्णय माने जाते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले घटक दल विचार विमर्श करते हैं इस प्रकार इन निर्णयों में जनता के हित का अधिक ध्यान रखा जाता है।

गठबंधन सरकार का सबसे कमजोर पहलू इसकी अस्थिरता है। किसी भी मुख्य दल के सरकार से समर्थन वापस लेने पर सरकार गिर सकती है। इस कारण से सरकार को घटक दलों द्वारा “ब्लैकमेल” भी किया जाता है। गठबंधन सरकार में प्र. मंत्री की स्थिति काफी दयनीय रही है। प्र. मंत्री को गठबंधन अथवा सरकार में सम्मिलित छोटी से छोटी पार्टी की भी माँग को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। न तो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट का चयन अपनी इच्छानुसार कर सकता है और न ही उसमें कोई परिवर्तन सहयोगी पार्टियों के परामर्श के बिना कर सकता है। गठबंधन सरकार का एक दुष्प्रभाव यह भी होता है कि इससे विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तनाव भी फैलता है। जिला अथवा ग्राम स्तर पर सरकार में सम्मिलित दलों के कार्यकर्ताओं को कभी-कभी अपने दल के नीतियों की विरोधी नीति का समर्थन करने और जनता को संतुष्ट करने में कठिनाई होती है जिससे उनके मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गठबंधन सरकार पार्टी के अनुशासन को प्रभावित करती है।

चुनाव पूर्व जिसके विरोध में प्रत्याशी खड़े होते हैं वही साझा सरकार में उनके सहयोगी बन जाते हैं। इस स्थिति का संतोषप्रद उत्तर मतदाताओं को दे पाना कठिन होता है। साझा सरकार में विभिन्न दलों को मंत्रीमंडल में स्थान देने के कारण मंत्रीमंडल बड़ा हो जाता था। मंत्रियों पर प्र. मंत्री के ढीले नियंत्रण से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है। प्रत्येक मामले पर घटक दलों की सलाह की अनिवार्यता के कारण काम की गति धीमी रहती है तथा कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की उपेक्षा केवल इसलिए कर दी जाती है क्योंकि वे सरकार में शामिल किसी घटक दल के वोट बैंक के लिए हानिकारक होते हैं। अनेक राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि छोटे-छोटे क्षेत्रीय दलों के उभार से भारतीय संघ में क्षेत्रीयता, अलगाववादी जैसी विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा मिल रहा है।

भारत में गठबंधन सरकार

जहाँ तक भारत में गठबंधन सरकार का प्रश्न है तो इस अवधारणा से भारतीय बहुत पहले से परिचित है किंतु इसका यहाँ अधिक प्रचलन न होने के कारण भारत में साझा सरकार को एक नई अवधारणा मान लिया गया है। भारत में साझा सरकार के गठन की प्रक्रिया स्वतंत्रता के पूर्व ही आरंभ हो गयी थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अन्तर्गत हुए चुनावों में कांग्रेस ने 05 प्रांतों में सरकार बनाई जबकि मुम्बई में वह दो-तीन दलों के समर्थन से सरकार बनाने की स्थिति में थी तथा असम एवं उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में वह सबसे बड़े दल के रूप में उभरीं इन प्रांतों में भी गठबंधन सरकारें बनीं।

स्वतंत्रता के बाद पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल के पहले आम चुनाव 1955 ई. में एस. नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व में हो गया था। वह साम्यवादी सरकार सही मामलों में गठबंधन सरकार नहीं थी। भारत में गठबंधन की शुरुआत 1967 में चौथे आम चुनाव से मानी जाती है। इस चुनाव में कांग्रेसी आधिपत्य को पहली बार झटका लगा इस चुनाव में बंगाल, उ.प्र., उड़ीसा, बिहार, म. प्र.

, तमिलनाडु, हरियाणा और पंजाब में काँग्रेस बुरी तरह परास्त हुई और यहाँ गैर कांग्रेसी सविद सरकारें गठित हुईं। सभी गठबंधन सरकारें भी उ. प्र. में इस गठबंधन सरकार की प्रथम बागडोर चौधरी चरण सिंह ने सम्हाली। आपात्काल (जून 1975 से अप्रैल 1977) के बाद जनता पार्टी का गठन हुआ। यह कई राजनीतिक दलों जैसे – जनसंघ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी तथा कांग्रेस फार डेमोक्रेसी का उत्तर समूह थी। इसने 1977 के आम चुनावों में भारी जीत हासिल कर केन्द्रीय स्तर पर प्रथम गठबंधन सरकार बनाई। 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, भाजपा तथा वाम मोर्चा के समर्थन पर बनी। 1996-97 में पहले देवगौड़ा फिर इन्द्रकुमार गुजराल की सरकारें कई पार्टियों के संयुक्त मोर्चे के गठन से बनीं जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। 1998 में 13 पार्टियों संयुक्त मोर्चा के गठन से बनीं जिसे कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। 1998 में 13 पार्टियों के गठबंधन से बनी बाजपेयी सरकार 13 महीने चली। 1999 में पुनः बाजपेयी के नेतृत्व में 24 पार्टियों वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में आया। पुनः मई 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन केन्द्र में सरकार बनाने में सफल रहा।

भारत में जो भी गठबंधन बनते हैं वे किसी आदर्श की नींव पर नहीं बनाते बल्कि अवसरवादिता के सिद्धांत की बुनियाद पर बनते हैं। 1970 और 1980 के दशक में जो भी राजनैतिक गठबंधन बनते थे उनका उद्देश्य कांग्रेस को हटाना था। आज जो गठबंधन बन रहे हैं उनका एक ही उद्देश्य है सत्ता की प्राप्ति। यही कारण है कि इन गठबंधनों को कोई भविष्य नहीं होता। इन गठबंधनों में परस्पर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियाँ शामिल होती हैं। संयोगवश वे कुछ कारणों से एक होती हैं। उदाहरणार्थ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में वामपंथी पार्टियाँ भी शामिल हैं जबकि प. बंगाल और केरल में कांग्रेस के ये घोर विरोधी हैं। अतः आज का गठबंधन कोई सिद्धान्त नहीं है बल्कि यह अवसरवादिता पर आधारित है।

भारतीय राजनीति में गठबंधन के दो रूप दिखाई पड़ते हैं। पहले के और अब के गठबंधनों में प्रमुख अंतर यह है कि अब गठबंधन सरकार एक वास्तविकता बन गई है। सभी राजनैतिक दल इस बात को जान गए हैं कि कोई भी पार्टी अकेले सरकार बनाने में सक्षम नहीं है तथा उसे अनेक पार्टियों के साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पहले गठबंधन का आधार कांग्रेस विरोध था तथा कांग्रेस सदैव गठबंधन से दूर रहती थी। 1980 में इंदिरा गाँधी तथा 1990 में राजीव गाँधी ने स्थिरता को चुनावी मुद्दा बनाया तथा विजय प्राप्त की। पहले के गठबंधन में हमें यह बात दिखायी देती है कि कांग्रेस गठबंधन सरकार को गिराकर उसकी अस्थिरता सिद्ध करना चाहती थी।

जैसा कि श्रीमती गाँधी ने चरण सिंह सरकार से तथा राजीव गाँधी ने चन्द्रशेखर सरकार से समर्थन वापस लेकर स्पष्ट कर दिया। वर्तमान में गठबंधन सरकार को समय की मांग स्वीकार करने के कारण सरकार के घटक दलों के बीच सूझ-बूझ बढ़ी है तथा सरकार में स्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के रूप में सर्वाधिक स्थिर सरकार हैं। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकनों परान्त हम कह सकते हैं कि गठबंधन सरकार के अनेक घनात्मक तथा ऋणात्मक पहलुओं के साथ ही भारत में गठबंधन सरकार एक अनिवार्यता बन गयी है। क्षेत्रीय दलों के अभ्युदय तथा राष्ट्रीय राजनीति में उनकी दखलअंदाजी ने स्थिति को जटिल बना दिया है। राष्ट्रीय दलों के प्रभाव एवं उनके आभा मंडल में गिरावट ने एक दलीय सरकार की संकल्पना को ठेस पहुँचायी है। भारत में कोई ऐसा राष्ट्रीय दल नहीं है जो अपने दम पर केन्द्र में स्थायी सरकार बना

सके। यहाँ तक कि कल तक भारतीय राजनीति में एकाधिकार रखने वाली कांग्रेस भी आज दूसरी पार्टियों का सहारा ढूँढ़ रही है। वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि निकट भविष्य में देश में एक दलीय सरकार के गठन की संभावना है। अतः भारत में गठबंधन सरकार एक अनिवार्यता बन गयी है। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो ये सरकारें लोकतांत्रिक है तथा देश की आंतरिक विविधता के अनुरूप भी है। अतः इनका गठन देश में लोकतंत्र के प्रसार को दर्शाता है। सारतः कहा जा सकता है कि भारत में गठबन्धन की राजनीति क्रमशः परिपक्व होती जा रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- (1) दि इंडियन पोलिटिकल सिस्टम-नार्मन डी पामर।
- (2) गवर्नमेंट एण्ड पोलिटिक्स ऑफ इंडिया-डब्ल्यू एच. मोरिस जॉंस।
- (3) भारतीय राजनीति व्यवस्था-एस. एम. सईद।
- (4) इंडियन गवर्नमेंट एण्ड पोलिटिक्स-डी. सी. गुप्ता।
- (5) भारतीय संविधान : एक परिचय-दुर्गादास बसु।
- (6) दल-बदल की राजनीति-डॉ. सुभाष कश्यप।
- (7) भारतीय शासन एवं राजनीति-डॉ. रुपा मंगलानी।
- (8) पोलिटिकल इन इंडिया-रजनी कोठारी।
- (9) इंडियन गवर्नमेंट एण्ड पोलिटिक्स-जे. आर. स्वीच।

Origins of Guru–Shishya Parampara

Dr. Amar Kant Singh

*Associate Professor, Department of History,
Murarka College, Sultanganj*

Thus our great sanathana darma tradition has been enriched by the Guru-Sishya relationship. Lord Rama's greatness lay in His relationship with His most loyal disciple Hanuman who taught the essence of Ramanamritim. Lord Krishna gave us the Bhagavad Gita, thanks to his devoted and most trusted disciple Arjuna. Saint Ramakrishna Paramahansa gave to the world Swami Vivekananda who in turn gave to the world the Ramakrishna Mission, embodying the soul of India.

Saint Thyagaraja, an avatar of Sage Valmiki, composed hundreds of soulful Krithis in praise of God. Two Krithis, in particular, refer to the GURU'S role in guiding the seeker on the right path. Guru leka in 'Gowrimanohari' raga is a Krithi in which the Saint of Thiruvaiyar sings how one who is trapped in the jungle of desire, can come out of it with help of the right Guru. Saint Thyagaraja says however learned and good a person might be, life would be meaningless without the guidance of a Satguru. In another Krithi, Sri Naradamuni Gururaya ganti in Bhairavi raga, Thyagaraja explains how Satguru Smaranam helps one in getting rid of ignorance.

History

Parshvanatha, the twenty-third Tirthankar, is the earliest Jain leader who can be reliably dated. As noted, however, Jain mythology asserts that the line of Tirthankars began with Rushabhdeva; moreover, Jains themselves tend to believe that Jainism has no single founder, and believe that Jainism is the one of the world's oldest religions, predating Hinduism. According to scholars, Parshvanatha probably lived in the 9th Century BCE. In the sixth century BCE, Vardhamana Mahavira became one of the most influential Jainism teachers. He built up a large group of disciples that learned from his teachings and followed him as he taught an ascetic doctrine in order to achieve enlightenment. The disciples referred to him as Jina, which means "the conqueror" and later his followers would use this title to refer to themselves.

It is generally accepted that Jainism started spreading in south India from the third century BCE. i.e. since the time when Badrabahu, a preacher of this religion and the head of the monks' community, came to Karnataka from Bihar.

Kalinga (modern Orissa and Osiaji) was home to many Jains in the past. Rushabh, the first Tirthankar, was revered and worshipped in the ancient city Pithunda. This was destroyed by Mahapadma Nanda when he conquered Kalinga and brought the statue of Rushabhanatha to his capital in Magadh.

Rushabhanatha is revered as the *Kalinga Jina*. Ashoka's invasion and his Buddhist policy also subjugated Jains greatly in Kalinga. However, in the 1st century BCE Emperor Kharvela conquered Magadha and brought Rushabhath's statue back and installed it in Udaygiri, near his capital, Shishupalgadha. The Khandagiri and Udaygiri caves near Bhubaneswar are the only surviving stone Jain monuments in Orissa. Earlier buildings were made of wood and were destroyed.

Deciphering of the Brahmi script by James Prinsep in 1788 enabled the reading of ancient inscriptions in India and established the antiquity of Jainism. The discovery of Jain manuscripts has added significantly to retracing Jain history. Archaeologists have encountered Jain remains and artifacts at Maurya, Sunga, Kishan, Gupta, Kalachuries, Rashtrakut, Chalukya, Chandel and Rajput as well as later sites. Several western and Indian scholars have contributed to the reconstruction of Jain history. Western historians like Bühler, Jacobi, and Indian scholars like Iravatham Mahadevan, worked on Tamil Brahmi inscriptions.

Geographical Spread and Influence

Jainism has been a major cultural, philosophical, social and political force since the dawn of civilization in Asia, and its ancient influence has been noted in other religions, including Buddhism and Hinduism. This pervasive influence of Jain culture and philosophy in ancient Bihar may have given rise to Buddhism. The Buddhists have always maintained that during the time of Buddha and Mahavira (who, according to the Pali canon, were contemporaries), Jainism was already an ancient, deeply entrenched faith and culture there. Over several thousand years, Jain influence on Hindu philosophy and religion has been considerable, while Hindu influence on Jain rituals may be observed in certain Jain sects. Certain Vedic Hindu holy books contain beautiful narrations about various Jain Tirthankaras (e.g., Lord Rushabdev). There have been no wars fought in the name of Jainism.

For instance, the concept of *puja* is Jain. The Vedic Religion prescribed *yajnas* and *havanas* for pleasing the gods. *Puja* is a specifically Jain concept, arising from the Kannada words, "pu" (flower) and "ja" (offering).

There are many Jain communities in different parts of India and around the world. They may speak local languages or follow different rituals but essentially follow the same principles.

Outside India, the United States, United Kingdom, Canada and East Africa (Kenya, Tanzania and Uganda) have large Jain communities. The first Jain temple to be built outside India was constructed and consecrated in the 1960s in Mombasa, Kenya, although Jainism in the West mostly came about after the Oswal and Jain diaspora spread to the West in the late 1970s and 1980s. Jainism is presently a strong faith in the United States and several dozen Jain temples have been built there. American Jainism accommodates all the sects. Smaller Jain communities exist in Nepal, South Africa, Japan, Singapore, Malaysia, Australia, Fiji, and Suriname. In Belgium the very successful Indian

diamond community, almost all of whom are Jain, are also establishing a temple to strengthen Jain values in and across Western Europe.

Denominations

It is generally believed that the Jain *sangha* divided into two major sects, Digambar and Svetambar, about 200 years after Mahavira's nirvana. Some historians believe there was no clear division until the 5th century. In the book *Outlines of Jainism*, it states, "It seems certain that even at the time of Mahavira the two sects were in existence, though he was able to maintain at least a semblance of unity between them. The final 'parting of ways' came much later". The best available information indicates that the chief Jain monk, Acharya Bhadrabahu, according to the Svetambara version of the split between the two sects, foresaw a 12-year famine and led about 12,000 Digambar followers to southern India. Twelve years later they returned to find the Svetambara sect, and in 453 the Valabhi council edited and compiled the traditional Svetambara scriptures.

The differences between the two sects are primarily minor and relatively obscure. Digambar Jain monks do not wear clothes because they believe clothes, like other possessions, increase dependency and desire for material things, and desire for anything ultimately leads to sorrow. Svetambar Jain monks, on the other hand, wear white, seamless clothes for practical reasons, and believe there is nothing in Jain scripture that condemns wearing clothes. Sadhvis (nuns) of both sects wear white. In Sanskrit, *ambar* refers to a covering generally, or a garment in particular. *Dig*, an older form of *disha*, refers to the cardinal directions. *Digambar* therefore means "covered by the four directions", or "sky-clad". *Svet* means white and Svetambars wear white garments.

There is one major difference between the sects. Digambars believe that women cannot attain moksha in the same birth, while Svetambars believe that women may attain liberation and that Mallinath, a Tirthankar, was a woman. The difference is because Digambar asceticism requires nudity. As nudity is impractical for women, it follows that without it they cannot attain moksha. This is based on the belief that women cannot reach perfect purity (*yathakhyata*), "Their lack of clothes can, therefore, be a hindrance to their leading a holy life". The earliest record of this belief is contained in the Prakrit Suttapahuda of the Digambara mendicant Kundakunda (c. second century A.D.). This of course has extreme consequences for women and effectively polarises the two sects in this regard.

Digambars believe that Mahavir was not married, whereas Svetambars believe Mahavir was married and had a daughter. The two sects also differ on the origin of Mata Trishala, Mahavira's mother.

Digambars believe that only the first five lines are formally part of the Namokara Mantra (the main Jain prayer), whereas Svetambaras believe all nine form the mantra. Other differences are minor and not based on major points of doctrine. Excavations at Mathura revealed many Jain statues from the Kushana period. Tirthankaras, represented without clothes, and monks with cloth

wrapped around the left arm are identified as Ardhapthalaka and mentioned in some texts. The Yapaniya sect, believed to have originated from the Ardhapthalaka, follows Digambara nudity, along with several Svetambara beliefs.

Svetambaras are further divided into sub-sects, such as Sthanakavasi, Terapanthi and Deravasi. Some are *murtipujak* (revering statues) while non-Murtipujak Jains refuse statues or images. Svetambar follow the 12 *agam* literature (voice of omniscient).

Most simply call themselves Jains and follow general traditions rather than specific sectarian practices. In 1974 a committee with representatives from every sect compiled a new text called the Samana Suttam.

Digambar

Digambar (alternate orthographies: *Digambara*), has many different meaning and associations throughout Dharmic traditions. Many representations of deities within these traditions are depicted as sky-clad, eg. Samantabhadra/Samantabhadri in yab-yum. Certain traditions and lineages also practice Digambar as a lifelong vow as evidenced by numerous sadhus throughout India.

Distinctives of Digambar

Digambara is one of the two main sects of Jainism, the other being Svetambar.

Until the leadership of Acharya Bhadrabahu, there was no significant division. After that some divisions gradually arose. Generally Digambar monks wear no clothes (*dig ambar* = sky clad) whereas Svetambar (*svet ambar* = white clad) monks usually wear white clothes.

Although Senior Digambar monks wear no clothes, following the practice of Lord Mahavira, they do not consider themselves to be nude. Rather, they are wearing the environment, that is the quintessential, akasha or space. Digambaras believe that this practice represents a refusal to give in to the demands of the body for comfort and private property. Only Digambara ascetics are required to forsake clothing and not the laity. Digambara ascetics have only two possessions: a peacock feather broom and a water gourd. Conversely, Svetambara monks usually wear white maintaining that nudism is no longer practicable. While there are some differences in some practices, the main principles of each sect such as Mahavratas, Anuvratas and so forth are the same.

Digambara Monasticism

The prominent Acharyas of the Digambar tradition were:

- Acharya Kundakunda: author of Samayasara, etc.
- Acharya Virasena: author of Dhavala
- Acharya Aryanandi (monk).

In around 10th century Digambar tradition was divided into two main orders:

- Mula Sangh: includes Sena gana, Deshiya gana, Balatkara gana etc.
- Kashtha Sangh: includes Mathura gana, Lat-vagad gana, etc.

The Bhattarakas of Shravanabelagola and Mudbidri belong to Deshiya gana and Bhattara of Humbaj belongs to Balatkara gana.

Sub-Sects of Digambara

Those following the Terapanth reforms are called Terapanth and others following more traditional practices are called Bisapanthai. In practice, the Bisapantha / Terapanth division is not important, and separate institutions do not exist.

Among the Digambaras, the Taran Panthi follow Taran Swami and Kanji Panthi follow Kanji Swami.

Taran Panth

The Taran Panth or Taran (a) panthi sect of Digambar Jainism was founded by Taran Svami in Bundelkhand in 1506. Taran Svami is also referred to as Taran Taran, the one who can help the swimmers to the other side, i.e. towards nirvana.

During this time several reform movements arose in Jainism. Lonka Shah of Gujarat founded his Dhundhia order in Sam 1508 (1451 CE). The Terapantha (Adhyatma movement) among the Digambaras arose in Sam. 1683 in Agra. The main founders of this movement were Banarasidas of Agra and Amarachanda of Sanganer near Jaipur.

The Digambara Terapantha movement was against the domination of the Bhattarakas. They opposed worship of various demi-gods and demi-goddesses, which was indulged in by the Bhattarakas. Some Terapanthi practices, like not using flowers in worship, gradually spread throughout North India among the Digambaras. In fact, today, Digambara Jainism in North India is Terapanthi whereas Digambara Jainism in Western (Gujarat) and Southern India (Maharashtra, Karnataka and Tamil Nadu) is Bisapanthi.

The Taranpanthis on the other hand traditionally do not have idols in their shrines at all.

The birth name of Taran Svami is not known. He was born in Pushpavati (now Bilahari near Katni) in the Paravar Jain community. His father was a government official there. His uncle lived in Sironj, where a Bhattaraka institution of Balatkara Gana was present. When he was 8 years old, while accompanying his father to Sironj, he came across Bhattaraka Shrutakirti. The Bhattaraka persuaded the boy to start attending the lectures where "Samayasara" was discussed. Later Taran Svami organized his group and meditated and preached at Semalkheri, Sukha and Rakh. His chief disciples were Ruiaraman and Kamanavati. His samadhi is at Nisaiji in Dist Guna. A mystical account of his life, perhaps an autobiography, is given in Chadmastha Vani.

The language in his 14 books is a unique blend of Prakrit, Sanskrit and Apabhramsha. Note that at this time Jains had not been using Prakrit for several centuries. His language was perhaps influenced by his reading of the books of Acarya Kundakunda.

Commentaries on six of the main texts composed by Taran Svami were written by Brahmacari Shitala Prasad in the 1930s. Commentaries on other texts

have also been done recently. Osho (Rajnish), who was born into a Taranpanthi family, has included Shunya Svabhava and Siddhi Svabhava as among the books that influenced him most.

The number of Taranpanthis is very small. Their shrines are called Caityalaya (or sometimes Nisai/Nasia). At the altar (vimana) they have a book instead of an idol. The Taranpanthis were originally from 6 communities.

Kashtha Sangh

Kashtha Sangha was a Digambar Jain monastic order once dominant in several regions of North and Western India. It is considered to be a branch of Mula Sangh itself. It is said to have originated from a town named Kashtha. The origin of Kashtha Sangha is often attributed to Lohacharya in several texts and inscriptions from Delhi region. The Kashtasangh Gurvavali identifies Lohacharya as the last person who knew Acharanga in the Digambara tradition, who lived until the 683th year of the nirvana of Lord Mahavira. The Darshanasara of Devasena (VS 990) attributes the origin to Kumarasena in Vikram Samvat 753. Several of the Jain communities were affiliated with the Kashtha Sangha. The Agrawals were the major supporters of Kashtha Sangha. They are said to have been initiated by Lohacharya in antiquity

Kashtha Sangha included several orders :

- Nanditat gachchha: associated with Nanded. It is also called Ramasenavaya, after Acharya Ramasena, the founder of the Narsingpura community.
- Mathura Sangha: The Agrawals were associated with this order. It was founded by Ramasena according to Darshanasar. The oldest known inscription is of 1170 AD.
- Bagada gachchha: associated with Vagad region of Rajasthan
- Lata-bagada gachchha: associated with Vagad and Lata region of Gujarat.

The 1145 AD inscription of Dubkunda mentions this order. The acharyas of this order formerly used to reside in the Punnata region of Karnataka. Jinasena, the author Harivansh Purana in shaka 705 belonged to this order. Kashtha Sangha eventually merged into Mula Sangh. The celebrated poet and pratishthacharya Raighu was a disciple of the Kashtha Sangh Bhattarakas of Gwalior.

The rock carved Jain statues in the Gwalior Fort were mostly consecrated by the Kashtha Sangh Bhattarakas, as stated in the inscriptions dated between 1441 and 1474.

Svetambara

The Svetambara is one of the two main sects of Jainism, the other being Digambar. Svetambar literally means "white-clad", describing its ascetics' practice of wearing white clothes, which sets it apart from Digambar ("sky clad"), whose ascetic practitioners wear no clothes.

Svetambaras, unlike Digambaras, do not believe that ascetics must practice nudity, or that women are unable to obtain moksha. Svetambaras maintain that the 19 Tirthankara, Mallinath, was a woman.

At present in Svetambara sects, there are 2,510 Monks and 10,228 nuns, while in Digambaras there are 548 monks and 527 nuns (According to 'Smagra Jain chaturmas suchi-2006').

The Svetambara tradition follows the lineage of Acharya Sthulibhadra suri. Kalpasutra mentions some of the lineages in ancient times. from the Kottiya Gana, which was once prominent. The Svetambara monastic orders are branches of Vrahada-gachchha founded in 937 AD. The most prominent among the classical orders today are Kharatara-gachchha (1024 AD), Tapa Gachchha (1228 AD) and Tristutik Gachchha.

A major dispute was initiated by Lonka Shaha, who started a movement opposed to idol worship in 1476. The Sthanakvasi and Terapanthi (Svetambara) (1780) orders are branches of this movement.

The major reforms by Vijayananda Suri (1827 – 1906) in 1880, as the leader of the Tapa Gachchha, led a movement to restore orders of wandering monks, which brought about the near extinction of the Yati institutions. Acharya Rajendrasuri restored shraman sanstha in the "Tristutik" gachchha.

Some Svetambara monks and nuns cover their mouth with a white cloth (muhpatti) to practise ahimsa even when they talk. By doing so they minimize the possibility of inhaling small organisms.

Svetambara Sub-Sects

Svetambara is divided into two sub-sects, those practitioners who worship images in temples, known as the Murtipujak ("image-worshipping") or Mandirmargi ("temple-going"), and those who do not, the reformist sub-sects of the Sthanakvasis and the Terapanthis:

- Murtipujak, headed by various Acharyas as their sect and sub-sects.

In the Murtipujak sect there are 4 main sub-sects as follows:

- o Tapa gachchha In Tapa Gachchha there are 21 sub-sects headed by different Acharya
- o Achal gachchhaKhartar gachchha
- o Parshwachandra gachchha.
- non-Murtipujak (Sadhumargi).
 - o Sthanakvasi
 - o Terapanthi.

Tapa Gachchha

Tapa Gachchha is the largest monstic order of Svetambara Jainism. It was founded by Acharya Jagat Chandra Suri in Vikram Samvat 1285 (1229 A.D.). He was given the title of "Tapa" (i.e. the meditative one) by the ruler of Mewar. It was a branch of the Brihad gachchha founded by Udyotan Suri. Shri Vijayananda suri was responsible for reviving the wandering orders among the Svetambara monks. As a result of this reform, most Svetambara Jain monks today belong to the Tapa gachchha.

Differences among Subsects

All the Tapa Gachchha sects and subsects are followers and disciples of Acharya Vijay Dev suri M.S. (1600-1657 A.D.) It is remarkable here that Acharya Vijay Dev suri was worshiped end number of time with Navangi puja which is still exists with Acharya Prem suri, and Acharya Shantichandra suri sects (Samudaya). In all sub sects of Tapa gachchha there are a few differences as below:

- 'Navangi Puja of monk' (worship).
- Tithi (calendar).
- Palitana Chaturmas yatra.
- 'Santikaram' Chanting in Chaturdasi.

Acharya Vijay Dev suri (1600-1657) was above all this controversy and never chanting Santikaram after Chaumasi pratikraman, always worshiped by Navangi Puja by followers and plenty of examples in his disciples who has established pratishtha on palitana hills in so called chaturmas times.

In the Tapa Gachchha now there are total 8000 monks and nuns with nearly 24 different sects belongs to Tapa Gachchha. Tapa Gachchha is having different 24 branches in different groups or subsects. The biggest group is Achary Prem suri, where nearly 2200 monks and nuns are with highest number. One is followed by Acharya Ramchandra Suri who was established by Acharya shri Prem Suriji himself (1350 monks and nuns), another is Acharya shri Bhuvan Bhanu Suri ji (850 monks and nuns) who disassociated himself from Prem Suri group's original way of rites and rituals. Other big group is "Sager Samuday" and "Acharya Nemi Suri Samudaya" which are counted as big group in Tapa Gachchha. Mainly Prem Suri sect has more than 50% of Jain monks.

Acharya Ramchandra Suri group (first disciple of Acharya Premsurji) is biggest having more than 1324 monks and nuns, Acharya Shri Hembhushan Suri was Head (Gachchha Nayak) of this Jain monk's group who passed away last year and Shri Lalit Shekhar Suriji will be new gachchhadhipati. Acharya shri Bhuvan Bhanu suri group (another prominent disciple of Acharya Premsurji) is also another group in Tapaa Gachchha having 826 monk and nuns. Currently Acharya Shri Jayghosh Suri ji is Head (Gachchha Nayak) in this group. It is important that Shri Jaygosh suri ji has highest number of monks in any singal samudaya that is 435 monks.

Murtipujaka

Murtipujaka is also known as Deravasi and is the term for a sect of Jainism which includes most members of the Shvetambar sect. Murtipujaka Deravasis differ from the Sthanakvasi division of the sect in that they go to a Jain Temple (Derasar) and pray towards an idol of a Jain Tirthankar instead of a sthanak (empty room), which the Sthanakvasi sect prefers. Deravasi Jains believe that siddhas, or liberated souls, have a form, whereas Sthanakvasi Jains believe they do not. Murtipujaka monks and worshipers do not use the muhapatti, a piece

of cloth over the mouth, during prayers, whereas it is permanently worn by Sthanakvasi and Terapanthi Jains. The Sthankvasis and Terapanthis do so to protect the living beings in the air around them from any injury or death due to their speech. There are more Murtipujaka Deravasi Jains in comparison to Sthanakvasi Jains in India.

Tristutik

Tristutik was an origin of Tapa Gachchha of shvetambar sect of Jainism. It was established in 1194 A.D. (Vikram Samvat 1250.) It was known as Agama Gachchha in ancient times.

The 'Tristutik' Gachchha was reformed by Acharya Rajendrasuri. As in the Tristutik' way of worship, there is only devotion to Jain Tirthankar, they do not believe in worshipping other gods known as "devi-devata" like Padmavati, Bharava, Gantakarna, Manibhadra etc during the rituals like Pratikraman, Samayik, Bhaavanusthans. They respect them as extraordinary living beings & sadharmik and do remember and honour in special rituals of Derasar Pratistha, Big Pujas etc. This sect of Jainism is also in the Murtipujaka deravasi division of Shvetambar.

Tristutik Gachchha

Tristutik Gachchha was an origin of the Tapa Gachchha of the Svetambara sect of Jainism. It was established in 1194 A.D. (Vikram Samvat 1250). It was known as Agama Gachchha in ancient times.

The 'Tristutik' Gachchha was reformed by Acharya Rajendrasuri. As in the Tristutik' way of worship, there is only devotion to Jain Tirthankar, they do not believe in worshipping other gods known as "devi-devata" like Padmavati, Bharava, Gantakarna, Manibhadra etc during the rituals like Pratikraman, Samayik, Bhaavanusthans. They respect them as extraordinary living beings and do remember and honour in special rituals of Derasar Pratistha, Big Pujas etc.

This sect of Jainism is also in the Murtipujaka deravasi division of Shvetambar.

Terapanth

Terapanth (or Tera Panth) the name given to two independent Jain sects:

- Digambar Terapanth: A sect of the Digambara tradition, that introduced several reforms in 1664 AD, but worship idols. It is not an organized sect, rather a philosophy regarding some of the rituals. The Kanji Swami sect regards itself to represent the Terapanth. It was influenced by Atyadhma movement which arose in 1626 AD.
- Swetambar Terapanth: An organized sect of Swetambar Jainism founded in 1760 AD, which does not have temples or idols. Terapanth is a dharma sangh (religious group) comprising of over 1000 saints and nuns in a very organised structure under Acharya Mahapragya.

Taran Panth, also a Digambar Jain sect, should not be confused with Terapanth.

Yapaniya

Yapaniya was a Jain order in western Karnataka which is now extinct. The first inscription that mentions them by Mrigesavarman (AD 475-490) a Kadamba king of Palasika who donated for a Jain temple, and made a grant to the sects of Yapaniyas, Nirgranthas (identifiable as Digambaras), and the Kurchakas (not identified).

The last inscription which mentioned the Yapaniyas was found in the Tuluva region southwest Karnataka, dated Saka 1316 (AD 1394). According to Darshana-Sara, they were a branch of the Svetambara sect, however they were regarded to be Digambara by Svetambar authors. The Yapaniya monks remained naked but followed some Svetambar views. They also possessed their own versions of texts that have been preserved in the Svetambar tradition.

The great grammarian Shakatayana, who was a contemporary of the Rashtrakuta king Amoghavarsha (c. 817-877), was a Yapaniya, as mentioned by Malayagira in his commentary on the Nandi Sutra.

References

- Aronson, H. B. : *Love and Sympathy in Theravada Buddhism*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1980.
- Badiner, A. H. : *Dharma Gaia: A Harvest of Essays in Buddhism and Ecology*, Berkeley, Ca.: Parallax Press, 1990.
- Batchelor, M. and K. Brown : *Buddhism and Ecology*, London and New York, 1992.
- Crosby, K. and A. Skilton. : *Urantideva: The Bodhicaryavatara*, World's Classics series. Oxford and New York: Oxford University Press, 1996.
- De Groot, J. M. M. : *Le Code du Mahayana en Chine: son influence sur la vie monacle et sur la monde laïque*, New York: Garland Publishers, 1893.
- Faure, B. : *The Rhetoric of Immediacy: A Cultural Critique of Chan/Zen Buddhism*, Princeton: Princeton University Press, 1991.
- Gallay-Pap, P. and R. Bottomley : *Towards and Environmental Ethic in Southeast Asia*, Phnom Penh, Cambodia: The Buddhist Institute, 1997.
- Loori, J. D. : *The Heart of Being: Moral and Ethical Teachings of Zen Buddhism*, Tokyo: Charles E. Tuttle, 1996.
- MacAndrews, C. and C. L. Sien. : *Developing Economies and the Environment: the Southeast Asian Experience*, New York, 1979.
- Tukol, T. A. : *Compendium of Jainism*, Dharwad: Karnataka University, 1980.
- Upadhyaya, K. N. : *Early Buddhism and the Bhagavad Gita*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1971.

Jawaharlal Nehru's Foreign Policy

Aynal Hoque

*Head, Department of History, M.G. College,
Chalantapara, Bongaigaon, Assam*

Jawaharlal Nehru is considered to be the architect of modern India. Apart from his careful handling of India's tumultuous domestic situation in the years immediately after the Independence, Nehru's major contribution lies in the field of foreign policies. In fact, Nehru determined India's international profile to a great degree in the post-independence years, in his capacity as the foreign minister of India. Jawaharlal Nehru's foreign policy has been made subject to much controversy and debate, like his economic policies. However, taken in the context of India's newly found status as a democratic republic, Nehru's foreign affairs policies seem to be extremely apt.

Socialism can be said to be one of the greatest international influences on Nehru, but Gandhi's ideals of Satyagraha also influenced him to a great degree. But he committed himself to neither point of view in framing his foreign policy. Nehru's foreign policies were characterized by two major ideological aspects. First, he wanted India to have an identity that would be independent of any form of overt commitment to either power bloc, the USA or the Soviet. Secondly, he had an unshaken faith in goodwill and honesty in matters of international affairs. The first policy led ultimately to the founding of the Non-Alignment Movement (NAM). His second faith was terribly shaken by the Chinese attack of 1962, openly disobeying all the clauses of the Panchsheel or five-point agreement of 1954 between New Delhi and Peking. This breach of faith was a major psychological shock for Nehru, and was partially the reason for his death.

The Founding Principles of Nehru's Foreign Policy: Nehru saw war and violent insurgency from very close quarters as a freedom fighter, and he believed in neither. In his foreign policies, Nehru tried to guide India in such a way, so as to steer clear from any form of violence and militarism. He rightly believed that a newly decolonized nation must invest all its economic and logistic resources towards development and not defence and armament. Just like his economic policies, which were non-committal towards any ideological position, Nehru wanted to bring in a healthy level of pragmatism in his dealings of India's foreign affairs as well. He understood that overt commitment to any of the two major power blocs to emerge in the aftermath of World War II, would not serve India's path. He therefore wanted to tread a third path, which was not necessarily the middle path.

It should be remembered that this dogged non-commitment of Nehru was not seen sympathetically by any of the super powers of either East or West at its

initial stage. It was frequently termed as a kind of international opportunism and was accused of 'neutralism'-a stance reckoned to be not only dangerous but also equally immoral in the world of International politics. However, the increasing popularity of NAM among various Asian and African countries and Nehru's growing stature as a statesman situation changed their views. India too benefited from this position, as it managed to secure rebuilding grants from member countries of either bloc. After Nehru's successful mediation in the Korean War and the Congo problem, putting an end to a long and violent struggle, his status as a commendable and efficient statesman reached new heights. Jawaharlal Nehru's theory of ideological non-commitment in a world that was rendered dangerous by the Cold War was appreciated by one and all.

Nehru and the Non-Alignment Movement: The greatest success of Jawaharlal Nehru's non-committal international politics was the formation of the Non-Alignment Movement (NAM). Nehru found allies in Tito, Nasser, Soekarno, U Nu and Nkrumah at a later stage in his formation of this new alliance. An alliance of newly independent and long colonized nations was not taken seriously in the beginning, either by the Eastern or the Western bloc. However, the importance of the alliance was soon felt, and initially led to a great degree of international pressure from both parts of the globe. However, Nehru proceeded with his mission undaunted. It was great test for his courage and it was soon found out that the NAM was not merely a passive platform of neutral and inactive nations. It had clear objectives that included the gradual decolonization of the world, and a strong statement that the member countries were not party to the ever escalating tension of the Cold War. The favoured process of decolonization as adopted by the NAM member countries was one of discussion and peaceful agreement. On many occasions, NAM met with success, often under the leadership of Nehru. Whoever supported its cause was an ally and a friend. Nehru preached a policy of issue based alliance and not one based on political and economic dogmas. He was proud of being an Asian, and wanted Asian nations to be the primary determinants of their political fate, not always guided by Western forces.

Nehru's unshaken belief in the force of international brotherhood was attested with his decision to continue with India's Commonwealth status. He was made subject to much criticism back home because of the support he extended towards the Commonwealth, particularly after the complication of the independence issue by the British government in the post World War II years, leading to the unwanted partition. However Nehru, always the believer in peaceful alliances and solution of international affairs based on discussions, went on with his ideals.

Nehru and the Kashmir Problem: Nehru's Foreign policies did not augur well when it came to deal with the neighbours. Kashmir was a perpetual problem, and he failed to reach any successful negotiation regarding Kashmir with the neighbour Pakistan. Nehru had an innate belief in honest fellow-feeling and political generosity. He tried to force a negotiation with the Pakistani

government through the United Nations. But the Pakistani military rulers denied any peaceful agreement. The offer of a possible plebiscite was also taken off in 1950. After India's dogged denial of the two-nation theory, a result in favour of Kashmir in the Muslim dominated Kashmir would be a strategic disaster for India. The Kashmir problem remained unresolved, and not even Nehru's diplomatic expertise could give any positive direction to the problem. It still continues to be the one of the key international problems in South Asia.

Nehru and the China Crisis: Nehru's foreign policies concerning China have been made subject to much criticism. However, even in this case, it was Nehru's faith in transparency in the handling of International relations that is seen to be the root of all problems. Nehru was intent on a very warm and mutually beneficial relationship between India and China. The five-point agreement or the Panchsheel between New Delhi and Peking initiated in 1954 was a result of these negotiations. However, China started patrolling certain parts of the Indian border from 1955 onwards. Delhi started negotiations to solve the problem in a peaceful way. India, under the leadership of Nehru wanted to take one issue at a time and begin the discussions. The Chinese government, under Chou En-lai wanted to treat the border issue in its entirety at one go. It was gross violation of the five-point agreement.

The Chinese denial for the arbitration from the International Court of Justice complicated the problem. Amidst such tensions, the Chinese suddenly started a full-scale invasion in 1962. It was a rude shock, not only to Nehru, but to the entire international society. The Indian military was unprepared and also unequipped. Both USA and the Soviet extended token help. Soviet was quite busy with the Cuban crisis, however soon after the problem subsided, President Krushchev did extend some help. American help was minimum, compared to the massive military help that was extended to Pakistan in 1954. On top of that, the Sandys-Rusk team visited India to hold talks in order to make India concede certain areas of Kashmir to Pakistan, a claim that was squarely denied. Nehru stood firm with this faith in the five-point principle. The international community stood by him, as China withdrew under growing international pressure, fearing isolation and global antagonism. Nehru played his last masterstroke in international policy, as he turned the military defeat in a moral victory for India.

The Chinese invasion had far reaching effects on India's foreign policy. It forced Nehru to change his stance on international affairs. He realized that unmitigated goodwill was not necessary the way the business of foreign affairs was conducted. Nehru's dreams were more or less shattered. It was also a great eye-opener. It made India to see that it is important to strengthen one's military strength and not overtly depend on peaceful negotiations in matters of international affairs. The Chinese invasion was a shock to Nehru, almost shaking his idealistic foundation to the very base. Domestic problems also kept escalating, putting a great degree of mental and physical stress on Nehru.

National Security and Foreign Policy

Nehru led newly independent India from 1947 to 1964, during its first years of freedom from British rule. Both the United States and the Union Soviet Socialist Republic competed to make India an ally throughout the Cold War.

On the international scene, Nehru was a champion of pacifism and a strong supporter of the United Nations. He pioneered the policy of non-alignment and co-founded the Non-Aligned Movement of nations professing neutrality between the rival blocs of nations led by the U.S. and the U.S.S.R. Recognising the People's Republic of China soon after its founding (while most of the Western bloc continued relations with the Republic of China), Nehru argued for its inclusion in the United Nations and refused to brand the Chinese as the aggressors in their conflict with Korea. He sought to establish warm and friendly relations with China despite the invasion of Tibet in 1950, and hoped to act as an intermediary to bridge the gulf and tensions between the communist states and the Western bloc.

Meanwhile, Nehru had promised in 1948 to hold a plebiscite in Kashmir under the auspices of the U.N. but, as Pakistan failed to pull back troops in accordance with the UN resolution and as Nehru grew increasingly wary of the U.N., he declined to hold a plebiscite in 1953. He ordered the arrest of the Kashmiri politician Sheikh Abdullah, whom he had previously supported but now suspected of harbouring separatist ambitions; Bakshi Ghulam Mohammad replaced him.

His policy of pacifism and appeasement with respect to China also came unraveled when China annexed Aksai Chin, the region of Kashmir adjoining Tibet in 1962 that led to the Sino-Indian war.

Nehru was hailed by many for working to defuse global tensions and the threat of nuclear weapons. He commissioned the first study of the human effects of nuclear explosions, and campaigned ceaselessly for the abolition of what he called "these frightful engines of destruction." He also had pragmatic reasons for promoting de-nuclearisation, fearing that a nuclear arms race would lead to over-militarisation that would be unaffordable for developing countries such as his own.

In 1956 he had criticised the joint invasion of the Suez Canal by the British, French and Israelis. Suspicion and distrust cooled relations between India and the U.S., which suspected Nehru of tacitly supporting the Soviet Union. Accepting the arbitration of the UK and World Bank, Nehru signed the Indus Water Treaty in 1960 with Pakistani ruler Ayub Khan to resolve long-standing disputes about sharing the resources of the major rivers of the Punjab region.

Final Years

Nehru had led the Congress to a major victory in the 1957 elections, but his government was facing rising problems and criticism. Disillusioned by intra-party corruption and bickering, Nehru contemplated resigning but continued to serve. The election of his daughter Indira as Congress President in 1959

aroused criticism for alleged nepotism, although actually Nehru had disapproved of her election, partly because he considered it smacked of “dynastism”; he said, indeed it was “wholly undemocratic and an undesirable thing”, and refused her a position in his cabinet. Indira herself was at loggerheads with her father over policy; most notably, she used his oft-stated personal deference to the Congress Working Committee to push through the dismissal of the Communist Party of India government in the state of Kerala, over his own objections. Nehru began to be frequently embarrassed by her ruthlessness and disregard for parliamentary tradition, and was “hurt” by what he saw as an assertiveness with no purpose other than to stake out an identity independent of her father.

Although the Pancha Sila (Five Principles of Peaceful Coexistence) was the basis of the 1954 Sino-Indian treaty over Tibet, in later years, Nehru’s foreign policy suffered through increasing Chinese antagonism over border disputes and Nehru’s decision to grant asylum to the Dalai Lama. After years of failed negotiations, Nehru authorized the Indian Army to annex Goa from Portugal in 1961.

In the 1962 elections, Nehru led the Congress to victory yet with a diminished majority. Opposition parties ranging from the right-wing Bharatiya Jana Sangh and Swatantra Party, socialists and the Communist Party of India performed well.

In a matter of months, the border disputes with China turned into open conflict. Nehru assumed that as former victims of imperialism (India being a colony itself) they shared a sense of solidarity, as expressed in the phrase “Hindi-Chini bhai bhai” (Indians and Chinese are brothers). He was dedicated to the ideals of brotherhood and solidarity among developing nations. Nehru, credulously, did not believe that one fellow Socialist country would attack another; and in any event, he felt secure behind the impregnable wall of ice that is the Himalayas. Both proved to be severe miscalculations of China’s intentions and military capabilities. Following reports of his intention to confront Chinese occupation of the disputed areas—summarised in a memorable statement that he had asked the Army to “throw them (Chinese) out”-China launched a pre-emptive attack.

In a matter of days, a Chinese invasion of northeastern India exposed the weaknesses of India’s military as Chinese forces came as far as Assam. Widely criticised for his government’s insufficient attention to defence, Nehru was forced to sack the defence minister Krishna Menon and seek U.S. military aid. Nehru’s health began declining steadily, and he was forced to spend months recuperating in Kashmir through 1963. Some historians attribute this dramatic decline to his surprise and chagrin over the invasion of India by the Chinese, which he perceived as a betrayal of trust. Upon his return from Kashmir in May 1964, Nehru suffered a stroke and later a heart attack. He died in the early hours of 27 May 1964. Nehru was cremated in accordance with Hindu rites at the Shantivana on the banks of the Yamuna River, witnessed by hundreds of

thousands of mourners who had flocked into the streets of Delhi and the cremation grounds.

The foundations of India's foreign policy were laid during the freedom movement when our leaders, even when fighting for independence, were engaged with the great causes of the time. The principles of India's foreign policy, that emerged then, have stood the test of time: a belief in friendly relations with all countries of the world, the resolution of conflicts by peaceful means, the sovereign equality of all states, independence of thought and action as manifested in the principles of Non-alignment, and equity in the conduct of international relations.

Under the leadership of Jawaharlal Nehru, India was the founder member of the Non-aligned Movement. India has played an active role in strengthening the Movement and making it an effective voice in representing the collective aspirations and interests of the developing countries on such vital issues as development, peace and stability. India hosted the 7th NAM Summit in New Delhi in 1983. In recent years, after the end of the Cold War, our foreign policy has been focused on strengthening the Movement by redefining its priorities in keeping with the changing times.

India has also been in the forefront of the world community in the struggle against colonialism. Indeed, the Independence of India itself played the role of a catalyst in removing the vestiges of colonialism in other parts of the developing world, particularly in Africa. India was also the first country to raise the question of racial discrimination in South Africa in 1946. It was at India's initiative that the AFRICA (Action for Resistance to Invasion, Colonialism and Apartheid) Fund was set up at the 8th NAM Summit in Harare in 1986. India was the Chairman of the AFRICA Fund Committee, which wound up in 1993.

A notable feature of Indian foreign policy has been its strong advocacy of general and complete disarmament, with nuclear disarmament being accorded the highest priority. Towards this end, India has taken several initiatives within the United Nations and outside. In 1988, India presented to the 3rd Session of the UN General Assembly devoted to Disarmament an Action Plan for Ushering in a Nuclear Weapons Free and Non-Violent World Order. In order to highlight international concern about the unprecedented nuclear arms race, India was also a member of the Six-Nation Five-Continent joint Initiative in the 1980s. But while India has, and will, remain committed to nuclear disarmament, to be achieved in a time-bound framework, it has consistently and in a principled manner opposed such discriminatory treaties as the Nuclear non-Proliferation Treaty (NPT) and Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) and has refused to give up its nuclear options until all countries in the world including nuclear weapon states embrace the idea of nuclear disarmament in a phased manner.

As a founder member of the United Nations, India has been firmly committed to the purposes and principles of the United Nations and has made significant contributions to its various activities, including peace-keeping

operations. India has been a participant in all its peace-keeping operations including those in Korea, Egypt and Congo in earlier years and in Somalia, Angola and Rwanda in recent years. India has also played an active role in the deliberations of the United Nations on the creation of a more equitable international economic order. It has been an active member of the Group of 77, and later the core group of the G-15 nations. Other issues, such as environmentally sustainable development and the promotion and protection of human rights, have also been an important focus of India's foreign policy in international forums.

Commensurate with national interests and security, the improvement of bilateral relations is an important component of any foreign policy, and India has succeeded in establishing a network of mutually beneficial relations with all countries of the world.

In particular, the improvement of relations with our neighbours has always been one of the pillars of India's foreign policy. India played an historic and unique role in the liberation of Bangladesh which emerged as a sovereign nation in 1971. Through the implementation of the 1964 and 1974 Agreements, the issues of the stateless people of Indian origin in Sri Lanka were resolved. In 1988, India helped preserve the integrity of Maldives by coming to the assistance of that country and preventing an attempted take over by armed mercenaries. The Indian government has taken recent initiatives to further strengthen ties with our neighbours, which have won international appreciation. These initiatives are based on five clear principles: First, with neighbours like Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal and Sri Lanka, India does not ask for reciprocity but gives all that it can in good faith and trust. Secondly, no South Asian country should allow its territory to be used against the interests of another country of the region. Thirdly, none will interfere in the internal affairs of another. Fourthly, all South Asian countries must respect each other's territorial integrity and sovereignty. And finally, they should settle all their disputes through peaceful bilateral negotiations.

These tenets have paid rich dividends. A landmark Treaty has been signed with Bangladesh on the sharing of waters of the Ganga. With Bhutan and Nepal, major projects of economic collaboration have been advanced. Our relations with Sri Lanka have shown steady improvement. With Pakistan, India has consistently pursued a policy seeking to improve relations under the framework of the Simla Agreement signed in 1972 which provided for the resolution of outstanding issues peacefully and bilaterally and for establishing durable peace in the Sub-continent. Bilateral discussions with Pakistan have resumed recently and India would continue efforts to have good neighborly relations with Pakistan.

An important achievement of India's foreign policy has been the strengthening of regional cooperation. India is an active member of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) which was launched in December 1985. With India's full support, SAARC has recently taken significant

steps in accelerating the pace of economic cooperation. The South Asian Preferential Trade Arrangement (SAPTA) became operational in December 1995. At the 9th SAARC Summit in Male in May 1997, which was chaired by India, a historical decision has also been taken to strive for a South Asian Free Trade Area (SAFTA) latest by the year 2001 AD. The emergence of the Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC) in March 1997, as a major instrument of cooperation in the larger region, has also had the active support of India.

India's foreign policy has always regarded the concept of neighborhood as one of widening concentric circles, around a central axis of historical and cultural commonalties. From this point of view, it has always given due priority to the development of relations with South East Asia. In 1947, India organized the Asian Relations Conference. It chaired the International Control Commission in 1954 and was a major player in the organization of the Bandung Conference in 1955. Today, India is implementing a 'Look East' policy which is underpinned by important economic considerations. Some significant steps in the pursuance of this policy have been taken with the admission of India as a full dialogue partner of ASEAN and a member of the ASEAN Regional Forum, in 1996.

An attribute of a dynamic foreign policy is the ability to respond to changing developments. The emergence of the Central Asian Republics in the aftermath of the break up of the Soviet Union was one such recent development, and India, given the strategic and economic importance of this region, has been quick to strengthen its bilateral relations with each of these Republics. The shift in recent years by the countries of Central and East Europe to political pluralism and market-oriented structures has also seen India trying to build upon existing business and institutional linkages so as to further strengthen the traditional ties of friendship with the countries of this region. The countries of the Gulf have a political and strategic importance for India. The region is a major market for Indian exports. Three million Indians are employed in these countries. The strengthening of ties with this region, therefore, has been a priority of India's foreign policy.

With China the aim of Indian foreign policy has been of developing a relationship of friendship, cooperation and good neighborliness, exploiting the potential for favourable growth wherever it exists, even as we seek to find a fair, reasonable and mutually acceptable solution to the outstanding border issue. Towards this aim, a series of high level visits have been exchanged, bilateral trade and economic cooperation is growing, and an Agreement on Confidence Building Measures, as part of a wider dialogue on security, has been signed.

References

- Appleby, Paul H.: *Policy and Administration*, Birmingham, AL: University of Alabama Press, 1949.
- Austin, Granville : *The Indian Constitution: Cornerstone of a Nation*, Oxford, Clarendon Press, 1966.

- Basu, Prahlad K.: *Governance and Public Administration for Poverty Reduction*, Salvador, Brazil, 1997.
- Bhatt, Anil: *Caste and Political Mobilisation in Gujarat District*, Delhi, Orient Longman, 1970.
- Charlesworth, Neil: *British Rule and the Indian Economy, 1800-1914*, London, Macmillan, 1982.
- Christopher J.: *An Indian Rural Economy: The Tamiland Countryside*, Oxford, Clarendon Press, 1984.
- Das, Veena: *Mirrors of Violence: Communities, Riots, and Survivors in South Asia*, New Delhi, Oxford University Press, 1992.
- Dipak, K.: *Administration Report of the Political Agency, Agartala*, Tripura State Cultural Research Institute & Museum, 1995.
- Erikson, Erik H.: *Ghandi's Truth on the Origins of Militant Nonviolence*, New York, Norton, New York, 1969.
- Fisher, Michael: *Indirect Rule in India: Residents and the Residency System, 1764-1857*. New Delhi: Oxford University Press, 1991.
- Gajrani, S.: *Peasant and Princes. Agrarian Unrest in the East Punjab States, 1920-48*, Delhi: Anmol Publications, 1987
- Gross, Rita: *Buddhism after Patriarchy: A Feminist History*, Albany, State University of New York Press, 1993.
- Hazard, H.J.: *The Soviet System of Government*, Chicago, University of Chicago Press, 1960.

Impact and Aftermath of Indian Partition

Muklesur Rahman

*Research Scholar, Department of History,
BRA Bihar University, Muzaffarpur*

"Leave India to God. If that is too much, then leave her to anarchy."

—Gandhi, May 1942

The partition of India left both India and Pakistan devastated. The process of partition had claimed many lives in the riots. Many others were raped and looted. Women, especially, were used as instruments of power by the Hindus and the Muslims; "ghost trains" full of severed breasts of women would arrive in each of the newly-born countries from across the borders. 15 million refugees poured across the borders to regions completely foreign to them, for though they were Hindu or Muslim, their identity had been embedded in the regions where their ancestors were from. Not only was the country divided, but so were the provinces of Punjab and Bengal, divisions which caused catastrophic riots and claimed the lives of Hindus, Muslims and Sikhs alike.

Many years after the partition, the two nations are still trying to heal the wounds left behind by this incision to once-whole body of India. Many are still in search of an identity and a history left behind beyond an impenetrable boundary. The two countries started off with ruined economies and lands and without an established, experienced system of government. They lost many of their most dynamic leaders, such as Gandhi, Jinnah and Allama Iqbal, soon after the partition. Pakistan had to face the separation of Bangladesh in 1971. India and Pakistan have been to war twice since the partition and they are still deadlocked over the issue of possession of Kashmir. The same issues of boundaries and divisions, Hindu and Muslim majorities and differences, still persist in Kashmir.

Sentiments of Indian nationalism were expressed as early as 1885 at the Indian National Congress, which was predominantly Hindu. In 1906 the All-India Muslim League formed with favourable relations towards British rule, but by 1913 that changed when the League shifted its focus and began to view Indian self-government as its goal. It continued to favour Hindu-Muslim unity towards that end for several decades but in 1940 the League began to call for a separate Muslim state from the projected independent India. The league was concerned that a united independent India would be dominated by Hindus. In the winter of 1945-46 Mohammed Ali Jinnah's Muslim League members won all thirty seats reserved for Muslims in the Central Legislative Assembly and most of the reserved provincial seats as well.

In an effort to resolve deadlock between Congress and the Muslim League in order to transfer British power “to a single Indian administration”, a three-man Cabinet Mission formed in 1946 which drafted plans for a “three-tier federation for India.” According to those plans, the region would be divided into three groups of provinces, with Group A including the Hindu-populated provinces that would eventually comprise the majority of the independent India.

Groups B and C were comprised of largely Muslim-populated provinces. Each group would be governed separately with a great degree of autonomy except for the handling of “foreign affairs, communications, defence, and only those finances required for such nationwide matters.” These issues would be addressed by a minimal central government located in Delhi.

The plan, however, did not take into account the fate of a large Sikh population living in Punjab, part of the B-group of provinces. Mughal emperors’ persecution of Sikh gurus in the 17th century had infused the Sikh culture with a lasting anti-Muslim element that promised to erupt if the Punjab Sikhs were to be partitioned off as part of a Muslim-dominated province group. Although they did not make up more than two per cent of the Indian population, the Sikhs had since 1942 been moving for a separate Azad Punjab of their own, and by 1946 they were demanding a free Sikh nation-state.

As leader of the Muslim League, Jinnah accepted the Cabinet Mission’s proposal. However, when Nehru announced at his first press conference as the reelected president of Congress that “no constituent assembly could be bound by any prearranged constitutional formula,” Jinnah took this to be a repudiation of the plan, which was necessarily a case of all or nothing. The Muslim League’s Working Committee withdrew its consent and called upon the Muslim nation to launch direct action in mid-August 1946. A frenzy of rioting between Hindus and Muslims ensued.

In March of 1947 Lord Mountbatten was sent to take over the viceroy, and encountered a situation in which he feared a forced evacuation of British troops. He recommended a partition of Punjab and Bengal in the face of raging civil war. Gandhi was very opposed to the idea of partition, and urged Mountbatten to offer Jinnah leadership of a united India instead of the creation of a separate Muslim state.

However, Nehru would not agree to that suggestion. In July Britain’s Parliament passed the Indian Independence Act, which set a deadline of midnight on August 14-15, 1947 for “demarcation of the dominions of India.” As a result, at least 10 million Hindus, Muslims and Sikhs fled their homes to seek sanctuary on whichever side of the line was favourable to them. The ensuing communal massacres left at least one million dead, with the brunt of the suffering borne by the Sikhs who had been caught in the middle. Most of them eventually settled in Punjab.

Jinnah presided as the governor-general of Pakistan, which was geographically divided into East Pakistan and West Pakistan and separated by Indian territory (including half of Punjab and half of Bengal). However, ownership of Kashmir remained in dispute until it came to a head and war broke out once again in 1965. The unrest did not end there; in 1971 tensions between East and West Pakistan over Bengali autonomy developed into another civil war, with the result that Bangladesh became an independent country in 1972 and West Pakistan remained Pakistan.

Indian Independence

Between 1940 and 1942, the Congress launched two abortive agitations against the British, and 60,000 Congress members were arrested, including Gandhi and Nehru. Unlike the uncooperative and belligerent Congress, the Muslim League supported the British during World War II. Belated but perhaps sincere British attempts to accommodate the demands of the two rival parties, while preserving the unitary state in India, seemed unacceptable to both as they alternately rejected whatever proposal was put forward during the war years. As a result, a three-way impasse settled in: the Congress and the Muslim League doubted British motives in handing over power to Indians, while the British struggled to retain some hold on India while offering to give greater autonomy.

The Congress wasted precious time denouncing the British rather than allaying Muslim fears during the highly charged election campaign of 1946. Even the more mature Congress leaders, especially Gandhi and Nehru, failed to see how genuinely afraid the Muslims were and how exhausted and weak the British had become in the aftermath of the war. When it appeared that the Congress had no desire to share power with the Muslim League at the centre, Jinnah declared August 16, 1946, Direct Action Day, which brought communal rioting and massacre in many places in the north. Partition seemed preferable to civil war. On June 3, 1947, Viscount Louis Mountbatten, the viceroy (1947) and governor-general (1947-48), announced plans for partition of the British Indian Empire into the nations of India and Pakistan, which itself was divided into east and west wings on either side of India. At midnight, on August 15, 1947, India strode to freedom amidst ecstatic shouting of "Jai Hind", when Nehru delivered a memorable and moving speech on India's "tryst with destiny."

Jawaharlal Nehru: Speech on the Granting of Indian Independence, August 14, 1947

Long years ago we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when

the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger cause of humanity.

At the dawn of history India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. Through good and ill fortune alike she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals, which gave her strength. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity, to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future?

Freedom and power bring responsibility. The responsibility rests upon this Assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom we have endured all the pains of labour and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over and it is the future that beckons to us now.

That future is not one of ease or resting but of incessant striving so that we may fulfil the pledges we have so often taken and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over.

And so we have to labour and to work, and work hard, to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible; so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this One World that can no longer be split into isolated fragments.

To the people of India, whose representatives we are, we make an appeal to join us with faith and confidence in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill-will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. The appointed day has come—the day appointed by destiny—and India stands forth again, after long slumber and struggle, awake, vital, free and independent. The past clings on to us still in some measure and we have to do much before we redeem the pledges we have so often taken. Yet the turning-point is past, and history begins anew for us, the history which we shall live and act and others will write about.

It is a fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the East, a new hope comes into being, a vision long cherished materializes. May the star never set and that hope never be betrayed!

We rejoice in that freedom, even though clouds surround us, and many of our people are sorrowstricken and difficult problems encompass us. But freedom brings responsibilities and burdens and we have to face them in the spirit of a free and disciplined people.

On this day our first thoughts go to the architect of this freedom, the Father of our Nation [Gandhi], who, embodying the old spirit of India, held aloft the torch of freedom and lighted up the darkness that surrounded us. We have often been unworthy followers of his and have strayed from his message, but not only we but also succeeding generations will remember this message and bear the imprint in their hearts of this great son of India, magnificent in his faith and strength and courage and humility. We shall never allow that torch of freedom to be blown out, however high the wind or stormy the tempest.

Our next thoughts must be of the unknown volunteers and soldiers of freedom who, without praise or reward, have served India even unto death.

We think also of our brothers and sisters who have been cut off from us by political boundaries and who unhappily cannot share at present in the freedom that has come. They are of us and will remain of us whatever may happen, and we shall be sharers in their good [or] ill fortune alike.

The future beckons to us. Whither do we go and what shall be our endeavour? To bring freedom and opportunity to the common man, to the peasants and workers of India; to fight and end poverty and ignorance and disease; to build up a prosperous, democratic and progressive nation, and to create social, economic and political institutions which will ensure justice and fullness of life to every man and woman. We have hard work ahead. There is no resting for any one of us till we redeem our pledge in full, till we make all the people of India what destiny intended them to be. We are citizens of a great country on the verge of bold advance, and we have to live up to that high standard. All of us, to whatever religion we may belong, are equally the children of India with equal rights, privileges and obligations. We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thought or in action.

To the nations and peoples of the world we send greetings and pledge ourselves to cooperate with them in furthering peace, freedom and democracy.

And to India, our much-loved motherland, the ancient, the eternal and the ever-new, we pay our reverent homage and we bind ourselves afresh to her service.

At the stroke of midnight on 14/15 August 1947, India and Pakistan gained their independence from Britain. The last British viceroy (and the first governor-general of independent India) Lord Mountbatten attended the ceremonies for the transfer of power in Karachi and Delhi on successive days. As a consequence, Pakistan celebrates Independence Day on 14 August, India on 15th.

References

- Ansari, Sarah: *Life after Partition: Migration, Community and Strife in Sindh: 1947—1962*. Oxford, UK: Oxford University Press, 2005.
- Bhalla, Alok: *Stories about the Partition of India*, New Delhi: HarperCollins, 1994.
- Bhattacharjee, Ajit: *Countdown to Partition: The Final Days*. New Delhi: HarperCollins, 1998.
- Campbell-Johnson, Alan: *Mission with Mountbatten*. London: Hale, 1982.
- Ikram, S. M.: *Indian Muslims and Partition of India*. Delhi: Atlantic, 1995.
- Jain, Jasbir: *Reading Partition, Living Partition*, Rawat Publications, 2007.
- Khan, Yasmin: *The Great Partition: The Making of India and Pakistan*, New Haven and London: Yale University Press, 2007.
- Sherwani, L. A.: *The Partition of India and Mountbatten*, Karachi, Council for Pakistan Studies, 1986.
- Singh, Anita Inder: *The Origins of the Partition of India, 1936-1947*. New Delhi: Oxford UP, 1987.
- Singh, Khushwant: *Train to Pakistan*. London: Chatto and Windus, 1956.
- Singh, Kirpal: *Select Documents on Partition of Punjab — 1947, India and Pakistan*. Delhi: National Bookshop, 1991.
- Stanley A. Wolpert: *Tilak and Gokhale: Revolution and Reform in the Making of Modern India*, Berkeley, 1962.
- Tinker, Hugh: *Experiment with Freedom, India and Pakistan 1947*. London: Oxford UP, 1967.

Self-Respect Movement and Depressed Class Movement

Santosh Kumar Sharma

*University Department of History,
BRA Bihar University, Muzaffarpur*

The Self-Respect Movement was founded in 1925 by Periyar E. V. Ramasamy (also known as Periyar) in Tamil Nadu, India. The movement has the aim of achieving a society where backward castes have equal human rights, and encouraging backward castes to have self-respect in the context of a caste based society that considered them to be a lower end of the hierarchy. The movement was extremely influential not just in Tamil Nadu, but also overseas in countries with large Tamil populations, such as Malaysia and Singapore.

Among Singapore Indians, groups like the Tamil Reform Association, and leaders like Thamizhavel G. Sarangapani were prominent in promoting the principals of the Self-Respect Movement among the local Tamil population through schools and publications.

A number of political parties in Tamil Nadu, such as Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) and All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam (AIADMK) owe their origins to the Self-respect movement, the latter a 1972 breakaway from the DMK. Both parties are populist with a generally social democratic orientation. The movement has been in political power in Tamil Nadu since 1967, when the DMK under C. N. Annadurai defeated the ruling Congress Party. The incumbent (as of 2009) Chief Minister is M. Karunanidhi of the DMK.

The Tenets of Self-Respect

Periyar was convinced that if man developed *self respect*, he would automatically develop individuality and would refuse to be led by the nose by schemers. One of his most known quotes on Self-Respect was, “we are fit to think of ‘self-respect’ only when the notion of ‘superior’ and ‘inferior’ caste is banished from our land”.

Periyar did not expect personal or material gain out of this movement. He used to recall in a very casual manner that as a human being, he also was obligated to this duty, as it was the right and freedom to choose this work. Thus, Periyar opted to engage himself in starting and promoting the movement. Periyar declared that the *Self-Respect Movement* alone could be the genuine freedom movement, and political freedom would not be fruitful without individual self-respect. He remarked that the so called ‘Indian freedom fighters’ were showing disrespect of self-respect, and this was really an irrational philosophy.

Periyar observed that political freedom as conceived by nationalists not excluding even Gandhi and Jawaharlal Nehru did not cover individual self-

respect. To him neither revival of the original spirit of Hindu religion and ancient traditions which formed part of Gandhi's conception of freedom, nor complete liberation from the British rule which was considered by Nehru to be the meaning of freedom or both of them together could ensure individual self-respect or remove the ills from Indian societies.

In his opinion the task of fulfilling the need for self-respect would have to be faced whatever be the extent of political freedom gained. Pointing out that even the British monarch in a sovereign independent nation had no freedom to marry a person of his choice and had to abdicate his kingdom, Periyar raised a question whether Gandhi's vision of freedom or Nehru's concept of independence contained even an iota of individual self-respect.

Periyar believed that self-respect was as valuable as life itself and its protection is a birth right and not *swaraj* ('political freedom'). He described the movement as *Arivu Vidutalai Iyakkam*, that is, a movement to liberate the intellect.

The terms *tan-maanam* or *suya mariyadai* meaning 'self-respect' are traceable in ancient Tamil literature considered a virtue of high valor in Tamil society. Periyar once claimed that to describe the ideology of his movement, no dictionary in the entire world, implying that no other language, could provide a word better than or equal to *suya mariyadai*.

Started as a movement (*Iyakkam* in Tamil) to promote rational behaviour, the *Self-Respect Movement* acquired much wider connotation within a short period of time. Periyar speaking with M.K. Reddy at the *First Self-Respect Conference* held in 1929, explained the significance of self-respect and its principles. The main tenets of the *Self-Respect Movement* in society were to be: no kind of inequality among people; no difference as rich and poor in the economic life; men and women to be treated as equals in every respect without differences; attachments to caste, religion, *varna*, and country to be eradicated from society with a prevalent friendship and unity around the world; and every human being seeing to act according to reason, understanding, desire, and perspective, and shall not be subject to slavery of any kind or manner.

Equality with stress on economic and social equality formed the central theme of the *Self-Respect Movement* was due to Periyar's determination to fight the inequalities ingrained in the caste system and religious practices.

Working on the theme of liberating the society from the baneful social practices perpetrated in the name of *dharma* and *karma*, Periyar developed the idea of establishing this movement as the instrument for achieving his objective.

Anti-Brahmanism

Tamil Brahmins (Iyers and Iyengars) were frequently held responsible by followers of Periyar for direct or indirect oppression of lower-caste people on the canard of "Brahmin oppression" and resulted in attacks on Brahmins and which among other reasons started a wave of mass-migration of the Brahmin population.

Periyar in regards to a DK member's attempt to assassinate Rajagopalachari, "expressed his abhorrence of violence as a means of settling political

differences". Eventually, the anti-Brahmanism subsided with the replacement of the DMK party by the AIADMK.

Self-Respect Marriages

One of the major sociological changes introduced through the self respect movement was the self-respect marriage system, where by marriages were conducted without being officiated by a Brahmin priest.

Periyar had regarded the then conventional marriages were mere financial arrangements and often caused great debt through dowry. Self-Respect marriages encouraged inter-caste marriages and arranged marriages to be replaced by love marriages. It was argued by the proponents of self-respect marriage that the then conventional marriages were officiated by Brahmins, who has to be paid for and also the marriage ceremony was in Sanskrit which most people did not understand, and hence were ritual and practices based on blind adherence.

References

- Ahuja, R.: *Social Problems in India*, Rawat Publications, Jaipur, 1997.
- Anitha, B.K.: *Village, Caste and Education*, Rawat Publications, Jaipur, 2000.
- Barthwal, C.P.: *Social Justice in India*, Rawat Publications, Jaipur, 1999.
- Chari, P.R.: *India Towards Millennium*, Manohar Publishers & Distributors, New Delhi, 1998.
- Dhyani, S.N.: *Secularism: Socio-legal Issues*, Rawat Publications, Jaipur, 1996.
- Gill, K.P.S.: *Punjab: Knights of Falsehood*, Har-Anand Publications, New Delhi, 1997.
- Guru Dev, S.: *Anatomy of Revolt*, Lancers Books, New Delhi, 1996.
- Hewitt, V.: *Reclaiming the Past: The Search for Political and Cultural Unity in Contemporary Jammu and Kashmir*, Portland Books, London, 1996.
- Hussain, M.G.: *Ethnic Diversity and National Integration*, Rawat Publications, Jaipur, 1996.
- Jaffrelot, Christophe, *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to the 1990s* (New Delhi: Columbia University Press, 1996)
- Jain, P.C.: *Christianity, Ideology and Change*, Rawat Publications, Jaipur, 1995.
- Kakar, Sudhir.: *The Colors of Violence: Cultural Identities, Religion and Conflict*, Chicago University Press, Chicago, 1996.
- Kaur, H.: *Tribal Development Administration*, Rawat Publications, Jaipur, 1995.
- Mehta, L.: *Caste, Clan and Ethnicity*, Rawat Publications, Jaipur, 2000.
- Pandey, A.K.: *Tribal Society in India*, Rawat Publications, Jaipur, 1995.
- Sisodia, Y.S.: *Political Consciousness among Tribals*, Rawat Publications, Jaipur, 1999.
- Wankhede, G.G.: *Social Mobility and Scheduled Castes*, Rawat Publications, Jaipur, 1999.
- Yinger, J.M.: *Ethnicity: Source of Strength-Source of Conflict*, Rawat Publications, Jaipur, 1998.

Communication Skills and English Language

Dr. Yasodhara Prasad

*Associate Professor, Department of English,
J.D. Womens' College, Patna*

“Developing effective communication skills means inculcating ability in learners to employ language in ways that will most effectively transfer ideals from one person to another with clarity. For acquiring such skills the learners have to equip themselves with grammatical and structural aspects of the English language along with developing their vocabulary. After that they have to make themselves proficient in communication techniques. Towards this attempt, the present book is an excellent guide encompassing all that is needed for effective communication skills. “Effective Communication Skills in English” brings to the fore each and every grammatical aspect needed for English language usage. In this endeavour, the book makes elaborate discussion on diction, discourse, words, sentences, syntax, writing skills, paragraph and research paper writing, exactness, appropriateness, fallacies, vocabulary, mechanics, clarity and numerous related topics. In addition, the book presents ideas of learning English language through practical experience of vocabulary development, dramatic interpretation and mass media.

Communication is a process of transferring information from one entity to another. Communication processes are sign-mediated interactions between at least two agents which share a *repertoire* of signs and *semiotic* rules. Communication is commonly defined as “the imparting or interchange of thoughts, opinions, or information by speech, writing, or signs”.

Communication is a process whereby information is enclosed in a package and is channelled and imparted by a sender to a receiver via some medium. The receiver then decodes the message and gives the sender a feedback. All forms of communication require a sender, a message, and an intended recipient, however the receiver need not be present or aware of the sender's intent to communicate at the time of communication in order for the act of communication to occur. Communication requires that all parties have an area of communicative commonality. There are auditory means, such as speech, song, and tone of voice, and there are nonverbal means, such as body language, sign language, paralanguage, touch, eye contact, through media, i.e., pictures, graphics and sound, and writing.

Information Communication Revolutions

Over time, technology has progressed and has created new forms of and ideas about communication. The newer advances include media and communications psychology. Media psychology is an emerging field of study.

These technological advances revolutionized the processes of communication. Researchers have divided how communication was transformed into three revolutionary stages:

In the 1st Information Communication Revolution, the first written communication began, with pictographs. These writings were made on stone, which were too heavy to transfer. During this era, written communication was not mobile, but nonetheless existed.

In the 2nd Information Communication Revolution, writing began to appear on paper, papyrus, clay, wax, etc. Common alphabets were introduced, allowing the uniformity of language across large distances. Much later the Gutenberg printing-press was invented. Gutenberg created this printing-press after a long period of time in the 15th century.

In the 3rd Information Communication Revolution, information can now be transferred via controlled waves and electronic signals.

Communication is thus a process by which meaning is assigned and conveyed in an attempt to create shared understanding. This process requires a vast repertoire of skills in intrapersonal and interpersonal processing, listening, observing, speaking, questioning, analyzing, and evaluating. It is through communication that collaboration and cooperation occur. There are also many common barriers to successful communication, two of which are message overload (when a person receives too many messages at the same time), and message complexity. Communication is a continuous process. The psychology of media communications is an emerging area of increasing attention and study.

Human Communication

Human spoken and written languages can be described as a system of symbols and the grammars (rules) by which the symbols are manipulated. The word “language” is also used to refer to common properties of languages. Language learning is normal in human childhood. Most human languages use patterns of sound or gesture for symbols which enable communication with others around them. There are thousands of human languages, and these seem to share certain properties, even though many shared properties have exceptions.

There is no defined line between a language and a dialect, but the linguist Max Weinreich is credited as saying that “a language is a dialect with an army and a navy”. Constructed languages such as Esperanto, programming languages, and various mathematical formalisms are not necessarily restricted to the properties shared by human languages.

Bernard Luskin, UCLA, 1970, advanced computer assisted instruction and began to connect media and psychology into what is now the field of media psychology. In 1998, the American Association of Psychology, Media Psychology Division 46 Task Force report on psychology and new technologies combined media and communication as pictures, graphics and sound increasingly dominate modern communication.

Nonverbal Communication

Nonverbal communication is the process of communicating through sending and receiving wordless messages. Such messages can be communicated through gesture, body language or posture; facial expression and eye contact, object communication such as clothing, hairstyles or even architecture, or symbols and infographics, as well as through an aggregate of the above, such as behavioural communication. Nonverbal communication plays a key role in every person's day to day life, from employment to romantic engagements. Speech may also contain nonverbal elements known as paralanguage, including voice quality, emotion and speaking style, as well as prosodic features such as rhythm, intonation and stress. Likewise, written texts have nonverbal elements such as handwriting style, spatial arrangement of words, or the use of emoticons. A portmanteau of the English words emotion (or emote) and icon, an emoticon is a symbol or combination of symbols used to convey emotional content in written or message form. Other communication channels such as telegraphy fit into this category, whereby signals travel from person to person by an alternative means. These signals can in themselves be representative of words, objects or merely be state projections. Trials have shown that humans can communicate directly in this way without body language, voice tonality or words.

Categories and Features

G. W. Porter divides non-verbal communication into four broad categories:

- Physical. This is the personal type of communication. It includes facial expressions, tone of voice, sense of touch, sense of smell, and body motions.
- Aesthetic. This is the type of communication that takes place through creative expressions: playing instrumental music, dancing, painting and sculpturing.
- Signs. This is the mechanical type of communication, which includes the use of signal flags, the 21-gun salute, horns, and sirens.
- Symbolic. This is the type of communication that makes use of religious, status, or ego-building symbols.

Static Features

- Distance. The distance one stands from another frequently conveys a non-verbal message. In some cultures it is a sign of attraction, while in others it may reflect status or the intensity of the exchange.
- Orientation. People may present themselves in various ways: face-to-face, side-to-side, or even back-to-back. For example, cooperating people are likely to sit side-by-side while competitors frequently face one another.
- Posture. Obviously one can be lying down, seated, or standing. These are not the elements of posture that convey messages. Are we slouched or erect? Are our legs crossed or our arms folded? Such postures convey a degree of formality and the degree of relaxation in the communication exchange.

- Physical Contact. Shaking hands, touching, holding, embracing, pushing, or patting on the back all convey messages. They reflect an element of intimacy or a feeling of (or lack of) attraction.

Dynamic Features

- Facial Expressions. A smile, frown, raised eyebrow, yawn, and sneer all convey information. Facial expressions continually change during interaction and are monitored constantly by the recipient. There is evidence that the meaning of these expressions may be similar across cultures.
- Gestures. One of the most frequently observed, but least understood, cues is a hand movement. Most people use hand movements regularly when talking. While some gestures (e.g., a clenched fist) have universal meanings, most of the others are individually learned and idiosyncratic.
- Looking. A major feature of social communication is eye contact. It can convey emotion, signal when to talk or finish, or aversion. The frequency of contact may suggest either interest or boredom.

Visual Communication

Visual communication as the name suggests is communication through visual aid. It is the conveyance of ideas and information in forms that can be read or looked upon. Primarily associated with two dimensional images, it includes: signs, typography, drawing, graphic design, illustration, colour and electronic resources. It solely relies on vision. It is form of communication with visual effect. It explores the idea that a visual message with text has a greater power to inform, educate or persuade a person. It is communication by presenting information through visual form.

Oral Communication

Oral communication is a process whereby information is transferred from a sender to receiver usually by a verbal means but visual aid can support the process.. The receiver could be an individual person, a group of persons or even an audience. There are a few of oral communication types: discussion, speeches, presentations, etc. However, often when you communicate face to face the body language and your voice tonality has a bigger impact than the actual words that you are saying.

A widely cited and widely mis-interpreted figure, used to emphasize the importance of delivery, is that “communication is 55% body language, 38% tone of voice, 7% content of words”, the so-called “7%-38%-55% rule”. This is not however what the cited research shows – rather, when conveying *emotion*, if body language, tone of voice, and words *disagree*, then body language and tone of voice will be believed more than words. For example, a person saying “I’m delighted to meet you” while mumbling, hunched over, and looking away will be interpreted as insincere. (*Further discussion at Albert Mehrabian: Three elements of communication.*)

References

- Jakobson, Roman: *Fundamentals of Language*. The Hague: Mouton, 1971.
- Judith Roof: *Feminism and Psychoanalysis*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1989.
- Lacan, Jacques. *The Four Fundamental Concepts of Psycho-analysis*. New York: Norton, 1978.
- Leary, Lewis Gaston: *Articles on American Literature, 1950-1967*, Durham, NC: Duke University Press, 1970.
- Napier, Winston: *African-American Literary Theory: A Reader*. New York University Press, 2000.
- Perkins, David: *A History of Modern Poetry*, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1976.
- Readings, Bill: *The University in Ruins*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996.
- Richard M.: *Annals of American Literature, 1602-1983*, New York, Oxford University Press, 1986.
- Robert Penn Warren: *American Poetry and Prose*, Boston: Houghton Mifflin, 1957.
- Rusk, Ralph Leslie: *The Literature of the Middle Western Frontier*. New York: Columbia University Press, 1925.
- Westbrook, Perry D.: *A literary history of New England*, Bethlehem, London, 1988.
- William, E.: *Some Versions of Pastoral*. New York: New Directions, 1974.

A Phonetic View

Praveen Bhardwaj

Research Scholar, Singhania University, Rajasthan

Phonetic and Spoken English

English Pronunciation

By using careful in one's speech habits simple mistakes in speaking can be avoided. Learning appropriate pronunciation techniques gives one the confidence to avoid concern lapses and errors in speaking. The pronunciation of English varies from one country to another and there are marked pronunciation features associated with English spoken in important English speaking countries like the United Kingdom, United States of America, Canada & Australia. Thus, it is better to consider pronunciation in terms of 'acceptance pronunciation' and unacceptable pronunciation rather than correct or incorrect pronunciation. Acceptable pronunciation is, clearly intelligible to all ordinary people whereas 'unacceptable pronunciation' refers to a way of talking that is difficult for most people to understand. It would be difficult for us to learn correct pronunciation without learning the basics of phonetics. Phonetics is the branch of linguistic science that deals with pronunciation. It represents each speech sound with a single value.

Basics in Phonetics

In order to speak correct English, one should have some idea of English phonetics. As we know, there are 26 alphabets in English. However, the language has 44 speech sounds. It means that there is no 'one to one correspondence' between letters and sounds in English as it is in many Indian languages. This is the reason why many Indians find it difficult to learn English pronunciation. The duality of English spelling and pronunciation may confuse a beginner and make English pronunciation difficult to Master. There is duality of spelling and pronunciation in English: different letters may represent the same sound while the same letter could represent different sounds.

- Examples of words where different letters represent the same sound:

<i>Sound</i>	<i>Examples</i>
/S/	see, censor, miss
/SH/	shoe, chef, mention, precious
/Z/	zoo, season
/K/	kill, chemistry, call, sick
/EE/	meet, key, deal, seize, physique
/OO/	zoo, movie, soup, true, truth, juice
/AH/	market, fast, clerk, aunt, heart

- Examples of words where, the same letters represent different sounds:

<i>Letters</i>	<i>Examples</i>
/S/	sell, busy, pleasure, pension
T/	tell, mention, culture
/CH/	chef, chemical, rich
/E/	pet, decent, decay

Phonetic Transcription

A Phonetic Transcription aims to record as accurately as possible all features of an utterance or a set of utterances which the writer can hear and identify in the stream of speech. The more highly trained the writer is, the more closely his transcription approximates a complete record of the gross phonetic facts; but it can never be perfect. Phonetic transcription can be defined as a kind of alphabetical writing in which each letter represents one sound. It is, thus, the writing of a language by means of a separate symbol for every sound as the letters of the English alphabet can be a poor guide to pronunciation, it is advisable to learn the phonemic symbols of English because these symbols are a reliable guide to English pronunciation. Knowledge of these symbols is useful in referring to a dictionary to find out the pronunciation of any word. Every good dictionary contains a list of these pronunciation symbols.

Another purpose which only a phonetic transcription can fulfill is to record one's first hearing of a foreign language, before one has gathered enough material to know what features of the pronunciation are distinctive in that language. The final goal of nearly all phonetic work should be to discover the simplest possible description of a language in terms of its phonemes; but unless the phonetics of the language have been minutely observed and scrupulously recorded, the resulting phonemic description will be worthless.

In stenography there is a symbol to denote each micro sound of respective language.

Consonant Sounds

It may be defined as a speech sound that is produced with stoppage of air. There are twenty four consonant sounds in English.

Consonant Symbols

<i>Phonetic Symbols</i>	<i>Examples</i>
1. p	paper, pipe, plastic, accept
2. b	bulb, behave, carbon cab
3. t	table, start, pot, cat
4. d	design, develop, crude, blend
5. k	kick, chemist, act, block
6. g	give, ago, diagram, organic
7. tʃ	chance, rich, discharge, rich

Contd...

<i>Phonetic Symbols</i>	<i>Examples</i>
8. dʒ	judge, adjust, magic, charge
9. f	fast, flash, effect, graph
10. v	very, variant
11. q	theory, thrust
12. ð	brother, gather
13. S	see, mars, ask
14. Z	zero, design
15. ʃ	ash, nation, crush
16. ʒ	vision, pleasure
17. m	machine, emission
18. n	new, another
19. ŋ	evening, building
20. h̩	handle, height
21. l	call, level
22. r	role, red
23. W	water, wonder
24. j	yes, you

Vowel Sounds

Unlike consonant sound, a vowel sound is unobstructed in articulation by the tongue, teeth or lips. There are twenty vowel sounds. Vowel sounds are classified as:-

- Pure Vowels – 12
- Diphthongs – 08

There are 12 pure vowels and 08 diphthongs. Pure vowels are further classified as

- Long vowels
- Short vowels

Long Vowel Symbols

<i>Phonetic symbols</i>	<i>Examples</i>
i:	easy, feel, free
u:	shoe, fool, true
ɜ:	firm, birth, hurt
ɑ:	art, farm, part
ɔ:	fought, port, sport

Short vowel symbols:

<i>Phonetic symbols</i>	<i>Examples</i>
e	pet, led
ɒ	hot, shot
ʌ	hut, cut
æ	hat, cat

Contd...

<i>Phonetic symbols</i>	<i>Examples</i>
ə	ago, about
ʊ	wood, food
ɪ	hit, sit

Diphthong Symbols

<i>Phonetic symbols</i>	<i>Examples</i>
ɪə	fear, year
eə	fair, hair
ʊə	poor, truer
ɔɪ	oil, boil
eɪ	say, late
aɪ	try, sight
əʊ	go, so old
aʊ	new, how

As discussed above we have learnt that no straight relation is established between sound and syllable in English language. But in Stenography, it is based on pronunciation, also be called a phonetic language. Actually stenography is written/copied as one hears, so spellings may differ. So as per phonetic aspect there are also 12 vowels and 08 diphthongs in stenography, and there is separate syllable for each consonant sound. So, stenography is more phonetic language as Sanskrit because it has different sign for each different sound.

Bibliography

- Abercrombie, D. 1967. Elements of general phonetics. Edinburgh. [Lg, Abe 1,8-10,14]
Jones, D. 1956[1909]. The pronunciation of English. Cambridge: Cambridge University Press. [Ld, Jon 1,8,38,40]
Jones, D. 1967[1918]. An outline of English phonetics. Cambridge: W. Heffer & Sons, Ltd. [Ld, Jon 9-22,36-37]
Roach, P. 1992. Introducing phonetics. Harmondsworth: Penguin. [Lg, Roa 1-4]

Toru Dutt as a Poet

Arvind Kumar Jha

*Asst . Professor, Deptt. of English,
Madhupur College, Madhupur SKMU(Dumka)*

To Toru Dutt goes the distinction of being the first Indian English poet to make an extensive use of Indian myths and legends though her predecessors had made scattered references to these myths and legends in their poems. To Toru Dutt once again goes the credit of making the indo-English poetry move from mere imitation to authenticity. Her poetry gives the impression of being completely free from imitation. Toru Dutt's authenticity is easily discernible if we compare her with Behramji Mewanji Malabari whose 'The Indian muse in English Garb' appeared in the same year as Toru Dutt's 1st collection. It is true that Toru Dutt quotes from Pope and Wordsworth but we don't get definite example of pitting in her verse.

In her use of Indian myths and legends, she gives the impression that she has no instinctive understanding of the spirit which is borne to be there since she was a recent Christian converted, living in a half anglicized environment. The inadequacies can be seen in 'The Royal Ascetic' and the Hind where she uses the spirit of original tale of Vishnupuran which emphasizes the need to concentrate one's thought on god and god only at the moment of death. Her 'Ancient Ballads and legends of Hindustan' which was published posthumously deals with mythical tigress' story when Dhruva heavily been deprived of his father's love because of a dominant step-mother and finally becoming the icon of all devotees. Eklavya's eagerness for apprenticeship in archery, his rejection by acharya Drone, yet learning all with the image of the master before him and not hesitating from giving away his thumb in 'gurudakshina' when the cruel demand is made, Prahlad's devotion of Vishnu and choosing god rather than father and king, the tale of 'sindhu' the only prop of an aged couple being killed by the thoughtless sportive action of king Dasaratha and Rama's banishment in its aftermath all find their places.

Of her two collections, only one appeared in her own life time and that was also not in the nature of original work. 'A sheaf Gleaned in French field' contains 165 lyrics of a number of French poets which she translated from French into English and which also carried eight lyrics written by her sister 'Aru' including the much praised 'still barred thy door the far it glows'. Edmund Gosse who read it with surprise and almost rapture describes the volume as a wonderful mixture of strength and weakness and this seems to be a just evaluation of the work. She concluded the sheaf with the sonnet of her own titled 'a man pare' where in she tries to establish that an acquired language fails to catch the stream of feeling and live flowers lose their tender hues in an alien language. Although she returned to this sheaf from time to time either to revise it or to add a piece

or two in anticipation of a possible second edition, she was sincerely in need for proof and hence she started learning Sanskrit. She even translated a few tales from original Sanskrit into English and also thought of bringing out a companion sheet in Sanskrit which however came out posthumously with the title 'Ancient Ballads and Legends of Hindustan' and carried an introduction by Edmund Gosse.

These renderings of Indian myths into English verse contained inherent difficulty because some of these tales contained references to supernatural which is quite a normal thing in the placid Sanskrit narratives. But in her English poem the words are to be chosen in order to impose upon its readers that willing suspension of disbelief or even that momentary surge of belief without which the poems were bound to fail in its prime purpose. But Toru Dutt succeeds in using those myths and Indian readers who have been brought up into this tradition don't feel disappointed.

Toru was very much influenced by the piety of the romantic and Victorian poets. The poetic influence of Keats, Shelley and Byron is very distinct in her poems. Her nature's portrayal is sensuous and like that of Keats. Her 'Our Casuarina Tree' is not simply the description of a tree but it is more than that. It recaptures the past and immortalize the moments of time so recaptured. The tree is both a tree and a symbol. In the first stanza there is an objective description of the tree while the second very aptly describes Toru's impressions of the tree at different stages of her life. The third stanza is completely dedicated to the loving memory of her lost brother and sister. In the next stanza there has been a splendid humanization of the tree.

As far as her poetic technique is concerned, we find that she has used a number of poetic modes successfully. The technique of brisk narration is discernible in 'Savitri'. A keen sense of drama is to be seen in 'Laxman' and her flair for 'Baugmaree'. The peculiar ambivalence which we come across in her poem is once again present in her description of the story of 'Sindhu' where she misses altogether dramatic irony inherent in the story. In her use of images she has tried her best to use such images which evoke a local colour and splendour. Her 'Buttoo' wanders in the forest and her forest is typical Indian with its the somber saal, the bitter neem and gorgeous seemul as a bride. This woman poet is trying to satisfy the secret longing of her spirit. She at times moves out of Indian context and uses images which do not evoke local feeling too and hence her Buttoo wanders in the forest where we do not have only saal, neem and seemul but pampas also which is to be found in South America. Similarly, a journey note is struck when the peacocks in Sindhu's forest are endowed with Argus wings.

At times she also reminds us of Edith Sitwell particularly when she describes Seemul's red flowers with quite a surprisingly modern image-red, red and startling like a trumpet's sound. Her choice of words reminds us of the Victorian and romantic schools. She uses archaism like 'night and dight'. She uses different

forms like the Ballad measure with its variations, blank verse, five, eight and eleven lines stanza forms and the sonnet. But these does not out shadow the defects that we come across in her poems like Our Casuarina Tree. To conclude one can say that Toru Dutt who was showing signs of maturity with her discovery of her roots has carved out a place for herself in the great fellowship of English poets. Her place in Indian poetry is very short but admirable. Though like the lily flower of Ben Jonson she lived in this world for a very brief period of time, her blooming and spreading fragrance is still being felt and enjoyed by the lovers of art and beauty.

Books & References

- I. Indian Writing In English – K. R. S. Iyengar
- II. Indian Poetry In English : A Critical Assessment (Shahane,Vasant A & M.Sivaramakrishna)
- III. Modern Indo Anglian Poetry (New Delhi)

Status of Teacher Education in India

Dr. Md. Enam

Asst. Professor (Lecturer), Gyan Bharti T.T. College, Cantt.Area, Gaya.

“The quality of a nation depends upon the quality of its citizens. The quality of its citizens depends not exclusively, but in critical measure upon the quality of their education, the quality of their education depends more than upon any single factor, upon the quality of their teacher.”¹

Teachers play a vital role in realizing the educational goals of a dynamic society. The quality of teachers is of prime importance for the success of educational endeavours. In the Vedic India, the teacher enjoyed a special status and position. He was held in high esteem by the society and this was due not only to learning and scholarship, but also to qualities of head, heart and hand. The Guru or the teacher was an embodiment of good qualities, a fountain of knowledge and an abode of spirituality. The selection and preparation of a teacher was done with much rigour. There is no denying the fact that:

“Education has increasingly become important to success of both individuals and nations. Growing evidence demonstrates that, among all educational resources, teachers’ abilities are especially critical contributors to students’ learning and consequently the success of a nation to advance in its economic, social and political spheres”²

Unprecedented expansion of teacher education institutions and programmes during the past few years characterizes the teacher education scenario of today. With increasing school enrolments and the launch of Pan-Indian Primary Education Development Programmes like Operation Blackboard, District Primary Education Programme, SarvaShikshaAbhiyan and Universalization of Elementary Education, there was a natural increase in the demand for teachers. Consequently, the backlog of untrained teachers in the system and the essential requirement of pre-service teacher certification for appointment as a teacher led to mounting pressure on existing institutional capacity. The demand far exceeding supply, market forces have taken over unprecedented rise in the number of teacher education institutions in most parts of the country.

From 3489 courses in 3199 institutions and an intake of 2,74,072 in 2004, the numbers in December, 2008 swelled to 14,523 courses in 12,200 institutions with an intake of 10,73,661 at different levels. This expansion has taken a heavy

toll on quality parameters like infrastructure, faculty learning resources and student profile.

India has one of the largest systems of teacher education in the world. The teacher Education in India was initiated by the state efforts. As schools were opened teachers were needed. Consequently, teacher preparation programmes were required. Such programmes of the universities and states were generally subsidised.

*“Education has continued to grow, diversify and extend its coverage since the dawn of history. Every country develops its system of education to express and promote its unique socio-cultural identity and also to meet the challenges of time”.*³

These words of the National Policy on Education (NPE) 1986 subsequently revised in 1992, give direction to Indian Education. The policy further emphasizes that

*“the Government of India will also review, every five years; the progress made and recommend guidelines for further development”*⁴.

In the light of the aforesaid statements, the National Council for Teacher Education (NCTE), a statutory body, established by the Government of India for the maintenance of standards and improvement of the quality of teacher education in the country. During these years, large scale and far reaching developments as well as changes have taken place on the national and international scenes in social, economic, cultural, scientific and technological spheres as well as in information and communication technologies.

The Journey of Teacher Education in India started from the miniscule system in 1947 to the huge banyan tree with its ever growing branches in various directions simultaneously giving a pathetic scenario in the present platform of Teacher Education.

During the last two decades, the teacher education curricula have received severe criticism and their weaknesses have been well exposed. It has to be emphasized that without increasing the duration of teacher education programmes, these targets cannot be achieved. Academic and professional skills are not independent of each other. There is hardly any difference between the performance of trained and untrained teachers because of out-dated teacher education curricula.

*“Training is given to animals and circus performers, while education is to human beings.”*⁵

In the early part of the journey, Teachers Training was replaced by ‘Teacher Education’, ‘Training Colleges to College of Education’, and Department of Teachers Training to ‘Department of Education. This change in nomenclature was significant in that it was a change in the basic concept of the preparation of a teacher, a significant move from the mere skills training.

Over the last half a century and particularly, in the recent decades, teaching learning has been undergoing drastic changes. There has been a shift towards student centred classrooms with teacher's role more as facilitator of learning rather than an autocratic master. Unlike in the past when the teacher was entrusted with transferring the contents of curriculum to a passive audience of students, today new experiments are being tried out in the classroom that includes project based learning, development of thinking skills, and discovery learning approaches. Many teachers are not properly trained in implementing the concepts behind the new curriculum and many are not equipped to properly implement the curriculum. The important thing is that the teacher education centres and the curriculum followed in the teacher education have very little focus on new trends in education.

The role of teacher education as a process of nation building is universally recognized. But teacher education in India, because of its history and also due to various factors beyond its control, has by and large been confined to school education only.

The task of bringing qualitative change in institutional efficacy of the teacher education system in itself is a huge and challenging one. The developments and changes over the last two decades require a fresh look at the teacher education.

With the recommendations of '*The Birla Ambani Report 2000*'⁶This industry accelerated all the more. The story goes back when the Prime Minister's Council on Trade and Industry appointed a Committee headed by Mr. Mukesh Ambani and Mr. Kumarmangalam Birla to suggest reforms in the Educational sector. The Committee, which submitted its report in the year 2001, highlighted the important role of the State in the development of Education. Some of the suggestions in the report include:

- *The Government should confine itself to Primary Education and the higher education should be provided by the Private sector.*
- *Passage of the Private University Bill.*
- *Enforcement of the user-pay principle in higher education.*
- *Loans and Grants to the economically and socially weaker sections of society.*

The Report suggested that the Government must concentrate more on Primary Education and less on Secondary and Higher education. It also recommended the passing of the Private Universities Act. The Birla-Ambani Report further recommended that the Government must encourage business houses to establish Educational Institutions.

Consequently, the privatisation of Education started. And as of now, Teacher education institutions have been proliferating and mushrooming all over the State with profit motives until the National Council for Teacher Education (NCTE), came up with and insisted on mandatory norms and standards for these institutions. As a result of their intervention, many institutions have constructed buildings with classrooms and procured infrastructure to meet their

standards. These institutions were even been forced to increase the salary of teacher educators to the basic amount in the government scale. But later, the effectiveness of NCTE intervention reduced and the powerful lobby of private education institutions had their way in running their teacher education shops. The market forces and greed led to the intrusion of the exploiters' interest in teacher education. Starting a secondary Teacher Education College has become a profitable business. High fees from the students and paltry salaries to the teachers have become a common feature of a private college. The businessmen and politicians have rushed into it. The universities are also out to make quick buck, 'to find their own financial resources,' starting correspondence courses, doling out degrees to a large number after a slipshod 'Instructional Programme', made good profit out of B. Ed degree- in a way, selling it at exorbitant rates making unimagined profit –little expense, more income and huge surplus. Even the process of 'Admission to the B. Ed Class' gives the institution large surplus out of admission test fees charged. On the contrary, the savings are not used for the promotion of Teacher Education or any benefits to those whose money it is.

But at same time, the silver lining in the present scenario cannot be denied. There are some philanthropic trusts and individuals who start 'Teacher Education' institutions as a social welfare activity they are doing well.

As stated by NCTE (1998) in Quality Concerns in Secondary Teacher Education, –

"The teacher is the most important element in any educational program. It is the teacher who is mainly responsible for implementation of the educational process at any stage."

So it is quite evident that so called Teacher Education Institutions are standing on the strong pillar of the dedicated teachers but pillars are ill-treated, underpaid and are forced to keep their moral down. So they are prone to become weak and consequently can collapse whole system.

Even when the periodical salary revisions increase the salaries of permanent employees sky high, their counterparts in the B.Ed. centres can only dream of a meagre rise. The powerful lobby of the private institutions are also said to influence the Universities' reluctance in providing fair deal to the teacher educators. The NCTE, unlike in the past, seems to be silenced and remaining aloof and so does Hon. Minister for Education. Nobody wants to annoy the private education institution bosses. That itself provides ample scope for profit oriented managements to isolate the teacher education communities. The evaluation of teacher trainees in the teacher education institutions is another big joke. The difference in the marks between high achievers and low achievers is minimal and the faculty members are least bothered in either encouraging the trainees to score high or to punish the lazy with low marks. Thus, most trainees who enter these institutions come out with flying colours.

The system still prepares teachers who do not necessarily become professionally competent and committed at the completion of initial teacher

preparation programmes. A large number of teacher training institutions do not practice what they preach. Several of the skills acquired and methodologies learnt are seldom practiced in actual school system. This highlights the need to bring realism and dynamism in the curriculum.

The courses of studies both in theory and practice should be reorganised. A teacher education department should therefore; conduct special innovative programmes i.e. seminars, combining of seminar, discussions with lectures, team teaching and panel discussion. The admission procedures of B.Ed. should be completely systematised. There should be a planning unit in each state education department. The function of this unit should be to regulate the demand and supply of teachers at various levels of schools. The practising schools have to be taken into confidence. For this the members of the staff of teachers colleges should be closely associated with the schools. Correspondence courses in teacher education should be provided, with a strict and high screen for admissions and an accurate manner of assessment.

“The new directions will have to grapple with models of teacher education. The current models need reform and innovation and new models would have to be developed that would enable teachers to adapt comfortably to the changing times. The new models should emphasize learning to do and learning to think so that we do not produce learned monsters but learned thinkers.”⁸

Teacher education as a whole needs urgent and comprehensive reform. There is a need to bring greater convergence between professional preparation and continuing professional development of teachers at all stages of schooling in terms of level, duration and structure.

There is a need to increase research that documents practices reflectively and analytically- whether it is of programs or of individual classrooms – so that it can be included in the body of knowledge available for study to student teachers.

In addition there is a need to innovate with different models of teacher education

“...systematic study of a phenomenon with the aim of finding explanations or solutions or understanding and finding patterns among what is studied so that action could be taken to arrest or improve the situation”⁹

A model Teacher Education should:

- Emphasize learning as a self-learning participatory process taking place in social context of learner's as well as wider social context of the community to nation as a whole.
- Put full faith in self-learning capacity of school children and student teacher and evolving proper educative programme for education.

- View the learner as an active participative person in learning. His/her capabilities or potentials are seen not as fixed but capable of development through experiences.
- View the teacher as a facilitator, supporting, encouraging learner's learning.
- Not treat knowledge as fixed, static or confined in books but as something being constructed through various types of experiences. It is created through discussion, evaluate, explain, compare and contrasts i.e., through interaction.
- Emphasize that appraisal in such an educative process will be continuous, will be self-appraisal, will be peer appraisal, will be done by teacher educators, and formal type too.

For a better teaching model, a teacher should be able to:

- Author and publish experiences and researches conducted.
- Be central and key participants of curriculum reform and innovation.
- Encourage learners to work together in a cooperative spirit, help each other with their work as well as be able to evaluate themselves.
- Help learners publish their own work online portfolios.
- Write a bank of learning activities for learners to access at their own pace.
- Give learners a wider choice of learning activities according to their own interests and capabilities.
- Build up a personal portfolio of their best teaching plans so as to share among other teachers.
- Create exciting learning environment of active knowledge creation and sharing.

The new teacher education and training should not lose site of the power of technology for both teachers and students learning. The real power of technology will come when teachers have been trained well in them and have captured the potential of technology themselves. In this way, teachers would be able to contribute to model the behaviour that the students are expected to learn thereby making them to grow up not to be learned monsters but more human, creative and productive.¹⁰

References

1. Clinton W.J., Call for Action for American Education in the 21st century. Washington DC: White House, (1996)
2. A Framework for Understanding Teaching and Learning: Darling-Hammond & Bransford, 2006
3. National Policy on Education (NPE) 1986
4. Ibid.
5. "Colonial Period in American Education" William H. Kilpatrick, A.M., Lecturer in Education, Teachers College, Columbia University,
6. Prime Minister 's Council on Trade and Industry: A Policy Framework for Reforms in Education (Birla Ambani Report), April 2000
7. NCTE (1998) in Quality Concerns in Secondary Teacher Education
8. Avalos, 1991; Monnathoko, 1995; Popkewitz, 1987; Ginsberg, 1988; Nagel, 1992; Al-Salmi, 1994; Shaeffer, 1990

9. Gaborone; Botswana: Dr.Boaduo Educational Consultants Pty Ltd. Boaduo NAP (2001). Principles of practical research. Unpublished manuscript for clients. Dr.Boaduo Education Centre. Louis Trichardt(Now Makhado. South Africa).
10. J.Burke (2000). New Direction – Teacher Technology Standards. Atlanta, GA: SREB-SEIR*TEC Publications and G. Holmes (1986). Tomorrow’s Teachers: A report of Holmes Group. East Lansing,

Secondary Sources

- World Conference on EFA, Jomtien, (1990) .<http://www.unesco.org/en/efa/the-efa-movement/jomtien-1990/>.
- Delors J., Learning the Treasure Within: Report to UNESCO of The International Commission on Education for the 21st Century. UNESCO Publishing (1996)
- <http://www.government.nl/issues/development-cooperation/millennium-development-goals-mdgs> (2012)
- Tikly L., Globalization and Education in the Postcolonial World: Towards a Conceptual Framework. *Comparative Education*, 37(2), 151-171 (2001)
- Gallagher T., Mediating Globalization: Local Responses to Political and Economic Pressures, *British Educational Research Journal*, 31(1), 121-128 (2005)
- Clayton T., Competing Conceptions of Globalization Revisited: Relocating the Tension between World-Systems Analysis and Globalization Analysis. *Comparative Education Review*, 48(3), 274 - 294 (2004)
- Welmond M., Globalization Viewed from the Periphery, The Dynamics of Teacher Identity in the Republic of Benin. *Comparative Education Review*, 46(1) 37-65 (2002)
- Clinton W.J., Call for Action for American Education in the 21st century. Washington DC: White House, (1996)
- Feiman S. and Nemser, From Preparation to Practice: Designing a Continuum to Strengthen and Sustain.

Environmental Influences on Human Behaviour and Wellbeing

Dr. Firoz Akhtar

Department of Psychology, Soghra College, Biharsharif

Each species tends to live within a certain environment; that is, it has a preference for a combination of environmental factors (a niche), such as the substratum, temperature, salinity and hydrodynamic conditions that it is able to live within. The tolerance to different environmental conditions varies between species; it can be rather broad for some very common species but much more tightly defined for others. The niche occupied by a species may vary both temporally and spatially and is influenced not only by its physiological requirements and tolerance to change but also by the interactions between species, i.e. competition and predator-prey relationships.

In any particular place on the shore or seabed, a suite of species will occur, each adapted to the particular environmental conditions of that place, such as the conditions of an intertidal mudflat. Where such a suite of species occurs in other locations under similar environmental conditions, it can be defined as a community (or association or assemblage) of species which is occurring within a particular habitat type. The collective term biotope is now in common usage to encompass both of these biotic and abiotic elements.

Shore and seabed habitats are colonised primarily by seaweeds (on the shore and in shallow water) and by marine invertebrates from a wide range of phyla. Lichens (in the splash zone), higher plants (especially in saltmarshes) and fish contribute to a lesser degree. In contrast to terrestrial habitats, it is commonplace for marine habitats to be characterised, i.e. dominated, by animals rather than plants, and for the substratum to provide the main structure to the habitat (rather than plants such as in a forest).

Only a proportion of habitats have obvious dominant species (e.g. kelp forests, mussel beds, maerl beds). Many, particularly in deeper water, support a mosaic of species, none of which is particularly dominant, which may exhibit a degree of patchiness over the seashore or seabed and, in some cases, vary markedly with time. In these respects the species offer a much less robust mechanism for structuring a classification system than does the physical habitat in which they occur.

In the marine environment, there is a strong relationship between the abiotic nature of the habitat and the biological composition of the community it supports. Most communities appear to occur within a recognisable suite of environmental factors, although some occur within a more tightly-defined set

of factors (habitat). One of the most important factors influencing species composition is the type of substratum present, which can be broadly divided into rock and sediment (the latter is closely linked to the hydrodynamic regime) whilst in estuaries salinity is an important factor. Community structure is additionally modified by biological factors such as recruitment, predation, grazing and inter-species competition. Species may modify habitats by their boring, accretion and bioturbation.

Environment and Intelligence

Environment and intelligence research investigates the impact of environment on intelligence. This is one of the most important factors in understanding human group differences in IQ test scores and other measures of cognitive ability. It is estimated that genes contribute about 20-40% of the variance in intelligence in childhood and about 60% in old age. Thus the environment and its interaction with genes account for the remaining approximate 50% of intelligence. Historically, there has been great interest in the field of intelligence research to determine environmental influences on the development of cognitive functioning, in particular, fluid intelligence, as defined by its stabilization at 16 years of age. Despite the fact that intelligence stabilizes in early adulthood it is thought that genetic factors come to play more of a role in our intelligence during middle and old age and that the importance of the environment dissipates.

Neurobiological Theory

As babies, our neuronal connections are completely undifferentiated. Neurons make connections with neighbouring neurons, and these become more complex and more idiosyncratic as the child ages, up until the age of 16, when this process halts. This is also the time frame for development of what is defined in psychometric studies as the general factor of intelligence, or *g*, as measured by IQ tests. A person's IQ is supposed to be relatively stable after they have reached maturity. It is likely that the growth in neuronal connections is largely due to an interaction with the environment, as there is not even enough genetic material to code for all the possible neural connections. Even if there was enough genetic material to code neural connections, it is unlikely that they could produce such fine tuned connections. In contrast the environment causes meaningful processing as the neurons adapt to stimuli presented.

The capacity of the brain to adapt its connections to environmental stimuli diminishes over time, and therefore it would follow that there is a critical period for intellectual development as well. While the critical period for the visual cortex ends in early childhood, other cortical areas and abilities have a critical period that lasts up through maturity (age 16), the same time frame for the development of fluid intelligence. In order for a person to develop certain intellectual abilities, they need to be provided with the appropriate environmental stimuli during childhood, before the critical period for adapting their neuronal connections ends. The existence of a critical period of language

development is well established. A case illustrating this critical period is that of E.M., a young man who was born profoundly deaf and did not have any interaction with the deaf community. At the age of 15 he was fitted with hearing aids and taught Spanish, however after 4 years he still had severe difficulties in verbal comprehension and production.

Some researchers believe that the critical period effect is a result of the manner by which intellectual abilities are acquired—that changes in neuronal connections inhibit or prevent possible future changes. However, the critical period is observed at approximately the same age in all people, no matter what level of intellectual ability is achieved.

Environmental Influences

Sociocultural

Family: Having access to resources of the home, and having a home life conducive to learning, definitely affects scores on intelligence tests. However, it is difficult to disentangle possible genetic factors from a parent's attitude or use of language, for example.

A child's ordinal position in their family has also been shown to affect intelligence. A number of studies have indicated that as birth order increases IQ decreases with first borns having especially superior intelligence. Many explanations for this have been proposed but the most widely accepted idea is that first borns receive more attention and resources from parents and are expected to focus on task achievement, whereas later borns are more focused on sociability.

The type and amount of praise received from family can also affect how intelligence develops. Carol Dweck and colleagues have conducted a lot of research into how the type of feedback the family gives a child on their academic achievements can shape their future intelligence scores. Telling a child that they are intelligent and praising them for this 'intrinsic' quality indicates that intelligence is fixed, known as entity theory. A child holding entity theory is likely to believe that there is no point in them trying to challenge themselves because if they fail that task it means that they are not intelligent. On the other hand is incremental theory: the idea that intelligence can be improved upon with effort. Children who hold this theory are more likely to develop a love for learning rather than for achievement. Parents who praise the child's effort at a task rather than the result are more likely to instill this incremental theory of intelligence in their children and thus to improve their intelligence.

Peer Group: JR Harris suggested in *The Nurture Assumption* that an individual's peer group influences their intelligence greatly over time, and that different peer group characteristics may be responsible for the black-white IQ gap. Several longitudinal studies support the conjecture that peer groups significantly affect scholastic achievement, but relatively few studies have examined the effect on tests of cognitive ability. There is some evidence that peer groups influence tests of cognitive ability, however.

The peer group an individual identifies with can also influence intelligence through the stereotypes associated with that group. The stereotype threat, first introduced by Claude Steele, is the idea that people belonging to a stereotyped group may perform poorly in a situation where the stereotype is relevant. This has been shown to be a factor in differences in intelligence test scores between different ethnic groups, men and women, people of low and high social status and young and old participants. For example females who were told that women are worse at chess than men, performed worse in a game of chess than females who were not told this.

Education: There is controversy as to whether education affects intelligence in that education has a complicated relationship with intelligence; it is both a dependent and independent variable. Previously measured intelligence has been shown to predict educational achievement and attainment. The correlation between IQ and educational attainment is somewhere between .40 and .60. Those who did better on intelligence tests in their childhood tend to have a lower drop out rate, and complete more years of school, therefore making intelligence a predictive factor of how well someone will succeed in schooling. Intelligence also affects achievement in examinations with one study finding a correlation of 0.81 between general intelligence(g) and GCSE results. However, on the other hand, education has been shown to improve a person's performance on these intelligence tests, from a very young age. A study by Ceci illustrates the numerous ways in which education can affect intelligence. It was found that; IQ decreases during summer breaks from schooling, children with delayed school entry have lower IQ's, those who drop out of education earlier have lower IQ's and children of the same age but of one years less schooling have lower IQ scores. Thus it is difficult to unravel the interconnected relationship of IQ and education where both seem to affect one another, however it appears that quantity of schooling may be important as it underpins the cognitive processes of performance on IQ tests.

Training and Interventions

Research on the effectiveness of interventions, and the degree to which fluid intelligence can be increased, especially after age 16, is somewhat controversial. Fluid intelligence is typically thought of as something more innate, and defined as immutable after maturity. One recent article however, demonstrates that, at least for a period of time, fluid intelligence can be increased through training in increasing an adult's working memory capacity. Working memory capacity is defined as the ability to remember something temporarily, like remembering a phone number just long enough to dial it.

In an experiment, groups of adults were first assessed using standard tests for fluid intelligence. Then they trained groups for four different numbers of days, for half an hour each day, using an n-back exercise that worked on improving one's working memory. It supposedly does so through a few different components, involving having to ignore irrelevant items, manage tasks simultaneously, and monitor performance on exercise, while connecting related

items. After this training, the groups were tested again and those with training (compared against control groups who did not undergo training) showed significant increases in performance on the fluid intelligence tests.

A study by Blackwell et al. found that they could improve a child's mathematics achievement depending on which theory of intelligence they were taught; incremental or entity theory. Entity theory supposes that intelligence is fixed and cannot be altered by working harder. Incremental theory on the other hand assumes that intelligence is malleable and can be developed and improved with effort. Over the course of a year they found that student's who had been taught the incremental theory of intelligence showed an upward trajectory in grades in mathematics throughout the year whereas those who had been taught entity theory showed no improvement. This indicates that teaching incremental theory may improve performance on academic tasks, though further research is needed to investigate whether the same results can be found for general intelligence.

Other studies have looked at improving intelligence and preventing cognitive decline by using cognition enhancing substances known as nootropics. One such study gave participants a number of known nootropics in combination in the hopes of targeting numerous cellular mechanisms and increasing the effects on cognition that each would have if administered individually. They conducted a double blind test and administered the combination treatment or placebo to adults for 28 days. They administered Raven's Advanced Progressive Matrices as a measure of intelligence on the first day and after 28-days. The results indicated a significant improvement in performance for those who had taken the treatment compared to those taking the placebo. The effect was equivalent to an increase in IQ of around 6 points.

References

- Barkow, J., Cosmides, L. & Tooby, J.: *The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the Generation of Culture*, Oxford University Press, Oxford, 1992.
- Bell P., Greene T., Fisher, J., & Baum, A.: *Environmental Psychology*, Harcourt Brace, Ft Worth, 1996.
- Buss, D. M.: *The Evolution of Desire: Strategies of Human Mating*, Basic Books, New York, 1994.
- Clarke, Murray: *Reconstructing Reason and Representation*, MIT Press, Cambridge, Mass, 2004.
- Durrant, R., & Ellis, B.J.: *Comprehensive Handbook of Psychology, Volume Three: Biological Psychology*, Wiley & Sons, New York, 2003.
- Evan, Dylan: *Introducing Evolutionary Psychology*, Totem Books USA, Lanham, MD, 2000.
- Gifford, R.: *Environmental Psychology: Principles and Practice*, Optimal Books, Colville, WA, 2007.
- Proshansky, H. M.: *Handbook of Environmental Psychology*, John Wiley & Sons, New York, 1987.
- Richards, Janet C.: *Human Nature after Darwin: A Philosophical Introduction*, Routledge, New York, 2000.

Prejudice in School Children

Dr. Suhina Chatterjee & Dr. Bharati Roy

Professor of Psychology, Ranchi University, Ranchi, Jharkhand

Abstract

Present study measures the extent of prejudice of economically deprived school students. It also attempt to examine the role of ages, sex and rural-urban residence. The sample of the study consisted of 40 rural (20 male and 20 female) and 40 urban (20 male and 20 female) school students half of which have been taken from class V and another from class XI. They were further equally subdivided to male and female. The prejudice scale and attitude scale developed by P.G.Deptt. of Psychology, Ranchi University, were used to collect data. The result showed that one fourth of the sample is prejudiced. Sex prejudice is more prominent than all other dimensions of prejudice. There is no difference between the higher and lower age group in prejudice score. Rural students are more prejudiced than urban students.

Key words: Prejudice, Sample, Economically deprived.

Introduction

The study of prejudice has been a favourite area of investigation by social scientists, especially social psychologist in India. The root word of prejudice is prejudged, it is a set of attitudes which causes, supports or justifies discrimination. Prejudiced people respond to others in a more or less fixed way Farely (2000). Prejudice implies a pre-conceived and unreasonable judgement or opinion unfavourable marked by suspicious, fear, intolerance or hatred of a person or group of persons. According to psychodynamic theory "prejudice is simply one of many manifestations of an unhappy and maladaptive personality. Prejudice is scapegoating or protecting- attributing to others the hatred and fears persons have of themselves about their own impulses".

Papalia, Olds and Feldman (1998) defines prejudice an unfavourable attitudes toward " outsiders" especially members of certain racial or ethnic groups. Prejudice is an unjustified or incorrect attitude (usually negative) towards an individual based solely on the individual's membership of a social group (Leod 2008). Prejudice refers to a positive or a negative attitude or belief directed toward certain people based on their membership in a particular group. Prejudice can be directly learned or unlearned. It can also be symptomatic of deeper personal and social maladjustment.

According to Gaertner, Mann, Murrell and Dovidio (1989) prejudice may be lessened or eliminated by modifying children's experience. The most effective programs get children from different groups to work together, as in athletic teams; working toward a common goal produces positive feelings.

Some forms of prejudice are related to socio-economic status. People of lower socio-economic status groups tend to report more negative views towards

out groups. There are two areas where socio-economic status seems to have an influence on prejudice are education and economic insecurity.

Researchers suggest that people with higher socio-economic status lower on most measures of prejudice. Research seems to indicate a relationship between one's economic insecurity and prejudice. There is a relatively strong relationship between one's social class and the level of prejudice. High level of prejudice is seen in people of lower socio-economic status (Farley, 2005). Research indicates that people with higher level of education lower on most measures of prejudice.

The research findings on the relationship between gender and prejudice are often contradictory. Several investigators had found no gender differences between two sexes. Balland and Kelly (1976), Khaliq (1986), Sharma and sud (1989) and Zeba (1992).

Objectives

- 1) To study the extent of prejudice in economically deprived Hindu school students.
- 2) To study the role of age, sex and rural-urban residence on prejudice.

Sample

The sample for the present study consisted of 80 economically deprived Hindu school students reading in class Vth and XIth (age 10-18 years), who were selected on stratified random basis from different schools of Ranchi district. The stratification was based on age (10 & 18), gender (male & female) and place of residence (urban & rural). Thus there were 8 sample sub-groups, each sub-group consisting of 10 cases, to make 80 cases in total.

Tools

- 1) A likert type prejudice scale developed and standardized by the department of psychology, Ranchi University used to measure prejudice. There are four sub scales of measurement of prejudice. They are religious, caste, class and sex. Each sub-scale has 20 items, each having three alternatives, each yielding 20-60 scores. The total prejudice scale is aggregate of all the four dimensions having a range of 80 to 240.
- 2) Attitude Scale- A likert type attitude scale was used to measure three types of attitude allied to predics. These are religious attitude, moral attitude and caste attitude.

Result and Discussion:

The data was analyzed by calculating percentage, mean, standard deviations and t test.

Table-1: Percentages of high and low scorers on total prejudice scale.

	Very Low		Low		High		Very High	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Urban	5	12.5	34	85	1	2.5	0	0
Rural	6	15	15	37.5	19	47.5	0	0
Total	11	13.75	13.75	61.25	20	25	0	0

Table-2: Percentages of high scores on four dimensions of Prejudice.

Extent of Prejudice	RP		CP		SP		CLP	
	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban	Rural	Urban
Very Low	0%	2.5%	0%	0%	5%	7.5%	0%	2.5%
Low	50%	10%	32.5%	5%	50%	32.5%	27.5%	12.5%
High	27.5%	45%	45%	40%	35%	37.5%	60%	55%
Very High	22.5%	42.5%	22.5%	55%	10%	22.5%	12.5%	30%

A close look at the figure presented in Tables 1 and 2 reveal the following facts.

- 1) One fourth or 25% of the total sample are prejudiced.
- 2) There is not a single case which is extremely prejudiced.
- 3) The more prejudice falls in the rural cases.

From the data given in the Table 2 it may be observed that sex prejudice is more prominent than all other dimensions of prejudice. Percentages of the sample for rural cases are the remarkable higher than urban cases in all four dimensions.

Table-3: Age difference in four dimensions of Prejudice

			Religious	Caste	Sex	Class	Total
Age Group I	Rural	M	43.95	41.05	43.95	40.1	167.4
		6	4.01	4.45	4.29	5.18	12.67
	Urban	M	33.05	31.3	38.2	34.05	136.6
		6	6.91	5.38	9.26	4.46	13.5
Age Group II	Rural	M	32.55	33.20	37.21	35.05	137.20
		6	6.49	6.55	8.85	11.50	22.45
	Urban	M	33.90	29.50	39.85	30.70	135.90
		6	7.23	3.95	17.00	4.18	14.90
t	Rural		0.85	0.76	0.55	0.89	5.63
	Urban		0.16	1.18	0.37	2.39	0.67

't's are not significant.

Table-4: Age difference in allied attitudes

			RA	CA	MA
Age Group I	Rural	M	45.35	41.50	31.00
		6	4.78	7.75	4.36
	Urban	M	30.28	33.90	30.65
		6	9.24	6.07	4.87
Age Group II	Rural	M	43.50	36.60	31.20
		6	7.23	6.42	4.41
	Urban	M	44.85	32.05	30.35
		6	7.32	9.96	4.19
t	Rural		1.04	1.77	0.14
	Urban		2.57	0.92	0.29

df =38

t's are not significant.

From the data given in the Table 3 and 4 It may be observed that there was no significant difference between higher and lower age group in prejudice scores in urban cases, but in rural cases lower age group were more prejudiced than the higher age group.

Table-5: Gender difference in four dimensions of Prejudice.

			<i>Religious</i>	<i>Caste</i>	<i>Sex</i>	<i>Class</i>	<i>Total</i>
F e m a l e	R u r a l	M	37.50	39.05	38.55	36.45	157.80
		6	7.67	6.43	7.33	7.61	23.25
	U r b a n	M	34.45	30.60	36.75	34.10	134.65
		6	7.17	2.24	6.40	4.30	17.59
M a l e	R u r a l	M	39.00	35.20	42.62	38.70	146.80
		6	7.56	6.68	7.55	6.19	23.02
	U r b a n	M	32.50	30.20	41.30	30.65	135.95
		6	6.87	4.28	9.79	4.24	17.34
t	Rural		0.85	0.36	1.79	2.48	0.22
	Urban		0.16	1.82	1.66	1.08	1.46

t's are not significant

From the data given in Table 4 it may be observed that there is no significant differences between lower and high age group in attitude score. In urban cases lower age group obtained significantly higher scores in religious attitude scale indicating that they had more religious prejudice than the higher age group. There is no difference between higher and lower age group in caste and moral attitude.

We have compared the prejudice score of male and female group. t ratio was compared separately for the urban and rural cases. It was expected that female students have higher prejudice score than the male students. The data is given in the tables 5 and 6.

Table-6: Gender difference in allied attitude

			RA	CA	MA
F e m a l e	R u r a l	M	43.30	38.45	32.55
		6	7.16	8.71	4.33
	U r b a n	M	43.16	34.80	30.85
		6	8.42	5.73	4.15
M a l e	R u r a l	M	45.55	39.65	32.65
		6	4.93	7.01	3.41
	U r b a n	M	40.40	31.80	30.15
		6	3.87	6.48	4.12
T	Rural		1.67	0.41	0.03
	Urban		1.05	1.52	0.62

t's are not significant

From the data it may be observed that the above finding does not support the hypothesis as it was observed that there was no significant difference between male and female students in prejudice score obtain in attitude scale.

Table -7: Rural- Urban difference in four dimensions of Prejudice.

		<i>RP</i>	<i>CP</i>	<i>SP</i>	<i>CLP</i>	<i>TPS</i>
R u r a l	M	38.25	37.13	40.60	37.68	152.30
	6	7.62	6.95	7.71	6.09	23.66
U r b a n	M	33.48	30.40	39.03	32.38	135.30
	6	7.07	4.81	8.40	4.33	21.70
t		4.72**	3.48**	1.32(NS)	3.7**	3.97**

** Significant at .01 level

From the data given in the table 7 it may be observed that there was highly significant differences between rural and urban cases in prejudice score. Large difference in favour of the rural cases offers that rural cases are more prejudiced than the urban.

Main Findings

- 1) On forth of the sample is prejudiced. However the intensity of prejudice is very mild.
- 2) Sex prejudice is more prominent than all other dimensions of prejudice.
- 3) There is no difference between the higher and lower age group in prejudice score.
- 4) Female students do not differ from the male students in prejudice score.
- 5) Rural students are more prejudiced than urban students.

References

- Ballard,B and Kelley,H.R.(1976). Development of racial awareness: Task consistency, reliability and validity, *journal of Genetic Psychology*, 129(1),3-11.
- Farley,J.E.(2000). *Minority relation* (4th ed) upper saddle River, N.J.Prentice Hill.
- Gaertner,S.L., Mann,J., Murrell,A., and Dovidio, J.E(1989). Reducing intergroup bias: The benefits of recategorization. *Journal of personality and social Psychology*, 57, 239-249.
- Khalique,A.(1986). Ethnic prejudice in Muslim children: Origin and development. *Social change*. March.16.(1).38-44.
- Mc Leod,S.A.(2008). Social identity theory-simply Psychology. Retrieved from <http://www.simplypsychology.org/social-identity-theory>.
- Papalia,D.E.,Olds,S.W.,Feldman,R.D (1998). *Human development* (Seventh edition). Mc Graw Hill.315-316.
- Sharma,R and Zafar.(1989). A study of prejudice in relation to feelings of security-insecurity.*Journal of Personality and Clinical Studies* 5,73-75.
- Zeba (1992).*Some socio-psychological correlates of attitudinal modernity and prejudice in high school students*. An unpublished Ph.D. Thesis.L.N.Mithila University, Darbhanga.

Psychosocial factors in Relation to Psychotic Disorder

Sneha Kumari

*D/O- Vijay Kumar, New Colony, Dak Banglow, Road No. 04,
Bettiah, Bihar-845438*

Psychologists are trying to pin-point the conditions in the community or larger society that have pathogenic effects on the development and behaviour of individual members exposed to those conditions. A wide range of such conditions as poverty, crime racial prejudices, religious discrimination, social disorganization, political dictatorship etc, have been recognized. The gap between the socially disadvantaged and the advantaged represents a key social problem in all the countries. Social prejudices and discrimination having their roots in racial and religious background are constantly fuelling our heart burning which often erupts in monstrous and cruel violence and undo all that have been done to ameliorate human life.

Indeed intricately circumscribed by poverty has become the red-hot belt of prejudices and discriminations based on caste and religion. Though these are loudly decried yet they seem to be most deeply ingrained in our mental makeup.

The institution of caste has always played a vital role in Indian Society since early ages. In spite of great changes in the history of India, caste has continued to be an important feature of Indian social life.

Caste largely determines the functions, the status, the available opportunities as well as the handicaps for an individual. Caste differences even determine the difference in the models of domestic and social life, types of houses, cultural practices and patterns of the people. Administrative functions have also been often categorized according to castes, especially in the rural area. Every caste groups has its own force often expressing itself in a demand for strict adherence to the rules, norms, values and traditions which, to a great extent, determine the attitudes and behavioural patterns of its members.

From the time that it comes into being each caste has been functioning as reference field for its members. It has contours, not boundaries. Further, the institution of caste system is more co-native than cognitive. A major portion of its code of conduct has moorings in affect and religion.

Caste system in Rural India

India is a country of diverse group of people geographical regions, communities cultures, language and institution. As a result there are

innumerable social problem affecting social change in the country with multifarious facts and dimension.

In India, social inequalities got consolidated in form of the age-old caste system. It is an ubiquitous institution operative in different religious.

According to the ' A dictionary of the social sciences' (1964). The terms caste refers to (a) the form of social organization found in India, based on religious beliefs in the supremacy of the Brhamin, rigid ranking according to birth, and restrictions on occupation and marriage : (b) one of the Indian hereditary groups within this social system (c) any hereditary and exclusive class elsewhere.

Kroeber (1930) defined caste as endogamous and hereditary subdivision of an ethic unit occupying a position of superior or inferior rank or social esteem in comparison with other such subdivision.

- a) The segmental division of society into distinct groups with membership determined by birth.
- b) Hierarchy according to a definite scheme of social precedence with the Brahmin at the head of the hierarchy.
- c) Restrictions on inter-dining and intercourse arising out of notions of ritual pollution.
- d) Very civil and religious disabilities and privileges of the different segments.
- e) Restrictions on occupation.
- f) Endogamy; the traditional custom whereby member of a caste marry among themselves and marriage outside the caste is prohibited.

Some authors (e.g. Bose, 1965, Prasad, 1957) consider the caste system as one variety of class system and tend to apply Marxian theory of origin and persistence of the caste system.

These Marxian thinkers discussed how the ingenious caste system helped the upper leadership to preserve itself intact through centuries and did not allow the changes in the distribution of power between classes as they developed in the west.

The institution of caste has been one of the salient characteristics of the Indian society since early ages. In spite of great changes in the history of India, caste has continued to be an important feature of the Indian social system.

Through, initially a relatively open system of stratification, the caste system through the ages has crystallized into a rigid hierarchical system of social discrimination. The higher castes considered themselves superior merely because of their birth. A member of lower caste, however intelligent, hard working hard working and proficient was considered inferior.

The rigid hierarchical system of social discrimination has deprived the member of the supposedly lower castes of the environment which is a prerequisite for an all round development of an individual. Like racial discrimination, it has brought in its wake the deleterious effects on the development of personality among the lower castes.

References

- 1) Adelson, D., Community Psychology and Mental Health, Chanedr Publishing Co. (1970).
- 2) Adler, A : Practice and theory of individual, psychology, Harcourt, Brance & Word N.Y. 1927, page 21.
- 3) Alam. Q.G. and Srivastava, R. (1981). Self perception as a function of religion, sex and culture. Perspectives in psychological Researches, 4(2):42-45
- 4) Allport, G.W. : Pattern and Growth in Personality, Holt Renibart and Winston, 1961, p.271.
- 5) Allport, G.W.: Personality and social encounter, Boston, Becon Press, Page 173.
- 6) Allport, G.W., Personality – A psychological interpretation, McGraw Hill Comp. New York, 1960,p. 32.

Principles of Natural Justice and Indian Legal System: A Study

Anjay Kumar

*Assistant Professor, Law Centre-II Faculty of Law,
University of Delhi, Delhi*

'Natural justice' has meant different things to different persons. Natural justice is not a new age defined term but it has been part of our civilization for a long time now. With the advancement of the civilization our lives have started to be more dominated by rule of law, rather than law of nature. Natural justice is another name for commonsensical justice. Principles of natural justice are fundamental rules of justice and morality. They are found by the process of logic and reason. The fingers of nature print them at the hands of the mankind. They prescribe and lay down ideal code of conduct and behaviour irrespective of the political sanctions. The nature has worked as a legislature for the mankind and has controlled the human race. Law of nature controls the whole of the universe. The middle ages took laws of nature as the divine law. The modern law takes them to be physical law. The modern positive-man made law are nothing but have to be in keeping with the principles of natural justice in conformity with the rules of universe. Law is the highest reason implanted by the nature that commands the things to be done which ought to be done and prohibiting the reverse. This paper examines the principal of natural justice in the Constitution of India along with judicial attitude.

Key Words: Natural law, Principles of Natural justice, Rule against bias, *Audi altrem partem*, Speaking order

"Justice should not only be done, but also manifestly and undoubtedly seen to be done."

Lord Chief Justice Hewart in R v Sussex Justices

Meaning

Natural law is taken an ideal system laid in heaven by nature and the positive law in the state by man. They are and have been universal eternal truths holding good in any and every era and the every part of the world. It is used interchangeably with divine law, *jus gentium*, the common law of England, due process of the US, "Dharma" of India, and proportionality of the civil law system. It is a concept of changing content. Natural justice is not an articulation of any saint or sage. Natural law has inherent rationality which is in conformity with Natural justice and may lead to all right conclusions. Thus basis of all positive law is Natural justice. Rules of Natural justice are not codified cannons. They

are principles deep-rooted in the conscience of man. Natural justice is based substantially on natural Justice is based substantially on natural ideals and human values. In India there is no statute laying down the minimum procedure which administrative agencies must follow while exercising decision-making powers. This minimum fair procedure refers to the principles of natural justice. Natural justice is a concept of common law and represents higher procedural principles developed by the courts, which every judicial, quasi-judicial and administrative agency must follow while taking any decision adversely affecting the rights of a private individual. Natural justice implies fairness, equity and equality. In a welfare state like India, the role and jurisdiction of administrative agencies is increasing at a rapid pace. The concept of Rule of Law would lose its validity if the instrumentalities of the State are not charged with the duty of discharging these functions in a fair and just manner.

Principles of Natural Justice

Those whose duty it is to decide must act judicially. They must deal with the question referred to them without bias and they must give to each of the parties the opportunity of adequately presenting the case made.¹ There was a violation of due process whenever there was a breach of a “principle of Justice so rooted in the traditions and conscience of our people as to be ranked as fundamental.”² Natural justice has many colours and shades, many forms and shapes and, save where valid law excludes, it applies when people are affected by acts of authority. It is the bone of healthy government, recognised from earliest times and not a mystic testament of judge-made law³. Aristotle, before the era of Christ, spoke of such principles calling it as universal law. Justinian in the fifth and sixth Centuries A.D. called it “*jura naturalia*” i.e. natural law. Different jurists have described the principle in different ways⁴. Some called it as the unwritten law (*jus non scriptum*) or the law of reason. These principles have a great humanising principle intended to invest law with fairness to secure justice and to prevent miscarriage of justice. With the passage of time, some principles have evolved and crystallised which are well recognized principles of natural justice. In India there is no statute laying down the minimum procedure which administrative agencies must follow while deciding a matter. Sometimes the concerned statute lays down the procedure,⁵ but at times executive authority is left to free to devise its own procedure. However minimum fair procedure must be followed which is called the principles of natural justice.⁶ Natural justice is concept of common law, and it is the common law world counterpart of the U.S. “Due process of law”. We have seen the essential elements of Natural Justice and its extensions or refinements. The phrase is, of course, used only in a popular sense and must not be taken to mean that there is any justice natural among men. The truth is that justice is a very elaborate conception, the growth of many centuries of civilization; and even now the conception differs widely in countries usually described as civilized⁷. Natural Justice has been defined in various cases and a few instances are as “universal Justice”⁸, the

requirements of substantial justice⁹, 'the substantial requirement of justice'¹⁰, 'the natural sense of what is right and wrong'¹¹, 'fundamental justice'¹², 'fair play in action'¹³, 'a duty to act fairly'¹⁴, 'a fair crack of the whip'¹⁵, 'common fairness'¹⁶. Man relation with the nature had certain basic problems which differed in degree and dimensions. A systematic pattern of ideas and values had to be evolved out of the doctrine of natural law for universal application and acceptance. This universal juristic humanitarianism led to the development of the principles of Natural justice. But still fixed principles of Natural justice through the courts of decision of can be ascertained which as follows.

The first principle 'No man shall be a judge in his own cause'. It means that the deciding authority must be impartial and without bias. It implies that no man can act as a judge for a cause in which he himself has some Interest, may be pecuniary or otherwise. Judges, like Caesar's wife, should be above suspicion. The Principle is not confined merely to the case where the Judge is an actual party to a cause, but applies to a cause in which he has an interest. An "Interest", has been defined as a legal interest or a pecuniary interest and is to be distinguished from "favour". Such an interest will disqualify a Judge. The interest (or bias) which disqualifies must be one in the matter to be litigated. The Law in laying down this strict rule has regard, not to the motive which might bias the Judge but it is to promote the feeling of confidence in the administration of Justice. Pecuniary interest affords the strongest proof against impartiality. The emphasis is on the objectivity in dealing with and deciding a matter. The pecuniary interest, howsoever small it may be, in a subject matter of the proceedings, would wholly disqualify a member from acting as a judge.¹⁷ This may be in the shape of some personal relationship with one of the parties or ill will against any of them. In one of the cases order of punishment was held to be vitiated, as the officer who was in the position of a complainant or accuser or witness, could not act as an enquiry officer or punishing authority.¹⁸ The reason is plain enough. Justice must be rooted in confidence, and confidence is destroyed when right minded people go away thinking, the Judge was biased". But we find a caution given that the suspicion should be that of reasonable people and must not be that of capricious and unreasonable person¹⁹. It ensures hearing or consideration of a matter by unbiased and impartial authority. Bias can take many forms for example Personal Bias, Pecuniary Bias, Subject-matter bias, Departmental bias etc. The dividing line between an administrative power and quasi-judicial power is quite thin and is being gradually obliterated²⁰. Whether a power is Administrative or quasi-judicial, one has to look into the nature of power conferred, the person on whom it is conferred, the framework of the law conferring that power and the manner in which that power is expected to be exercised.

Second principle Audi Alteram Partem, i.e. no man should be condemned unheard or that both the sides must be heard before passing any order. A man cannot incur the loss of property or liberty for an offence by a

judicial proceeding until he has a fair opportunity of answering the case against him. In many statutes, provisions are made ensuring that a notice is given to a person against whom an order is likely to be passed before a decision is made, but there may be instances where though an authority is vested with the powers to pass such orders which affect the liberty or property of an individual but the statute may not contain a provision for prior hearing. But what is important to be noted is that the applicability of principles of natural justice is not dependent upon any statutory provision. The principle has to be mandatorily applied irrespective of the fact as to whether there is any such statutory provision or not. The principles of natural justice operate as implied mandatory requirements, non-observance of which invalidates the exercise of power²¹. The rules of natural justice operate only in areas not covered by any law validly made. These principles thus supplement the law of the land²². The principles of natural justice are very flexible principles. They cannot be applied in any straitjacket formula. It all depends upon the kind of functions performed and the extent to which right of a person is likely to be affected. It may not be necessary to provide a full-fledged oral hearing in every case though it may be necessary in certain other matters. In certain matters, it may be sufficient to allow a person only to make a representation and no oral hearing may be necessary, but the same may not be true in another matter where full-fledged oral hearing including cross-examination of the witnesses etc. would be necessary.²³ *Audi Alteram Partem* rule consists of two primary elements, namely a) notice of the case to be met and b) opportunity to explain. These rules may embrace a number of sub-rules, e.g., Right to present case and evidence, Right to rebut adverse evidence, Right to cross examination, Right to legal representation, Disclosure of evidence to party, Report of enquiry to be shown to the other party, Requirement of cross examination etc. Cross-examination is used to rebut evidence or elicit and establish truth. In administrative adjudication, as a general rule, the courts do not insist on cross-examination unless the circumstances are such that in the absence of it, an effective defence cannot be put up. It can thus be concluded that right to cross-examine is an important part of the principle of fair hearing but whether the same should be allowed in administrative matters mainly depends on the facts and circumstances of the case²⁴. Whether legal representation is allowed in administrative proceedings depends on the provisions of the statute. The courts in India have held that in following situations, some professional assistance must be given to the party to make his right to defend himself meaningful: - a) Illiterate b) Matter is technical or complicated c) Expert evidence is on record d) Question of law is involved e) Person is facing trained prosecutor.

The third principle reasoned decision or speaking order. This is necessary with a view to exclude the possibility of arbitrariness in the action. A bald order requiring no reason to support it may be passed in an arbitrary and irresponsible manner. It is the reason for passing an order, which checks the arbitrariness. It

is a step in furtherance of achieving the end where society is governed by Rule of law. The other aspect of the matter is that the party, against whom an order is passed, in fair play, must know the reasons of passing the order. The reason is the heart beat of every conclusion. It ensures transparency and fairness²⁵. It has a right to know the reasons. The orders against which appeals are provided must be speaking orders.

Otherwise, the aggrieved party is not in a position to demonstrate before the appellate authority, as to in what manner, the order passed by the initial authorities is bad or suffers from illegality. The non-speaking order amounts to depriving a party of a right of appeal. Reasons are the link between the order and mind of the maker. Any decision of the administrative authority affecting the rights of the people without assigning any reason tantamount to violation of principles of natural justice. The requirement of stating the reasons ensures that a) the administrative authority will apply its mind and objectively look at the facts and evidence of the case. b) It ensures that all the relevant factors have been considered and that the irrelevant factors have been left out. c) It satisfies the aggrieved party in the sense that his view points have been examined and considered prior to reaching a conclusion. d) The appellate authorities and courts are in a better position to consider the appeals on the question of law. In short, reasons reveal the rational nexus between the facts considered and the conclusions reached. However, mere recording of reasons serves no purpose unless the same are communicated either orally or in writing to the parties. In fact mere communication of reasons has no meaning unless the corrective machinery is in place. Whether the reasons should be recorded or not depends on the facts of the case.

Post Decisional Hearing

Post decisional hearing means hearing after the decision is reached. The idea of post decisional hearing has been developed by the Apex Court in *Maneka Gandhi v UOI*²⁶ to maintain the balance between administrative efficiency and fairness to the individual. Pre-decisional hearing may be dispensed with in an emergent situation where immediate action is required to prevent some imminent danger or injury or hazard to paramount public interest. Mere urgency is, however, no reason for exclusion of *audi alteram partem* rule. The decision to exclude pre-decisional hearing would be justiciable. Where pre-decisional hearing is dispensed with, there must be a provision for post-decisional remedial hearing²⁷. The post-decisional hearing at least affords an opportunity to the aggrieved person and is better than no hearing at all²⁸. However, post-decisional hearing should be an exception rather than rule. It is acceptable in the following situations: a) where the original decision does not cause any prejudice or detriment to the person affected; b) where there is urgent need for prompt action; c) where it is impracticable to afford pre-decisional hearing. The decision of excluding pre-decisional hearing is justiciable. If the non-disclosure of the

report causes any prejudice in any manner to the party, it must be disclosed, otherwise non-disclosure would not amount to violation of principles of natural justice²⁹. The non-furnishing of the enquiry report would amount to denial of the principles of natural justice.³⁰ This rule extends to all establishments -whether Govt., non-Govt., public or private³¹. Natural Justice may be excluded in the following situations:

- (i) Exclusion in case of emergency³²,
- (ii) Express statutory exclusion³³,
- (iii) Where discloser would be prejudicial to public interests
- (iv) Where prompt action is needed³⁴,
- (v) Where it is impracticable to hold hearing or appeal³⁵,
- (vi) Exclusion in case of purely administrative matters³⁶.
- (vii) Where no right of person is infringed³⁷,
- (viii) The procedural defect would have made no difference to the outcome³⁸.

Principles of Natural Justice and Indian Constitution

The expression Natural Justice not used in the Constitution of India. However, golden thread of natural justice passed through the body of Indian constitution. Preamble of the constitution includes the words, 'Justice, liberty and equality which not only ensures fairness in social and economical activities of the people but also acts as shield to individuals liberty against the arbitrary action which is the base for principles of Natural Justice. Apart from preamble Article 14 ensures equality before law and equal protection of law to the citizen of India. The horizons of equality as embodied in Art. 14 have been expanding as a result of the judicial pronouncements and Art. 14 has now come to have a highly activist magnitude.

It laid down general proposition that all persons in similar circumstance shall be treated alike both in privileges and liabilities imposed. In *Delhi Transport Corporation v. DTC Mazdoor Union*,³⁹ SC held that "the audi alteram partem rule, in essence, enforce the equality clause in Art 14 and it is applicable not only to quasi-judicial bodies but also to administrative order adversely affecting the party in question unless the rule has been excluded by the Act in question." Similarly in *Maneka Gandhi v. Union of India* Apex Court opined that Art 14 is an authority for the proposition that the principles of natural justice are an integral part of the guarantee of equality assured by Art. 14 an order depriving a person of his civil right passed without affording him an opportunity of being heard suffers from the vice of violation of natural justice. There are several instances where Art. 14 of the Constitution is invoked to protect individual from the violation of natural justice principles. The Court emphasized that the judicial concept of Art. 14 have progressed from a prohibition against discriminatory class legislation to an invalidating actor for any discriminatory or arbitrary state action. The Court also emphasized that the rule was "both arbitrary and

unreasonable” and “as it also wholly ignored and set aside the Audi alterum partum rule” violated Art. 14. This is of the view that “the principle of natural justice has now come to be recognized as being a part of the constitutional guarantee contained in Art. 14.” The most important word under this Article 21 is ‘procedure established by law’⁴⁰ the question arises whether these words can be read as rules of natural justice. i.e., whether ‘law’ under Article 21 can be read as principles of natural justice? To this question The Supreme Court ruled by majority that the word ‘law’ in Art. 21 could not be read as rules of natural justice. Such law must prove substantive reasonableness as well as procedural reasonableness, later one requires such procedure should be ‘fair’, fairness requires reasonable notice, reasonable opportunity of hearing, legal representation, reasons for decision, etc. which are the fundamental component of natural justice. Article 21, 19 and 14 are mutually exclusive, but are inter-linked. The principle of reasonableness which legally as well as philosophically is an essential element of equality or non-arbitrariness pervades art 14 like a brooding omnipresence⁴¹.

Thus, the procedure in Art. 21 “must be right, just and fair” and not arbitrary, fanciful or oppressive, otherwise, it would be no procedure at all and the requirement of Art. 21 would not be satisfied. The procedure in Art. 21, means fair, not formal, procedure; ‘law’ is reasonable law and not any enacted piece. This makes the words “procedure established by law” by and large synonymous with the ‘procedural due process’ in the U.S.A⁴². this makes the right of hearing a component part of natural justice. Art 22 guarantees natural justice and provision of fair hearing to the arrested person. Directive principles of state Policy specially Art 39-A takes care of social, economic, and politically backward sections of people and to accomplish this object i.e. this part ensure free legal aid to indigent or disabled persons, and Art 311 of the constitution ensures constitutional protection to civil servants.

Furthermore Art 32, 226, and 136 provides constitutional remedies in cases violation of any of the fundamental rights including principles of natural justice. With this brief introduction author undertakes to analyze some of the important provision containing some elements of Principle of Natural Justice. Conducting a fair trial is beneficial both to the accused as well as to the society. A conviction resulting from an unfair trial is contrary to our concept of justice. The Supreme Court has taken a gigantic innovative step forward in humanizing the administration of criminal justice by suggesting that free legal aid be provided by the State to poor prisoners facing a prison sentence. When an accused has been sentenced by a Court, but he is entitled to appeal against the verdict, he can claim legal aid: if he is indigent and is not able to afford the counsel, the State must provide a counsel to him. The Court has emphasized that the lawyer’s services continued an ingredient of fair procedure to a prisoner who is seeking his liberation through the Court’s procedure⁴³. “Now, a procedure which does

not make available legal service to an accused person who is too poor to afford a lawyer and who would, therefore, have to go through the trial without legal assistance, cannot possibly be regarded as 'reasonable, fair and just'. Accordingly in India free-legal aid to indigent or disabled person is considered to be essential component of Natural Justice. To ensure free legal aid to citizen of India Art 39A is inserted in part IV of the constitution which states that, The State shall secure that the operation of the legal system promotes justice, on a basis of equal opportunity, and shall, in particular, provide free legal aid, by suitable legislation or schemes or in any other way, to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities.

Accordingly sufficient safeguard has been provided under Indian Constitution to get Legal representation. Article 22 (1) and (2) confers four following fundamental rights upon a person who has been arrested⁴⁴. In *re, Madhu Limaye* The Supreme Court observed that Article 22 (1) embodies a rule which has always been regarded as vital and fundamental for safeguarding personal liberty in all legal systems where the Rule of Law prevails. The court further observed that the two requirements of Clause (1) of Article 22 are meant to afford the earliest opportunity to the arrested person to remove any mistake, misapprehension or misunderstanding in the minds of the arresting authority and, also to know exactly what the accusation against him is so that he can exercise the second right, namely of consulting a legal practitioner of his choice and to be defended by him. Those who feel called upon to deprive other persons of liberty in the discharge of what they conceive to be their duty must, strictly and scrupulously, observe the forms and rules of law. The spirit and sense of Article 22 (1) is that it is fundamental to the rule of law that the services of a lawyer shall be available for consultation to any accused person under circumstances of near-custodial interrogation. Moreover, the observance of the right against self incrimination is best promoted by conceding to the accused the right to consult a legal practitioner of his choice⁴⁵. Lawyer's presence is a constitutional claim in some circumstances, and the Article 20(3) gives the right to silence. The Court enlarged this right to include right to counsel to any accused person under circumstances of near-custodial interrogation.⁴⁶ One of the ingredients of fair procedure to a prisoner, who has to seek his liberation through the court process, is lawyer's services.⁴⁷

Art 32, 226 and 227: Art 32 and 226 of the constitution provides for constitutional remedies for violation of fundamental Rights and other legal rights respectively remedies, Under Art 32 and 226 can be exercised by issuing appropriate Writs⁴⁸, Direction and Orders. The writs of certiorari or prohibition usually goes to a body which is bound to act fairly or according to natural justice and it fails to do so. In the same manner where the decision is affected by bias, personal, or pecuniary, or subject matter as the case may be considered

as violation of principle of natural justice. In such circumstances also writ of certiorari and prohibition can be issued both Under Art 32 and 226⁴⁹. The pecuniary interest, however small it may be in the subject matter of matter of the proceedings, would wholly disqualify a member from acting as judge⁵⁰. Any order made in violation of principles of natural justice is void *ab-initio* and is liable to be annulled and cancelled⁵¹. Apart from Art.32 and 226, it is Art 227 which can be used by High Court as another extraordinary weapon to prevent violation principles of natural justice in any of the lower courts or tribunals as the case may be. High Court may in exercise of its power of superintendence issue direction, Order or writ in cases where it felt that there is violation of principles of natural justice accordingly it is one of the constitutional provisions framed in the spirit of principles of natural justice.

Article 311 and principles of Natural Justice: Article 311 deals with Dismissal, removal, or reduction in rank of civil servants though Article. 310 of the constitution adapts 'doctrine of Pleasure' Art 311 constitution provides sufficient safeguards against misuse of such power, (1) of Art 311 declares that civil servant shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges. The word 'reasonable opportunity of being heard' includes all the dimension of principles of natural justice, accordingly no dismissal, removal, or reduction of rank of civil servant can be made without giving reasonable opportunity of being heard.

Conclusions

Roots of natural justice are deeply embedded and its forms the basis for administration of Justice which is so essential to preserve social order and security. The Principles of Natural Justice are easy to proclaim, but their precise extent is far less easy to define.⁵² Therefore there is no single definition of Natural Justice and it is only possible to enumerate with some certainty the main principles. During the earlier days the expression natural Justice was often used interchangeably with the expression natural Law, but in the recent times a restricted meaning has been given to describe certain rules of Judicial Procedure. In *Canara Bank and others vs. Sri Debasis Das and others*⁵³ analyzed in depth "Natural Justice" and "*Audi Alteram Partem*". Natural Justice is another name of commonsense Justice. Rules of Natural Justice are not codified canons. But they are principles ingrained into the conscience of man. Natural Justice is the administration of Justice in a commonsense liberal way. Justice is based substantially on natural Justice is based substantially on natural ideals and human values. The administration of Justice is to be freed from the narrow and restricted considerations which are usually associated with a formulated law involving linguistic technicalities and grammatical niceties. It is the substance of Justice which has to determine its form. The expressions "Natural Justice" and "Legal Justice" do not present a water tight classification. It is the substance

of Justice which is to be secured by both and when ever legal Justice fails to achieve this solemn purpose, natural Justice is called in aid of legal Justice. Natural Justice relieves legal Justice from unnecessary technicality, grammatical pedantry or logical prevarication. It supplies the omissions of a formulated law. In *S.N.Mukherjee v. Union of India*⁵⁴ observed that in view of the expanding horizon of the principles natural justice, the requirement to record reason can be regarded as one of the principles of natural justice which govern exercise of power by administrative authorities. The rules of natural justice are not embodied rules.

The extent of their application depends upon the particular statutory framework where under jurisdiction has been conferred on the authority. In Natural Justice is a great humanizing principle intended to invest law with fairness and to secure Justice and over the years it has grown in to a widely pervasive rule. The conception of natural justice should at all stages guide those who discharge judicial functions is not merely an acceptable but is an essential part of the philosophy of the law. We often speak of the rules of natural justice. But there is nothing rigid or mechanical about them. What they comprehend has been analysed and described in many authorities.⁵⁵

The principle and procedures are to be applied which, in any particular situation or set of circumstances, are right and just and fair. Natural justice, it has been said, is only "fair play in action". Where a public officer has power to deprive a person of his liberty or his property, the general principle is that it has not to be done without his being given an opportunity of being heard and of making representations on his own behalf.⁵⁶ The expressions 'Natural justice' and "legal justice" do not present a watertight classification. It is the substance of the justice which is to be secured by both, and whenever legal justice fails to achieve this purpose, Natural justice is called in aid of legal justice⁵⁷. Principles of Natural justice are parameters of fairness. Hearing means giving an opportunity to a person against whom an adverse action is proposed to be taken. The laws of procedure are grounded on the principle of natural justice which requires that men should not be condemned unheard, that decisions should not be reached behind their backs, that proceedings that affect their lives and property should not continue in their absence and that they should not be precluded from participating in them.⁵⁸ *Sangram Singh v. Election Tribunal, Kotah, Bhurey* 1955 AIR 425

Initially the principles of natural justice used to be applied to courts of law alone but later on from judicial sphere it extended, to the tribunals exercising quasi-judicial functions and then to the statutory authorities and the administrative authorities, who have upon them, the responsibility of determining civil rights or obligations of the people. In normal conditions, an action or a decision, judicial or administrative, affecting rights of an individual and resulting in civil consequence is unthinkable. In the present day, without

affording hearing by an unbiased and impartial authority who must act objectively and must also give out his mind, as to what weighed in decision making process, by incorporating reasons to support the decision or, to say so, by giving a speaking order. This is necessary for a society, which is governed by Rule of law. How substantive laws are applied and rights are determined is a question not less important, to say it again, the principles of natural justice are great humanising principles intended to invest law with fairness to secure justice and to prevent miscarriage of justice.

In a welfare state like India, the role and jurisdiction of administrative agencies is increasing at a rapid pace and with rapid expansion of state liability and civic needs of the people conferment of administrative discretion became need of an hour. With expansion in scope of discretionary power of administrative authority the regulatory measures are to be equipped with sufficient power to prevent abuse of discretion. In this regard Constitutionalized rule of law country like India, component of natural law, i.e. fair play in action must be found and reproclaimed by judiciary to keep intact the supremacy of rule of law in India. In India, the principles of natural justice are firmly grounded in Article 14 and 21 of the Constitution. With the introduction of concept of substantive and procedural due process in Article 21, all that fairness which is included in the principles of natural justice can be read into Article 21. The violation of principles of natural justice results in arbitrariness; therefore, violation of natural justice is a violation of Equality clause of Article 14. These principles are inherent and natural in application requiring no statutory provision for the same but the application of these principles can be excluded by express provision under the law.

Thus it could be further inferred that natural justice is all about fairness, reasonableness, equity and equality. The application of the principles of natural justice varies from case to case depending upon the factual aspect of the matter. For example, in the matters relating to major punishment, the requirement is very strict and full-fledged opportunity is envisaged under the statutory rules before a person is dismissed removed or reduced in rank, but where it relates to only minor punishment, a mere explanation submitted by the delinquent officer concerned meets the requirement of principles of natural justice. In some matters oral hearing may be necessary but in others, the principles of natural justice are flexible and the test is that the adjudicating authority must be impartial and fair hearing must be given to the person concerned⁵⁹.

The natural Justice cannot be placed in a strait Jacket; rules are not embodied and they do vary from case to case and from one fact-situation to another.⁶⁰ All that has to be seen is that no adverse civil consequences are allowed to ensue before one is put on notice that the consequence would follow if he would not take care of the lapse, because of which the action as made known is contemplated. Principles of natural justice are the dictates of nature. Law are

the rules of objective moral principles which are deduced from reason, common sense and the conscience. These principles are not limited to formulas, they are not codified. But they are just part of the human ethnics. Such principles are not codified in books and into formulas; they are just embedded in the conscience of man. Justice is substantially based on natural ideas and values which are universal in nature.

Footnotes

- 1 Viscount Haldane observed in *Local Government Board v. Arlidge* (1915) AC 120 (138) HL
- 2 *Snyder v. Massachussets* (1934) 291 US 97(105)
- 3 *Mohinder Singh Gill v. Chief Election Commissioner*, AIR 1978 SC 851
- 4 ijtr.nic.in/articles/art36.pdf
- 5 S. 36, The Competition Act, 2002
- 6 Ibid
- 7 *Maclean v. The Workers Union* (1929) 1 Ch. 602, 624
- 8 *Drew V. Drew and Lebura* (1855 (2) Macg. 1.8, Lord Cranworth
- 9 *James Dunber Smith v. Her Majesty the Queen* (1877-78 (3) App Case 614, 623 JC) Sir Robert P. Collier
- 10 *Arthur John Specman v. Plumstead District Board of Works* (1884-85 (10) App Case 229, 240), Earl of Selbourne, S.C.
- 11 *Vionet v. Barrett* (1885 (55) LJRD 39, 41), Lord Esher, MR
- 12 *Hookings v. Smethwick Local Board of Health* (1890 (24) QBD 712), Lord Fasher, M.R
- 13 by Bhagawati, J. in *Meneka Gandhi vs. Union of India* (1978 92) SCR 621)
- 14 *In Re R.N. (An Infaot)* (1967 (2) B. 617, 530P, Lord Parker, C.J.
- 15 *Fairmount Investments Ltd., v. Secretary to State for Environment* (1976 WLR 1255) Lord Russell of Willowan
- 16 *Geoffrey Lane, LJ in Regina v. Secretary of State for Home Affairs Ex Parte Hosenball* (1977 (1) WLR 766)
- 17 *Justice Gajendragadkar, M/s Builders Supply Corporation v. The Union of India and others*, AIR 1965 SC 1061
- 18 *State of U.P. v. Mohammad Nooh* AIR 1958 SC 86 see also *A.K.Kraipakv. Union of India*, AIR 1970 SC 150
- 19 Lord Denning observed in *Metropolitan Properties Ltd. v. Lunnnon* (1969) 1 OB 577,
- 20 *A.K.Kraipak Vs. UOI* AIR 1970 SC 150
- 21 Wade in *Administrative Law* (1977) at page 395
- 22 *A.K.Kraipak v. Union of India*, AIR 1970 SC 150, *Maneka Gandhi v. Union of India and another*, AIR 1978 SC 597
- 23 *Bar Council of India v. High Court, Kerala* (2004) 6 SCC 311
- 24 *State of J&K v. Bakshi Gulam Mohammed Town Area Committee Vs. Jagdish Prasad , In Hira Nath Misra Vs. Principal, Rajendra Medical College*
- 25 *Howrah Gantantrik Nagrik Samiti v U.T*
- 26 AIR 1978 SC 597
- 27 *Swadeshi Cotton Mills v UOI*
- 28 *H.L.Trehan v UOI*,
- 29 *Keshav Mills Co. Ltd. v UOI*.
- 30 *UOI v Mohd. Ramzan Khan* (1991)

- 31 Managing Director, Electronic Corporation of India Limited v B.Karunakar SC
32 The emergency power (defense) Act, 1934
33, 34 Defense of India Act, 1962 Rule 29 and 30 of the Act empowers the executive to make orders for externment for the maintenance of public order
35 Abhay Kumar v. K Srinivasan,
36 R V Radhakrishnan v. Osmania University,
37 Karnataka Public Service Commission v. B.M. Vijay Shanker
38 J.R. Vohra v. Indian Export House (p) Ltd
39 *Dharmarathmakara Rai Bhadur Arcot Ramaswamy Mudaliar Educational Institution v. Education Appellate Tribunal*
40 AIR 1991 SC 101
41 Article 21 lays down that no person shall be deprived of his life or personal liberty except, according to 'procedure established by law'.
42 Justice Bhagwati in *Maneka Gandhi v. Union of India* 1978 AIR 597
43 Iyer, J., opined in *Maneka Gandhi v. Union of India* 1978 AIR 597
44 *Hussainara Khatoon Case*
45 i) Right to be informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest. ii) Right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice. iii) Right to be produced before the nearest magistrate within twenty-four hours of his arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the Court of Magistrate. iv) Right not to be detained in custody beyond the period of twenty four hours without the authority of the Magistrate.
46 *Nandini Satpathy v. P.L. Dani* AIR 1978 SC 1025
47 *Nandini Satpathy's Case*
48 *M.H.Hoskot v. State of Maharashtra*
49 Writs in the nature of Habeas Corpus mandamus, prohibition quo-warranto and certiorari
50 *U.P.Warehousing Corporation v. Vijay Narain*
51 Manacle v. Dr. Premchand
52 *Gullapalli Nageshwar Rao v. APSRTC, Nawabkhan Abbaskhan V.State of Gujarat*
53 *Abbott v. Sulliva* (1952) 1 K.B.189 at 195
54 AIR 2003 SC 2041
55 AIR 1990 SC
56 Meneka Gandhi vs. Union of India AIR 1978 SC 597
57 *Schmidt v. Secy. of State for Home Affairs* (1969) 2 Ch. D 149
58 *Canara Bank v Debasis Das*, (2003) 4 SCC 557
59 Sangram Singh v. Election Tribunal, Kotah, Bhurey 1955 AIR 425
60 *Srikrishna v. State of M.P.* AIR 1977 SC 1691
61 *Maharashtra State Financial Corporation v. Suvarna Board Mills and another* (1994) 5 SCC 566.

Structurisation and Post- Modernism

Dr. Md. Shakil Anjum

*Assistant Professor, Department of Sociology,
Soghara College, Biharsharif*

Structure and agency is a key understanding mechanism within social science. The approach attempts to answer the question of action; how is it that I can do what I want with others when their goals are different, and often incompatible with mine? Prominent social scientists including Giddens and Archer have suggested that the 'Structure-Agency' question is the most important theoretical issue within the human sciences. This debate has been slower to make an impact on political science than on some other social science disciplines yet it has been argued that structure-agency questions should be recognised as central to the way we study politics.

It can be argued that there is no 'escape' from issues of structure-agency. Hay argues: "Every time we construct, however tentatively, a notion of social, political or economic causality we appeal, whether explicitly or (more likely) implicitly, to ideas about structure and agency." The structure and agency can be regarded as crucial to an understanding of Social Sciences; it has at its base a fundamental question which humans have posed for a long time. This is an essentially normative question; are we free to act as we please, or are we shaped and governed by structures? Nobody would argue that structure controls us completely, but neither, in the post-modern world, are we completely free.

It is prudent to first determine examine what we can understand by the terms 'structure' and 'agency'. This paper will begin will deal with some definitions and summarise the position from both sides of the agency structure debate. By examining the case of the recent second Gulf War in Iraq, an analysis of the usefulness of the framework will be discussed to ascertain its validity in political analysis.

The 'agency approach' is sometimes twinned with methodological individualism, which argues that the only reality we can grasp is the deeds/ actions of individuals, not classes. The approach suggests structural forces such as hegemony cannot be seen as real; they are intangible and thus we can say nothing provable about them.

This implies an epistemology that we cannot look at classes to explain the behaviour of individuals. It is therefore quite a severe approach to the human sciences. Giddens suggests the actor is an embodied unit and as such, a possessor of causal powers that she may choose to employ to intervene (or not) into the ongoing sequence of events in the world. This makes her an agent. Giddens

“...define[s] action or agency as the stream of actual or contemplated causal interventions of corporeal beings in the ongoing process of events-in-the-world.” It is analytical to the concept of agency that a person or agent “could have acted otherwise.” This conception of the agent ties agency to power.

Agency approaches see the individual as atomized, positing a voluntarist approach to human action. They argue that the context in which an individual lives is a pluralism; social power is spread between groups, and that no single group dominates. The way to analyse, therefore, is by looking at what the individual tells us - there is an onus on reflexivity; on the individual being able to account for and be aware of the reasons and implications of their actions. This approach also pays attention to time. History is taken to be the outcome of freely chosen choices and self-determined deeds: the “great man” view of history which sees Napoleon, Hitler, Mussolini, Margaret Thatcher and Bush as figures that, through freewill and behaviour, changed the course of history.

Extreme versions of this thinking hold that explanation of this is beyond human understanding. Critics of this approach claim that this is metaphysical although structure approaches give us a very one-dimensional view. Individualists would argue that we are richer as human beings than structure approach theories can predict. This is an overview of agency approaches, which are often lumped together with conservatism, claiming that there is freedom and that we succeed or fail by our own qualities and actions.

Structure is essentially explanation in terms of the social/economic/political context in which action occurs. Structuralists deny that the human actor is the ultimate social reality, focussing instead on the *situated* human actor. Key concepts in this focus are emplacement and embodiment. A structure approach is often associated with the political left and theorists such as Smith and Marx.

It argues that because conditions change through time and space then the “great man” theory doesn’t work. Structuralist approaches recognise that there are specific conditions which produce human actions or behaviour. Essentially individuals are believed not to be atomised but acting as a result and through the constraints and structures in which they exist. Behaviour is then not a result of free will but a product of structural factors. In positing reasons for behaviour, you are beginning a structure approach: explaining action according to the structure/context in which it takes place.

A structure approach would hold that individuals are situated actors in place and embodiment. We are embodied physically, defining out health, opportunities, life possibilities, etc., and emplaced in terms of lifestyle, conditions, etc. Our actions therefore respond to the structures of one kind or another, in which we are situated. Another way of thinking about how structure changes us comes from the 19th century social scientist, Durkheim. An example comes from Durkheim’s work on suicide, which listed three categories in which suicide could occur:

Egoistic: for reasons of self-dissatisfaction or in response to personal emotion.

Altruistic: for the good of other people

Anomic: because all structures have broken down and life no longer has meaning

This shows that even in relation to this extreme decision, the individual does not act without reasons – reasons are taken in response to structures. Durkheim's theory of 'social facts' clarifies the relationship between structure and infrastructure. Structures have priority, externality and constrain, in relation to our behaviour. Structuralists reject pluralism: they argue that the atomized actor is the only actor we can know. We can therefore predict life chances according to structures such as class, race and gender.

From a structuralist approach we can understand the relevance of the debate to politics. Structuralist Marxists would argue that human action and choice is determined by class. Society is composed of *superstructure*, what we can call civil society which includes things such as education, the arts and culture and *substructure* which is constituted of the material and economic base.

Marx argued that the substructure defines the superstructure – clearly a structuralist and deterministic view of society and culture. Both levels, according to Marx, are controlled by a ruling class. Men make their own history, but not under circumstances of their own choosing. Marcuse, for example, argues that we do not live in a free society, but a one-dimensional one. There is no freedom, simply reproduction of the views of the ruling class.

Similarly, structuralist feminism, of the 1960s, held patriarchy as the key structural influence. The work of Germaine Greer and Kate Millet reflects this. They saw the systematic exclusion and subordination of women from many aspects of the economy and society, and explained the position and behaviour of women through the structures set up by men.

There are criticisms of this approach. Firstly, structuralist accounts underestimate the reflexivity and autonomy of human actions. They tend to concentrate on the individual's position in a hierarchy, and do not deal with the ambiguity and ambivalence of human experience. There is a skewed reality at work: they attribute too much power/influence to few structures. Marxists, for example, have been accused by feminists of ignoring gender as a structure. Furthermore, they postulate repetitive patterns of behaviour and therefore cannot explain how changes, for example Glasnost and the abandonment of Communism have occurred.

Loyal and Barnes elucidate the key differences between structure and agency. They suggest "agency stands for 'the freedom of the contingently acting subject over and against the constraints that are thought to derive from enduring social structures. To the extent that human beings have agency, they may act independently of and in opposition to structural constraints, and/or may (re)constitute social structures through their freely chosen actions. To the extent that they lack agency, human beings are conceived of as automata, following the dictates of social structures and exercising no choice in what they do. That,

at any rate, is the commonest way of contrasting agency and structure in the context of what has become known as the structure/agency debate.”

No current theorists would argue that either agency or structure are completely in control of our behaviour, although much is still influenced by this debate: most people today hold the view that agency and structure are enmeshed together. It is still a debate which informs how we think and research. A consequence of the abandonment of extreme positions is the new prevalence of postmodern thought, for which structure is no longer the complete answer. Stuart Hall, for example, admitted in the 1980s that we are living in new times, not defined by class, as in the Marxist approach of his work. Feminists have also accepted that patriarchy is not the sole reason for women’s behaviour. Postmodernism has filled the vacuum. Postmodernism reflects the ambiguity and ambivalence of life, and suggests that structures such as class are discursive, representations of how life occurs, not real life. This is a thread in the work of Baudrillard, Barthes, Foucault and Derrida.

Derrida’s work, for example, foregrounds the play of meaning in his ‘differance’ which implies ‘defer’ and ‘differ’. The point is that meaning is always deferred: there is never a final truth or fact, and reality is always being rewritten. This radically destabilises the idea of a shared reality, emphasising the elasticity of human experience and the need to look at life ‘processually’. Everything is moving, unfixed, unfastened, and there are no underlying fixed structures. Postmodernism also emphasises the need to be tolerant of other people’s viewpoints. It encourages multiculturalism. Another strand is Hybridity theory, which claims that everything is hybrid in some sense: that there is no purity. Consequently, no language or point of view is superior.

“Giddens in the form of what he calls ‘Structuration’ theory has set out to try and transcend the dualism of structure and agency. His basic argument is that, rather than representing different phenomena, they are mutually dependent and internally related.” Structure only exists through agency and agents have ‘rules and resources’ between them which will facilitate or constrain their actions. These actions, can lead, in turn, to the reconstitution of the structure, defined as rules and resources, which will, in turn, affect future action. Thus, we have a close interrelationship between structure and agency. Giddens’ metaphor for this is that rather than being distinct phenomena structure and agency are in fact two sides of the same coin. As such, we have a conception of the mutual constitution of structure and agency. As Taylor argues, “...this conception is the most distinctive feature of ‘Structuration’ theory, yet a feature which serves crucially to undermine the theory as a whole.” This approach combines the best of agency and structure approaches - the actor is situated, but not clueless. This emphasises reflexivity, and assumes a high degree of self-awareness on the part of the actor, but also allows for the influence of structures and awareness of emplacement.

Structuration theory is Giddens’ attempt to bridge the “gap” between theories which place emphasis on either structure or agency at the expense of the other. Structuralism represents one extreme on a continuum of theory in

which social structures such as class, gender or race are seen as systems which are so pervasive through time and space that people have little or no choice but to operate within them. At the other end of the continuum, there is an emphasis is on the subjective individual, structures are seen as ephemeral; they are relative and secondary to agency. These extremes can be characterized as “systems without actors” in the case of the former, and “actors without systems” in the case of the latter. Giddens’ explains the relation between these two extremes by offering a ‘theory of structuration’ that: “...provides an account of human agency which recognizes that human beings are purposive actors, who virtually all the time know what they are doing (under some description) and why. At the same time [as understanding that]...the actions of each individual are embedded in social contexts ‘stretching away’ from his or her activities and which causally influence their nature.” Grasping the recursive nature of social practices - the duality of structure – is according to Giddens, the key to achieving this.

The study of politics largely concerns conceptions of power; ‘who gets what, when and how.’ We can understand the role of the state to include controlling and distributing limited resources which determines who benefits, and is included, and who does not benefit and is excluded. Structure and agency can assign responsibility for political actions; it is the head of state or the political-economic environment that causes events and change? An acknowledgement of the structure agency debate allows us to acknowledge the influence of structures and agents in the political world.

The structure agency debate cannot be seen as an approach to political analysis in the same way that rational choice theory might be. However, it is an important way of considering and analysing issues. Let us examine for example, the cause of the Second Gulf War in Iraq. Structure and agency debates will examine this with the approach of; were the actors involved free to make decisions independently of structures and so, as individuals, change the course of history? Or was it a situation in which structure was the predominant factor and the actions of the individuals involved was pre-ordained? From an agency perspective, there are clearly two actors who made key decisions which led to the conflict; George Bush and Saddam Hussein. We can understand that George Bush may have been inclined to go to war as he was simply following in his father’s footsteps, attempting to finish off his father’s unfinished business and trying to consolidate American hegemony. Similarly, we can see that Saddam Hussein was responsible for the conflict by his continued refusal to allow weapons inspectors to sites and his recalcitrance to convince the world that they were not harbouring terrorism and producing weapons of mass destruction.

On the structure side of the debate we can see that there were factors of structure; Bush and Hussein were individuals acting in accordance with the structures they themselves may have been unaware of, so that these actors were situated in an environment which meant the course of action was inevitable. Some structural factors that could be considered would be; rising oil prices which, had they continued would have undoubtedly fuelled the recession and

increased US domestic stability. Furthermore, instability in the region and the history of Iraqi development of banned weapons and expelled weapons inspectors meant that in a structural sense, there was a sense of inevitability of the conflict. The issue of hegemony could also be regarded as a structuralist consideration as it pervades both economy and culture; it is the field on which the game is played.

In providing an explanatory framework for political analysis, postmodernism is largely defunct. Postmodernist accounts of structure and agency reduce it to a discourse in which structure and agency are no more than arbitrary discursive constructs. In the case of war in Iraq we can see that this is a gross oversimplification. However, we can clearly see that these phenomena-Saddam, Bush, oil, terrorism and political stability are very much 'out there' with their own characteristics and properties. Structure and agency can produce social effect without being articulated in discourse. Furthermore, Giddens' rejection of the dualism of structure and agency, regarding it as two sides of the same, replies to the criticism of dualistic constructs.

The dialectical approach, and in particular, Giddens' structuration theory provides a plausible explanation which, as Giddens elucidates, the two sides of the same coin. In the case aforementioned, this constructs a much more plausible explanation which takes into consideration all factors involved. Giddens suggests 'systems', in this case, the political climate, influence people's actions, but in turn, social contexts, or 'structures' continue to exist only if they are sustained by people's repeated actions, for example the actions of Bush and Saddam. "Giddens concept of the 'duality of structure' melds agency and structure into one instead of regarding them as a dualism that consists of two separable albeit connected phenomena; unless and until structure is instantiated it has only virtual existence in the form of memory traces in people's minds."

To conclude, the structure-agency debate is useful insofar as it provides a framework within which to explain social change; and to attribute causation, and this is what Giddens recognises in his two sided coin analogy. Giddens is right that we can only see one side of the coin at a time; this results from our own perceptual limitations when we trying to interpret phenomena. Political theory needs abstraction and over-simplification of the world to enable us to explain phenomena and change; the structure agency debate is one tool to enable us to do this.

Postmodernism

That postmodernism is indefinable is a truism. However, it can be described as a set of critical, strategic and rhetorical practices employing concepts such as difference, repetition, the trace, the simulacrum, and hyperreality to destabilize other concepts such as presence, identity, historical progress, epistemic certainty, and the univocity of meaning.

The term "postmodernism" first entered the philosophical lexicon in 1979, with the publication of *The Postmodern Condition* by Jean-Francois Lyotard. I therefore give Lyotard pride of place in the sections that follow. An economy of

selection dictated the choice of other figures for this entry. I have selected only those most commonly cited in discussions of philosophical postmodernism, five French and two Italian, although individually they may resist common affiliation. Ordering them by nationality might duplicate a modernist schema they would question, but there are strong differences among them, and these tend to divide along linguistic and cultural lines.

The French, for example, work with concepts developed during the structuralist revolution in Paris in the 1950s and early 1960s, including structuralist readings of Marx and Freud. For this reason they are often called "poststructuralists." They also cite the events of May 1968 as a watershed moment for modern thought and its institutions, especially the universities. The Italians, by contrast, draw upon a tradition of aesthetics and rhetoric including figures such as Giambattista Vico and Benedetto Croce.

Their emphasis is strongly historical, and they exhibit no fascination with a revolutionary moment. Instead, they emphasize continuity, narrative, and difference within continuity, rather than counter-strategies and discursive gaps. Neither side, however, suggests that postmodernism is an attack upon modernity or a complete departure from it. Rather, its differences lie within modernity itself, and postmodernism is a continuation of modern thinking in another mode.

References

- Ashraf, A.: *Political Sociology: A New Grammar of Politics*, Universities Press, Delhi, 1983.
Barnes, Bob.: *Social Survey Division in the 1990s*, Population Trends, 1991.
Chand, Khem: *Social and Cultural Development of Indian Dalits*, ABD Pub, Delhi, 2007.
Deva, Indra : *Society and Culture in India : Their Dynamics through the Ages*, Rawat, Delhi, 1999.
Georgi, A.: *Psychology as a Human Science*, Harper & Row, New York, 1970.
Hans, E.: *Psychoticism as a Dimension of Personality*, Pergamon, Elsevier Science Inc, Amsterdam, 1997.
Mohanty, P.K.: *Cultural Heritage of Indian Tribals*, Rajat, Delhi, 1999.
Omvedt, Gail: *Reinventing Revolution: New Social Movements and the Socialist Tradition in India*, New York, Sharpe, 1993.
Pandey, R. K.: *Urban Sociology: Planning, Administration and Management*, Sarup and Sons, Delhi, 2006.
Ramesh, G. S. : *Philosophy of Indian Sociology*, Global Vision, Delhi, 2005.
Rathod, P B : *Fundamentals of Political Sociology*, ABD, Delhi, 2005.

Gandhi's Political Philosophy in Today World

Michael

Research Scholar, Department of Gandhian Thoughts, TNBU, Bhagalpur

Today the world is facing the adverse effects of violence. Countries which once thrived on violence and terror are fast realising the futility of hatred. This article which was published in the Sunday Statesman, Kolkata 8 February 2004, asserts that Gandhi's philosophy of nonviolence is being accepted worldwide to create a peaceful and harmonious society.

Gandhi is now emerging as the saviour of a world threatened by superpower violence, even in Gandhi's life time great minds of the world saw in his work the promise of a new world. One of them is Romain Rolland (1866-1944) who wrote in his Mahatma Gandhi: The Man who Became One With the Universal Being (1924): "With Gandhi everything is nature, modest, simple, pure while all his struggles are hallowed by religious serenity." Gandhi's gentle religious temper which was active in his politics was, however, observed 15 years earlier in his first biography Joseph J Doke's Gandhi, A Patriot in South Africa (1909).

If you wish to seize the essence of Gandhi's political philosophy read his presidential address at the annual session of the Indian National Congress held at Belgaum in 1924. The Mahatma said at the end of his address: "Satyagraha is search for truth; and God is Truth. Ahimsa and Nonviolence is the light that reveals that truth to me. Swaraj for me is a part of that truth".

Mahatma Gandhi is slowly but steadily emerging as a spiritual and moral hero on the international scene. The Great German existentialist philosopher, Karl Jaspers (1883-1969), wrote in his The Future of Mankind (1958): "Today we face the question of how to escape from physical force and from war, lest we all perish by the atom bomb. Gandhi, in word and deed, gives the true answer: only a supra-political force can bring political salvation." This is the voice of the world conscience and this is an echo of the voice of Gandhi.

The voice may not reach all ears. But they have reached at least some ears. What is strange is that Germany, a country responsible for the Second World War, is the country which is now stressing the need for Gandhian nonviolence in the modern world. Actually Germany began to understand Gandhi as early as 1931 when Rene Fullop-Miller published his Gandhi: The Holy Man.

He said that political problems must be solved in the Gandhian way: "Gandhi's nationalism contains none of those elements which makes nationalist movements of the West seem a menace to peace." This is a plea for a Gandhian approach to political problems which is now, generally speaking, the German elite's view of Gandhi's nonviolence.

Let us see the attitude to Gandhian nonviolence of the greatest physicist of the modern world after Einstein, Werner Heisenberg. In an essay on Gandhi he says that "Gandhi's teaching of nonviolence could prove to be stronger than the vague impersonal conception of an international court of justice. Gandhi's unique example shows that a true personal involvement together with the total rejection of force could be very successful politically."

In 1969 Dr. Heimou Rau of Max Mueller Bhavan, New Delhi, edited a collection of essays which was published with the title Mahatma Gandhi As Germans See Him. It contains 16 essays by eminent German intellectuals on the life and teaching of Gandhi. The essays show how Gandhi's philosophy of nonviolence has influenced the German mind.

How Gandhi's ideal has touched the soul of the Anglo-saxon world we can see in Ronald J Terchek's Gandhi Struggling for Autonomy (1999). The work explains Gandhi's idea of the swaraj of our soul which alone can fulfil our political and social obligations. No less important is Gandhi in His Time and Ours by David Hardiman, a professor at the University of Warwick. Hardiman seizes the essence of Gandhi's ideas when he says: "Gandhi's approach represented a state of mind and not any theory." Gandhi's spiritual and moral approach to our political problem is particularly important today after the US declaration of war on terrorism. To realise this we have to value Gandhi's idea of reflection on our self and see what we are. The Pentagon's hitting power will not end terrorism. It will only make it more rampant. Let us hope that the people of America, once nursed on the idealism of Emerson, Thoreau and Whitman will soon begin to understand Gandhi and will abandon the spirit of revenge which now regulates the US policy of dealing with terrorists. You cannot bring peace through violence. The most effective answer to violence is nonviolence. Gandhi said in one of his articles in his Harijan (1938): "If even one great nation were unconditionally to perform the supreme act of renunciation, many of us would see in our lifetime visible peace established on earth."

Saints should always be judged guilty until they are proved innocent, but the tests that have to be applied to them are not, of course, the same in all cases. In Gandhi's case the questions one feels inclined to ask are: to what extent was Gandhi moved by vanity - by the consciousness of himself as a humble, naked old man, sitting on a praying mat and shaking empires by sheer spiritual power - and to what extent did he compromise his own principles by entering politics, which of their nature are inseparable from coercion and fraud? To give a definite answer one would have to study Gandhi's acts and writings in immense detail, for his whole life was a sort of pilgrimage in which every act was significant. But this partial autobiography, which ends in the nineteen-twenties, is strong evidence in his favour, all the more because it covers what he would have called the unregenerate part of his life and reminds one that inside the saint, or near-saint, there was a very shrewd, able person who could, if he had chosen, have

been a brilliant success as a lawyer, an administrator or perhaps even a businessman.

At about the time when the autobiography first appeared I remember reading its opening chapters in the ill-printed pages of some Indian newspaper. They made a good impression on me, which Gandhi himself at that time did not. The things that one associated with him - homespun cloth, "soul forces" and vegetarianism - were unappealing, and his medievalist program was obviously not viable in a backward, starving, overpopulated country. It was also apparent that the British were making use of him, or thought they were making use of him.

Strictly speaking, as a Nationalist, he was an enemy, but since in every crisis he would exert himself to prevent violence - which, from the British point of view, meant preventing any effective action whatever - he could be regarded as "our man." In private this was sometimes cynically admitted.

The attitude of the Indian millionaires was similar. Gandhi called upon them to repent, and naturally they preferred him to the Socialists and Communists who, given the chance, would actually have taken their money away. How reliable such calculations are in the long run is doubtful; as Gandhi himself says, "in the end deceivers deceive only themselves"; but at any rate the gentleness with which he was nearly always handled was due partly to the feeling that he was useful. The British Conservatives only became really angry with him when, as in 1942, he was in effect turning his nonviolence against a different conqueror.

But I could see even then that the British officials who spoke of him with a mixture of amusement and disapproval also genuinely liked and admired him, after a fashion. Nobody ever suggested that he was corrupt, or ambitious in any vulgar way, or that anything he did was actuated by fear or malice.

In judging a man like Gandhi one seems instinctively to apply high standards, so that some of his virtues have passed almost unnoticed. For instance, it is clear even from the autobiography that his natural physical courage was quite outstanding: the manner of his death was a later illustration of this, for a public man who attached any value to his own skin would have been more adequately guarded.

Again, he seems to have been quite free from that maniacal suspiciousness which, as E. M. Forster rightly says in *A Passage to India*, is the besetting Indian vice, as hypocrisy is the British vice. Although no doubt he was shrewd enough in detecting dishonesty, he seems wherever possible to have believed that other people were acting in good faith and had a better nature through which they could be approached. And though he came of a poor middle-class family, started life rather unfavourably, and was probably of unimpressive physical appearance, he was not afflicted by envy or by the feeling of inferiority.

References

- Andrews, C. F.: *The Gandhian Thought: Social & Political Development*, Akashdeep Pub. House, Delhi, 1990.
- Bakshi, S.R. : *Gandhian Satyagraha and His Technique (1920-1928)*, New Delhi, Commonwealth, 2005.
- Balan, K. : *Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru : The Two Stalwarts Who Shaped India*, Delhi, Authorspress, 2002.
- Bourai, Himanshu : *Gandhian Philosophy and the New World Order*, Delhi, Abhijeet, 2004.
- Chavan, Sheshrao : *Gandhi and Ambedkar : Saviours of Untouchables*, Delhi, Authors Press for Bharatiya Vidya Bhavan, 2001.
- Das, Ratan : : *The Global Vision of Mahatma Gandhi*, New Delhi, Sarup and Sons, 2005.
- Edwardes, Michael: *The Myth of the Mahatma: Gandhi, the British and the Raj*, Constable, London, 1986.
- Jain, P.C. : *Gandhi in Stamps : The Courier of Truth and Non-violence*, New Delhi, Aravali, 2002.
- Kamath, M.V. : *Gandhi : A Spiritual Journey*, Mumbai, Indus Source Books, 2007.
- Makkuni, Ranjit : *Eternal Gandhi : Design of the Multimedia Museum*, Mumbai, Aditya Birla Group, 2007.
- Nanda, B.R. : *Gandhi : A Pictorial Biography*, New Delhi, Publications Division, 2005.

The Gandhian Approach to World Peace

Rajesh Kumar

Research Scholar, Department of Gandhian Thoughts, TNBU, Bhagalpur

The problem that faces the world today is not that of individual morality or social behaviour but of inter-group and international behaviour and morals. This problem today has reached such a critical and crucial stage, that either we solve it satisfactorily or we perish as the human race, along with the civilisation that we have created by painful effort and the travail of centuries. Every step in this advance has meant the devoted service of the pioneers, often enough carried through at the expense of their lives.

The problem has, I am afraid, largely been misconceived. It is not one concerned principally with organisation. It is not one of balance of power or of devising checks and balances. It is not one of inspection, complete or limited. It is not even one of organising a World Government, a highly desirable and useful proposal. The problem is primarily moral. Of course, political, social, economic, international issues do arise, and so also those of organisation. But these will not be difficult to tackle successfully if we can solve the fundamental moral problem involved.

Let us for a moment examine the morality that guides groups and nations in their commerce with each other. In all its essentials it is diametrically opposite to the social morality, the observance of which among individuals has made our civilisation possible. What is good in individual and social conduct comes to be bad and undesirable in political and specially in international relations. In social intercourse we admire the man who is peaceful, truthful, modest, and helpful to others. We greatly admire the man who at some personal inconvenience and loss serves his neighbour. However, in the international field we expect nations and their agents to be selfish, proud, overbearing and aggressive. A nation which sacrificed its real or fancied interests for that of a neighbouring nation would be considered foolish and even depraved.

In social life we denounce aggression and violence, but the successful use of these is not only not condemned but applauded in the relations between nations. In social life, a murderer pays with his life for his crime, but in international intercourse a politician or a general responsible for arson, loot, rape, mass murder is applauded as a great patriot and a hero. In his honour are erected arches and triumphant marches organised. In social life, individuals are enjoined generally to trust each other and keep their word. No nation ever keeps its word with another nation if it considers that its interests are involved.

Nations betraying each other are not the exception but the rule. Even after a war fought to end war, nations who were allied betray each other when the

war is over. After World War II, nations whose territories were invaded and occupied by the armies of Hitler and who organised inside and outside their country resistance movements and helped the Allies to win the war, were enslaved. If some of them have escaped this fate they have done so by the skin of their teeth. A nation which trusts another would be lost. India accepted Chinese professions of friendship and the result is wanton aggression, the end of which nobody can see today. Nations in their dealings with each other, however polite their mode of address, are proud and touchy and resent every real or fancied insult. In social life we are prepared to give and take, for the sake of compromise and for accommodating the other's point of view.

Unless, therefore, the collective mind of groups and nations is civilised there can be no peace in the world. Rather, the very social advance that man has made so far will be destroyed. This is so with every armed conflict. Instruments of destruction get ever sharper until now they have arrived at the nuclear stage. Even then the tests must continue. One wonders what more is possibly wanted, when several nations already have with them the instruments which can destroy the whole of humanity over and over again. It was not an international problem of the present intensity that confronted Gandhi. However, the moral quality of the problem, though not to the present degree, was the same. How did he try to tackle it? He saw that human life is one and cannot be divided into different compartments, social, economic, political and international. Therefore he sought the solution of its troubles on a moral and ideological plane. He held that the same rules of morality that guide individuals in their social conduct must also guide groups and nations in their mutual intercourse.

It should be as immoral and sinful for nations to cheat, deceive and injure each other as it is for individuals to do so in their civil life. Murder does not cease to be a crime and a sin if it is committed in the interest of the self, the family or the nation. It must be remembered that the nation is only a big family.

If an administrator cannot take bribes to support his family, he cannot also engage in acts of doubtful morality to serve what he considers would be in the best interests of the nation. Evil is evil, whatever the apparent interest served. Means, as in civil life, must not be subordinated to the ends, which should be pure, whether for individuals, groups or nations.

There must be only one conscience, the same for the group and the nation as for the individual. The dichotomy between individual and collective morality results in creating split personalities. Collective immorality is bound to poison the moral springs of the individual. Moral man cannot live in an immoral or non-moral international order, without impairing his higher nature.

Gandhi believed that every action, whether performed for self, family, group or nation, must produce its own appropriate result, karma. Evil actions create evil karma. In the international field this evil karma seems to have overtaken the world today. Every previous war has been the cause of a subsequent conflict. World War I was the cause of World War II. It was caused by the unbalance

produced by World War I. The Cold War of today is the result of the cruelties and injustices practised during the Second World War. If it flares up into a hot World War III, it would be due to the karma created by the two previous world wars.

There is no escape from the law of karma. As an individual sows, so must he reap. As a nation sows so must it reap. It cannot sow thistles and reap mangoes. The vicious circle that has been created by ever recurring wars in human society can only be broken when nations refuse to play the international game with the same loaded dice of war and violence. Gandhi has said: "You cannot successfully fight them with their weapon. After all you cannot go beyond the atom bomb. Unless we have a new way of fighting imperialism of all brands in place of the outworn one of violent resistance there is no hope for the oppressed races of the earth."

In consonance with the spirit of the sages, prophets, reformers and pioneers of old, Gandhi prescribed moral means for the settlement of international disputes. It is true that his canvas was limited. It was confined to two nations, India and Britain. But he held that the independence of India could be achieved through truth and nonviolence and when so achieved it would be real independence. In such a struggle no residue of evil karma, of violence and deceit will be left behind, to be paid for afterwards, as is the case with war. Though in India it was fundamentally a dispute between one nation and another, there was no question of any bilateral restraints. Indians could not return violence for violence.

They had to do the right thing because it was right, because in the words of the Gita it was *kartavya-karma*, because it was one's duty. However, Gandhi had also the faith that when there is right action right results must follow, right not as the individual in his partial knowledge sees but right in the total scheme of things. "The doer of good can never come to evil", as the Gita says.

There is another aspect of Gandhi's thought about international intercourse which we must note. His idea of Indian independence was different from the usual historical idea of it. Like every fighter for national independence he loved freedom. It was something good in itself, something that every nation should have. But Gandhi's conception of a nation's freedom was different from the usual one. He wanted the freedom of India not only for the sake of his country, but for the good of humanity and for its service. As an individual must sacrifice himself for the nation when necessary so also must a nation be prepared to sacrifice itself for humanity.

As I have already said, organised nations came to develop a personality. This personality, as in the case of the individual, must be subject to the moral law. Moral law often involves martyrdom. The nation as a person, if it must follow the moral law, must also be prepared for martyrdom for the sake of humanity. Martyrdom, as in the case of the individual pioneer and renovator, may or may not come but a nation, if it is to be moral, must be prepared for it.

Gandhi said: "I want the freedom of my country so that other countries may learn something from my free country, so that the resources of my country might be utilized for the benefit of mankind. Just as the call of patriotism teaches us today that the individual has to die for the family, the family has to die for the village, the village for the district, the district for the province, the province for the country, even so a country has to be free in order that it may die if necessary for the benefit of the world. My love, therefore, of nationalism or my idea of nationalism, is that my country may become free, that if need be the whole country may die, so that the human race may live."

During the last World War Gandhi advised England not to fight Hitler with arms. He said that the result would be that Hitler's armies would march into England. He would allow them to march in but there should be perfect non-cooperation with them from every Englishman. No Englishman should have dealings with the occupying forces. He believed that when a whole population non-cooperates it will be impossible for a conquering force to occupy the conquered territory for long. For this he wanted people to train themselves in individual civil resistance.

I need not go into the details of the training he prescribed for individual nonviolent resisters, satyagrahis. But Gandhi did contemplate such contingencies as when conquering armies would be on the march. As things are today, his strategy will be the best even for violent fighters. An army marching into a foreign territory which it wants to occupy cannot be resisted today if it is backed with nuclear weapons. The only possibility of resistance in such cases is guerrilla warfare. Resisting armies can be demoralised by a single nuclear bomb. But separate individuals, working from innumerable centres, cannot be so demoralised. If this today is the only strategy left for violent national freedom fighters against a Hitlerian marching army supported by nuclear war-heads then surely such an individual nonviolent guerrilla warfare is not quite such a fanciful idea as it would at first sight appear.

If humanity, then, is serious about avoiding the possibility of nuclear destruction, nations must be prepared first to regulate their mutual intercourse, as individuals do in civil life, by observing the rules of the moral law. As many pioneering reformers and prophets had to suffer in the cause of establishing the moral law in civil life, so some nation or nations must be prepared to suffer for the establishment of the moral law among nations. If Gandhi would have been alive today, he would have wanted and advised the Indian nation to dispense with its fighting forces whatever the consequences.

He would have advised that this question of India's disarmament should be irrespective of what others did or did not. If it was good, it must be done irrespective of consequences. He had the faith to believe that India making such a sacrifice could never die. But even if physical extinction was the result it would be welcome in the service of humanity. In this mortal world everything, every individual, every institution, is subject to time, kala, death. The only thing that

one can aspire for is a glorious death in a good cause. More than this nobody can expect or wish for. It is therefore that I said at the beginning that the question before us as national entities is a moral one and not merely external or organisational.

It may be said, But who is to bell the cat? Has any government the right to require such a stupendous national sacrifice? Martyrdom for a whole people? This question is asked as if the same kind of sacrifice is not asked for by governments from their people when they call them to arms! The political leaders of all countries have always compelled people to take the risks of war. But when it comes to the question of taking risks in the cause of peace, which after all are fewer as evidenced by India's struggle, they take refuge behind the people's will. The leaders have never, even in democracies, taken the people into their confidence when declaring war. It is governments that decide the questions of peace and war.

But it may be asked, Can a nation be educated in nonviolence? The education of a nation into a new ideology or morality does not consist in each member of the nation being educated separately. There are no schools and colleges where national ideologies and moralities can be learnt. Even in physical warfare most of the fighting is learnt during the war or there would be no universal military service. The very acceptance of a new idea by the leadership makes for rapid public education. For his new weapon of nonviolent resistance Gandhi did not open educational institutions. He took great pains in educating the leaders.

The conversion of the public then was easy. Also knowledge of a new technique improves with its practice. Even when soldiers are educated in military colleges their military education takes place on the battlefield. Every war uses new and untried instruments and strategy. Nor is every soldier in the army a brave and courageous man. He may be a veritable coward but under proper leadership and discipline he too can give a good account of himself. He would disdain to desert his colours, because this is a thing not done in the army. This is the rule. Exceptions to this rule are few and far between.

It is plain today that if the leaders of countries carrying on nuclear tests abandoned them, the common people will not rebel. If the leaders of the countries which possess nuclear stockpiles decide to destroy them, the people will not resist. Even if some nation took, in this respect, unilateral action there will be no revolt. Rather people may take pride in such a step being taken by their nation.

In this connection Gandhi says: "If the recognised leaders of mankind, who have control over the engines of destruction, were wholly to renounce their use, with full knowledge of its implications, permanent peace can be obtained. This is clearly impossible without the Great Powers of the earth renouncing their imperialistic designs. This again seems impossible without great nations ceasing to believe in soul-destroying competition and to desire to multiply wants and, therefore, increase their material possessions."

However, the condition is that the leaders should have a burning faith in nonviolent resistance. It must be nothing put-on or dramatic. It must be the genuine stuff. It must be a belief that will stand all pressure. If need be, the leaders must be prepared to give up power and office in the pursuit of their ideal. Such a belief, Gandhi held, can come only from a belief in God. But for Gandhi God and the moral law were synonymous. He said that Truth is God. He held that there is no difference between the law and the Law-giver. A person who observed the moral law, whether he believed in a God as popularly conceived or not, according to Gandhi had a spiritual belief. This is necessary because without faith nothing great can be done. It is faith which makes people believe that ultimately victory will be with them. Even if there is defeat it will be good with them.

When the battle for nonviolence in international relations is won, it will not be difficult to devise institutional measures to check anti-social nations. But first the victory must be won on the moral and spiritual plane. Why did the League of Nations fail? It failed because the leaders of the member nations had not reformed their minds and purified their hearts. They believed in aggression, conquest and exploitation of weaker peoples. So long as this is the case any organisational devices will break down at critical moments.

References

- Parihar, A.K.S. : *Mahatma Gandhi : His Thoughts, Life and Ideas*, New Delhi, Swastik Pub., 2007.
- Ramakrishnan, Padma: *Gandhi and Indian Independence*, Blaze Publishers & Distributors, New Delhi, 1994.
- Ray, Sibnarayan : *Gandhi, Gandhism and Our Times : An International Symposium*, Kolkata, Renaissance, 2003.
- Ruhela, S.P. : *Gandhian Ideas on Education—Their Relevance in the 21 Century*, Delhi, Indian Publishers, 2002.
- Shanker, Ajay : *Gandhian Satyagraha : An Analytical and Critical Approach*, New Delhi, 2000.
- Woodcock, George: *Mohandas Gandhi*, Viking Press, New York, 1971.
- Yadav, K.C. : *Gandhi : The Spirit of India*, Gurgaon, Hope India Publications, 2003.
- Zakaria, Rafiq: *Gandhi and the Break-up of India*, Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai, 1999.

Economic Empowerment of Women

E. Anita

*Principal, A.E.S.N.T. Ramarao Memorial Sr. Secondary School,
Janakpuri, New Delhi*

Poverty Eradication

Since women comprise the majority of the population below the poverty line and are very often in situations of extreme poverty, given the harsh realities of intra-household and social discrimination, macro economic policies and poverty eradication programmes will specifically address the needs and problems of such women.

There will be improved implementation of programmes which are already women oriented with special targets for women.

Steps will be taken for mobilization of poor women and convergence of services, by offering them a range of economic and social options, along with necessary support measures to enhance their capabilities

Micro Credit

In order to enhance women's access to credit for consumption and production, the establishment of new, and strengthening of existing micro-credit mechanisms and micro-finance institution will be undertaken so that the outreach of credit is enhanced.

Other supportive measures would be taken to ensure adequate flow of credit through extant financial institutions and banks, so that all women below poverty line have easy access to credit.

Women and Economy

Women's perspectives will be included in designing and implementing macro-economic and social policies by institutionalizing their participation in such processes. Their contribution to socio-economic development as producers and workers will be recognized in the formal and informal sectors (including home based workers) and appropriate policies relating to employment and to her working conditions will be drawn up. Such measures could include:

Reinterpretation and redefinition of conventional concepts of work wherever necessary e.g. in the Census records, to reflect women's contribution as producers and workers.

Globalization

Globalization has presented new challenges for the realization of the goal of women's equality, the gender impact of which has not been systematically

evaluated fully. However, from the micro-level studies that were commissioned by the Department of Women & Child Development, it is evident that there is a need for re-framing policies for access to employment and quality of employment. Benefits of the growing global economy have been unevenly distributed leading to wider economic disparities, the feminization of poverty, increased gender inequality through often deteriorating working conditions and unsafe working environment especially in the informal economy and rural areas. Strategies will be designed to enhance the capacity of women and empower them to meet the negative social and economic impacts, which may flow from the globalization process.

Women and Agriculture

In view of the critical role of women in the agriculture and allied sectors, as producers, concentrated efforts will be made to ensure that benefits of training, extension and various programmes will reach them in proportion to their numbers. The programmes for training women in soil conservation, social forestry, dairy development and other occupations allied to agriculture like horticulture, livestock including small animal husbandry, poultry, fisheries etc. will be expanded to benefit women workers in the agriculture sector.

Women and Industry

The important role played by women in electronics, information technology and food processing and agro industry and textiles has been crucial to the development of these sectors. They would be given comprehensive support in terms of labour legislation, social security and other support services to participate in various industrial sectors. Women at present cannot work in night shift in factories even if they wish to. Suitable measures will be taken to enable women to work on the night shift in factories. This will be accompanied with support services for security, transportation etc.

Support Services

The provision of support services for women, like child care facilities, including crèches at work places and educational institutions, homes for the aged and the disabled will be expanded and improved to create an enabling environment and to ensure their full cooperation in social, political and economic life.

Women-friendly personnel policies will also be drawn up to encourage women to participate effectively in the developmental process.

Social Empowerment of Women

Education

Equal access to education for women and girls will be ensured. Special measures will be taken to eliminate discrimination, universalize education, eradicate illiteracy, create a gender-sensitive educational system, increase enrolment and retention rates of girls and improve the quality of education to

facilitate life-long learning as well as development of occupation/vocation/technical skills by women.

Reducing the gender gap in secondary and higher education would be a focus area. Sectoral time targets in existing policies will be achieved, with a special focus on girls and women, particularly those belonging to weaker sections including the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Minorities.

Gender sensitive curricula would be developed at all levels of educational system in order to address sex stereotyping as one of the causes of gender discrimination.

Health

A holistic approach to women's health which includes both nutrition and health services will be adopted and special attention will be given to the needs of women and the girl at all stages of the life cycle. The reduction of infant mortality and maternal mortality, which are sensitive indicators of human development, is a priority concern.

This policy reiterates the national demographic goals for Infant Mortality Rate (IMR), Maternal Mortality Rate (MMR) set out in the National Population Policy 2000. Women should have access to comprehensive, affordable and quality health care. Measures will be adopted that take into account the reproductive rights of women to enable them to exercise informed choices, their vulnerability to sexual and health problems together with endemic, infectious and communicable diseases such as malaria, TB, and water borne diseases as well as hypertension and cardio-pulmonary diseases. The social, developmental and health consequences of HIV/AIDS and other sexually transmitted diseases will be tackled from a gender perspective.

To effectively meet problems of infant and maternal mortality, and early marriage the availability of good and accurate data at micro level on deaths, birth and marriages is required. Strict implementation of registration of births and deaths would be ensured and registration of marriages would be made compulsory.

In accordance with the commitment of the National Population Policy (2000) to population stabilization, this Policy recognizes the critical need of men and women to have access to safe, effective and affordable methods of family planning of their choice and the need to suitably address the issues of early marriages and spacing of children. Interventions such as spread of education, compulsory registration of marriage and special programmes like BSY should impact on delaying the age of marriage so that by 2010 child marriages are eliminated.

Women's traditional knowledge about health care and nutrition will be recognized through proper documentation and its use will be encouraged. The use of Indian and alternative systems of medicine will be enhanced within the framework of overall health infrastructure available for women.

Nutrition

In view of the high risk of malnutrition and disease that women face at all the three critical stages viz., infancy and childhood, adolescent and reproductive phase, focussed attention would be paid to meeting the nutritional needs of women at all stages of the life cycle.

This is also important in view of the critical link between the health of adolescent girls, pregnant and lactating women with the health of infant and young children. Special efforts will be made to tackle the problem of macro and micro nutrient deficiencies especially amongst pregnant and lactating women as it leads to various diseases and disabilities.

Intra-household discrimination in nutritional matters vis-à-vis girls and women will be sought to be ended through appropriate strategies. Widespread use of nutrition education would be made to address the issues of intra-household imbalances in nutrition and the special needs of pregnant and lactating women. Women's participation will also be ensured in the planning, superintendence and delivery of the system.

Drinking Water and Sanitation

Special attention will be given to the needs of women in the provision of safe drinking water, sewage disposal, toilet facilities and sanitation within accessible reach of households, especially in rural areas and urban slums. Women's participation will be ensured in the planning, delivery and maintenance of such services.

Housing and Shelter

Women's perspectives will be included in housing policies, planning of housing colonies and provision of shelter both in rural and urban areas. Special attention will be given for providing adequate and safe housing and accommodation for women including single women, heads of households, working women, students, apprentices and trainees.

Environment

Women will be involved and their perspectives reflected in the policies and programmes for environment, conservation and restoration. Considering the impact of environmental factors on their livelihoods, women's participation will be ensured in the conservation of the environment and control of environmental degradation. The vast majority of rural women still depend on the locally available non-commercial sources of energy such as animal dung, crop waste and fuel wood.

In order to ensure the efficient use of these energy resources in an environmental friendly manner, the Policy will aim at promoting the programmes of non-conventional energy resources. Women will be involved in spreading the use of solar energy, biogas, smokeless chulahs and other rural application so as to have a visible impact of these measures in influencing eco system and in changing the life styles of rural women.

Science and Technology

Programmes will be strengthened to bring about a greater involvement of women in science and technology. These will include measures to motivate girls to take up science and technology for higher education and also ensure that development projects with scientific and technical inputs involve women fully.

Efforts to develop a scientific temper and awareness will also be stepped up. Special measures would be taken for their training in areas where they have special skills like communication and information technology. Efforts to develop appropriate technologies suited to women's needs as well as to reduce their drudgery will be given a special focus too.

Women in Difficult Circumstances

In recognition of the diversity of women's situations and in acknowledgement of the needs of specially disadvantaged groups, measures and programmes will be undertaken to provide them with special assistance. These groups include women in extreme poverty, destitute women, women in conflict situations, women affected by natural calamities, women in less developed regions, the disabled widows, elderly women, single women in difficult circumstances, women heading households, those displaced from employment, migrants, women who are victims of marital violence, deserted women and prostitutes etc.

Violence Against Women

All forms of violence against women, physical and mental, whether at domestic or societal levels, including those arising from customs, traditions or accepted practices shall be dealt with effectively with a view to eliminate its incidence. Institutions and mechanisms/schemes for assistance will be created and strengthened for prevention of such violence, including sexual harassment at work place and customs like dowry; for the rehabilitation of the victims of violence and for taking effective action against the perpetrators of such violence. A special emphasis will also be laid on programmes and measures to deal with trafficking in women and girls.

Rights of the Girl Child

All forms of discrimination against the girl child and violation of her rights shall be eliminated by undertaking strong measures both preventive and punitive within and outside the family. These would relate specifically to strict enforcement of laws against prenatal sex selection and the practices of female foeticide, female infanticide, child marriage, child abuse and child prostitution etc. Removal of discrimination in the treatment of the girl child within the family and outside and projection of a positive image of the girl child will be actively fostered. There will be special emphasis on the needs of the girl child and earmarking of substantial investments in the areas relating to food and nutrition, health and education, and in vocational education. In implementing

programmes for eliminating child labour, there will be a special focus on girl children.

Mass Media

Media will be used to portray images consistent with human dignity of girls and women. The Policy will specifically strive to remove demeaning, degrading and negative conventional stereotypical images of women and violence against women. Private sector partners and media networks will be involved at all levels to ensure equal access for women particularly in the area of information and communication technologies.

The media would be encouraged to develop codes of conduct, professional guidelines and other self regulatory mechanisms to remove gender stereotypes and promote balanced portrayals of women and men.

References

- Ardener, Shirley: *Perceiving Women*. London: Malaby Press, 1975.
- Brock-Utne, Birgit: *Women, Education and Development*, Oslo, University of Oslo, 1990.
- Chakravarty, Jaya : *Media and Women's Development*, Sarup, Delhi, 2007.
- Chattopadhyay, Kamala Devi: *Indian Women's Battle for Freedom*, New Delhi, Abhinav Publications, 1983.
- Devi, Kamala : *Indian Women's Battle for Freedom*, New Delhi, Abhinav Publications, 1983.
- Gornick, V. : *Women and Science: Portraits from a World in Transition*, New York, Simon & Schuster, 1983.
- Hughes, Mary and Kennedy, Mary: *New Futures: Changing Women's Education*, Routledge and Kegan Paul, 1985.
- Kiran Sankar Chakraborty: *Empowerment and Status of Women in Tripura*, Akansha, Delhi, 2008.
- Roald, Anne Sofie: *Women in Islam: The Western Experience..* London: Routledge, 2001.
- Shalini Shekhawat: *Administration for Empowerment and Welfare of Women*, Aalekh, Delhi, 2007.

Impact of Employees Training and Development of Organisational Profits

Sonam Tomar

*Assistant Professor, Department of Commerce,
Sobhit University, Meerut*

Career Development

Businesses used to partner with employees to carry out employees' career planning and development. Times have changed. Now, businesses are coming to view career development primarily as the employee's responsibility. The following major categories of information are closely related and are provided in the order they're typically needed.

Career Planning

It's probably one of the most overused phrases in job-hunting, but also one of the most underutilized by job-seekers: dress for success. In job-hunting, first impressions are critical. Remember, you are marketing a product—yourself—to a potential employer and the first thing the employer sees when greeting you is your attire; thus, you must make every effort to have the proper dress for the type of job you are seeking. Will dressing properly get you the job? Of course not, but it will give you a competitive edge and a positive first impression.

Should you be judged by what you wear? Perhaps not, but the reality is, of course, that you are judged. Throughout the entire job-seeking process employers use short-cuts—heuristics or rules of thumb—to save time. With cover letters, it's the opening paragraph and a quick scan of your qualifications. With resumes, it is a quick scan of your accomplishments. With the job interview, it's how you're dressed that sets the tone of the interview.

How should you dress? Dressing conservatively is always the safest route, but you should also try and do a little investigating of your prospective employer so that what you wear to the interview makes you look as though you fit in with the organisation. If you overdress (which is rare but can happen) or underdress (the more likely scenario), the potential employer may feel that you don't care enough about the job.

How do you find out what is the proper dress for a given job/company/industry? You can call the Human Resources office where you are interviewing and simply ask. Or, you could visit the company's office to retrieve an application or other company information and observe the attire current employees are

wearing—though make sure you are not there on a “casual day” and misinterpret the dress code.

Finally, do you need to run out and spend a lot of money on clothes for interviewing? No, but you should make sure you have at least two professional sets of attire. You’ll need more than that, but depending on your current financial condition, two is enough to get started and you can buy more once you have the job or have more financial resources.

Dress for Success for Men and Women

Attention to details is crucial, so here are some tips for both men and women. Make sure you have:

- clean and polished conservative dress shoes;
- well-groomed hairstyle;
- cleaned and trimmed fingernails;
- minimal cologne or perfume;
- no visible body piercing beyond conservative ear piercings for women;
- well-brushed teeth and fresh breath;
- no gum, candy or other objects in your mouth;
- minimal jewelry;
- no body odor.

Finally, check your attire in the rest room just before your interview for a final check of your appearance—to make sure your tie is straight, your hair is combed, etc. Sometimes, downsizing occurs because it is a proper treatment, a response to the natural ebb and flow of the economy. When markets shrink, businesses and industries must consolidate and streamline (though smart ones read trends and move into better markets). Technological change and globalization can add pressure to downsize.

Such natural economic forces always have existed and often led to layoffs, but they alone can not explain the magnitude and scope of the trend. Rather, corporate is caught in a powerful social movement that compels executives to eliminate jobs even when cuts are not justified and to repeat the downsizing treatment even when it causes more damage.

The roots of this movement lie in corporate reactions to the growing threat of hostile takeovers. They discovered that layoffs of workers and managers could boost short-term profits, make the company appear more efficient and stave off takeover attempts. This was a novel and innovative use of layoffs, especially as the practice penetrated managerial ranks. Once considered an admission of business decline or defeat, layoffs started to be viewed in a new light—as a legitimate multi-purpose tool to preserve and advance corporate interests. Current names for layoffs—downsizing and the euphemism “rightsizing”—indicate its newfound legitimacy.

The shift in perception of layoffs as a last resort, used only in times of economic desperation, to a first resort, utilized in good times and bad, planted the seed of the social movement. It grew in a process sociologists call “mimetic isomorphism”, meaning that organisations come to resemble each other because they observe and copy what each other does. Over time, companies tend to use the same procedures, tactics, policies and strategies.

The common tendency to imitate is heightened in an environment of uncertainty. Rapid technological change, shifting markets, new competitors, revamped governmental regulations—all create uncertainty about what to do and how to do it. In such times, corporate leaders are more likely to do what everyone else does—like downsizing.

Imitation is reinforced in many ways. Executives socialize and learn from each other, supporting and encouraging the practice. Indeed, those who do not leave themselves open to criticism by shareholders, security analysts, boards of directors and even fellow executives. Wall Street analysts, for instance, will downgrade a company that is not downsizing, even if layoffs are unjustified and most such actions produce a jump in stock prices, albeit a temporary one.

Finally, this movement is aided by the types of people who rise to positions of prominence and power. In the last 20 years, more corporate leaders have come from finance. They are more likely to view the corporation as a basket of assets than a social institution and to prefer tactics such as downsizing as a way to solve competitive problems.

Today, downsizing is irresistible because it is firmly planted in business culture—beliefs and norms about what constitutes proper policies and practices. Like most social movements, it is not slowed by negative or ambiguous results. Domsday cults, for example, do not disband when the date of the world’s demise comes and goes; rather, they simply revise their predictions. Similarly, when downsizing does not produce desired results, the recommended treatment is more layoffs.

Many reasons are cited for the failure of downsizing, lowering of morale, exodus of the best people, loss of organisational memory, increased conflict, etc. These results, however, are caused by a deeper problem—the destruction of the corporation as a social institution. Downsizers act as if the organisation were a collection of independent individuals—like a crowd. To them, eliminating people simply reduces overcrowding. Yet, what makes an organisation different from a crowd is the network of formal and informal relationships people build with each other. This social network makes every organisation function and the right network makes them flourish.

Downsizing devastates social networks. When a person is laid off, an entire personal network of internal and external relationships is lost as well. It destroys informal bridges between departments, disrupts the information grapevine and

severs ties with customers. Moreover, it eliminates the friendships that bond people to the workplace.

It can take a long time to rebuild social networks.

Just as repeated bloodletting increased, repeated downsizing is very dangerous. Survivors struggle to reorganise and rebuild relationships. Additional reductions nip these relationships in the bud. Eventually, the organisation devolves into a sullen, resigned, demoralized crowd.

Personal Survival Strategies

Those who survive in the new business culture must learn how to work in downsized organisations, how to tell when jobs are in jeopardy and how to secure new jobs.

Thriving In downsized companies. Because downsizing destroys the social fabric of a firm, the best strategy is to repair it. The most successful people in organisations always have built good relationships; in today's business world, it is more important than ever. The natural tendency is to withdraw, but those who thrive in a downsized organisation rebuild networks. A solid network of good relationships makes you a more valuable contributor (and thus lowers layoff odds) and gives you more and quicker information about new openings in the company.

- Rebuild and manage cooperative relationships with superiors, subordinates and peers around the company.
- Get out of your "silo" and build bridges with other departments, functions and divisions.
- Become a team builder and active member of multifunctional teams.
- Initiate and nourish external relationships with customers, suppliers and even competitors.

Are jobs in jeopardy? The answer always is yes. No matter how well your firm is doing or whether it has downsized before, the irresistible social movement means that all jobs are at risk. Losing a job is one of the most stressful events in life. It takes a heavy toll on your emotional and physical health, as well as your financial wellbeing. Job security has been eliminated as a clause in the new implicit employer-employee contract and now everyone can expect to endure job loss, stress and bouts of periodic unemployment.

Prepare by looking for general signs that your company may be about to downsize and put all jobs at risk, as well as specific signs that your job may be in jeopardy, whether or not a downsizing is imminent.

- Is your corporation about to merge or be taken over? Are you undergoing one right now?
- What do security analysts say about your business? Do they claim it is undervalued, inefficient, bloated and/or ripe for take-over?

- Is your firm's financial health poor or declining? Are cost-cutting measures under way?
- Have other corporations in your industry already downsized? Jobs in yours are at risk if competitors have slashed jobs.
- Is your role outside the "core competence" of the company? If you are in a peripheral, non-vital department, division, or work group, it is at risk.
- Are you a loner, or do you work in a loner's job? Without a good personal network, you won't hear about impending job cuts and/or have allies to protect you when the cuts come.

Finding New Jobs

More than 75 per cent of all white-collar workers and nearly 100 per cent of blue-collar ones find jobs through personal networks, according to several studies. Those who use networks get better, higher paying, more satisfying jobs that they keep longer.

Build networks now. Start constructing your network immediately even if your position isn't currently in jeopardy. Many managers who thought they had a job for life never took the steps to build a strong external network; when downsizing struck, they lacked the personal contacts needed to find new employment. The best time to build contacts is when you don't need them.

Organised groups such as Forty Plus are excellent ways to get information, find jobs, swap leads, practice interview skills and get moral support. Join one now even if your position is not in jeopardy and volunteer your services. You will make important contributions to others and be able to build your own network in the process.

Contrary to popular opinion, research on job-getting shows that "weak" ties (such as casual acquaintances) are better sources of information about openings than "strong" ones (such as family and close friends). Weak ties provide better information because they are "bridges" to different social and business circles. Don't forget your strong connections, but focus on building weak ties.

Big companies often have openings in vital areas even when others are cut. IBM is downsizing frantically, for example, but it is hiring in its RISC (reduced instruction set computing) chips area. Build internal networks to find out about such opportunities. Volunteer for committees, task forces and temporary assignments that put you in contact with other groups, departments, or divisions.

The information highway offers exciting new opportunities to make contacts, locate positions and find good people for jobs.

Often, the route to the ideal position is found through intermediate positions that move you in the right direction. Establish a trajectory and use such "halfway" houses. Consider internships or part-time work.

Talk with any recruiter who calls. Even if you're not looking for a job right now, get and stay on recruiters' radar screens.

Out of the Crisis

The way out of the crisis is to focus on creating new forms of organisation—the reformation of social networks, not their destruction. When downsizing works, enlightened leaders devote great attention to human resources and network rebuilding. They raise the organisation out of the ashes of downsizing, creating new social networks that empower and boost performance.

Establish a clear strategic vision. Successful leaders create a clear vision of the company of tomorrow and manage into that vision. With the right vision, redeployment of resources, not downsizing, is the proper treatment to achieve corporate success.

Manage networks, not Individuals. Running a company as a set of individuals is an exercise in crowd control. This approach leads to many sins, such as downsizing just to reduce headcount. Insightful leaders, though, manage the company as a network of relationships and strive to revolutionize the way people work together, communicate and interrelate.

Use downsizing as an opportunity to improve networks. Successful downsizers don't just reduce numbers; they redesign work processes and eliminate unnecessary ones. Identify both the positive and negative effects of downsizing on networks and help the organisation recover by constructing new and better relationships.

High-level networks unite and integrate a diverse company. Learning from the best companies in the world is another relationship building mechanism. Moreover, enlightened leaders help their people learn new ways, new methods and new networking skills, via massive education, training and re-socialization efforts.

Some futurists forecast the end of the corporation as we know it. They predict its continued dismantling and replacement with a new cottage industry of small contractors, free-lancers, independent entrepreneurs and temporary workers. The Hollywood feature film industry—with its army of free-lance producers, directors, screenwriters and others—often is heralded as a positive role model and harbinger of the business world to come.

This world would be the logical culmination of the downsizing movement, but also would be a bleak and harsh reality. It can be avoided only if courageous business leaders recognize the negative, dysfunctional consequences of downsizing and then face and remedy the corporation's real problems. The business heroes of the past decade came from finance. The heroes needed today are those who champion human resources, creating the conditions that stimulate and tap human potential, rather than destroy it.

Employee Orientation

We would not be understating the case if we said that orienting employees to their workplaces and their jobs is one of the most neglected functions in government. Countless horror stories exist about how a new employee has received a ten minute talk with the manager and directed to his or her office position, with no further guidance or instruction. Not only is this exceedingly stressful for the employee, but it virtually guarantees a very long period of unproductiveness for the employee.

In this month's PSM Supplement we present an overview of the orientation process and a checklist that you can use when orienting new staff. As you read the article, keep in mind that orientation is also important for existing employees if (a) they have never received proper orientation or (b) there have been many changes in the organisation and its purpose and function.

Purposes of Orientation

1. *To Reduce Startup-Costs:* Proper orientation can help the employee get "up to speed" much more quickly, thereby reducing the costs associated with learning the job.
2. *To Reduce Anxiety:* Any employee, when put into a new, strange situation, will experience anxiety that can impede his or her ability to learn to do the job. Proper orientation helps to reduce anxiety that results from entering into an unknown situation and helps provide guidelines for behaviour and conduct, so the employee doesn't have to experience the stress of guessing.
3. *To Reduce Employee Turnover:* Employee turnover increases as employees feel they are not valued, or are put in positions where they can't possibly do their jobs. Orientation shows that the organisation values the employee and help provide tools necessary for succeeding in the job.
4. *To Save Time For Supervisor & Co-Workers:* Simply put, the better the initial orientation, the less likely supervisors and co-workers will have to spend time teaching the employee.
5. *To Develop Realistic Job Expectations, Positive Attitudes and Job Satisfaction:* It is important that employees learn early on what is expected of them and what to expect from others, in addition to learning about the values and attitudes of the organisation. While people can learn from experience, they will make many mistakes that are unnecessary and potentially damaging.

Kinds of Orientation

There are two related kinds of orientation. The first we will call Overview Orientation and deals with the basic information an employee will need to

understand the broader system he or she works in. Overview Orientation includes helping employees understand:

- government in general, the department and the branch;
- important policies and general procedures (non-job specific);
- information about compensation and benefits;
- safety and accident prevention issues;
- employee and union issues (rights, responsibilities);
- physical facilities.

Often, Overview Orientation can be conducted by the personnel department with a little help from the branch manager or immediate supervisor, since much of the content is generic in nature.

The second kind of orientation is called Job-Specific Orientation and is the process that is used to help employees understand:

- function of the organisation and how the employee fits in;
- job responsibilities, expectations and duties;
- policies, procedures, rules and regulations;
- layout of workplace;
- introduction to co-workers and other people in the broader organisation.

Job specific orientation is best conducted by the immediate supervisor, and/or manager, since much of the content will be specific to the individual. Often the orientation process will be ongoing, with supervisors and co-workers supplying coaching:

1. Orientation should begin with the most important information (basic job survival).
2. Orientation should emphasize people as well as procedures and things. Employees should have a chance to get to know people and their approaches and styles in both social and work settings.
3. Buddy an employee to a more experienced person, but make sure the more experienced person wants to buddy up and has the inter-personal skills. This provides ongoing support.
4. Introduce employees to both information and people in a controlled way. A new employee can't absorb everything at once, so don't waste your time. Space out introductions.

Orientation (or lack of it) will make a significant difference in how quickly an employee can become more productive and also has long term effects for the organisation. To help you in the orientation process, we have included a checklist for the Job-Specific Orientation. Note that any complete programme will include other elements...those that would be included in the Overview Orientation.

References

- Argyris, C. & Schon, D.: *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1978.
- Armstrong, M. and BARON, A.: *Managing Performance: Performance Management in Action*, Chartered Institute of Personnel and Development, London, 2004.
- Baldwin, J.: *Bucky Works: Buckminster Fuller's Ideas for Today*, John Wiley & Sons, NY, 1996.
- Beer, S.: *Diagnosing the System for Organizations*, Chichester, John Wiley & Sons, Inc., England, 1985.
- Cukier, J. : *Tourism Employment in Bali: Trends and Implications*, Thompson, London, 1996.
- Fleetwood, S. & Hesketh, A.: *Understanding the Performance of Human Resources*, Cambridge University Press, Cambridge, 2009.
- Galbraith, J. R.: *Organizing for the Future: The New Logic for Managing Complex Organizations*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA, 1993.
- Grace, G. : *School Leadership: Beyond Educational Development*, Falmer, London, 1995.
- Mayrhofer, W. Reichel, A. & Sparrow, P.R.: *Handbook of Research into International HRM*, Edward Elgar, London, 2008.
- Mingers, J.: *Self-Producing Systems: Implications and Applications of Autopoiesis*, Plenum Press, NY, 1995.
- Vennix, J.: *Group Model Building: Facilitating Team Learning Using System Dynamics*, John Wiley & Sons, NY, 1996.
- Yegge, Wilbur M., *A Basic Guide for Valuing a Company*, Wiley, New York, 1996.

Organisational Culture and Employee Retention

Dr. Pramod Kumar

*Assistant Professor, Department of Commerce,
Deshbandhu College, Delhi*

Significant organizational change occurs, for example, when an organization changes its overall strategy for success, adds or removes a major section or practice, and/or wants to change the very nature by which it operates. It also occurs when an organization evolves through various life cycles, just like people must successfully evolve through life cycles.

For organizations to develop, they often must undergo significant change at various points in their development. That's why the topic of organizational change and development has become widespread in communications about business, organizations, leadership and management.

Leaders and managers continually make efforts to accomplish successful and significant change — it's inherent in their jobs. Some are very good at this effort (probably more than we realize), while others continually struggle and fail. That's often the difference between people who thrive in their roles and those that get shuttled around from job to job, ultimately settling into a role where they're frustrated and ineffective. There are many schools with educational programs about organizations, business, leadership and management.

Unfortunately, there still are not enough schools with programs about how to analyze organizations, identify critically important priorities to address (such as systemic problems or exciting visions for change) and then undertake successful and significant change to address those priorities. This Library topic aims to improve that situation.

Motivation of Employee

Getting people to accomplish something is much easier if they have the inspiration to do so. Inspire means "to breathe life into." And in order to perform that, we have to have some life ourselves. Three main actions will aid you in accomplishing this:

Be passionate: In organizations where there is a leader with great enthusiasm about a project, a trickle-down effect will occur. You must be committed to the work you are doing. If you do not communicate excitement, how can you expect your people to get worked up about it?

Get your employees involved in the decision making process: People who are involved in the decision making process participate much more enthusiastically than those who just carry out their boss's order. Help them contribute and tell them you value their opinions. Listen to them and incorporate their ideas when it makes sense to so.

Know what your organization is about!: The fundamental truth, as General Creighton W. Abrams used to say in the mid-1970s, is that "the Army is not made up of people. The Army is people. Every decision we make is a people issue." Your organization is the same. It may make a product or sell a service, but it is still people! A leader's primary responsibility is to develop people and enable them to reach their full potential. Your people may come from diverse backgrounds, but they all have goals they want to accomplish. Create a "people environment" where they truly can be all they can be.

Training and Coaching

As a leader you must view coaching from two different viewpoints: 1) coaching to lead others and 2) being coached to achieve self-improvement.

Training and coaching are two different things, although some people use them interchangeably. Training is a structured lesson designed to provide the employee with the knowledge and skills to perform a task. Coaching, on the other hand, is a process designed to help the employee gain greater competence and to overcome barriers so as to improve job performance.

You might picture it as when you were in school. During physical education, the gym teacher (trainer) taught you how to play basketball. Next you went out for the school team. You had a basic understanding of the game and its rules, but the coach personally taught you (coaching) the finer points of the game.

Training and coaching go hand-in-hand. First you train people with lots of technical support, and then you coach them with motivational pointers.

Both training and coaching help to create the conditions that cause someone to learn and develop. People learn by the examples of others, by forming a picture in their minds of what they are trying to learn, by gaining and understanding necessary information, by applying it to their job, or practice.

Both coaching and training have a few points in common:

- Evaluate to determine knowledge, skill, and confidence levels.
- Define objectives that can be measured periodically. It helps to break them down into step-by-step actions.
- Clarify direction, goals, and accountability. To foster accountability, involve the person or team in the decision making.
- Encourage peer coaching by reminding them that everyone has a stake in each other's success.

- Coaching is more than telling people how to do something, It involves giving advice, skill-building, creating challenges, removing performance barriers, building better processes, learning through discovery (the aha method), etc.
- Deal with emotional obstacles by helping them through change, reviewing and pointing out ways that they hold themselves back, comforting them when they become confused, etc.
- Give feedback by pointing and hinting towards solutions; try to stay away from critiquing errors.
- Lead by example! demonstrate the desired behaviours.

Learning

The first condition of learning is that the person must be motivated to learn. You cannot teach knowledge or skills to people who are not motivated to learn. They must feel the need to learn what you are teaching. Most employees are motivated to do a good job. They want to be able to perform their tasks correctly. Their motivation is being able to perform their job to standards in return for a paycheck, benefits, challenges, job satisfaction, etc.

The next condition of learning is to involve them in the process. Keep their attention by actively involving their minds and emotions in the learning process. Have them participate through active practice of the skill or through discussion. You cannot keep their attention with a long lecture. Normally, people pay attention for a short time-less than 30 minutes. They need to use what is being taught or their minds will wander.

If you lecture for an hour, very little will be remembered. Instead, give a brief lecture (less than 10 minutes), demonstrate, and then have them practice. Provide feedback throughout the practice period until they can do it on their own. If it is a large complicated task, then break it down into short learning steps.

The Five Points of Leadership Power

Al Capone once said that “You can get much farther with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.” However, while almost anyone can use power, it takes skill to use leadership. Leadership power is much more than the use of force. Leadership is influencing others to truly WANT to achieve a goal, while power forces others to achieve a goal.

Power refers to a capacity that a person (boss) has to influence the behaviour of another so that he or she acts in accordance with the boss’ wishes.

This power is a capacity or potential as it implies a potential that need not be actualized to be effective. That is, a power may exist, but does not have to be used to be effective.

For example, an officer in the Army has certain powers over enlisted personal, but that power does not have to used to be effective. The mere knowledge of an officer's power by an enlisted person has some influence over him or her.

A person has the potential for influencing five points of power over another:

- Coercive Power — Power that is based on fear. A person with coercive power can make things difficult for people. These are the persons that you want to avoid getting angry. Employees working under coercive managers are unlikely to be committed, and more likely to resist the manager.
- Reward Power — Compliance achieved based on the ability to distribute rewards that others view as valuable. Able to give special benefits or rewards to people. You might find it advantageous to trade favours with him or her.
- Legitimate Power — The power a person receives as a result of his or her position in the formal hierarchy of an organization. The person has the right, considering his or her position and your job responsibilities, to expect you to comply with legitimate requests.
- Expert Power — Influence based on special skills or knowledge. This person earns respect by experience and knowledge. Expert power is the most strongly and consistently related to effective employee performance.
- Referent Power — Influence based on possession by an individual or desirable resources or personal traits. You like the person and enjoy doing things for him or her.

Leadership and Direction

Planning with the Shewhart Cycle

Dr. Walter Shewhart developed the PDCA cycle (Plan, Do, Check, Act). While the letters and cycle look easy, it actually takes a lot of work by all the team members to complete the cycle correctly. One of Shewhart's students, W. Edwards Deming later used it, thus the PDCA cycle is often known as the *Deming Wheel* (Smith, Hawkins, 2004). Deming also used a modified version — PDSA (Plan, Do, Study, Act).

A dream is just a dream. A goal is a dream with a plan and a deadline. And that goal will remain a dream unless you create and execute a plan of action to accomplish it. Every goal that gets accomplished has a good plan behind of it.
— Harvey Mackay

Plan

Good plans start with a brainstorming session that includes all the people involved with the project. This allows everyone to be part of the solution, in addition to gathering the best ideas.

Two key questions must be asked (Army Handbook, 1973):

- What are all the ingredients necessary for its successful execution?
- What are all the possible forces or events that could hinder or destroy it?

As much as possible, get all the answers to these questions. Listen carefully to the judgment of your team. Then plan the positive forces and events, and then take action to prevent any obstructions that might hinder the project.

A detailed plan normally includes the who, what, when, where, how, and why:

- Who does it involve and who will do what?
- What are we going to do? What will happen if we do not do it?
- When does it start and end?
- Where will it take place?
- How will it take place?
- Why must we do it?

Also, the plan must be organized. Organizing is the process of creating and maintaining the conditions for effectively executing plans. It involves systematically defining and arranging each task with respect to the achievement of the objective. It includes three major steps:

- Determine all tasks.
- Set up a structure to accomplish all tasks.
- Allocate resources.

All essential information must be brought out. It is also important to consider timing — when each task must be started and completed. A helpful approach is to use “backward planning.” Look at each goal and decide what must be done to reach it. In this way you plan from the moment of the project ending point and then work your way back to the present in order to determine what must be done. Backward planning simply means looking at the big picture first, and then planning all tasks, conditions, and details in a logical sequence to make the big picture happen. Include all the details of support, time schedule, equipment, coordination, and required checks. Your team must think of every possible situation that will help or hinder the project. Once the process of mentally building the project has begun, the activities will come easily to mind.

Now, organize all these details into categories, such as needs, supplies, support, equipment, coordination, major tasks, etc. List all the details under

the categories. Create a to-do list for each category. This list will become the checklist to ensure everything is progressing as planned.

References

- Argyris, C. & Schon, D.: *Organizational Learning: A Theory of Action Perspective*, Addison-Wesley, Reading, MA, 1978.
- Beer, S.: *Diagnosing the System for Organizations*, Chichester, John Wiley & Sons, Inc., England, 1985.
- Forteza, J.A., & Prieto, J.M.: *Handbook of Industrial and Organizational Psychology*, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1994.
- Galbraith, J. R.: *Organizing for the Future: The New Logic for Managing Complex Organizations*, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA, 1993.
- Jaques, E.: *Requisite Organization: The CEO's Guide to Creative Structure and Leadership*. Alexandria, Cason Hall & Co. Publishers, VA, 1989.
- Neustadt, R. E. & May, E. R.: *Thinking in Time: The Uses of History for Decision-Makers*, The Free Press, NY, 1986.
- Reeves, Dr. Robert.: *What Every Rookie Superintendent Should Know: Surviving Year One*, American Association of School Administrators, VA, Arlington, 2006.

Maulana Abul Kalam Azad: A Nationalist and Educationalist Muslim

Dr. Kumari Anupam Priya

*Ph.D. P.G. Deptt. of Pol. Sc.,
T.M. Bhagalpur Univ. Bhagalpur*

Raj Shekhar

*Research Scholar, P.G. Deptt. of Pol. Sc.,
T.M. Bhagalpur Univ. Bhagalpur*

The advent of the Indian National Movement undoubtedly was a great landmark in Indian History. It effected every part and provinces of India. All communities of India irrespective of colour, caste, occupation played an important role in India's struggle for freedom. There were many patriotic Muslim leaders who made sacrifices to get India free from foreign domination. Such type of Muslim Leaders were very against the partition of India. One of them was Maulana Abul Kalam Azad.

Maulana Azad was a typical and outstanding Muslim intellectual of modern India. The range of his mind was encyclopedic and he was not only the embodiment of the comprehensive genius of the present age but also a unique synthesis of the East and West.¹ He was born in Mecca in 1888. His father was quite orthodox and he had no faith in western education. The early education imparted to Maulana Azad under the rigid guidance of his father, was of the traditional type.² He learnt Persian and Urdu from his father and Islamic theology from an old teacher. From his early childhood he became conversant with the tenets of Islam and memorized verses from the Quran. Azad mastered all the subjects taught to him within a few years. He had a logical bent of mind, infinite vastness of knowledge, and command over his expressions.³ At the age of twelve, he had begun contributing articles to Indian journals and assisting in the editing of papers. At the age of sixteen, he brought out his own paper LISAN AL SIDO.

He entered politics in 1905, when Lord Curzon decided to partition the Bengal in the belief that this would weaken the Hindus and create a permanent division between the Hindus and Muslims of Bengal. During this period of he came into contact with Sir Shyam Sunder Chakravarty, who was one of the important revolutionaries of the day. He was attracted by revolutionaries and joined one of the groups.⁴ On the death of his father in 1908, Azad undertook a journey to several Islamic countries. He travelled through Iraq, Syria, Egypt

and Turkey. In Turkey, he was influenced by the revolutionary young Turks. These Revolutionaries were of the view that, Indian Muslims should have led the National Struggle for freedom. Azad returned to India filled with revolutionary ideas.⁵ In 1912, he established the AI Hilal press and published its first copy of the journal 'AI Hilal' In June 1912. 'AI Hilal' created a revolutionary stir among the masses. The demand for AI Hilal was so great that within the first three months all the old issues had to be reprinted as every new subscriber wanted the entire set.⁶

In 'AI Hilal' he wrote "Educated people are just imitators of the west, destroying the image of oriental culture, civilization, ethics, literature and learning as well as religion."⁷ 'AI Halal' was banned by the government seeing its popularity, but in 1915, he edited "Al-Balagh" another weekly for awakening the Muslim Community. In March 1916, Azad while delivering a lecture on slavery at his school, the Dar-ul-kshad, stated that the Quran forbade Muslims to remain in subjection and that since a country like India, which had once been under Muslim rule should never be relinquished, it was incumbent on them to strive to regain their lawful control.

Shortly afterwards, on account of his activities he was interned at his residence in Ranchi, in April 1916. On January 1st, 1920, he was released. He presided over the session of the Khilafat conference held at Agra. He said "The seven crore Muslims of India should so combine with their twenty crore Hindu brothers of India that the two together should form one people and one nation"⁸ He also came to the conclusion that the independence of the 400 million Muslim of the world was interlinked with the independence of India. He declared, "The real solution of the problems of Khilafat is dependent upon the independence of India."⁹

The tragedy of Kanpur Mosque and Jalianwala Bagh, on the one hand and the anti-Muslim foreign policy of the British Government on the other hand, encouraged Azad to join the Indian National Congress which stood for the establishment of justice, liberty and equality for one and all in the country. In the circumstances, the Congress was the only organization with which the Muslims could join hands.¹⁰ Maulana Azad participated actively in the Non-Co operation and Khilafat Movement.¹¹

Maulana Azad declared in 1953, that "Freedom is our goal and non violence and non co operation our principle. For the Attainment of the goal we have adopted a program every one of whose items is a means to that end. We cannot change the creed or renounce the principle, but we can change our tactic any moment at will. If we refuse to introduce such change it means that we refuse to fight."¹² In 1928 the Simon Commission Strongly, along with the top most leaders like Jinnah M.A., Muhammad Ali and Shaukat Ali Mahatma Gandhi started his historic "Dandi Salt March" on 11th March 1930 for the purpose of breaking the Salt Tax Law.¹³ He reached Dandi on 16th April 1930 and broke the

law by making self from the sea water on the beach. Maulana Azad also advised the Muslims to break this law. About 30,000 people were arrested till April 1930.¹⁴ In May 1930 Mulana Azad along with his followers courted arrest to vitalize the movement in their province. The First Round Table Conference was held at London 12, November 1930 and January 19,1931. Maluana Azad along with Dr. Ansari had declined to join hands with those who agreed to participate in the proposed conference. He stood by the congress decision and commanded influence over the masses also. He presided over the annual session of the Jamiat-ulema-l-Hind, which was held on 1st April 1931 at Karanchi.¹⁵

After the failure of the Second Round Table conference, Jawahar Lal Nehru announced a fresh movement, without waiting for the Mahatma's return.¹⁶ He returned back home on December 1931 and participated in the movement. He was arrested in January 1932. Lord Willington was the new Viceroy. he took strong action against all congressmen. All prominent leaders were put into jail.¹⁷ Maulana Azad was in Delhi and was detained in the Delhi jail for over a year. Ramsay Macdonald announced his Communal Award in August 1932. It was opposed by the Hindus. It was welcomed by Communalist Muslims, but rejected by Nationalist Muslims.¹⁸

Maulana Azad considered the award as the most dangerous thing that could happen to Indian Nation-alism and declare that "It had set on community against the other, without giving any tangible benefit to any community, save the Europeans.¹⁹ While announcing the award the Prime Minister of Britain had assured the Indi-ans that in case it was not found acceptable, It could be replaced by an-other, which was acceptable to all communities.²⁰ Therefore, Maulana Azad along with Shaukat Ali and Dr. Ansari organized the Board and directed its policies towards constitutionalism, which he regarded as the need of the hour. Maulana Azad was a member of this organization.

The British Parliament declared that the Government of India Act 1935, provided for provincial autonomy but special powers were reserved to the Governor. He could suspend the constitution but in the Central Gov-ernment there was an attempt to re-introduce the principle of Diarchy. The Congress rejected the whole Act while the Muslims League accepted the Provincial part of the Act 1935.²¹ The Congress had a strong section which was opposed even to participating in the elections. But Maulana Azad views were quite different. He said "It would be a mistake to bycott the elections, and if the Congress did so, less desirable elements would capture the cen-tral and Provincial Legislature." After this the congress decided to contest the election for the provincial Legislature." In 1938 Shareef Report of the Bihar Muslim League complained that "The Muslims were suffering under Congress Rule". By Fazal Haq.²⁴ A Series of six articles published m the " DAWN " under the "it shall never happen again" accusing the Congress of all that has happened to Muslims during the Congress regime." Maulana Azad a member of the Parliamentary

Board said "Every incident which in-volved Communal issue came up before me. From personal knowledge and with a full sense of responsibility, I therefore say that the charges leveled by Mr. Jinnah and the Muslim League with regard to injustices to Muslim, were absolutely false. If there had been an iota of truth in any of these charges, I would have seen to it that the injustice was ratified. I was even prepared to resign, if necessary, on an issue like this. I After the Ramgarh session, now it was for the second time that the Muslim League started calling the Muslims as a separate nation, Maulana Azad said to his countrymen, not to fall in such a dangerous trap.

Azad believed in the concept of one and undivided nationality. In Ramgarh session Maulana Azad declared that "Nothing short of 'Complete independence' could be accepted by the people of India."²⁷ By the activities of Azad, Jinnah was so frustrated that he called him a Muslim "Show boy" of the Congress.²⁸ When Mahatma Gandhi unfolded his plan of individual civil disobedience. Maulana Azad successfully mobilized the Muslim Public opinion in his favour and was ultimately arrested and imprisoned for a period of one year²⁹

The failure of the Cripp's mission led Gandhi to launch his historic Quit India Movement. The Quit India Resolution was passed, at Bombay on 8th August 1942 under the leadership of Maulana Azad. The Quit India resolution was followed by the arrest of the prominent Congress leaders. Maulana Azad was also arrested and was kept in the Ahmednagar Fort. 30 The Congress leaders were released from the jail. A conference at Simla was held from 25th June to 14 July 1945. Maulana Azad represented the Congress as its president." In 1945 an announcement was made by the viceroy regarding the election to the central and provincial assemblies in India. The congress leaders thought that they should boycott the election but Azad argued because of the Labour Party's coming to power in England, it was desirable to prove the worth of the Congress won most of the seats to the Central Assembly from the general constituencies.

A scheme proposed by Maulana Azad was accepted by the Congress and was suggested to the Cabinet Mission of the latter's arrival in India in March 1946 to solve the constitutional problem of the country. When Azad put his formula before the mission, Lord Pethick Lawrence complimented him by saying that In fact the Maulana was suggesting 'a new solution to the communal problem'³³ The Cabinet Mission published its plan on 16, May 1946. The Congress at the instance of Azad accepted the long-term proposal and rejected that part, which related to the formation of the interim government.³⁴

The main hindrance in accepting the interim arrangement were (i) Azad was not prepared to concede to the demand of Pakistan in any way. (ii). The Maulana was of the view that the demand for Pakistan would cool down. If

same time was allowed to pass between the formation of the interim government and the final transfer of the congress.³⁵ In September end Commending the congress resolution ratifying the work-ing committee's decision to from the interim government, Azad said that "the step the Congress had taken was the only correct one, our achievement today is the methods we employed in the past "He said end added" today our goal, freedom, is within sight." Today we are in such a Pakistan that, by joining the Government, we could increase our strength enormously.³⁶

Azad joined the interim government as an education member in January 1947 which office he continued to occupy till his death in 1959. In March 1947, Lord Mountbatton arrived as the successor of Wavell. He drew up a plan, seeing the plan, Azad was deeply distressed to found the viceroy engaged in planning the partition of the country. He realized the India was moving towards a great danger. He wondered as to how the Congress could ever agree to divide the country on a communal basis. We persuaded Gandhi, 'i and said, "If the transfer was delayed for two or three years, this might persuade the League to come to a settlement....." ³⁸But finally the coun-try was divided into two nations i.e. India and Pakistan. India declared inde-pendent on 15th 1947. Azad died in 1959.

References

1. Shakir, Dr. Moin, *Khilafat to partition* (Delhi-1970), p.137.
2. Ibid, p.138.
3. Ibid.
4. Azad, Maulana Abul Kalam, *India Wins Freedom* (Calcutta 1959), p.4
5. Tarachand, *History of the Freedom Movement in India* (Delhi 1972) Vo.III p.268.
6. Tendulkar, D.G. *Abdul Ghaffar Khan* (Bombay, 1967), p.23.
7. Quoted by S.M. Ikram Mauji Kausar, p.288.
8. Azad, A.K. Presidential Address, Agra, Published by M. Mushtaq Ahmad (Meerut) p.14.
9. Azad A.K. Taza Mazamin, compiled by M.Mushtaq Ahmad (Meerut) p.12.
10. Shakir. Dr. Moin op. cit p.144.
11. Ibid.
12. The Indian Annual Register 1923 (Calcutta) p.194.
13. Tendulkar D.G., op. cit, p.30.
14. Ludhianvi, Azizpur Rahman, *Raees-ul-Ahrar* (Delhi, 1962), p.132.
15. Tendulkar, D.G., *Abdul Ghaffar Khan* (Bombay, 1967), p.83.
16. Das, Durga, *India from Curzon to Nehru and after*, p.162.
17. Nehru, Jawahar Lal, *Autobiography* (London, 1963). p.327.
18. Smith, W.C., *Modern Islam in India* (Lahore, 1943) p.204.
19. The Indian Annual Register, 1934, I, p.222.
20. Ibid, 1932.(London 1933) p. 161.
21. The Indian Review, May-1936, p.303.

22. Azad Abul Kalam, Op. cit, p.13.
23. B.Pattabhi Sitaramaiyya, *The History of the Congress*, (Bombay, 1947) Vol. II, p.12.
24. Coupland, R, *Indian Politics 1936-42* (London-1944) p.187.
25. S. Shamsul Hasan, *It shall never happen again* (Delhi-1946) p. 1.
26. Azad Abul Kalam, Op. cit, p.22.
27. Indian National Congress, 1940-46 (Allahabad) pp. 1-3.
28. Pirzada, S.S., *Quaid-e-Azam Jinnah's Correspondence*, (Karanchi 1966) p.3.
29. Azad Abul Kalam, Op. cit, pp. 37-38.
30. Azad Abul Kalam, Op. cit, p. 88. 31. Ibid, p.104.
32. Indian National Congress (1940-46) Allahabad, p.48.
33. Azad Abul Kalam, op. cit, p. 141.
34. Sir Maurice Gwyer and A.Appadorai op. cit, p.577.
35. Azad Abul Kalam, op. cit, p. 154.
36. The Indian Annual Register, 1946, II, pp. 245-246.
37. Azad Abul Kalam, op. cit, p. 175.
38. Azad Abul Kalam, op. cit, p. 188.

Wage Determination

Vaishali Verma

M.A. (Delhi University), NET Qualified

A wage is monetary compensation (or remuneration) paid by an employer to an employee in exchange for work done. Payment may be calculated as a fixed amount for each task completed (a *task wage* or piece rate), or at an hourly or daily rate, or based on an easily measured quantity of work done.

Payment by wage contrasts with salaried work, in which the employer pays an arranged amount at steady intervals (such as a week or month) regardless of hours worked, with commission which conditions pay on individual performance, and with compensation based on the performance of the company as a whole. Waged employees may also receive tips or gratuity paid directly by clients and employee benefits which are non-monetary forms of compensation. Since wage labour is the predominant form of work, the term “wage” sometimes refers to all forms (or all monetary forms) of employee compensation.

Depending on the structure and traditions of different economies around the world, wage rates will be influenced by market forces (supply and demand), legislation, and tradition. Market forces are perhaps more dominant in the United States, while tradition, social structure and seniority, perhaps play a greater role in Japan.

Classical economists argue that wages—the price of labour—are determined (like all prices) by supply and demand. They call this the market theory of wage determination. When workers sell their labour, the price they can charge is influenced by several factors on the supply side and several factors on the demand side.

The most basic of these is the number of workers available (supply) and the number of workers needed (demand).

In addition, wage levels are shaped by the skill sets workers bring and employers need, as well as the location of the jobs being offered. When the city recently named by Forbes Magazine as the most miserable city in America (we don’t want to make them more miserable by naming them; look it up on the Google) advertises for a city planner, it may have to sweeten the pot to attract good talent.

The interplay between all of these factors will eventually cause wages to settle—that is, the number of workers, the number of jobs, the skills involved, and the location of the jobs will eventually lead workers and employers to reach a series of wage agreements. If employers (demand) cannot find enough workers to meet their needs, they will keep raising their wage offers until more workers

are attracted. If workers are in abundance (supply), wages will fall until the surplus labour decides to go elsewhere in search of jobs. When supply and demand meet, the equilibrium wage rate is established.

A perfectly competitive labour market will have the following features

- Many firms
- Perfect information about wages and job conditions
- Firms are offering identical jobs
- Many workers with same skills

Diagram of Wage Determination:

- The equilibrium wage rate in the industry is set by the meeting point of the industry supply and industry demand curves.
- In a competitive market firms are wage takers because if they set lower wages workers would not accept the wage.
- Therefore they have to set the equilibrium wage W_e .
- Because firms are wages takers the supply curve of labour is perfectly elastic therefore $AC = MC$
- The firm will maximise profits by employing at Q_1 where MRP of Labour = MC of Labour

Classical, Neo-classical and Bargaining Theories of Wage Determination

The fundamental principle of the classical theory is that the economy is self regulating. Classical economists maintain that the economy is always capable of achieving the natural level of real GDP or output, which is the level of real GDP that is obtained when the economy's resources are *fully employed*. While circumstances arise from time to time that cause the economy to fall below or to exceed the natural level of real GDP, self adjustment mechanisms exist within the market system that work to bring the economy back to the natural level of real GDP. The classical doctrine—that the economy is always at or near the natural level of real GDP—is based on two firmly held beliefs: Say's Law and the belief that prices, wages, and interest rates are flexible.

Say's Law. According to Say's Law, when an economy produces a certain level of real GDP, it also generates the income needed to purchase that level of real GDP. In other words, the economy is always capable of demanding all of the output that its workers and firms choose to produce. Hence, the economy is always capable of achieving the natural level of real GDP.

The achievement of the natural level of real GDP is not as simple as Say's Law would seem to suggest. While it is true that the income obtained from producing a certain level of real GDP must be sufficient to purchase that level of real GDP, there is no guarantee that all of this income will be spent. Some of

this income will be *saved*. Income that is saved is not used to purchase consumption goods and services, implying that the demand for these goods and services will be *less* than the supply. If aggregate demand falls below aggregate supply due to aggregate saving, suppliers will cut back on their production and reduce the number of resources that they employ. When employment of the economy's resources falls below the full employment level, the equilibrium level of real GDP also falls below its natural level. Consequently, the economy may not achieve the natural level of real GDP if there is aggregate saving. The classical theorists' response is that the funds from aggregate saving are eventually borrowed and turned into investment expenditures, which *are* a component of real GDP. Hence, aggregate saving need not lead to a reduction in real GDP.

Neo-classical Model of Wage Determination

Neoclassical economics is the theory that argues that Ricardo is wrong. Profit is not a residual. Profit is determined by the level of the marginal productivity of capital, and the wage of workers is determined in a similar way by the marginal productivity of labour. Therefore, according to neoclassical economics, if a union succeeds in raising the workers' wage, the inevitable result will be unemployment. In tandem with this new theory of wages and profits Pareto first dismissed the theory of Utilitarianism which called for redistributing income, and then developed a new definition of economic efficiency to replace it.

According to Pareto's definition, the higher union wage results in economic inefficiency.

Although entirely different from Ricardo's theory of profits and wages, the Neoclassical theory of profits and wages is an application of another of Ricardo's theories, that of land rent, and this is how Neoclassical economics got its name. According to Ricardo, parcels of land differ in their fertility.

The most fertile land is put into production first, and as agricultural production expands less and less fertile parcels are added; the rent for less fertile parcels is lower than the rent for more fertile land. Neoclassical economists argue that the process of adding labour and capital when industrial production is expanded is similar. As industrial production expands, additional workers are hired (while the quantity of capital is held constant) and, exactly as the fertility of additional units of land in agriculture falls, Neoclassical economics assumes that the productivity of each additional worker, which is her marginal product, diminishes.

Neoclassical economics assumes that the employer hires workers one by one. When she considers whether to hire an additional worker she compares the value of that worker's marginal product to the wage. As long as a worker's value of marginal product exceeds the wage, the worker is hired. But because

the marginal product is diminishing, eventually so many workers will have been hired that the value of the marginal product of an additional worker would be less than the wage. At this point the hiring will stop.

Of course, if at this point the wage rate were raised, some workers would get fired, because the value of the marginal product of at least some workers would be below the new wage. Thus, if unions push the wage higher, some workers would become unemployed, a situation that is not only painful to these workers but is also Pareto inefficient.

The process of hiring capital is exactly the same. A unit of capital is added when the value of the marginal product of capital exceeds the rental price of capital and the process stops when, because of the decreasing marginal productivity of capital, the value of the marginal product of capital becomes lower than the rental price.

Bargaining Theory of Wages

The bargaining theory of wages holds that wages, hours, and working conditions are determined by the relative bargaining strength of the parties to the agreement. Smith hinted at such a theory when he noted that employers had greater bargaining strength than employees.

This theory argues that no one factor or single combination of factors determines wages and that no one rate of pay necessarily prevails. Instead, there is a range of rates, any of which may exist simultaneously. The upper limit of the range represents the rate beyond which the employer refuses to hire certain workers. This rate can be influenced by many factors, including the productivity of the workers, the competitive situation, the size of the investment, and the employer's estimate of future business conditions. The lower limit of the range defines the rate below which the workers will not offer their services to the employer. Influences on this rate include minimum wage legislation, the workers' standard of living, their appraisal of the employment situation, and their knowledge of rates paid to others. Neither the upper nor the lower limit is fixed, and either may move upward or downward. The rate or rates within the range are determined by relative bargaining power.

The bargaining theory is very attractive to labour organizations, for, contrary to the subsistence and wages-fund theories, it provides a very cogent reason for the existence of unions: simply put, the bargaining strength of a union is much greater than that of individuals. It should be observed, however, that historically labourers were capable of improving their situations without the help of labour organizations. This indicates that factors other than the relative bargaining strength of the parties must have been at work. Although the bargaining theory can explain wage rates in short-run situations (such as the existence of certain wage differentials), over the long run it has failed to explain the changes that are observed in the average levels of wages.

Concepts of Minimum wage, Living Wage and Fair Wage in Theory and Practice

A minimum wage is the lowest hourly, daily or monthly remuneration that employers may legally pay to workers. Equivalently, it is the lowest wage at which workers may sell their labour. Although minimum wage laws are in effect in many jurisdictions, differences of opinion exist about the benefits and drawbacks of a minimum wage. Supporters of the minimum wage say it increases the standard of living of workers, reduces poverty, reduces inequality, boosts morale and forces businesses to be more efficient. In contrast, opponents of the minimum wage say it increases poverty, increases unemployment (and therefore lowers the desire to work), is damaging to businesses, and ultimately increases poverty of workers and businesses alike.

The first national minimum wage law was enacted by the government of New Zealand in 1894, followed by Australia in 1896 and Great Britain in 1909. In the United States, statutory minimum wages were first introduced nationally in 1938, and reintroduced and expanded in the United Kingdom in 1998. There is now legislation or binding collective bargaining regarding minimum wage in more than 90% of all countries. In the European Union, 21 member states currently have national minimum wages. In July 2014 Germany began legislating to introduce a federally-mandated minimum wage which would come into effect on 1 January 2015. Many countries, such as Sweden, Finland, Denmark, Switzerland, Austria, and Italy have no minimum wage laws, but rely on employer groups and trade unions to set minimum earnings through collective bargaining.

Minimum wage rates vary greatly across many different jurisdictions, not only in setting a particular amount of money—e.g. US\$7.25 per hour under certain states' laws (or \$2.13 for employees who receive tips, known as the tipped minimum wage), \$9.32 in the US state of Washington, and £6.31 (for those aged 21+) in the United Kingdom—but also in terms of which pay period (e.g. Russia and China set monthly minimums) or the scope of coverage. Some jurisdictions allow employers to count tips given to their workers as credit towards the minimum wage levels. India is one of the first developing countries to introduce minimum wage policy. It is also one of the most complicated systems with more than 1200 minimum wage rates.

Informal Minimum Wages

Sometimes a minimum wage exists without a law. Custom and extra-legal pressures from governments or labour unions can produce a *de facto* minimum wage. So can international public opinion, by pressuring multinational companies to pay Third World workers wages usually found in more industrialised countries. The latter situation in Southeast Asia and Latin America

was publicised in the 2000s, but it existed with companies in West Africa in the middle of the twentieth century.

References

- Blanchard, O., 2005 : *European Unemployment, the Evolution of Facts and Ideas*, Economic Policy, January 2006.
- Borcherding, K., : *Contemporary Issues in Decision Making*, Amsterdam, North-Holland, 1990.
- Dimson, Elroy: *Stock Market Anomalies*, Cambridge University Press, 1988.
- Guarti, Luigi, *The Valuation of Firms*, Blackwell Publishing, 1994.
- Hausman, D. M.: *The Inexact and Separate Science of Economics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
- Mark R. Killingsworth: *Labour Supply*, Cambridge Surveys of Economic Literature, Cambridge, 1983.
- Meyer, M. W.: *Theory of Organizational Structure*, Indianapolis, 1977.
- Ross, D.: *Economic Theory and Cognitive Science*, Cambridge, Mass., MIT Press, 2006.
- Roth, A. E.: *The Handbook of Experimental Economics*, Princeton, Princeton University Press, 1995.
- Schumpeter, J. A., *The Theory of Economic Development*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1934.

Independent Economy of India and Nehru's Economic Policy

Sanjay Kumar Singh

*Research Scholar, Department of Economics, Faculty of Social Sciences,
BRA Bihar University, Muzaffarpur*

Political independence of the country was accompanied by its partition. There was communal frenzy, leading to enormous loss of lives and property and serious dislocation of the economy, especially the closure of a large number of cotton textile and jute mills for want of raw materials. In the wake of partition came an attack on Kashmir by the Pakistan backed tribals from across the borders. Notwithstanding these immediate political and economic difficulties, the Congress grappled with the problem of creating an independent industrialised economy.

Nehru was anxious to channelise the “tremendous flood of energy” of the people, released by freedom of the country, “in right and useful directions” for building a new India. There should not be any rest or complacency. “We must not rest on our hard-won laurels, nor let self-complacency grip our ranks. We must not be static, but keep pace with the march of time. We should be up and doing and let our grip on freedom grow firmer.” For carrying on the work of building a new India, world peace was an essential condition.

The Meerut session of the Congress (November 1946) called for disarmament and world peace. It warned: “Civilization is likely to destroy itself unless it gives up its imperialist and acquisitive tendencies and bases itself on the peaceful cooperation of free nations and on the maintenance of the dignity of man.” In the context of the failure of capitalism, India would have to opt for a new order of society, which would be for peace and freedom and full cooperation of free nations.

The Congress stood for the removal of political and economic inequalities between nations and peoples. It ruled out any secondary or inferior position for India in the world. Obviously, it ruled out a neocolonial status for India. The problem, as Nehru told the AICC in January 1947, was “to prepare a concrete picture of what should take” the place of the political and economic system established by the British.

He started a nation wide campaign in favour of land reforms, industrialisation, planning and adoption of a model of economic growth which could make India self-reliant. Countering the mischievous propaganda that planning meant regimentation and the rise of totalitarianism, he declared that planning meant the most rational use of available resources to achieve certain

nationally accepted goals which could bring about an improvement in the standards of living of the people and strengthen political independence of the country.

It did not mean the negation of freedom of the people. He cleared many a confusion about what planning meant. He was appalled at the ignorance of even those who were involved with planning.

I would say that most of the people have no conception of what planning means. With all respect to those who use the word planning frequently enough even members of the Planning Department and the like - I would say that most of them have not the remotest conception of what planning means. Each person moving about in a little circle is not planning. Planning is a conception of the whole and developing each aspect of that whole in relation to other parts. You cannot plan separately, you cannot plan departmentally, you cannot plan in any way unless you grasp that planning means an all-round development of national economy and national life. You must bear the whole picture in mind and then you have to consider the basic things first on which the rest of the superstructure may be built. We shout a lot about our industries. In India they started mostly with jute, cotton textiles and the likes. They did some good and a lot of harm. But they are more or less auxiliaries, superficial industries, dependent on other countries for machinery, etc. You cannot industrialise a country by these superficial industries.

The requirement was primacy to basic and heavy industries and infrastructural facilities like power which alone could lay down the foundations of a self-reliant economy.

Nehru reiterated: "Let us have as great a measure of self-sufficiency as possible. If we are not self-sufficient, we are dependent on other countries, maybe for food, maybe for other things. If we are dependent we may get into conflicts while we may avoid them if we have a large measure of self-sufficiency Self-sufficiency does not mean cutting the international trade which will increase but not in the basic things that we require." Replying to those who wanted to divert India from the path of economic development to achieve self-reliance because they asserted that India was a country of spiritualism and non-material values and the emphasis on the development of material production would destroy these long-cherished values, Nehru retorted: "For a hungry man or a hungry woman truth has little meaning.

He wants food. For a hungry man, God has no meaning. He wants food. And India is a hungry, starving country and to talk of truth and God and even of many of the fine things of life to the millions who are starving is a mockery. We have to find food for them, clothing, housing, education, health and so on - all the absolute necessities of life that every man should possess. When we have done that we can philosophise and think of God."

In this endeavour to build a new India, the Soviet Union was a natural ally and India could learn much by cooperating with the USSR. Even months before the achievement of political independence formally, Nehru, while addressing the Soviet delegation to the 34th session of the Indian Science Congress, held in January 1947, said:

You are our neighbours and as neighbours we must take interest in each other; we must know each other and develop closer contacts with each other.

But apart from being neighbours, you have been pioneers in many fields and you have transformed the vast tracts of your country before our eyes with a speed that has astonished humanity. Inevitably, when we want to produce great changes in India, we want to learn from your example. We want to know what you have done and how you have done it. Among the many things that you have done is this tremendous flowering of science in the Soviet Union and the application of that science to the betterment of human beings who live in those vast territories.

It is our purpose also to better the lot of the millions who live in India and we want to utilise science to that end and want to learn from you what you have to teach in that respect.

Internally, Nehru was of the view that there was no hope for the transformation of the Indian economy into a modern one without planning and without active State intervention. The role of the State in the economy was perfectly justified "because, after all, State is the expression of society."

Ever since the days of Adam Smith the whole conception of the role of State had undergone a big change. It was no longer confined to protection of the citizens from external dangers and internal turmoil and the provision of certain communal services like roads, health and medical facilities, educational and training institutions. The extent of State intervention might be a matter of detail and of argument.

"But it is obvious that the State will intervene more increasingly in the future because life has become complex. You must have planned authority otherwise there will be chaos. It is quite impossible for the State not to interfere in the trade and commerce. It has interfered in the past and it will interfere more and more in the future."

In India planning and the active intervention by the State in economy were indispensable. The "key industries must inevitably be controlled very closely by the State." "Talking of industry as it is in India today sometimes seems to be a misnomer. Most of our so called industrialists are hardly industrialists. They are in reality financiers; that is not industrialisation.

They are buying up industries here and there but there is hardly any industry as such. The prime need in India is industrial power. Without power

we can achieve little. It is power that we want and there are big schemes to be operated: unless we have planning, we cannot achieve anything." The increasing skewness in the distribution of incomes and wealth in the country also necessitated the State intervention if the future social turmoils were to be avoided and harmony to be maintained.

During the war this skewness had sharply increased and fiscal policies had failed to make any appreciable impact on the situation. Obviously, this happened because a handful of people could amass wealth and incomes by resorting to illegitimate methods and indulging in black marketing. "There is something wrong in this and the thing must be brought under human nature control. Maybe it is a fault of human nature; if so, human nature must be controlled. The spirit of the twentieth century demanded that the profit motive should go and give place to planned distribution. It is not good to have such enormous discrepancies between individuals in India. How it has happened I do not know; I cannot understand it by any mathematical calculation."

Nehru was among the few top leaders of the Congress, who comprehended the mechanism of colonial exploitation of India and its changing features since the middle of the nineteenth century. He was determined that the economy of Independent India must be out of the colonial shackles. He put his foot down on the question of giving or maintaining any kind of safeguards to British commercial and industrial interests in Independent India. He categorically stated that "no Indian Government can possibly approve of putting up with any form of safeguard or any kind of protection for anybody." The interests of Indian nationals would be given primacy over those of foreign nationals.

The latter would have to operate within the framework of rules and regulations and priorities laid down by the Government of India. The British private enterprise would not enjoy any position of superiority and preference. The aim of Independent India would be "to make India as little dependent on external agencies in the economic sphere as possible and also to make her as self-sufficient as possible.

Independent India of his conception was to follow a different road while developing its economy than that followed hitherto by other countries of the world, except the Soviet Union. "I want India to be an advanced country and develop her trade, not in an aggressive spirit or by creating any vested interests in other countries, but in a cooperative spirit. I dislike imperialism, political or economic. I do not want my own country to indulge in economic aggression because I think that leads to conflicts and war with other countries. In order to avoid such conflicts I want India to develop on more cooperative lines." At the same time, he categorically stated: "I do not want India to be a suppliant country." In a significant communication to Asaf Ali who was for sometime India's ambassador to the USA, Nehru wrote:

The United States are a great power and we want to be friendly with them for many reasons. Nevertheless I should like it to be made clear

that we do not propose to be subservient to anybody and we do not welcome any kind of patronage. Our approach, while being exceedingly friendly, may become tough if necessity arises, both in regard to political and economic matters. We hold plenty of good cards in our hands and there is no need whatever for us to appear as suppliants before any country.

Till then India did not have any significant official level contacts with the Soviet Union and Nehru wanted that this situation must be remedied. In a message to the people of the Soviet Union on January 12, 1947, he stated: "It is inevitable that free India should develop friendly relations in cultural and other matters with the people of the Soviet Union. If there is no other compulsion, there is the compulsion of geography and our being neighbours. But there are other reasons also, for we have much to learn from them." He felt that both countries had interest in and responsibility for maintaining world peace. Their mutual friendship would be useful for world peace.

World peace, however, could not be brought in so long as nations were not free and human beings in large parts of the world were denied security and opportunity in economic matters. Urgent steps must be taken to solve the problems of poverty and backwardness of the people "or else crisis and disaster might overwhelm us. We have, therefore, to think in terms of the common man and fashion our political, social and economic structure so that the burdens that have crushed him may be removed, and he may have full opportunity for growth."

There were misgivings and misconceptions in the minds of Indian big businessmen about the policies of the government of Independent India and most of these arose out of ignorance. It fell on Nehru to enlighten its members and he tried to do it in his inaugural address to the annual session of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) in March 1947. He explained:

Planning means having some conception of the goal we are striving for, of the kind of society we are aiming at, trying to work up towards that end harmoniously and peacefully with as few upsets as possible, laying down targets so that on all sectors we may advance simultaneously. If we advance on one sector and do not advance on others, even that one sector will come to a stop, and we will face bottlenecks and difficulties.

The policy of the government was oriented towards encouraging industrialisation so that India's manpower was most rationally and fully utilised, no one who wanted and was capable of adding to the national output was denied the opportunity to do so and in this industrialisation there was no essential conflict between cottage industries and large-scale industries. As the large-scale industries will not be in a position to absorb the vast manpower of India for a long period of time, the development of both types of industries could be

adjusted which also necessitated planning. Then, there was another consideration for resorting to planning.

It should be remembered that economic factors do not recognise the limitations of boundaries. If we have the Damodar valley scheme, it will affect at least two provinces - Bengal and Bihar. It is not a Bengal scheme or a Bihar scheme. If we have a river commission for the Ganga valley, it will affect three provinces.... If we plan for the whole of India, the only right way to plan is to bring up the industrially backward parts so that there may be a balanced economy in all parts of India, not that a part of India should be industrialised and a part remain agricultural. That will be bad for India from every point of view, not only for the respective parts but for all. It is acknowledged from the defence point of view that industry should be spread out. Of course, nobody is going to force down something against the will of a province; a province will have to agree to and carry out that plan, but if the conception of a plan is to become provincial, it will become ineffective.

According to him, the main problem of India was to increase its national output, which was increasing at a minimal rate. But, this did not mean that the problem of distribution would be neglected and it was wrong to say that "distribution would look after itself; in future, if there is no proper distribution and no proper social justice, there are going to be conflicts on an enormous scale. Therefore distribution must be taken in hand and considered as a highly important factor. Nevertheless, I do say that the production is the first thing today."

References

- A.M. Zaidi and S.G. Zaidi: *The Foundations of Indian Economic Planning*, New Delhi, 1979.
Ahmad, Imtiaz: *State and Foreign Policy: India's Role in South Asia*, New Delhi, Vikas, 1993.
Anthony, J. Parel : *Hind Swaraj or Indian Home Rule*, Cambridge University Press, 1925.
Ashton, S.R.: *British Policy Towards the Indian States, 1905-1939*, London: Curzon, 1982.
Atri, Ajit : *Gandhi's View of Legal Justice*, New Delhi, Deep and Deep Pub., 2007.
B.N. Ganguli: *Indian Economic Thought: Nineteenth Century Perspectives*, New Delhi, 1977.
Bakshi, S.R. and K.C. Sharma : *Encyclopaedia of Indian Nationalism: Saga of Patriotism and Sacrifice*, Vista International, New Delhi, 2007.
Balan, K. : *Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru : The Two Stalwarts Who Shaped India*, Delhi, Authorspress, 2002.
Bhambhri, C.P. : *Indian Politics Since Independence*, 1999.
Bipan Chandra: *Modern India*, New Delhi, 1971.
Bourai, Himanshu : *Gandhi and Modern Indian Liberals*, Delhi, Abhijeet Pub., 2004.
Chakrabarti, Santosh : *Studies in Tagore : Critical Essays*, New Delhi, Atlantic, 2004.
Chopra, P.N. and Prabha Chopra : *The Encyclopaedia of Indian Culture*, Reliance Pub., New Delhi, 2003.

Site, Situation, Types, Size, Spacing and Internal Morphology of Rural and Urban Settlements

Krishna Kumar Rai

Research Scholar, Department of Geography, VKSU, Ara

Introduction

Settlement, locality or populated place are general terms used in statistics, archaeology, geography, landscape history and other subjects for a permanent or temporary community in which people live or have lived, without being specific as to size, population or importance. A settlement can therefore range in size from a small number of dwellings grouped together to the largest of cities with surrounding urbanized areas. The term may include hamlets, villages, towns and cities.

The term is used internationally in the field of geospatial modelling, and in that context is defined as “a city, town, village, or other agglomeration of buildings where people live and work”. A settlement conventionally includes its constructed facilities such as roads, enclosures, field systems, boundary banks and ditches, ponds, parks and woods, wind and water mills, manor houses, moats and churches. Settlement geography is a branch of geography that investigates the earth’s surface’s part settled by humans. According to the United nations’ Vancouver Declaration on Human Settlements (1976),

“human settlements means the totality of the human community – whether city, town or village – with all the social, material, organizational, spiritual and cultural elements that sustain it”.

Classification

Traditionally, it belongs to cultural geography and is divided into the geography of urban settlements and rural settlements. Thereby, settlements are mostly seen as elements of the cultural landscape. Apart from Australia, Europe and India, the term is actually rarely used in English-speaking geography. One of the last English books on settlement geography was published by Cambridge University Press in the 90s.

However, it is a traditional and actual branch in many other countries (e.g. German *Siedlungsgeographie*, French *Geographie de l’habitat*, Italian *Geografia insediativa*, Polish *Geografia osadnictwa*).

Actuality

Due to processes of urban sprawl such as counter urbanization, peri-urbanisation or postsuburbanisation the existing dichotomy between the urban and the rural is losing importance, especially in industrialized countries and newly industrialized countries. This point of view is already represented by many planning strategies such as the unified settlement planning. Hence, an integrative geography of settlements that considers the urban and the rural settlements as a continuum is regaining the importance lost during the 20th century. Further it is used in prehistoric, historic and present-focusing geographic research.

Definitions

Referring to *Stone* (1965), settlement geography is the description and analysis of the distribution of buildings by which people attach themselves to the land. Further, that the geography of settling designate the action of erecting buildings in order to occupy an area temporarily or permanently. It should be understood that buildings are one tangible expression of man-land relationships and that specification of this focus assumes study may be at any scale from quite general to most specific; there is no restriction to large-scale study of individual building plans or architectural details. Buildings are simply one representation of the process of people living in an area they are a mappable division of the landscape to which attention needs direction. With respect to the latter definition *Jordan* (1966) emphasizes, that settlement geography not exclusively investigates the distributions, but even more the structures, processes and interactions between settlements and its environment (such as soil, geomorphology, economy or society), which produce them. More recently, the study of settlement has evolved into the interaction of humans with the physical and ecological world.

In sum, settlement geography describes and explains the settlements' location, substance, form and structure, as well as the functions and processes that produced them over time. As an applied science, it projects future settlement development and contributes to the sustainable development of human-environmental systems.

The study of settlement patterns is one of the most important aspects of urban geography. Settlements can range in size from a small village with a few hundred residents to a metropolitan city of over one million people. Geographers often study the reasons behind why such cities develop where they do and what factors lead to their becoming a large city over time or remaining as a small village. Some of the reasons behind these patterns are thought of in terms of the area's site and its situation - two of the most important concepts in the study of urban geography.

Site

The site of a settlement is where the settlement has been built. The situation of a settlement is where it is in compared with the surrounding area. Situation can also be described as whereabouts a settlement is. The site is the actual location of a settlement on the earth and is composed of the physical characteristics of the landscape specific to the area. Site factors include things like landforms (i.e. is the area protected by mountains or is there a natural harbour present?), climate, vegetation types, availability of water, soil quality, minerals, and even wildlife.

A nucleated settlement is where the buildings are grouped together.

A linear shape is where the settlement has developed along a line.

A dispersed settlement is where the buildings are spread apart.

Historically, these factors led to the development of major cities worldwide. New York City, for example, is located where it is because of several site factors. As people arrived in North America from Europe, they began to settle in this area because it was a coastal location with a natural harbour. There was also an abundance of fresh water in the nearby Hudson River and small creeks as well as raw materials for building supplies. In addition, the nearby Appalachian and Catskill Mountains provided a barrier to movement inland.

The site of an area can also create challenges for its population and the small Himalayan nation of Bhutan is a good example of this. Located within the world's highest mountain range, the terrain of the country is extremely rugged and hard to get around. This, combined with the incredibly harsh climate in many areas of the country has made much of the population settle along rivers in the highlands just south of the Himalayas. In addition, only 2% of the land in the nation is arable (with much of it located in the highlands) making living in the country highly challenging.

There are a huge number of factors that have to be considered when trying to locate a new settlement. These can be grouped into four broad headings: climatic, economic, physical and traditional.

Site Factors

Aspect: Aspect and shelter are two of the most important factors that were used when deciding where to locate a settlement. Aspect relates to the direction in which the land faces. In the Northern Hemisphere the best slopes to locate on are those that face south, as they will receive the most sunshine, and therefore be best for agriculture. This can be seen clearly in many of the valleys of the Alps, where settlements have located on the south-facing slopes.

Shelter is also very important, particularly from the cold northerly winds and prevailing southwesterly winds in the UK. A good example of settlements being sheltered by their natural surroundings are the many spring-line

settlements found along the base of the chalk escarpments of the North and South Downs. These settlements would also have benefited from the good water source and fertile farmland nearby.

Water Supply: A supply of water was probably the single most important factor in deciding where a settlement might be located. Not only do rivers provide a source of clean drinking water, they also provided a food source through fishing, and a transport route. Most of the world's largest cities are located on rivers, especially the point at which they reach the sea, as this was often the first point that explorers landed.

Dry Point Sites: Water is vital to a settlement and is the most common factor behind their location. A dry point site is one that is slightly raised from the surrounding area, meaning that it is less likely to flood. Ely in Norfolk is a good example of this.

Wet Point Sites: This refers to any site that has access to water, usually through being beside a river. Towns would either grow up along the river or clustered near the point at which the river enters the sea. Examples of wet point sites include the towns and villages of the Welsh valleys, which tend to extend along the flat valley floor, rather than up the steep valley sides. Spring line settlements in the North and South Downs are also good examples of wet point sites.

Defence: In medieval times defence was one of the most important factors influencing the site of a settlement. The relief (shape) of the land often proved to be the best form of defence. Edinburgh castle sits on the top of a glacial crag, in an almost perfect position to defend itself, with very little chance for the attackers. In Italy, there are many walled hill-top villages, whilst the Maoris in New Zealand built their settlements (called Pa's) on the top of steep hills to prevent being attacked.

The other common natural feature used for defence is water, and in particular rivers. Both Shrewsbury and Durham are very good examples of where a meander of the river has formed an area of land bounded by water on three sides. This provided both cities with excellent defences, as they only had a thin neck of land to defend.

Resources: The idea of resources covers a huge number of different things. For early settlers the most important resources were fuel, building materials and food. Settlements grew in areas where wood was plentiful, stone easily accessible and good soil allowed agriculture to be developed. Since those early days of settlement many different resources have become the focal points for the growth of urban areas. Some of these are listed below:

Mining: The coal mines of South Wales, Tin mines of Cornwall and large mining projects as seen at Carajas in Northern Brazil, have all encouraged the

rapid growth of settlements aimed at housing the workers and providing them with all that they require.

Food: The farming area of East Anglia is one example of how small settlements will locate in areas conducive to good agriculture.

Oil: Settlements in Alaska and the Middle East have grown rapidly on the back of the oil industry.

Precious Metals: Settlements in South Africa have grown after the discovery of large deposits of precious metals such as gold. The most famous settlement to grow due to finding gold is San Francisco, after the gold rush to California in 1849.

Route Centres: Route centres are often called Nodal Points. Anywhere where two routes meet has great potential for settlement. Often these are formed by the meeting of two valleys, but settlement nowadays will grow where two main roads meet. In the UK, York is a good example of a route centre. Birmingham also enjoys a very good location, where many routes join up, and this is one of the reasons for its growth to become one of the largest cities in the UK.

Bridging Points: Just as water is very important for drinking, fishing, irrigation and navigation, so the ability to cross the rivers is also very important. Many towns and cities have built up at points where it was easiest to cross a large river. Exeter is one such example, crossing the river Exe. However one of the best examples is Paris in France. The original town was based on the tiny Ile de la Cite, which is an island in the middle of the River Seine. This island meant they could build two small bridges across the river rather than one large one. The new settlement also benefited from all the other advantages associated with being beside a river, as well as becoming a route centre due it being one of the only places to cross the river. Nowadays the island has been engulfed by the huge city that Paris has become, however it does still have many bridges going to it and is the point where the huge Notre Dame Cathedral is built.

The Confluence of Two Rivers: Just as two valleys, or roads, make a nodal point for settlement growth, so do two rivers joining. One such example is found in Khartoum in Sudan, where the Blue and the White Nile meet.

Situation

Situation is defined as the location of a place relative to its surroundings and other places. Factors included in an area's situation include the accessibility of the location, the extent of a place's connections with another, and how close an area may be to raw materials if they are not located specifically on the site. Though its site has made living in the nation challenging, Bhutan's situation has allowed it to maintain its policies of isolation as well as its own highly separated and traditionally religious culture. Because of its remote location in the Himalayas getting into the country is challenging and historically this has

been beneficial because the mountains have been a form of protection. As such, the heartland of the nation has never been invaded. In addition, Bhutan now controls many of the most strategic mountain passes in the Himalayas including the only ones into and out of its territory, leading to its title as the “Mountain Fortress of the Gods.”

Like an area’s site however, its situation can also cause problems. For example Canada’s Eastern Provinces of New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, and Prince Edward Island are some of that country’s most economically downtrodden areas due in large part to their situations.

These areas are isolated from the rest of Canada making manufacturing and the little agriculture possible too expensive. In addition, there are very few close natural resources (many are off the coast and due to maritime laws the government of Canada itself controls the resources) and many of the traditional fishing economies they did have are now crashing along with the fish populations.

The Importance of Site and Situation in Today’s Cities

As shown in the examples of New York City, Bhutan, and Canada’s East coast, an area’s site and situation play a significant role in its development both within its own boundaries and on a world stage. This has occurred throughout history and is part of the reason why places like London, Tokyo, New York City, and Los Angeles were able to grow into the prosperous cities that they are today.

As nations around the world continue to develop, their sites and situations will play a large role in whether or not they will be successful and though today’s ease of transportation and new technologies such as the Internet are bringing nations closer together, the physical landscape of an area as well as its location in relation to its desired market will still play a large role in whether or not such areas will grow to become the next great world city.

In the UK, Birmingham is an example of a city with an excellent situation. It is located central to the country, with excellent links by road to the North and South to London. As cities begin to fulfil different functions their importance can increase or decrease. Their situation plays an important part in deciding which of these will occur.

Types: There are 5 different types of settlement. Hamlets are the smallest, then a village, then town, then a city and the biggest is a metropolis. There are approximately 2,900,000 settlements in Britain!!!

Urban Area

An urban area is characterized by higher population density and vast human features in comparison to areas surrounding it. Urban areas may be cities, towns

or conurbations, but the term is not commonly extended to rural settlements such as villages and hamlets.

Urban areas are created and further developed by the process of urbanization. Measuring the extent of an urban area helps in analyzing population density and urban sprawl, and in determining urban and rural populations. Unlike an urban area, a metropolitan area includes not only the urban area, but also satellite cities plus intervening rural land that is socio-economically connected to the urban core city, typically by employment ties through commuting, with the urban core city being the primary labour market.

In the US, Metropolitan areas tend to be defined using counties or county sized political units as building blocks of much larger, albeit more condensed population units. Counties tend to be stable political boundaries; economists prefer to work with economic and social statistics based on metropolitan areas. Urbanized areas are a more relevant statistic for determining per capita land usage and densities.

Definitions vary somewhat between nations. European countries define urbanized areas on the basis of urban-type land use, not allowing any gaps of typically more than 200 m, and use satellite imagery instead of census blocks to determine the boundaries of the urban area. In less developed countries, in addition to land use and density requirements, a requirement that a large majority of the population, typically 75%, is not engaged in agriculture and/or fishing is sometimes used.

Australia

In Australia, urban areas are referred to as “urban centres” and are defined as population clusters of 1000 or more people, with a density of at least 200/km.

Canada

According to Statistics Canada, an urban area in Canada is an area with a population of at least 1,000 people where the density is no fewer than 400 persons per square km². If two or more urban areas are within 2 km (1.2 mi) of each other by road, they are merged into a single urban area, provided they do not cross census metropolitan area or census agglomeration boundaries.

In the Canada 2011 Census, Statistics Canada redesignated urban areas with the new term “population centre”; the new term was chosen in order to better reflect the fact that urban vs. rural is not a strict division, but rather a continuum within which several distinct settlement patterns may exist. For example, a community may fit a strictly statistical definition of an urban area, but may not be commonly thought of as “urban” because it has a smaller population, or functions socially and economically as a suburb of another urban area rather than as a self-contained urban entity, or is geographically remote

from other urban communities. Accordingly, the new definition set out three distinct types of population centres: small (population 1,000 to 29,999), medium (population 30,000 to 99,999) and large (population 100,000 or greater). Despite the change in terminology, however, the demographic definition of a population centre remains unchanged from that of an urban area: a population of at least 1,000 people where the density is no fewer than 400 persons per square km.

References

- Albritton, C. C. : *The Fabric of Geology*: Reading, Mass., Addison-Wesley Publishing Co., 1963.
- Banga, Indu: *The City in Indian History: Urban Demography, Society, and Politics*. Delhi, Manohar for Urban History Association of India, 1991.
- Belden C.: *Landscapes of the Sacred: Geography and Narrative in American Spirituality*, New York: Paulist Press, 1988.
- Boardman, D.: *Geography with Slow Learners*, Sheffield, The Geographical Association, 1982.
- Chambers, F.M. : *Climate Change and Human Impact on the Landscape*, London, Chapman and Hall, 1993.
- Clark, J.R.: *Coastal Seas: The Conservation Challenge*, Oxford, UK: Blackwell Science, 1998.
- Dickinson, Anthony Bertram and Chesley W. Sanger: *Twentieth-Century Shore-Station Whaling in Newfoundland and Labrador*, McGill-Queen's University Press, Montreal, 2005.
- Donaldson, Gordon: *The Scots Overseas*, Robert Hale, London, 1966.
- Earney, F.C.F.: *Marine Mineral Resources: Ocean Management and Policy*, London, Routledge, 1990.
- Foster, Leila Merrell: *The Story of Rachel Carson and the Environmental Movement*, Children's Press, 1990.
- Gibson, R. : *Critical Theory and Geography*, London, Hodder & Stoughton, 1986.
- Gurjar R.D. : *Geomorphology and Environmental Sustainability*, Concept, Delhi, 2005.
- Hart, John Fraser: *The Look of the Land*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1975.